

2017-2018

# वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT



**यूको बैंक**  
(भारत सरकार का उपक्रम)



**UCO BANK**  
(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

# यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001  
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

## वार्षिक प्रतिवेदन - 2017-18 Annual Report - 2017-18

### विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.	मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
• सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02	• कार्पोरेट अभिशासन का अनुलग्नक Annexures to Corporate Governance	78-81
• निदेशक मंडल Board of Directors	03	• तुलन-पत्र 2017-18 Balance Sheet 2017-18	82-83
• वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-13	• लाभ-हानि लेखा Profit & Loss A/c	84-85
• प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संबोधन Managing Director & CEO's Statement	14-15	• लेखों से संबंधित अनुसूची / Schedule to Accounts	86-145
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	16-41	• भारत के राष्ट्रपति को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report to the President of India	146-147
• व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	43-56	• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	148-150
• कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	57-77	• बासेल-III प्रकटीकरण / Basel-III Disclosures	151-216
		• परोक्षी फार्म / Proxy Form	217-218
		• उपस्थिति पर्चा / Attendance Slip	219

### महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तारीखें / IMPORTANT PROGRAMME & DATES

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date	बैठक-स्थल / Venue
वार्षिक आम बैठक 2017-18 की तारीख, समय एवं बैठक-स्थल Date, time & Venue of Annual General Meeting 2017-18	<b>27.06.2018</b> प्रातः 10.30 A.M.	मिनी ओडीटोरियम, साइन्स सिटी, जे.बी.एस. हाल्डेन एवेन्यू, कोलकाता-700 046
• परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy form	<b>22.06.2018</b>	Mini Auditorium, Science City, J.B.S. Haldane Avenue, Kolkata-700046

## सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

वास्ते तेज राज एंड पाल  
सनदी लेखाकार  
For **TEJ RAJ & PAL**  
Chartered Accountants

वास्ते आर एम लाल एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
For **R M LALL & CO.**  
Chartered Accountants

वास्ते एम सी भांडारी एंड कं.  
सनदी लेखाकार  
For **M C BHANDARI & CO.**  
Chartered Accountants

वास्ते वी सिंही एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
For **V SINGHI & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants

वास्ते रामा के गुप्ता एंड कं.  
सनदी लेखाकार,  
For **RAMA K GUPTA & CO**  
Chartered Accountants

## रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट / REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.  
इकाई : यूको बैंक  
कार्वी सेलेनियम टावर बी,  
प्लॉट 31-32, गचीबावली,  
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली  
हैदराबाद - 500 032

M/s Karvy Computershare Private Limited  
Unit : UCO BANK,  
Karvy Selenium Tower B,  
Plot 31-32, Gachibowli,  
Financial District, Nanakramguda Serilingampally,  
Hyderabad – 500 032

टेलीफोन सं. : (040) 67161500; फैक्स सं. : (040)23420814  
ई.मेल आईडी : einword.ris@karvy.com  
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

Telephone No. : (040) 67161500; Fax No. : (040)23420814  
E-mail ID : einword.ris@karvy.com  
Website : www.karvycomputershare.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।  
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. in case of need.

मुंबई	:	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023 फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai	:	Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023 Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै	:	22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017 फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai	:	22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017 Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली	:	305, नई दिल्ली हाउस, 27 बारखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001, फोन : 011-43681700
At New Delhi	:	305, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001 Phone: 011-43681700
कोलकाता	:	एपीजे हाउस, 15 पार्क स्ट्रीट, सी ब्लॉक 3रा तल, कोलकाता - 700 016 फोन : 033-66285900
At Kolkata	:	Apeejay House, 15, Park Street, C Block, 3rd Floor, Kolkata - 700 016 Phone : 033-66285900

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS



श्री आर. के. टक्कर  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य  
कार्यपालक अधिकारी  
**SHRI R. K. TAKKAR**  
Managing Director & CEO



श्री चरण सिंह  
कार्यपालक निदेशक  
**SHRI CHARAN SINGH**  
Executive Director



सुश्री. सिंधु पिल्लई  
निदेशक  
**MS. SINDHU PILLAI**  
Director



डॉ. अरविंद शर्मा  
निदेशक  
**DR. ARVIND SHARMA**  
Director



श्री अनिल शर्मा  
निदेशक  
**SHRI ANIL SHARMA**  
Director



डॉ. आशीष साहा  
निदेशक  
**DR. ASISH SAHA**  
Director



श्री के राजीवन नायर  
निदेशक  
**SHRI K. RAJIVAN NAIR**  
Director

## यूको बैंक

### प्रधान कार्यालय

10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700 001

### सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 15<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक बुधवार, दिनांक 27 जून, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 मिनट ओडीटोरियम, साइन्स सिटी, जे.बी.एस. हॉलडेन एवेन्यू, कोलकाता-700 046 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

- 1) 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों द्वारा बीती अवधि में बैंक के कार्यों और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विर्मा करना, उसे अनुमोदित करना एवं अपनाना।
- 2) निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो संशोधन सहित या रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

‘संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन और विविध प्रावधान)योजना,1970(योजना) और यूको बैंक (शेयर एवं बैंडके) विनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक (‘आरबीआई’), भारत सरकार (‘जीओआई’), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (‘सेबी’) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (आई सी डी आर विनियम)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद ‘निदेशक मंडल’ कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारी सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल) को दी जाती है कि वह प्रत्येक ₹10/- के 150,00,00,000 इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करे (निर्गम के ऐसे हिस्से को पक्का और/या प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए विधिसम्मत प्रकार से आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज/नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय (‘एनआरआई’) कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हक संस्थागत खरीदारों (‘क्यू आई बी’) जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (‘एफआईआई’) या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, जैसा कि

## UCO BANK

### Head Office

10, B. T. M. Sarani, Kolkata- 700 001

### Notice

NOTICE is hereby given that the 15<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on 27<sup>th</sup> June, 2018 at 10.30 A.M. at Mini Auditorium, Science City, J.B.S. Haldane Avenue, Kolkata-700046 to transact the following business:-

- 1) To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2) To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ( "RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 150,00,00,000 equity shares of ₹10/- each (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Portfolio Investors (FPIs), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which

बैंक द्वारा फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू, निजी प्लेसमेंट/अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति से अधि-आबंटन के विकल्प सहित या रहित ठीक हो।

"आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉफ क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट/अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा-लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो, लीड प्रबंधक और/या हामीदार और अन्य सलहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आईसीडीआर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो, के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आईसीडीआर विनियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी एलओडीआर विनियम के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, यूको बैंक (शेयर और बेटकें) विनियम 2003 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से 'समुचित प्राधिकारी' कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (जिसे इसके बाद 'अपेक्षित अनुमोदन' कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और/या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर नियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई पी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) को ईविट्टी शेयर जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में"

i. पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अर्थ के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प

are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

'RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, Private Placement/Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

'RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003., the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the SEBI LODR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

i. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and

की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।"

- ii. बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हों, पर शेयर आवंटित करने के लिए प्राधिकृत है।
- iii. आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

"आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों को जारी और आवंटित करना,यदि कोई हो,विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा सोधित यूको बैंक (शेयर एवं बैंडके) विनियम 2003 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और किसी बात और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने हेतु वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम में प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदान सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर्स, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी, अधिमान शेयरों, प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हो, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं एजेंसियों को कमीन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

- ii. The Bank is, in pursuant to provisions of Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- iii. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorised to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alternations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies."

"आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैंक द्वारा यथा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति को निवेशकों के वर्ग सहित ईश्यू कि प्रकृति एवं शर्तों, प्रत्येक ट्रांच में आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, जारी मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य के निर्धारण करने, रिकार्ड तारीख या लेखा-बंदी एवं अन्य संबंधित या अनुषंगी मामले निर्धारित करने, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्ध करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपाटन किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, fixing of record date or book closure and related or incidental matter, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper of desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/

(आर. के. टक्कर)

प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता  
दिनांक: 28 मई, 2018

By order of the Board of Directors

sd/-

(R.K. Takkar)

Managing Director &  
Chief Executive Officer

Place: Kolkata  
Date: 28<sup>th</sup> May, 2018



## नोटः

### परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 के पास इस बैठक की तारीख से कम-से-कम चार दिन पूर्व यानी 22 जून, 2018 को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त हो जाए। बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

### प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी भी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता-700 001 में इस बैठक की तारीख से कम-से-कम चार दिन पूर्व यानी 22 जून, 2018 को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त न हो जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित परोक्षी फार्म, यदि हो, तभी प्रभावी होगा जब वह 22 जून, 2018 को उपर्युक्त पते पर को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व उक्त दस्तावेजों के साथ बैंक में भी जमा कर दिया जाए।

कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

### उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / परोक्षीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे बैठक स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि लिखें। शेयरधारक / परोक्षीधारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने साथ पैन कार्ड, निर्वाचन आईडी, पासपोर्ट आदि अवश्य रखें। समुचित पहचान के बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश दिया जाएगा।

### शेयरधारक रजिस्टर बंद करना

वार्षिक बही बंद करने के प्रयोजन से शेयरधारक रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बहियाँ गुस्वार, 21 जून, 2018 से बुधवार, 27 जून 2018 तक (उक्त दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

### लाभांश:

आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/ 2004-05 दिनांक 04.05.2005 के अनुसार केवल वे ही बैंक लाभांश घोषित करने के पात्र हैं जो उपर्युक्त परिपत्र में सूचीकृत मानदंडों का अनुपालन करते हैं। चूंकि बैंक का नेट एनपीए अग्रिमों के 7% से ज्यादा है तथा चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹4436 करोड़ की हानि दर्शाए जाने के कारण भी निदेशक मंडल ने लाभांश की संरतुति नहीं की है।

### अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों) का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/ अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनियों अधिनियम, 1956/2013 की धारा

## Notes

### APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on 22<sup>nd</sup> June, 2018. An employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation 2003.

### APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on 22<sup>nd</sup> June, 2018. The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on 22<sup>nd</sup> June, 2018 at the above mentioned address.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

### ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passport etc with them and will be allowed entry only after proper identification.

### CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Registrar of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from 21<sup>st</sup> June, 2018 to 27<sup>th</sup> June, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure.

### DIVIDEND

As per RBI Notification No.DBOD.No.BP.BC.88/21.02.067/2004-05 dated 04.05.2005, only those Banks which comply with the criteria listed out in the above said circular are eligible to declare dividend. Since, Net NPA of the Bank is more than 7% of the advances and also for the reason that Bank posted loss of ₹4436 Crore during the current year, no dividend is recommended by the Board.

### UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund"

205C(1)/125 के तहत स्थापित “निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि” में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट में कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें। जिन शेयरधारकों का लाभांश का अभी तक दावा नहीं किया गया है उनका विवरण बैंक के वेबसाइट के निवेशक खण्ड में उपलब्ध है।

#### डाक पता/बैंक अधिदेश में परिवर्तन और अंतरण दावा

##### मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पते आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 को दें।

##### इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके निक्षेपागार भागीदार के पास उनका डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पते आदि ठीक से अद्यतन किए गए हैं।

##### अंतरण दर्ज करना

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाण-पत्र बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मे. कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,

यूनिट : यूको बैंक, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 को भेजे जाएँ।

##### अदावाकृत शेयर

बैंक के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद जारी कुछ शेयर प्रमाण-पत्र शेयरधारकों के आवेदन पत्र में उल्लिखित अधूरे डाक पते एवं बाद में परिवर्तित पते की वजह से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास वापस लौट आए। बैंक को ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों/मालिकों से दावा/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सेबी, एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार बैंक ऐसे शेयरों को अमूर्तकृत घोषित करेगा जिनका दावा असली शेयरधारकों/मालिकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 31.03.2018 को अदावाकृत शेयरों का विवरण निम्न प्रकार है: /Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2018 :

क्र.सं. SI No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2017	205	28300
ii.	वर्ष 2017-18 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2017-18	1	200
iii.	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2018	204	28100

अदावाकृत शेयरों के मामले में सही मालिक द्वारा दावा नहीं किए जाने तक मताधिकार अवरुद्ध रखे जाएंगे।

##### इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण

established under section 205C(1)/125 of the Companies Act 1956/2013.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2014-15 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited. The details of the shareholders whose dividend remained unclaimed are available on our Bank's website under Investors Section.

#### CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE AND LODGEMENT OF TRANSFERS

##### Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc.,

##### Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form, are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc. are duly updated with their Depository Participant.

##### Lodgement of Transfers

Share Certificates along with transfer deeds should be forwarded to Bank's Registrar and Share Transfer Agents, M/S Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

##### UNCLAIMED SHARES

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

##### Voting through Electronic Means

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with

में, आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-मतदान) द्वारा कारोबार समय में मतदान करने की सुविधा देना बाध्यकारी है।

बैंक के शेयरधारक बैठक की सूचना में निहित जानकारी के अनुसार रिमोट ई-मतदान प्रणाली के जरिए विचारणीय मर्दान पर मत दे सकते हैं।

बैंक ने मेसर्स सवीता ज्योति, कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देख-रेख करेंगे।

#### रिमोट ई-मतदान के निर्देश

1. <https://evoting.karvy.com> यूआरएल टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर लॉन्च करें।
2. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही अंतिम तारीख को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।
3. लॉगइन विवरण (यानी ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र/वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित ई-मतदान सूचना में वर्णित प्रयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।
4. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
5. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपने मन का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
6. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
7. लॉग इन में सफल होने पर सिस्टम आपको 'इवेंट यानी 'यूको बैंक का चयन करने के लिए कहेगा।
8. अंतिम तारीख यानी 20 जून, 2018 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।
9. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनः संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
10. विविध फोलियो/ डी-मैट खाते रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डी-मैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चुनाव करेंगे।
11. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुनः संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
12. पोर्टल 24.06.2018 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 26.06.2018 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।
13. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से संपर्क कर सकते हैं।

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote on the business to be transacted at the Annual General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed Ms. Savita Jyoti, Practising Company Secretary, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

#### INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING :

1. Launch internet browser by typing the URL: <https://evoting.karvy.com>
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in letter sent by e-mail/e-voting notice sent along with Annual Report). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank.
8. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 20th June, 2018 can cast their vote in favour of or against the resolution.
9. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
10. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
12. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 24.06.2018 to 5 p.m. on 26.06.2018.
13. In case of any queries, the shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd.

### असाधारण आम बैठक के स्थल पर मतदान/चुनाव:

रिमोट ई-मतदान के अलावा, मतदान उनके लिए भी आयोजित करवाया जाएगा जिन्होंने रिमोट ई-मतदान का अपना विकल्प नहीं लिया है। मतदान की शुरुआत इस आशय की घोषणा के तुरंत बाद कर दी जाएगी और मतों की संख्या शेयरधारकों द्वारा अंतिम तारीख यानी 20.06.2018 को धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी।

रिमोट ई-मतदान के नतीजों के साथ समन्वित मतदान का समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, यानी एनएसई एवं बीएसई एवं ई-वोटिंग एजेंसी (मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लि.) को भी सूचित किया जाएगा।

### तुलन पत्र / वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी।

### शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

बैठक में विचाराधीन कार्यसूची मदों पर शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली पूछताछ, यदि कोई हो, का स्वागत है। ऐसी पूछताछ पर्याप्त समय से पहले सामने आए तो बैंक प्रभावी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में रहेगा।

### शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-323, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद — 500 032 दूरभाष: (040) 67161500 फैक्स: (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट [www.karvycomputershare.com](http://www.karvycomputershare.com) पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

### शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री एन. पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल), कोलकाता- 700 001 दूरभाष: 033-44557227, फैक्स: 033-22485625

### नोटिस की कार्यसूची मद सं. 2 पर उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण:

अक्टूबर, 2003 के दौरान बैंक ने प्राथमिक रूप से पूँजी पर्याप्तता को सशक्त बनाने के लिए प्रति शेयर ₹2/- के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के 20 करोड़ इक्विटी शेयर के निर्गम द्वारा शुरुआती सार्वजनिक पेशकश की। बाद में बैंक ने अधिमान्य आधार पर भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को इक्विटी शेयर निर्गमित करके पूँजी जुटाई है। शुरुआती सार्वजनिक पेशकश के बाद पूँजी संरचना में निम्नांकित परिवर्तन हुए हैं :

### VOTING/POLLING AT THE VENUE OF AGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date i.e. 20th June, 2018.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e., NSE & BSE and the e-voting agency (M/s. Karvy Computershare (P) Limited).

### COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

### Shareholders Queries

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

### COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/s Karvy Computershare Private Limited  
Unit : UCO BANK,  
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,  
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032  
Tel : (040) 67161500; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., [www.karvycomputershare.com](http://www.karvycomputershare.com) and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

### SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

### EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST AGENDA ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

During October, 2003, Bank made its Initial Public Offer by issue of 20 Crore equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹2/- per share, primarily to strengthen capital adequacy. Subsequently Bank has raised capital by Issue of equity shares to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis.

शुरुआती सार्वजनिक पेशकश के बाद पूँजी संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

Following are changes in capital structure subsequent to Initial Public Offer:

निर्गम की तारीख Date of Issue	विवरण Details	पूँजी वृद्धि/कमी (रु. करोड़ में) Increase/Decrease in Capital (₹ In Crore)	संचयी प्रदत्त पूँजी (रु. करोड़ में) Cumulative Paid up Capital (₹ in Crore)
01.10.2003	शुरुआती सार्वजनिक पेशकश / Initial public offer	200	799.36
22.12.2008	ईक्विटी का पीएनसीपीएस (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर) में परिवर्तन Conversion of equity into PNCPs (Perpetual Non Cumulative Preferential Shares)	(250)	549.36
25.03.2011	प्रति शेयर ₹120.27 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹120.27 per share	78.16	627.52
30.03.2012	प्रति शेयर ₹82.49 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी निर्गम Preferential Issue to Government of India and LIC of India at an issue price of ₹ 82.49 per share	37.19	664.71
08.03.2013	प्रति शेयर ₹77.46 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt. Of India at an issue price of ₹77.46 per share	87.92	752.63
18.02.2014	प्रति शेयर ₹77.19 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹77.19 per share	25.91	778.54
27.02.2014	प्रति शेयर ₹77.19 के निर्गम मूल्य पर पीएनसीपीएस का ईक्विटी में परिवर्तन/ Conversion of PNCPs into equity at an issue price of ₹77.19 per share	236.17	1014.71
27.03.2015	प्रति शेयर ₹70.21 के निर्गम मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to LIC of India at an issue price of ₹70.21 per share	60.88	1075.59
10.05.2016	प्रति शेयर ₹41.47 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹41.47 per share	225.46	1301.05
05.10.2016	प्रति शेयर ₹41.45 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹41.45 per share	186.97	1488.02
29.11.2016	प्रति शेयर ₹37.74 के निर्गम मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to LIC of India at an issue price of ₹37.74 per share	71.70	1559.72
09.08.2017	प्रति शेयर ₹37.44 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹37.44 per share	307.16	1866.88
31.03.2018	प्रति शेयर ₹31.16 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹31.16 per share	441.27	2308.15

31 मार्च, 2018 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.94 रहा है। चूँकि आंतरिक पूँजी सृजन नहीं हुआ है, कारोबार विस्तार एवं बासेल III मानदंडों को पूरा करने के लिए हर प्रकार से बाजार एवं अन्य 'स्रोतों' से ईक्विटी पूँजी जुटाकर टियर-I पूँजी बढ़ाने की आवश्यकता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह उपलब्ध

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2018 is 10.94. Since there is no internal capital generation, there is every need to augment Tier - I capital by raising equity capital from market and other sources for business expansion and meeting Basel III norms.

The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

कराता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिए जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा अनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।

संकल्प, बैंक को पब्लिक इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट के अधार पर या भारत सरकार / भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर/ अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने में सक्षम करेगा।

आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा पारिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को साक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल को अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किए बगैर बैंक की निधि उगाही के लिए आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII के तहत यथा निर्धारित के अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है। आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती है, जिसका मूल्य 'प्रासंगिक तिथि' के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। 'प्रासंगिक तिथि' का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।

प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, लीड प्रबंधकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवश्यकता अनुसार प्राधिकरण के साथ परामर्श करते हुए निर्धारित की जाएगी।

चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय-समय पर संशोधित अनुसार यूको बैंक (शेयर व बैंक) विनियम, 2003 एवं लागू या आवश्यक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमों/ सहमति अनुसार होगा।

उपरोक्त कथित कारणों हेतु मुद्दे के शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में एक सक्षमकर्ता संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।

आबंटित ईक्विटी शेयर हर प्रकार से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समतुल्य निर्धारित किए जाएंगे। इस प्रयोजन से बैंक को एक विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों की अनुमति प्राप्त करने की जरूरत होगी। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी अनुमति का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल नोटिस में किए गए उल्लेख के अनुसार विशेष संकल्प पारित किए जाने की संस्तुति करता है। बैंक के किसी भी निदेशक का, उनकी स्वयं की शेयरधारिता तक की सीमा को छोड़कर, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प(पौ) से कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/

(आर . के . टक्कर)

प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता  
दिनांक: 28 मई, 2018

provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares by way of Follow on public issue, Qualified Institutional Placement, Preferential Issue and/or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors

sd/-

(R.K. Takkar)

Managing Director &  
Chief Executive Officer

Place: Kolkata  
Date: 28<sup>th</sup> May, 2018

## प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य Managing Director & CEO's Statement



प्रिय शेयरधारकगण,

अपने बैंक की 15 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के बैंक के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ प्रस्तुत करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। आरंभ में, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें निरंतर समर्थन दिया और हम पर अटूट विश्वास रखा, जिसके कारण संघर्षपूर्ण बैंकिंग परिदृश्य में भी बैंक बेहतर कार्यनिष्पादन कर पाया।

बैंक के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ प्रस्तुत करने के पूर्व मैं आपको भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष किए गए प्रमुख आर्थिक सुधारों के बारे में बताना चाहूँगा। परिवर्तनकारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 की मध्य रात्रि से लागू हुआ। लम्बे समय से नासूर बनी जुड़वाँ तुलना पत्र (टीबीएस) की समस्या का निदान निर्णायक रूप से नए भारतीय दिवाला कोड के तहत प्रमुख दबावग्रस्त कंपनियों को समाधान हेतु भेजकर किया गया तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए पुनर्पूँजीकरण पैकेज को भी कार्यान्वित किया गया। इन उपायों के फलस्वरूप रिपोर्ट किए जानेवाले वित्तीय वर्ष के द्वितीयार्ध में अर्थव्यवस्था में तेजी आना शुरु हुई। जीएसटी को स्थिर करना, टीबीएस कार्य को पूरा करना तथा बैंकों को वित्तीय सहायता देना, सरकार के अगले वर्ष का एजेंडा है।

सीएसओ ने 2017-18 में जीडीपी में 6.6% वृद्धि का अनुमान किया है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह वृद्धि निम्न मुद्रास्फीति, वर्धित चालू खाता शेष और जीडीपी अनुपात की तुलना में राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी आने से हुई है। इसके अतिरिक्त, एफडीआई का उदारीकरण तथा अन्य सुधारों में चालू संरचनात्मक सुधार उच्चतर वृद्धि का समर्थन करेंगे। तुलनात्मक रूप से 2018-19 में देश के आर्थिक कार्यनिष्पादन में सुधार परिलक्षित होगा। 2017-18 के दौरान देश में मामूली मुद्रास्फीति थी। 2017-18 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 2.5% की गिरावट आई। 2017-18 में सीपीआई मुद्रास्फीति 5% से कम पर कायम रही।

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure in welcoming you all to the 15th Annual General Meeting of our Bank and presenting the highlights of Bank's performance for the year ended 31st March 2018. At the outset, I would like to thank each one of you for your continued support and loyalty which enabled the bank to perform better in the difficult Banking Scenario.

Before I proceed to present the performance highlights of the Bank, let me take you to the major economic reforms which were undertaken over the past year by Government of India. The transformational Goods and Services Tax (GST) was launched at the midnight on 1st July 2017. And the long festering Twin Balance sheet (TBS) problem was decisively addressed by sending the major stressed companies for resolution under the new Indian Bankruptcy Code and a recapitalization package to strengthen the PSBs was also implemented. As a result of these measures, the economy began to accelerate in the second half of the reporting Financial Year. The agenda of the govt. for the next year is to stabilize the GST, and complete the TBS action and financial support to the Banks.

CSO has estimated the GDP growth in 2017-18 to 6.6%, which is the highest among the major economies of the world. That this growth has been achieved due to the lower inflation, improved current account balance and notable reduction in the fiscal deficit to GDP ratio makes it all. In addition to this, liberalization of FDI and ongoing other structural reforms among others, should be supporting higher growth. On balance, country's economic performance should witness an improvement in 2018-19. Inflation in the country was moderate during 2017-18. Headlines inflation declined 2.5% in 2017-18. CPI inflation remained below 5% in 2017-18.

बैंकिंग उद्योग के लिए रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष मुश्किल भरा वर्ष रहा। कारपोरेट उधारकर्ता खातों में स्लिपेज के कारण बैंकिंग उद्योग में गिरावट आई।

चालू वित्तीय वर्ष में समग्र बैंकिंग क्षेत्र, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन में गिरावट बनी रही। मार्च 2018 की स्थिति को बैंक ऋण में 10.3% की तथा कुल जमा में 6.7% की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 16-17 के ₹3,32,940 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 17-18 में बैंक ने कुल ₹3,05,838 करोड़ का कारोबार किया। पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹2,01,285 करोड़ की तुलना में इस वर्ष की वैश्विक जमा राशि ₹1,81,849 करोड़ रही। बैंक का कुल अग्रिम ₹1,23,989 करोड़ रहा। पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह ₹1,31,655 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 16-17 के ₹1,85,102 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 17-18 में बैंक की देशी जमा राशि ₹1,72,017 करोड़ रही। बैंक की कम लागत वाली जमा (कासा) में वर्ष-दर-वर्ष 2.07% की वृद्धि हुई और देशी जमा में इसका अंश मार्च 2017 के 33.92% से बढ़कर मार्च 2018 में 37.25% हो गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹1,12,917 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल देशी अग्रिम ₹1,08,746 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में जहाँ बैंक को ₹1851 करोड़ की निवल हानि हुई थी, वहीं अनर्जक आरिस्त खातों में उच्चतर प्रावधानीकरण के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसे ₹4,436 करोड़ की निवल हानि हुई।

पूँजी के अंतःप्रवाह के माध्यम से बैंक को भारत सरकार से लगातार सहायता मिल रही है। पूँजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने हेतु भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹6507 करोड़ की पूँजी दी (डाली) जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को बैंक बासेल III के तहत विनियामक पूँजीगत अपेक्षाएँ पूरी कर पाया।

#### ध्यान दिए जानेवाले प्रमुख क्षेत्र :

बैंक एनसीएलटी समाधान के माध्यम से अनर्जक आरिस्तियों में बढ़ी राशि की वसूली की प्रत्याशा करता है। कासा जमा और रिटेल अग्रिमों को तेजी से बढ़ाए जाने पर बल दिया जाना जारी रहेगा।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने यूको पे-ई-वॉलेट, भीम आधार पे, भारत ब्यूआर और भारत बिल पेमेंट सिस्टम जैसे कई डिजिटल ऐप्लिकेशन चालू किए हैं। बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नवीन उत्पादों का लाभ उठाते हुए ग्राहक सेवा के नए युग में प्रवेश करेगा। इसके अतिरिक्त बैंक ने पीएमजेडीवाई, मुद्रा, आधार सीडिंग एवं प्रमाणन, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई एवं पीएमजेबीवाई जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। अपनी आय बढ़ाने के लिए बैंक ने विभिन्न चैनल भागीदारों के कारोबार का प्रचार करने हेतु उनके साथ गठजोड़ किया है।

बैंक संपूर्ण जनता की सेवा करने तथा हितधारकों के मूल्य-सृजन के प्रति प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर मैं बैंक के हितधारकों, सरकार, निदेशकों और कर्मचारियों से प्राप्त सतत सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

(आर के टक्कर)  
प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Reporting financial year was difficult year for the Banking industry, profit of the Banking industry was dipped due to slippage in corporate borrowers accounts.

The performance of banking sectors, as a whole and PSBs in particular continued to be subdued in the current financial year. Bank credit grew at 10.3% and aggregate deposit grew at 6.7% as of March 2018.

During the reporting financial year, Bank has consciously downsized its Balance Sheet owing to capital constraints. Bank posted an overall Global business of ₹3,05,838 crore in FY 17-18 as against ₹3,32,940 crore as at FY 16-17. Global Deposit stood at ₹1,81,849 crore compared to ₹2,01,285 crore in the previous financial year 2016-17. Gross Advances of Bank were at ₹1,23,989 crore as against ₹1,31,655 crore during the previous FY 17-18. Domestic deposit of the Bank was ₹1,72,017 crore in FY17-18 compared to ₹1,85,102 crore in FY16-17. Bank's low cost deposit (CASA) grew by 2.07% on Y-O-Y and its share in domestic deposit improved from 33.92% in March 2017 to 37.25% in March 2018. Gross Domestic Advances stood at ₹1,08,746 crore in the FY 2017-18 against ₹1,12,917 crore in FY 2016-17. Bank's posted a net loss of ₹4,436 crore in FY17-18 compared to ₹1,851 crore in FY 16-17 due to higher provisioning in NPA accounts.

Bank is receiving continued support from Government of India through capital infusion. During the financial year 2017-18, Government of India infused capital funds aggregating to ₹6507 Crore to strengthen capital adequacy which enabled the Bank to meet the regulatory capital requirements under Basel III as on 31.03.2018.

#### Major Focus Areas:

The Bank expects to recover a major amount in NPAs through NCLT resolution. Emphasize on improving CASA deposits and retail advances will be continued at faster pace.

During the FY 2017-18, Bank has introduced many digital applications such as UCO Pay-e-wallet, BHIM Aadhar Pay, Bharat QR and Bharat Bill Payment System. Bank will reap benefit of new age products on digital platform which will usher a new era in customer service. Besides Bank has successfully implemented Govt. flagship programme like PMJDY, Mudra, Aadhar Seeding & Authentication, PMJJBY, PMSBY, APY and PMJBY. Bank has tied up with different channel partners for promoting their business for augmenting Bank income.

The Bank is committed to serve the public at a large and value creation for stake holder.

I take this opportunity to thank the Bank's Stakeholders, Government, Directors and employees for their unstinted support.

(R.K.Takkar)  
Managing Director &  
Chief Executive Officer



# निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2017-18

## REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2017-18

### I. प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण:

#### 1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2018 एवं 2019 में 3.9% पर बने रहने की संभावना है। उन्नत आर्थिक व्यवस्था इस वर्ष और अगले वर्ष तेजी से बढ़ेगी। यूरो क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि दर धीमी रहेगी। उभरते एशिया और यूरोप में मजबूत संवृद्धि के बने रहने से उभरते बाजार और विकासशील अर्थ व्यवस्था की कुल संवृद्धि के और मजबूत होने का अनुमान है। हाल के मौद्रिक नीति के परिवर्तनों के विस्तारक प्रभाव के प्रतिगामी होने के कारण संयुक्त राज्य अमरीका की संवृद्धि संभावना की तुलना में धीमी रहेगी। संयुक्त राज्य अमरीका में वित्तीय स्थिति प्रत्याशा की तुलना में तेजी से सख्त हो सकती है।

प्रचुर उपभोग और बढ़ते औद्योगिक उत्पादन का संकेत करती तीव्र खुदरा बिक्री के साथ 2018 में चीन की अर्थ व्यवस्था ने दृढ़ता का संकेत दिया है। वैश्विक माँग के बढ़ने, पूँजी व्यय करने और सुदृढ़ विनिर्माण कार्यकलापों के कारण वैश्विक व्यापार, 2016 के अंत और 2017 की शुरुआत से बढ़ता रहा है। 2018 में वैश्विक व्यापार में 4.6% की संवृद्धि का अनुमान है। फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी) के प्रतिभागियों के मार्च 2018 के अनुमान यह बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका का फेडरल बैंक 2018 में पॉलिसी को दो बार बढ़ा सकता है। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कई केंद्रीय बैंकों की पॉलिसी दरों के घटने के कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मौद्रिक नीति का रुख भिन्न बना रहा।

#### 2. देशी अर्थव्यवस्था

पिछले तीन वर्षों में भारत में सात प्रतिशत से अधिक की संवृद्धि हुई, तथापि 28 फरवरी 2018 को सीएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2017-18 में स्थिर बाजार दर पर जीडीपी में 6.6% और 2018-19 में 7.4 % वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2017-18 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) स्फीति 2.5% बनी रही और उपभोक्तृ मूल्य सूचकांक(सीपीआई) स्फीति 4.28% रही। 2017-18 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.3% की वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान 227 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। 2017-18 के दौरान वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात और आयात मूल्य में क्रमशः 9.8% तथा 19.6% की वृद्धि हुई। दिनांक 30 मार्च 2018 की स्थिति को विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 424.4 बिलियन अमरीकी डालर रही। अमरीकी डालर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन के मुकाबले मार्च 2018 में रुपये के मूल्य में क्रमशः 1.0%, 0.8%, 0.9% और 2.8% की गिरावट आई।

#### बैंकिंग और वित्तीय बाजार :

30 मार्च 2018 की स्थिति को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मुद्रा आपूर्ति में 9.6% की वृद्धि हुई तथा 30 मार्च 2018 की स्थिति को जनताके पास 39.2% मुद्रा थी। बैंकों में मीयादी जमा राशि 6.2% थी और माँग जमा राशि में 6.8% की वृद्धि हुई। मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशि 6.7% थी। बैंक ऋण के मामले में 30 मार्च, 2018 की स्थिति को 10.3% वृद्धि दर्ज की गई। 2017-18 के संशोधित अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे को घटा कर जीडीपी के 3.3% पर रखने की योजना है।

देशी वित्तीय बाजार में कई खंडों ने भिन्न उतार-चढ़ाव दर्शाया है। वर्ष के प्रथमार्ध में मुद्रा बाजारों में चलनिधि का प्राचुर्य बना रहा। फरवरी-मार्च,

### I. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

#### 1. GLOBAL ECONOMY

Global growth is expected to remain at 3.9% in both 2018 and 2019. Advanced economies will grow faster this year and in next year also. Euro- areas economies are set to grow at slow rate. Aggregate growth in emerging market and developing economies is projected to firm further, with continued strong growth in emerging Asia and Europe. US growth will slow below potential as the expansionary impact of recent fiscal policy changes goes into reverse. In the US, financial conditions could tighten faster than expected.

China's economy began 2018 on a firm note with buoyant retail sales indicating robust consumption and increasing industrial production. Global trade, which has been picking up since late 2016 early 2017 led by strengthening global demand, capital spending and robust manufacturing activity. World trade is projected to grow by 4.6% in 2018. The March 2018 projections of the Federal Open Market Committee (FOMC) participants suggest that the Federal Reserve Bank of USA could hike the policy rates two times in 2018. Monetary policy stances remained diverse in Emerging Market Economies (EMEs) with many Central Banks in key Emerging Market Economies (EMEs) reducing policy rates.

#### 2. DOMESTIC ECONOMY

India grew at more than seven percent during last three years, however in the year 2017-18 as per the Second Advance Estimate of National income released by CSO on 28<sup>th</sup> February 2018, estimated the growth of GDP at constant Market prices for the year 2017-18 to be 6.6% and it is projected to grow 7.4% in 2018-19. The WPI inflation remained at 2.5% during 2017-18 and CPI inflation stood at 4.28%. The Index of Industrial Production grew by 4.3% during 2017-18. The production of food grains during 2017-18 is estimated at 277.5 million tonnes. During 2017-18, the value of merchandise exports and imports increased 9.8% and 19.6% respectively. Foreign exchange reserves stood at US\$ 424.4 billion as on 30<sup>th</sup> March 2018. The rupee depreciated against the US dollar, Pound Sterling, Euro and Japanese Yen by 1.0%, 0.8%, 0.9% and 2.8% respectively in March 2018.

#### Banking and Financial Market:

The Growth of money supply on a Y-O-Y basis as of 30<sup>th</sup> March 2018 stood at 9.6% and growth of currency with Public was 39.2% as of 30<sup>th</sup> March 2018. The growth rate of time deposits with Banks was 6.2% and demand deposits grew by 6.8%. The Growth of Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks as of March 2018 was 6.7%. In terms of Bank Credit, growth was 10.3% as of 30<sup>th</sup> March 2018. As per revised estimate for 2017-18, the fiscal deficit of Central Govt. as % of GDP is 3.5%. The fiscal deficit is budgeted to decline to 3.3% of GDP in FY 2018-19.

In the domestic financial market, various segments have exhibited diverse movements. Money markets remained laden with the

2018 के दौरान प्रणाली में चलनिधि का संचलन आधिक्य और कमी के बीच होता रहा। ट्रेजरी बिलों पर ब्याज दरें और वाणिज्यिक पत्रों पर डिस्काउंट दरें बढ़ रही हैं क्योंकि बाजार के अनुमान के अनुसार चलनिधि की स्थितियों में संतुलन डगमगा रहा है। अगस्त 2017 से बांड प्रतिफल में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें निर्धारित बजट की तुलना में राजकोषीय घाटे के अधिक होने की चिंता, उच्चतर मुद्रास्फीति की प्रत्याशा तथा संयुक्त राज्य अमरीका में दर वृद्धि की प्रत्याशा सहित विविध कारक शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में तेजी आने तथा वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि होने के कारण प्रतिफल में तेजी आई। इसके बाद फरवरी 2018 में मुद्रास्फीति के अनुकूल प्रभाव से प्रतिफल तेजी से कम हुआ। अगस्त 2017 की शुष्कता से गौण सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार प्रायः समस्त्र से तेज रहा और घरेलू कारणों से मार्च 2018 तक प्रायः एक ही तरह का रहा।

## II. 2017-18 में बैंक का कार्य-निष्पादन:

### 1. यूको के डिलिवरी चैनल:


#### 1.1 पारंपरिक नेटवर्क :

बैंक के पास भारत एवं विदेश में भौगोलिक दृष्टि से भलीभाँति फैला शाखा नेटवर्क है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बैंक के 3 सर्किल कार्यालय, 42 अंचल, 3104 देशी शाखाएँ और चार विदेशी शाखाएँ (सिंगापुर एवं हॉंग-काँग में दो-दो) तथा दो विस्तार पटल हैं। तेहरान, ईरान में बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया गया है जो 25.03.2017 से कार्य कर रहा है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान वैश्विक शाखा नेटवर्क इस प्रकार है:

	मार्च / March, '14	मार्च / March '15	मार्च / March '16	मार्च / March '17	मार्च / March '18
शाखा/Branch	2894	3020	3077	3104	3108

31मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2018 को जनसंख्या श्रेणीवार शाखाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:



overhang of liquidity that characterized the first half of the year. Liquidity in the system moved between surplus and deficit during February-March 2018. Interest rates on Treasury bills and discount rates on commercial papers are hardening as markets sense that liquidity conditions are balancing out. Bond yields have increased sharply since August 2017 reflecting a variety of factors, including concerns that fiscal deficit might be greater than budgeted, expectation of higher inflation and expectation of rate increase in the US. An increase in international crude price and rise in global interest rates contributed to the hardening of yields. Thereafter, yields declined sharply on favorable inflation print for February 2018. Since the beginning of August 2017, yields in the secondary govt. securities (G-sec) market hardened almost monotonically, driven mostly by domestic factors up to early March 2018.

## II PERFORMANCE OF THE BANK DURING 2017-18


### 1. UCO's Delivery Channels

#### 1.1. BRICK AND MORTAR NETWORK:

Bank has a geographically well - spread branch network in India and also has presence Abroad. As of 31.03.2018, Bank has 3 Circle Offices, 42 Zones and 3104 domestic branches and 4 overseas branches (two each in Singapore and Hong-Kong). Bank's representative Office has been established in Tehran, Iran which is functional w.e.f. 25.03.2017.

The Global branch network over 5 years is as under:- (Global)

The population category-wise break-up of domestic branches as of 31.03.2017 and 31.03.2018 is given below.



1.2 देशी शाखाओं में 5 फ्लैगशिप कारपोरेट शाखाएँ, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएँ, 4 सेवा शाखाएँ स्वतंत्र रूप से कार्यरत हैं। 1 सीपीपीसी और 1 एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा भी हैं। देश भर के विविध केंद्रों की प्रमुख नगरीय शाखाओं से जुड़े 28 रिटेल लोन हब एवं 72 मुद्रा तिजोरियां, 54 सिटी बैंक कार्यालय भी काम कर रहे हैं।

1.2. The domestic branches include 5 Flagship Corporate branches, 7 Asset Management branches, 4 Service branches functioning independently and 1 Central Pension Processing Centre, 1 Integrated Treasury Branch. Further, 28 Retail Loan Hubs and 72 Currency Chests, 54 City Back offices are also functioning across the country, attached to the major city branches of various centres.

## 2. कारोबार प्रोफाइल



## 2. Business Profile

### 2.1 वैश्विक

### 2.1 GLOBAL

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बैंक की वैश्विक जमा राशि ₹1,81,849 करोड़ और सकल वैश्विक अग्रिम ₹1,23,990 करोड़ था। दिनांक 31.03.2018 को बैंक का कुल कारोबार ₹3,05,838 करोड़ था जबकि दिनांक 31.03.2017 को यह ₹3,32,940 करोड़ था।

Bank's Global Deposits stood at ₹1,81,849 crore and gross global advances at ₹1,23,990 crore as on 31.3.2018. Total Business of Bank was ₹3,05,838 crore as on 31.3.2018 compared to ₹3,32,940 crore on 31.3.2017.



## 2.2 देशी


दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को बैंक की देशी जमा राशि ₹1,72,017 करोड़ रही जबकि दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को यह जमा राशि ₹1,85,102 करोड़ थी। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को बैंक का सकल अग्रिम रु 1,08,746 करोड़ था जबकि दिनांक 31.03.2017 को स्थिति को यह ₹1,12,917 करोड़ था। थोक जमा राशियों को छोड़ देने के कारण बैंक की कुल जमा राशि में गिरावट आई और कुछ चुनिंदा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को दबावग्रस्त घोषित किए जाने के कारण उन्हें अग्रिम नहीं दिए गए।

बचत जमा में 6.39% की वृद्धि हुई और यह ₹51,456 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को ₹54,746 करोड़ हो गई। चालू जमा ₹9330 करोड़ की रही, जबकि दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को यह ₹11,323 करोड़ थी। यह गिरावट बैंक की ईरान जमा राशि में गिरावट आने के कारण हुई। कुल देशी जमा राशि में कासा का अंश दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के 33.92% से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को 37.25% हो गया। बैंक की जमा राशि ₹62,779 करोड़ से बढ़कर कर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को ₹64,076 करोड़ पर पहुँच गई।

## 2.2 DOMESTIC

Domestic Deposits of bank were ₹1,72,017 crore as on 31.3.2018 against ₹1,85,102 crore as on 31.3.2017, Gross advances were ₹1,08,746 crore compared to ₹1,12,917 crore during the above period. Total deposits of the bank declined due to the shedding of bulk deposits and advances declined because of some selective infrastructure sectors declared as stress.

Saving deposits have grown by 6.39% from ₹51,456 crore to ₹54,746 crore as on 31.3.2018. Current Deposits stood at ₹9330 crore compared to ₹11323 as on 31.3.2017. Decline in Current deposits is due to decline in Iran deposits of the Bank. The share of CASA deposits to total domestic deposits has increased from 33.92% in 31.3.2017 to 37.25% in 31.3.2018. CASA deposits of the Bank have improved from ₹62,779 crore to ₹64,076 crore as of 31.3.2018.



## 2.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को ₹ 4436 करोड़ की निवल हानि हुई। पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक की निवल हानि ₹1851 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिक प्रावधान करने के कारण बैंक की निवल हानि बढ़ी। बैंक को ₹1334 करोड़ का परिचालन लाभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंक की कुल आय में ₹3299 करोड़ की कमी आई जबकि बैंक का कुल व्यय भी घटकर रु 1707 करोड़ रह गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹4777 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान बैंक ने ₹5771 करोड़ का प्रावधान किया। वित्तीय वर्ष 16-17 के 5.83% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जमा लागत घट कर 5.37% हो गई। बैंक की व्याज आय में ₹2306 करोड़ की गिरावट आई। वित्तीय वर्ष 2017-18 बैंक का लागत आय अनुपात 68.57% रहा जो कि वित्तीय वर्ष 16-17 में 50.67% था। इस अवधि में सीडी अनुपात भी 65.41% से बढ़कर 68.18% हो गया।

## 3. कोष एवं अंतरराष्ट्रीय

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियामक दिशानिर्देशों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की कार्पोरेट निवेश नीति के अनुरूप

## 2.3 Financial Performance:

During the FY 2017-18, Bank posted a Net loss of ₹4436 crore compared to ₹1851 crore for the previous year FY 2016-17. Net loss of the bank increased due to increase in provisioning in FY 2017-18. Operating profit of Bank stood at ₹1334 crore. Total income declined by ₹3299 crore while total expenses of the bank also declined by ₹1707 crore in FY 17-18. During the year Bank made provision of ₹5771 crore as compared to ₹4777 crore in FY16-17. Cost of deposits declined to 5.37% in FY 17-18 from 5.83% in FY 16-17. Interest income of the Bank declined by ₹2306 crore. Cost income ratio of the Bank stood at 68.57% in FY 17-18 as against 50.67% in FY 16-17. CD ratio has improved from 65.41% to 68.18% during the period.

## 3. TREASURY & INTERNATIONAL

Bank has been performing its Treasury & Investment Operations by keeping track of the macroeconomic scenario and market

मैक्रो-इकोनॉमिक परिदृश्य एवं बाजार की गति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बैंक अपने कोष एवं निवेश का परिचालन करता आ रहा है। बदले हुए परिदृश्य में, जहां अत्याधुनिक तकनीक कोष एवं जोखिम प्रबंधन को धारदार बना रही है, प्रभावी एवं सक्षम तरीके से संसाधन का अधिकतम इस्तेमाल करने और निवेश एवं ट्रेडिंग पर आय को अधिकतम बढ़ाने के लिए बैंक ने वैश्विक स्तर पर उपयोगी एक समेकित कोष प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। जोखिम कम करने और समुचित तुलना पत्र प्रबंधन हेतु बैंक ने ब्याज दर अदला-बदली संव्यवहार अपनाया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के देशी निवेश में 3.64% की गिरावट आई और यह दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के ₹72628 करोड़ से घटकर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को ₹69987 करोड़ हो गया। बैंक के एसएलआर निवेश में 12.43% की गिरावट आई और यह 31.03.2017 की स्थिति के ₹59921 करोड़ से घटकर 31.03.2018 की स्थिति को ₹52471 करोड़ हो गया। यह गिरावट मुख्यतः बाजार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने की कारण हुई। गैर - एसएलआर निवेश (देशी) में 37.85% की वृद्धि हुई यह 31.03.2017 की स्थिति के ₹12707 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 की स्थिति को ₹17516 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः भारत सरकार से ₹5132 करोड़ का पुनर्पूँजीकरण बांड प्राप्त करने के कारण हुई। बैंक ने निवेश कार्यों पर वर्ष 2016-17 के ₹7507.47 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान ₹6005.45 करोड़ का लाभ अर्जित किया जिसके फलस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20% की गिरावट आई। ऐसा प्रतिफल की लागत पर प्रतिकूल बाजार घट-बढ़ के कारण हुआ।

वर्ष 2017-18 के दौरान देशी निवेश पर ब्याज आय में 9.82% की गिरावट आई और यह 31.03.2017 की स्थिति के ₹5736.41 करोड़ से घटकर 31.03.2018 की स्थिति को ₹5173.03 करोड़ रह गई। यह मुख्यतः देशी निवेश पोर्टफोलियो में गिरावट के कारण हुआ।

### 3.1 निर्यात वित्त :

भारत भर में स्थित 66 'बी' श्रेणी की शाखाओं के साथ यूको बैंक सक्रिय रूप से निर्यातकों की जरूरतें पूरी करने के लिए कटिबद्ध है। मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल मर्चेन्ट कारोबार ₹40,535 करोड़ का था जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.61% कम है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति को हमारे बैंक का निर्यात ऋण बकाया ₹1,977.66 करोड़ का है, जिसमें 31 मार्च, 2017 की स्थिति की अपेक्षा 7.32% की गिरावट दर्ज की गई है।

फरवरी, 2012 से 'यूको बैंक भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार "रूपया भुगतान प्रणाली" के अंतर्गत ईरान के साथ द्विपक्षीय बैंकिंग व्यापार लेन-लेन सुलभ करा रहा है जिससे भारतीय निर्यातकों को ईरान को अनुमत वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में सुविधा होती है।

## 4. सामाजिक बैंकिंग:

### 4.1 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम:

बैंक कुछ वर्षों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने में महत्वपूर्ण कार्य प्रदर्शित करता रहा है और अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सेवाएँ देता रहा है।

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम ₹54698 करोड़ के रहे जो समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.45% थे।

#### 4.1.1 कृषि को अग्रिम:

बैंक का कुल कृषि अग्रिम ₹20,876 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 15.82% है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹13019 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 9.87% है।

#### 4.1.3 कमजोर वर्गों को ऋण:

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को प्रदान किया गया अग्रिम ₹15396 करोड़ का रहा, जो समायोजित नेट बैंक ऋण का 11.66% है।

developments in accordance with the regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time as also the Bank's Domestic Investment Policy approved by the Board. In the changed scenario, where state of the art technology is providing the cutting-edge in Treasury & Risk Management, Bank has also embarked upon a globally deployable Integrated Treasury Management Solution for an effective and efficient way to optimize resource utilization and maximize returns on investment and trading. In order to mitigate risk and proper balance sheet management, the bank has gone for interest rate swap transactions.

The Domestic Investment of the Bank during the year 2017-18 declined by 3.64% from ₹72628 crore as on 31.03.2017 to ₹69987 crore as on 31.03.2018. The SLR Investment of the Bank declined by 12.43% from ₹59921 crore as on 31.03.2017 to ₹52471 crore as on 31.03.2018 mainly due to sale of Govt. securities to manage market risk. The Non SLR Investment (Domestic) grew by 37.85% from ₹12707 crore as on 31.03.2017 to ₹17516 crore as on 31.03.2018 mainly due to Recapitalization Bonds to the tune of ₹5132 crore received from Govt. of India. During the year 2017-18, the bank has earned profit from investment operations amounting to ₹6005.45 crore vis-à-vis ₹7507.47 crore during the year 2016-17, thereby registering a decrease of 20% y-o-y basis due to adverse market movement on account of rise in yield.

During the year 2017-18, the Interest Income from domestic investment declined by 9.82% from ₹5736.41 crore as on 31.03.2017 to ₹5173.03 crore as on 31.03.2018 mainly due to decrease in the domestic Investment portfolio.

### 3.1 Export Finance:

With 66 'B' Category Branches across India, UCO Bank is committed to actively cater to the needs of its Exporters. Total Merchant Turnover of the Bank during the Financial Year ended 31st March, 2018 stood at ₹40,535 crore which is 18.61% higher than the previous year. Bank's Export credit outstanding during 31st March, 2018 is ₹1,977.66 crore, registering a decline of 7.32% over 31st March, 2017.

'UCO Bank,' has been facilitating Bi-lateral Banking Trade transactions with Iran under "Rupee Payment Mechanism" since Feb, 2012 as mandated by Govt. of India/RBI, thereby facilitating Indian Exporters, exporting permissible goods and services to Iran.

## 4. SOCIAL BANKING

### 4.1 Priority Sector Advances:

The Bank has been showing significant performance in lending to Priority Sector over the years and has been effectively servicing the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

As on 31.03.2018, the Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹54,698 crore constituting 41.45% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

#### 4.1.1 Agriculture Advances:

Total Agriculture Advances of the Bank stood at ₹20,876 crore constituting 15.82% of ANBC. Direct Agriculture stood at ₹13,019 crore constituting 9.87% of ANBC.

#### 4.1.3 Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Section stood at ₹15396 crore as of 31st March, 2018 constituting 11.66% of ANBC.

#### 4.1.4 अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण:

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को बैंक का कुल अल्पसंख्यक समुदाय अग्रिम ₹8208 करोड़ रहा जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 15% है।

#### 5. अनूठी योजनाएं:

बैंक की दो अनूठी योजनाएँ हैं – (1) “यूको उत्थान” – अपनाए गए गाँवों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के उत्थान के लिए तथा (2) “यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना” – समग्र विकास के लिए गाँवों को अपनाना।

#### 5.1 यूको उत्थान योजना : गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सामाजिक-सह-वित्तीय उत्थान योजना

योजनांतर्गत जिन गाँवों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार बड़ी संख्या में हैं उनको बैंक अपनी निकटतम शाखा के माध्यम से अपनाता है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गरीबी के चंगुल से छुड़ाया जा सके और गाँवों में समग्रतः परिवर्तन लाया जा सके। इस योजना में शिक्षा, ग्रामीण आवास हेतु वित्तपोषण, स्वयंसेवी समूहों का गठन एवं सूक्ष्म वित्तीयन, हस्तकला एवं ग्रामीण हस्तशिल्पियों का विकास, जैसे क्षेत्रों को शामिल कर, ग्रामवासियों की एक समग्र विकास योजना बनाकर उस पर कार्रवाई की जाती है तथा डीआरआई योजना के तहत वित्त प्रदान किया जाता है।

बैंक ने 10 राज्यों, यानी असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यूको उत्थान योजना के तहत 31 गाँवों को अपनाया है।

बैंक ने इन गाँवों में बहुत से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं और विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अपनी आजीविका बेहतर बनाने, अपनी आय बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें।

इन प्रयासों से ऐसे 31 गाँवों के 6568 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार पिछले 4 वर्षों के दौरान बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण सहायता के द्वारा बेहतर ढंग से अपनी आजीविका अर्जित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। गरीबी रेखा से नीचे के ये परिवार डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, पान की खेती, शाक सब्जी उगाना, साइकिल मरम्मत, जूता मरम्मत, फल बेचना, किराना दुकान, चाय का स्टॉल लगाना, बैड़ी बनाना, ट्रॉली चलाना, मिस्ट्री का कारोबार आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर आय अर्जन कर रहे हैं।

#### 5.2 यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना – गाँव के समग्र विकास के लिए

बैंक ने 6 राज्यों, यथा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10 गाँवों को उनके समग्र विकास के लिए यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत अपनाया है।

इन गाँवों में बैंक ने ग्रामवासियों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, उन्हें वित्तीय सहयोग दिया है तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों की भी शुरुआत की है। वित्तीय सहयोग के अंतर्गत बैंक ने छोटे व्यापारियों को जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी), हस्तशिल्पियों को आर्टिसन क्रेडिट कार्ड (एसीसी), किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्वयं सहायता समूहों को ऋण, पशुपालन गतिविधियों करने के लिए ऋण, महिला एवं अजा / अजजा हिताधिकारियों को ऋण प्रदान किए हैं। कई छोटे व्यापारियों ने बैंक ऋण की सहायता से खुद का कारोबार शुरू कर दिया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा बैंक ने विभिन्न स्कूलों को सीलिंग पंखे, वाटर प्यूरिफायर, स्कूल के पुस्तकालय के लिए स्टील की अलमारी, किताबें, स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म दिए हैं, गाँवों में पीने के पानी के लिए हैंड पंप लगवाने, गाँवों में सड़कों पर सौर लाइट लगवाने, पक्की सड़क बनवाने के काम किए हैं।

#### 4.1.4 Minority Community Advances:

Total Minority Community Advances of the Bank as on 31.03.2018 stood at ₹8208 crore constituting 15% of Priority Sector Advances.

#### 5. Unique Schemes:

The Bank has two unique schemes - (1) "UCO Uthaan" for upliftment of BPL families of adopted villages & (2) "UCO Samagra Gramin Vikas Yojna" - Adoption of villages for all-round development.

#### 5.1 UCO Uthaan Scheme: Social-cum-Financial upliftment scheme for BPL families.

Under the Scheme, villages having large number of BPL families are adopted by the Bank through its nearest branch to bring the BPL families out of the clutches of poverty and to bring about a holistic change in the villages. Under the scheme, a holistic development plan of the villages is drawn and followed up for covering areas like education, financing for rural housing, formation of SHG and micro-financing, development of handicrafts & rural artisans and extending finance under DRI Scheme.

The Bank has adopted 31 villages in 10 states i.e. Assam, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh & West Bengal under UCO Uthaan Scheme.

Bank has conducted several financial literacy camps in these villages and has provided financial assistance particularly to BPL families to improve their livelihood, to generate more income so that they come above the poverty line.

By these efforts, 6568 BPL families, in these 31 adopted villages have been provided with credit assistance by Bank to uplift their livelihood in a better way during last 4 years. These BPL families are generating their income by adopting several activities like dairy farming, goat farming, betel leaf cultivation, vegetable growing, cycle repairing, shoe mending, fruit vending, grocery shop, tea stall, beedi making, trolley plying, mason jobs etc.

#### 5.2 UCO Samagra Gramin Vikas Yojna : For all-round development of villages

The Bank has adopted 10 villages in 6 states i.e. Gujarat, Himachal Pradesh, Odisha, Kerala, Uttar Pradesh & West Bengal for its all-round development under UCO Samagra Gramin Vikas Yojna.

In these villages, Bank has conducted financial literacy camps to educate the villagers, extended financial support to them and has also initiated developmental activities under Corporate Social Responsibility. Under financial assistance, Bank has given General Credit Cards (GCC) to small traders, Artisan Credit Cards (ACC) to artisans, Kisan Credit Cards (KCC) to farmers, loan to SHGs, loan for doing animal husbandry activities, loan to women & SC/ST beneficiaries. Many small traders have started their own business with the support of Bank loan. Through CSR activities, Bank has given Ceiling Fans, Water purifiers to different schools, Steel Almirahs, Books for school library, School uniform for school going children, installation of hand pumps for drinking water in the villages, installation of Solar street lights in the villages, construction of metallic road.

बैंक ने उपर्युक्त 10 गांवों में से दो बैंक सेवा रहित गांवों के ग्रामवासियों को मोबाइल बैंक के जरिए दरवाजे तक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की हैं। यह बैंक सप्ताह के दौरान किसी पूर्व निर्धारित दिन और समय पर इन दो गांवों में आती है और ग्रामवासियों को उनके दरवाजे पर सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस पहल के कारण ग्रामवासियों की बचत करने की आदत बढ़ी है। इन बैंकों के माध्यम से ग्रामवासी वित्तीय रूप से शिक्षित भी हो रहे हैं।

इन गतिविधियों से अपनाए गए गांवों में समग्रतः विकास हो रहा है और ग्रामवासियों को भरपूर लाभ मिल रहा है।

## 6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया है, बिहार ग्रामीण बैंक (बीजीबी) जिसका मुख्यालय बेगूसराय, बिहार में है, एवं पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी), जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है। प्रत्येक बैंक के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 606 शाखाएँ हैं।

### 6.1 क्षेत्रीय बैंकों की पूंजी की स्थिति

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी संरचना ₹154.51 करोड़ (भारत सरकार), ₹108.16 करोड़ (यूको) और ₹46.35 करोड़ (पश्चिम बंगाल राज्य सरकार) की रही। इसी प्रकार, बिहार ग्रामीण बैंक में यह ₹109.07 करोड़ (भारत सरकार), ₹76.35 करोड़ (यूको) और ₹32.73 करोड़ (बिहार राज्य सरकार) रही।

बैंक द्वारा प्रायोजित दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (गैर-लेखापरीक्षित) 9% विनियामक सीआरआर बनाए रखने हेतु अनुमानित ₹178 करोड़ (लगभग) की पूंजी की जरूरत होगी। उसमें से बैंक का 35% अंश रु 62.30 करोड़ होगा। बैंक उपर्युक्त समय पर इस मुद्दे पर विचार करेगा।

### वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रीय बैंकों के कार्यनिष्पादन

#### 6.1.1 पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक :

गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल जमा ₹4762.79 करोड़ थी जिसमें 5.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 8.74 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को कुल अग्रिम ₹2419.01 करोड़ तक पहुँच गया। सीडी अनुपात दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के 49.12% से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 को 50.79% हो गया।

सकल अनर्जक आस्तियाँ दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के ₹183.17 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को रु 474.54 करोड़ हो गई। सकल अग्रिम की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ दिनांक 31.03.2017 के 8.23% की तुलना में दिनांक 31.03.2018 को 19.62% हो गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निवल अनर्जक आस्तियाँ अनुपात दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के 5.89% की अपेक्षा दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को 15.63% हो गया।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक को दिनांक 31.03.2017 के ₹14.49 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में दिनांक 31.03.2018 को रु 31.99 की निवल हानि हुई जिसके फलस्वरूप इसकी संचयी हानि रु 68.57 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को ₹100.56 करोड़ हो गई।

#### 6.1.2 बिहार ग्रामीण बैंक :

गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को बिहार ग्रामीण बैंक की कुल जमा ₹5367.07 करोड़ थी जिसमें 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 12.42 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को कुल अग्रिम ₹3533.78 करोड़ तक पहुँच गया। सीडी अनुपात दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के 66.26 % की तुलना में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को 65.84 % हो गया।

सकल अनर्जक आस्तियाँ दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के ₹257.16 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को

In two villages, out of above 10 villages, Bank has provided doorstep banking facilities to the villagers of these unbanked villages through Mobile Van. The Van visits these two villages on a predetermined day and time during the week and provides all types of banking facilities to the villagers at their doorstep. There has been an increase in the saving habits of the villagers due to this initiative. Through these vans, villagers are also being financially educated.

By these activities, there is an all-round development in the adopted villages and the villagers are very much benefitted.

## 6.REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

UCO Bank has sponsored two RRBs namely, Bihar Gramin Bank(BGB) head quartered at Begusarai, Bihar and Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices each. The RRBs have a total of 606 branches as on 31.03.2018.

### 6.1 Capital position of RRBs

The total capital composition of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2017 stood at ₹154.51 crore (Govt. Of India), ₹108.16 crore (UCO) & ₹46.35 crore (West Bengal State Govt.). Similarly, for Bihar Gramin Bank, it stood at ₹109.07 crore (Govt. Of India), ₹76.35 crore (UCO) & ₹32.73 crore (Bihar State Govt.)

The capital requirement of both the RRBs sponsored by the Bank, to maintain regulatory CRAR of 9% as on 31.3.2018 (unaudited) is estimated to be ₹178 crore (approximately) . Out of which Bank's share @35% comes to ₹62.30 crore. Bank will take up the issue suitably at an appropriate time.

### Performance of RRBs as under during 2017-18

#### 6.1 Paschim Banga Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposits of Paschim Banga Gramin Bank stood at ₹4762.79 crore as on 31.03.2018, registering growth of 5.17 percent. Total advances reached a level of ₹2419.01 crore with an annual growth of 8.74 percent as on 31.03.2018. CD ratio stood at 50.79% on 31.03.2018 as against 49.12% on 31.03.2017.

The gross NPAs stood at ₹474.54 crore as on 31.03.18 vis-a-vis ₹183.17 crore as on 31.03.2017. Gross NPA ratio stood at 19.62% as on 31.03.2018 as against 8.23% as of 31.03.2017. The net NPA ratio of the RRB stood at 15.63% as on 31.03.2018 as against 5.89% as of 31.03.2017.

Paschim Banga Gramin Bank has registered a net loss of ₹31.99 crore as on 31.03.2018 as compared to net profit of ₹14.49 crore as on 31.03.2017, thereby increasing accumulated loss from ₹68.57 crore to ₹100.56 crore as on 31.03.2018.

#### 6.1.2 Bihar Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposits of Bihar Gramin Bank stood at ₹5367.07 crore as on 31.03.2018, registering growth of 13.13 percent. Total advances reached a level of ₹3533.78 crore with an annual growth of 12.42 percent as of 31.03.2018. CD ratio stood at 65.84% on 31.03.2018 as against 66.26% on 31.03.2017.

The gross NPAs of the bank stood at ₹909.99 crore as on 31.03.2018 vis-a-vis ₹257.16 crore as on 31.03.2017. Gross

₹909.99 करोड़ हो गई। सकल अग्रिम की तुलना में सकल अनर्जक आरिस्त दिनांक 31.03.2017 के 8.18 % की तुलना में बढ़कर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को 25.75 19.62% हो गई। इसका निवल अनर्जक आरिस्त अनुपात भी दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के 6.64% से बढ़कर दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को 20.92 % हो गया।

बिहार ग्रामीण बैंक को दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के ₹4.22 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को ₹70.26 करोड़ की निवल हानि हुई।

### 6.1.3 समावेशी वृद्धि

वित्तीय समावेशन की कई पहलों के अतिरिक्त खरीद पाने योग्य आवास प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्तर से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरु की गई प्रधान मंत्री आवास योजना में बैंक ने भाग लिया। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस योजना में पात्र उधारकर्ताओं को ₹1500 लाख दिए जा रहे हैं तथा ईएमआई एवं मूल धनराशि को कम करने हेतु ब्याज दर में 6.5% प्रतिवर्ष प्रारंभिक रियायत दी जा रही है। मार्च, 2018 तक हमारे बैंक ने 305 हिताधिकारियों को कुल ₹ 1500.78 लाख की सहायता दी है।

**6.1.4 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :** कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में बैंक ने कई कार्यक्रम/पहल की है। ये कार्यक्रम/पहल निम्नांकित हैं :

- निश्चित बुनियादी संरचना के साथ ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने तथा उनका कौशल विकास करने हेतु बैंक ने सात राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में सत्ताईस ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं। ग्रामीण युवकों में उद्यमिता कौशल के विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल के रूप में बैंक द्वारा ये संस्थान स्थापित किए गए हैं। इन आर-सेटी में प्रशिक्षित सभी 17900 अभ्यर्थियों और 7067 हिताधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक ₹1.33 का क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गया है।
- आरसेटी, ग्वालपारा, असम को वर्ष 2017-18 के लिए पूर्वोत्तर एवं पार्वतीय राज्यों की सर्वोत्तम आर-सेटी माना गया और उसे दिनांक 5 मई, 2018 को राँची में आयोजित आजीविका एवं कौशल विकास मेला में उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
- वित्तीय एवं सामाजिक हस्तक्षेप द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों के उत्थान के लिए यूको उत्थान योजना के अंतर्गत बैंक ने अपने 19 अंचलों की 26 शाखाओं के अंतर्गत आनेवाले 31 ग्रामों को अपनाया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पर बैंक ने ओडिशा के भद्रक और डेंकनाल जिलों के 10 ब्लाकों, 5 भद्रक में एवं 5 डेंकनाल में, 10 सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) स्थापित किए हैं। इन वित्तीय साक्षरता केंद्रों का परिचालन व्यय बैंक और नाबार्ड 40:60 के अनुपात में वहन करते हैं।
- पूरे देश में बैंक के 34 वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं और वित्तीय साक्षरता अभियान के आयोजन के लिए इसने 28 वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं की भर्ती की है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं ने 4755 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया और इसके द्वारा 259706 प्रतिभागियों में वित्तीय जागरूकता फैलाई।

### 7. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई)

बैंक देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका तथा देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में उससे मिलने वाले समर्थन को स्वीकारता है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को सूक्ष्म

NPA ratio increased from 8.18 percent as on 31.03.2017 to 25.75 percent as on 31.03.2018. The net NPA ratio has also increased from 6.64 percent as on 31.03.2017 to 20.92 percent as on 31.03.2018.

Bihar Gramin Bank has registered a net loss of ₹70.26 crore as on 31.03.2018 as compared to net profit of ₹4.22 crore as on 31.03.2017.

### 6.1.3 Inclusive Growth

In addition to various initiatives on financial inclusion, the Bank took part in the Pradhan Mantri Awas Yojna launched by Government of India to extend central assistance for the economically weaker section and the low income group for acquiring affordable houses. Bank has signed memorandum of understanding with National Housing Bank for implementation of this scheme. An assistance of ₹1500 lac is being extended to the eligible borrowers and concession in interest rate @ 6.5% per annum is being provided upfront to reduce EMI and principal loan amount. Our Bank assisted 305 beneficiaries to the tune of ₹1500.78 lac upto March, 2018.

**6.1.4 Corporate Social Responsibility :** Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/initiatives are as under:

- Twenty Seven Rural Self Employment Training Institutes are set up by the Bank in seven states namely Himachal Pradesh, Odisha, Assam, Bihar, Punjab, West Bengal and Rajasthan to impart training and skill up gradation for rural youth with dedicated infrastructure. These institutes are set up by the Bank as a part of the initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training Institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth. All RSETIs trained 17900 candidates and 7067 beneficiaries have been provided Credit linkage of ₹1.33 crore during the Financial Year 2017-18.
- RSETI, Goalpara, Assam was adjudged best performing RSETI among North Eastern & Hilly states for the year 2017-18 and was awarded certificate of excellence on Aajeevika Evam Kushal Vikas Mela held on 5th May, 2018 in Ranchi Jharkhand.
- Bank under UCO Utthan scheme has adopted 31 villages falling under 26 UCO Branches in 19 Zones of the Bank for the upliftment of BPL families with financial & social intervention.
- Under the initiative of Reserve Bank of India, the bank has set up 10 CFLs (Centres for Financial Literacy) in 10 Blocks, 5 each in Bhadrak and Dhenkanal district of Odisha. The Bank and NABARD bear the cost of operationalisation of these CFLs in 40:60 ratios.
- Bank has 34 Financial Literacy Centres across the country and has recruited 28 Financial Literacy Counsellors for conducting Financial Literacy Camps. During Financial Year 2017-18 the Financial Literacy Counsellors have conducted 4755 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 259706 participants.

### 7. Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)

Bank recognizes the important role of MSME sector in the economic development of the Country which is also supporting in generating employment opportunities in the Country. The



एवं लघु उद्यम (एमएसई) के अंतर्गत ₹20603 करोड़ के अग्रिम दिए गए तथा दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) के तहत ₹23982 करोड़ के अग्रिम प्रदान किए गए।

#### बैंक को प्राप्त पुरस्कार:

एसोकेम द्वारा दिसंबर 2017 में यूको बैंक को निम्नांकित श्रेणी में “पॉचवाँ एसोकेम एसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार-2017” प्रदान किया गया :

#### यूको बैंक माइक्रो लेंडिंग

#### 7.1 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एमएसएमई के अंतर्गत की गई नई पहल:

- एमएसएमई की विभिन्न योजनाओं के तहत एमएसएमई इकाइयों को संस्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा का निर्धारण पूर्वानुमानित वार्षिक बिक्री के न्यूनतम 25% पर किया जाएगा।
- अपने ग्राहकों के साथ डिजिटली लेन देन करनेवाली एमएसएमई इकाइयों को संस्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा का निर्धारण पूर्वानुमानित वार्षिक बिक्री के न्यूनतम 30% पर किया जाएगा। यह सुविधा जीएसटी पंजीकृत सभी एमएसएमई इकाइयों को दी गई है।
- मेसर्स मुंबई टैक्सीमेन यूनियनों के साथ समझौता ज्ञापन कर मुंबई अंचल के अंतर्गत नई टैक्सी खरीदने हेतु टैक्सी वालों को वित्त प्रदान करने हेतु यूको कॉमर्शियल व्हिकल ऋण में संशोधन।
- एमएसएमई के अंतर्गत ऋण बढ़ाने के उद्देश्य से 21 से 23 जून 2017 तक यूको ट्रेडर लॉगइन दिवस का आयोजन किया गया और अभियान की अवधि में ₹28.74 करोड़ संस्वीकृत किए गए।
- विभाग ने दिनांक 01.12.2017 से 06.01.2018 तक मुद्रा ऋण अभियान का आयोजन किया। फील्ड पदाधिकारियों के जोरदार समर्थन से 75000 मुद्रा ऋण खाते संस्वीकृत करने का न केवल लक्ष्य प्राप्त किया गया बल्कि इससे अधिक के खाते संस्वीकृत किए गए। अभियान की अवधि में बैंक ने 95436 मुद्रा ऋण खाते संस्वीकृत किए।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया गया।
- व्यापार की प्राप्य राशियों के एवज में ऋण प्रदान करने हेतु बैंक ने टीआरडीईएस प्लेटफॉर्म पर आरएक्सआईएल के साथ गठजोड़ किया।
- निगरानी एवं वसूली सहित एमएसएमई के अंतर्गत लीड्स जनरेट करने, मूल्यांकन को सरल बनाने और एमएसएमई का प्रसंस्करण करने हेतु बैंक कई फिनटेक कंपनियों के साथ गठजोड़ करने की प्रक्रिया में है।

#### 8. वित्तीय समावेशन

##### 8.1 प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंक रहित/ कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने हेतु संपूर्ण देश में बैंक को 16161 ग्राम आवंटित किए गए हैं। इन 16161 ग्रामों को 1000-1500 परिवारों वाले 3-4 ग्रामों के समूह में संगठित किया गया, जिसे उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) कहा गया है। सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने और संपूर्ण जनसंख्या को सुनियोजित बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाने हेतु बैंक इन 3966 उप सेवा क्षेत्रों में मिशन मोड प्रोजेक्ट पीएमजेडीवाई का कार्यान्वयन कर रहा है। मार्च 2018 के अंत तक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बैंक ने 66 लाख से अधिकखाते खोले हैं तथा पात्र खातेदारों को तकरीबन 40 लाख स्मैकार्ड वितरित किए हैं। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार इन पीएमजेडीवाई खातों में ₹1661.68 करोड़ की कुल जमा राशि है।

advances under Micro & Small Enterprises (MSE) as on 31.03.2018 stood at ₹20603 crore and under Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), the advances are ₹23982 crore as on 31.03.2018.

#### Award to Bank:

UCO Bank was awarded by ASSOCHAM "Fifth ASSOCHAM SMEs Excellence Award - 2017" under the below mentioned category during Dec '17:

#### UCO Bank, Micro Lending

#### 7.1. New Initiative taken under MSME during FY 2017-18:

- Under different schemes of MSME, the Working Capital limits sanctioned to MSME units shall be assessed at minimum 25% of projected annual sales.
- The working capital limits sanctioned to MSME units that transact digitally with their customers shall be assessed at minimum 30% of projected annual sales. The same has been extended to all GST registered MSMEs units.
- Modification in UCO Commercial Vehicle Loan Scheme for financing taximen, for the purchase of New Taxis, under Mumbai Zone in MOU with M/s Mumbai taximen Unions.
- UCO Trader login day was celebrated on 21st to 23rd Jun 2017 to improve the credit under MSME and credit proposals amounting to ₹28.74 Crore were sanctioned during the campaign period.
- Department organized a MUDRA Loan campaign from 01.12.2017 to 06.01.2018. With an overwhelming response from the field functionaries, the target of sanctioning of 75000 MUDRA Loan accounts was not only achieved but was surpassed also and the Bank sanctioned 95436 MUDRA loan accounts during the campaign period.
- Implemented the guidelines of RBI to provide relief for MSME Borrowers registered under Goods and Services Tax (GST).
- The Bank has tie-up with RXIL on TReDS platform to finance the loans against Trade receivables.
- Bank is in the process of tie-up with several FINTECH Companies to generate the leads under MSME, streamlining the appraisal and processes of MSMEs applications including monitoring and recovery

#### 8. Financial Inclusion

##### 8.1 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)

Bank has been allotted with 16161 villages across the country to provide inclusive Banking Facility in unbanked / under-banked areas. These 16161 villages were re-organised in clusters of 3-4 villages comprising 1000-1500 households called Sub Service Area (SSA). Bank is implementing mission mode project PMJDY in these 3966 SSAs for ensuring universal Financial Inclusion and to bring the entire population under the ambit of structured Banking facility. By end of March 2018 Bank has opened more than 66 Lakh Accounts under PMJDY and distributed around 40 lakh RuPay Cards to the eligible account holders. Total deposits as of 31.03.2018 in these PMJDY Account is ₹1661.68 crore.

इसके अतिरिक्त, बैंक ने उसे आवंटित उप सेवा क्षेत्रों में 3500 बैंक मित्र नियुक्त किए हैं जबकि 5000 से अधिक की आबादी वाले 466 उप सेवा क्षेत्रों में स्वयं बैंक की शाखाओं द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। प्रत्येक माह बीसी द्वारा व्यवहार में लाए जानेवाले माइक्रो एटीएम के माध्यम से 11 लाख से अधिक आधार समर्थित वित्तीय लेनदेन किए जा रहे हैं।

### 8.1.2 आधार सीडिंग एवं अधिप्रमाणन

1 जून 2017 को पीएमएलए नियम में भारत सरकार द्वारा की गई अधिसूचना के अनुरूप बैंक ने सक्रिय कासा में आधार सीडिंग और अधिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की है। मार्च 2018 के अंत तक तकरीबन 84% सक्रिय कासा आधार संख्या के साथ संबद्ध किए जा चुके हैं। इसके बाद आधार अधिप्रमाणन हेतु बैंक ने शाखाओं, बीसी स्थलों और अपनीवेबसाइट के माध्यम से ईकेवाईसी सुविधा की भी शुरुआत भी की है। हिताधिकारियों के खातों में ₹4779.46 करोड़ के आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया। आधार आधारित डीबीटी से सही व्यक्तियों को लाभ अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता मिली है।

### 8.1.3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

अब तक बैंकिंग सुविधा से वंचित जनता को सामाजिक सुरक्षा मुद्दा करानी की सरकार की थीम पर कार्य करते हुए बैंक ने अपनी शाखाओं और बीसी नेटवर्क के माध्यम से बीमा और पेंशन उत्पादों यथा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का कार्यान्वयन किया है। पीएमजेबीवाई योजना के अंतर्गत 6.72 अभिदाताओं का बीमा किया गया, जबकि पीएमएसबीवाई योजना के तहत 12.51 लाख से अधिक जीवन बीमा किया गया। पीएमजेबीवाई के अंतर्गत अब तक कुल 2228 दावों तथा पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 523 दावों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के अंत तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल अभिदाताओं की संख्या 1.17 लाख को पार कर गई।

### वित्तीय समावेशन परियोजना के माध्यम से अर्जित राजस्व

वित्तीय समावेशन के तहत किए गए प्रयासों के परिणाम धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं और बैंक को इन कार्यक्रमों से मूर्त और अमूर्त लाभ मिलने शुरू हो गए हैं। जहाँ शाखाओं में भीड़ कम होने, लेनदेन की लागत घटने तथा कासा आधार में बढ़ोतरी होने जैसे लाभ वित्तीय समावेशन के अमूर्त लाभ हैं, वहीं विभिन्न उत्पादों के तहत कमीशन अर्जन के रूप में मूर्त लाभ मिले हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने पीएमजेबीवाई में ₹198.98 लाख, पीएमएसबीवाई में ₹24.18 लाख तथा एपीवाई में ₹74 लाख अर्जित किया। उसने डीबीटी/ डीबीटीएल के एवज में ₹3.05 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

### 9. रिटेल बैंकिंग

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रिटेल बैंकिंग के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

Further, Bank has deployed 3500 Bank Mitrs in the SSAs allotted to it while remaining 466 SSAs with population more than 5000 are being covered through Branches itself. Every month more than 11 lakh Aadhaar Enabled financial transactions are being carried out through Micro ATMs used by BC Agents.

### 8.1.2 Aadhaar Seeding & Authentication

As notified by the government of India in PMLA Rule on 1st June 2017 the Bank has initiated process of Aadhaar Seeding and authentication in operative CASA. By the end of March 2018 around 84% operative CASA have been seeded with Aadhaar number. Bank further introduced eKYC facility in Branches, BC Points and through its website for authentication of the Aadhaar. Aadhaar based Direct Benefit Transfer worth ₹4779.46 crore was transferred to the accounts of beneficiaries. Aadhaar based DBT has helped in ensuring benefit transfer to the right person.

### 8.1.3 Social Security Schemes

Working on the government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJJBY scheme, there are 6.72 lakh subscribers insured whereas under PMSBY scheme more 12.51 lakh lives are insured. So far a total of 2228 claims were settled under PMJJBY and 523 under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 1.17 lac till year end.

### Revenue generated through Financial Inclusion Project

Gradually, efforts under Financial Inclusion are showing results and Bank has started gaining both tangible and intangible benefit out of these activities. While decongestion of branches, reduction of transaction cost and increase in CASA base are intangible benefits of FI Project; tangible benefits have come in the form of commission earned under various products. Bank has earned ₹198.98 lac in PMJJBY, ₹24.18 lac in PMSBY and ₹74 lac in APY. ₹3.05 crore commission is earned against DBT / DBTL during the year.

### 9. Retail Banking:

The performance highlights of the bank under retail banking during FY 2017-18 are furnished hereunder: (₹ in crore)

उत्पाद / Product	मार्च 2017 की स्थिति As on March 2017	मार्च 2018 की स्थिति As on March 2018	% वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष % Growth Y-o-Y
आवास ऋण / Home Loan	13049	12698	-2.69%
कार ऋण/ Car Loan	1197	1356	+13.29%
वैयक्तिक ऋण/ Personal Loan	424	464	+9.43%
अन्य रिटेल/ Other Retail	6426	7449	+15.92%
कुल रिटेल / Total Retail	21096	21967	+4.13%

- कुल रिटेल ऋण पोर्टफोलियो की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 4.13% है।
- मार्च 17 को समाप्त तिमाही की तुलना में मार्च 2018 को समाप्त तिमाही में रिटेल ऋण पोर्टफोलियो के अंतर्गत अनर्जक आस्ति में रु 26.06 करोड़ की कमी हुई है। इस अवधि के दौरान यूको प्रॉपर्टी ऋण को छोड़कर सभी रिटेल ऋण उत्पादों की अनर्जक आस्तियों में ह्रास के लक्षण दिख पड़े हैं।
- यूको रेंट योजना के अंतर्गत ब्याज दर को और प्रतिस्पर्धी बनाने तथा इसे बाजार के अनुसूच करने हेतु इस योजना में संशोधन किया गया है।
- गारंटी मानदंड तथा संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी की शक्तियों के संबंध में यूको कार योजना में संशोधन किए गए हैं जिससे यह योजना और आकर्षक और लाभकारी हो।
- हमारे बैंक ने यूको ग्रैंड फेस्टिव ऑफर को 31.03.2018 तक बढ़ा दिया जिसमें इस अवधि में संस्वीकृत आवास ऋणों और कार ऋणों के प्रसंस्करण शुल्क पर 100% छूट दी गई है।
- 06.11.2017 से 08.12.2017 तक यूको आवास ऋण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान रु 471.08 करोड़ के आवास ऋण संस्वीकृत किए गए।
- 12.10.2017 से 21.10.2017 तक यूको कार ऋण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान रु 38 करोड़ के कार ऋण संस्वीकृत किए गए।
- बैंक के रिटेल और एमएसएमई पोर्टफोलियो बढ़ाने तथा फील्ड पदाधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातवरण का सार पहुंचाने के लिए विभाग ने 01.02.2018 से 03.03.2018 तक "रिटेल और एमएसएमई ऋण धमाका" अभियान चलाया।
- विभिन्न ऋण उत्पादों की क्रेडिट रेटिंग की वेटिंग फिनैकल प्रणाली में कैप्चर करने का प्रावधान कार्यान्वित किया गया है।
- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत हमारा एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो बढ़ाने हेतु वस्तु और यात्रियों के परिवहन के लिए वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन ई-रिक्शा एवं इसके प्रकारों को वित्त प्रदान करने हेतु हमारे बैंक ने मेसर्स डीवाईएस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है।
- ऑनलाइन खरीद पर छूटवाले प्रमोशनल ऑफर के लिए हमारे बैंक ने कूलिक्स डॉट कॉम के साथ गठजोड़ किया है। कूलिक्स केवल यूको बैंक डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर हमारे सम्मानित ग्राहकों को छूट की पेशकश कर रहा है।
- ऑनलाइन खरीद पर छूटवाले प्रमोशनल ऑफर के लिए हमारे बैंक ने फर्न्स एन पेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है। फर्न्स एन पेटल्स यूको बैंक डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करने पर हमारे सम्मानित ग्राहकों को छूट की पेशकश कर रहा है।
- यूको रुपे डेबिट कार्ड पर विभिन्न प्रमोशनल ऑफर हेतु हमारे बैंक ने एनपीसीआई के साथ गठजोड़ किया है। यूको बैंक रुपे डेबिट कार्डों का प्रयोग करने पर एनपीसीआई ने हमारे सम्मानित ग्राहकों को विभिन्न ऑफर दिए हैं। यूको बैंक रुपे डेबिट कार्ड के प्रयोग पर अद्यतन छूट वाले ऑफरों को समाविष्ट करते हुए दिसंबर 2017 में सभी शाखाओं को एक परिपत्र जारी किया गया है।
- ऑनलाइन खरीद पर छूटवाले प्रमोशनल ऑफर के लिए हमारे बैंक ने फूडपांडा एवं क्लियरट्रिप के साथ गठजोड़ किया है। फूडपांडा एवं क्लियरट्रिप ने केवल यूको बैंक डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर हमारे सम्मानित ग्राहकों को छूट की पेशकश की है।

#### 10. बैंकाश्योरेंस

- कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत जीवन बीमा पॉलिसियाँ बिक्री करने के लिए हमारा बैंक इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का कारपोरेट एजेंट है। वित्तीय वर्ष के दौरान नई

- Total Retail loan portfolio on Y-o-Y growth is 4.13%.
- NPAs under Retail loan Portfolio have reduced by ₹26.06 crore during year ended Mar' 2018 in comparison to Mar'17. During this period NPA in all Retail Loan products, except UCO Property loan, has shown a downward trend.
- Modification under UCO Rent scheme has been carried out to make the Rate of Interest more competitive and in line with the market.
- Modifications have been made in UCO Car loan scheme, with regard to guarantee criteria and sanctioning authority powers, to make the scheme more attractive & viable.
- Bank has further extended UCO Grand Festive Offer till 31.03.2018 where 100% waiver of processing fee is available on Home Loans & Car Loans sanctioned during the period.
- UCO Home Loan Campaign was organised from 06.11.2017 to 08.12.2017 & Home loans amounting to ₹471.08 crore were sanctioned during the campaign.
- UCO Car Loan Campaign was organised from 12.10.2017 to 21.10.2017 & Car loans amounting to ₹38 crore were sanctioned during the campaign.
- To enhance the performance under RETAIL & MSME portfolio of the Bank & to bring essence of competitive environment among field functionaries, the bank has launched "Retail and MSME Loan Dhamaka" Campaign from 01.02.2018 to 03.03.2018.
- Provision to capture vetting of Credit Rating of various loan products in finacle system, has been implemented.
- Bank has tied Up with M/s DYS Impex Private limited to finance Commercial Electric Vehicle E-Rickshaw and variants thereof, for transportation of goods and passengers to increase our MSME Loan Portfolio under Priority Sector.
- Bank has tied up with Coolwinks.com for discounted promotional offers on online purchase. Coolwinks, is offering Discount to our valued customers upon usage of UCO Bank Debit Card only.
- Bank has tied up with Ferns N Petals Private Limited for discounted promotional offer on online purchases. Ferns N Petals is offering a discount to our valued customers upon the usage of UCO Bank Debit Card and Net Banking facility.
- Bank has tied up with NPCI for different promotional offers on UCO Rupay Debit Cards. NPCI has given various offers to our valued customers upon usage of UCO Bank Rupay Debit Cards. A Circular has been issued in December 2017 to all the branches, incorporating the updated discounting offers on usage of UCO Rupay Debit Card.
- Bank has tied up with Foodpanda & Cleartrip, for discounted promotional offers on online purchases. Foodpanda & Cleartrip have offered discounts to our valued customers upon usage of UCO Bank Debit Card only.

#### 10. Bancassurance:

- At present, our Bank is a Corporate Agent for Life Insurance Corporation of India (LIC) for selling Life Insurance policies under Corporate Agency tie-up arrangement. During the Financial Year, Bank canvassed ₹26.35 crore of First

जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री कर बैंक ने पहली प्रीमियम की ₹26.35 करोड़ राशि उगाही ।

- साधारण बीमा के कारोबार में हमारा बैंक तीन साधारण बीमा कंपनियों का कारपोरेट एजेंट है ये कंपनियाँ हैं : 1) मेसर्स रिलायंस जेनरल इश्यूरेंस कंपनी लि. 2) मेसर्स फ्यूचर जेनरल इंडिया इश्यूरेंस कंपनी लि. 3) मेसर्स मेसर्स लिबर्टी विडियोकॉन जेनरल इश्यूरेंस कंपनी लि.। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त साधारण बीमा बीमा कंपनियों की बीमा पॉलिसियों की बिक्री कर ₹34.19 करोड़ के प्रीमियम की उगाही की । इन बीमा कंपनियों ने उचित प्रीमियम पर ग्राहकों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उन्हें बीमा उत्पादों का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराया जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्रीमियम उगाही और कमीशन आय में बढोत्तरी हुई ।
- ग्रुप क्रेडिट लाइफ इश्यूरेंस के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इश्यूरेंस कंपनी लि. के साथ गटजोड़ करार के तहत वर्ष के दौरान बैंक ने लगभग 8700 आवास, शिक्षा और रिटेल ऋण के उधारकर्ताओं का जीवन बीमा किया और कोई अनहोनी घटना हो जाने की दशा में ऋण में होनेवाली चूक को रक्षित किया। ग्रुप क्रेडिट लाइफ इश्यूरेंस के तहत वित्तीय वर्ष में बीमा कंपनी ने कुल ₹11.64 करोड़ के प्रीमियम की उगाही की।
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने बैंकाश्यूरेंस कारोबार करने हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) की संख्या काफी बढ़ाई। इन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई) द्वारा विधिवत प्रशिक्षित और अधिप्रमाणित किया जाता है और बैंक के लिए बैंकाश्यूरेंस कारोबार लाने हेतु इन्हें संपूर्ण देश की विभिन्न शाखाओं में तैनात किया जाता है।

#### 11. विधिक विषय :

नीतियों के निरूपण, विधिक समूह में घटित हाल के परिवर्तनों को अपनाने के माध्यम से बैंक प्रत्येक कदम पर अपने हित अत्यंत सावधानी से सुनिश्चित करता है। बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, हाल ही में अधिनियमित दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड, 2016 में किए गए सभी संशोधनों को रेखांकित करते हुए, इस संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय एवं भारतीय दिवाला तथा शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा जारी गजट अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शर्तों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। पुनः महाराष्ट्र स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2017, कंपनी अधिनियम 2013, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) अधिनियम, 1993 आदि के माध्यम से नियम (बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करते हुए) में हुए नए परिवर्धन के द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से शाखाओं के कर्मचारियों को सूचित किया गया।

मामलों के त्वरित निपटान हेतु बैंक विभिन्न विधिक फोरमों के समक्ष दायर (यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, उपभोक्ता फोरम आदि) मामलों की नियमित निगरानी करता है।

#### 12. वसूली :

बैंकिंग उद्योग में पिछले चार वर्षों से अनर्जक आरिस्त (एनपीए) का बढ़ता स्तर बैंक के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। हमारे बैंक का सकल एनपीए स्तर मार्च 2017 के ₹17.12 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2018 में 24.64% हो गया और जीएनपीए की मात्रा क्रमशः ₹22540.95 करोड़ से बढ़कर 30549.92 करोड़ हो गई है। एनएनपीए का प्रतिशत पिछले वर्ष के 8.94% से बढ़कर 13.10% हो गया।

Premium by selling new Life Insurance policies.

- In General Insurance Business our Bank is Corporate Agent for three General Insurance Companies. These Companies are: 1) M/s. Reliance General Insurance Company Ltd. 2) M/s. Future Generali India Insurance Company Ltd. 3) M/s. Liberty Videocon General Insurance Company Ltd. During the Financial Year, Bank canvassed ₹34.19 crores premium by selling insurance policies of above mention General Insurance Companies. These Insurance Companies provided a wide choice of Insurance products to our customers to meet their insurance needs at reasonable premium, which resulted in increase in premium collection and commission income for the Bank during the Financial Year.
- Under tie up agreement with M/s. Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd for Group Credit Life Insurance Bank covered life risk of about 8,700 Home, Education and Retail Loan borrowers during the year and secured the risk of loan default in case of any eventuality. Total premium collected by the Insurance Company during the Financial Year under Group Credit Life Insurance was ₹11.64 crore.
- Bank increased the number of Specified Persons (SPs) substantially during the Financial Year for doing Bancassurance business. These Specified Persons are duly trained and certified by Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI) and are posted at different Branches across the Country for generating bancassurance business for the Bank.

#### 11.LEGAL MATTERS

Bank, with utmost diligence ensures protection of its interest at every step through formulating policies, adapting the recent changes ushered in the legal fraternity. Bank issued guidelines to its branches on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 highlighting, inter - alia, all the amendments made in the recently enacted Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 in view of the various Gazette Notifications issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs & Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI). Further, the recent developments in law (affecting the Banking Sector) steered in through the Maharashtra Stamps (Second Amendment) Act, 2017, the Companies Act, 2013, Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 etc. have been intimated to the field functionaries through various Circulars issued from time to time.

Bank regularly monitors cases filed before various fora of law (viz., Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Courts, Debts Recovery Tribunal, Consumer Forum etc.) for speedy disposal of cases.

#### 12. Recovery

The increasing trend of NPAs in the Banking Industry over last four years has become a concern for the Bank. Gross NPA level of our Bank increased from 17.12% in March, 2017 to 24.64% in March, 2018 and the quantum of GNPA's has increased from ₹22540.95 crore to ₹30549.92 crore respectively. The NNPA percentage increased to 13.10% from 8.94% during the previous year.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ₹15033.80 करोड़ के नए स्लिपेज का साक्षी रहा है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में ₹1680.04 करोड़ की नकद वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अनर्जक आस्ति में ₹4290.12 करोड़ की कुल नकदी वसूली और कोटि उन्नयन हुआ। बैंक की आस्ति - गुणवत्ता को बनाए रखना और अशोध्य ऋणों की वसूली ही वह क्षेत्र है, जिस पर बैंक का पूरा ध्यान है।

## 12.1 वसूली कार्यानिष्पादन :

संगठन के सभी स्तरों पर संशोधित निपटान योजना, सरफेसी अधिनियम, डीआरटी, लोक अदालतों, एनसीएलटी, देशव्यापी मेगा वसूली शिविरों, रोड शो, माओ अभियानों, जानबूझ कर चूककर्ताओं की घोषणा आदि से लाभ उठाते हुए वसूली में तेजी लाने के प्रयास किए गए।

पिछले तीन वर्षों के जीएनपीए, एनएनपीए, नकद वसूली और कोटि उन्नयन के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

During the FY 2017-18, the Bank has witnessed fresh slippages of ₹15033.80 crore. Cash Recovery for ₹1680.04 crore for the year ended 31st March, 2018. The total reduction in Cash Recovery & Up-gradation of NPA during FY 2017-18 is ₹4290.12 crore. Maintaining Bank's Asset quality and recovery of Bad debts remain the focus area for the Bank.



## 12.1. Recovery performance:

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of the organization to take advantage of modified compromise settlement scheme, SARFAESI Act, DRTs, Lok Adalats, NCLT, Country wide mega Recovery Camps, Road Shows, MAO campaigns, declaration of willful defaulters etc. were organized for a speedy recovery.

The details of GNPA, NNPA, Cash Recovery and upgradation for the last three years are as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरणParticulars	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
नकद वसूली/Cash Recovery	1368.58	2038.66	1680.04
कोटि उन्नयन/Up gradation	1357.86	4300.45	2610.08
कुल /Total	<b>2726.44</b>	<b>6339.11</b>	<b>4290.12</b>
हानिग्रस्त आस्तियों में वसूली (एमएल एवं तकनीकी राइट ऑफ खाते) Recovery in Loss Assets (ML & Technical Write-off accounts)	131.01	139.81	181.56
सकल अनर्जक आस्ति/Gross NPA	20907.73	22540.95	30549.92
सकल अनर्जक आस्ति%/Gross NPA %	15.43%	17.12%	24.64%
शुद्ध अनर्जक आस्ति/Net NPA	11443.59	10703.39	14082.07
शुद्ध अनर्जक आस्ति%/Net NPA %	9.09%	8.94%	13.10%



31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के ₹6339.11 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल नकदी वसूली एवं अपग्रेडेशन ₹4290.12 करोड़ का रहा है। बड़े खाते डाले गए खातों में वसूली पिछले वर्ष के ₹139.81 करोड़ की तुलना में मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹181.56 करोड़ की हुई है।

हानिग्रस्त आस्ति में वसूली होने से लाभप्रदता पर उसका सीधा असर पड़ता है और इसे देखते हुए बैंक ऐसे खातों में वसूली की निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है। हानिग्रस्त आस्तियों के साथ-साथ तकनीकी एवं विवेकसम्मत रूप से बड़े-खाते डाले गए खातों में वसूली के लिए बैंक में एक अलग प्रकोष्ठ लगातार मानीटरिंग कर रहा है।

The total cash recovery plus upgradation for the year ended 31st March, 2018 is ₹4290.12 crore as against ₹6339.11 crore for the year ended 31st March, 2017. The recovery in written-off accounts is ₹181.56 crore for the year ended 31st March, 2018 compared to ₹139.81 crore for the previous year.

Recovery in Loss assets has a direct impact upon the profitability and the Bank giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts. A separate vertical in the Bank is monitoring consistently for recovery in loss assets including technically as well as prudentially written-off accounts.

जीएनपीए में पोर्टफोलियो में कमी लाने हेतु बैंक ने पिछले वर्ष की ₹ 1123.41 करोड़ की बिक्री के मुकाबले मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में एआरसी को ₹1764 करोड़ की आरिस्ट की बिक्री करने पर विशेष बल दिया।

## 12.2 कुछ वसूली पहल :

- ₹10.00 लाख तक की बकाया शेष राशि वाले अनर्जाक आरिस्ट एवं एमएल खातों के लिए बैंक के पास उदार समझौता निपटान योजना है जिसके तहत शाखा प्रमुखों को अनुमोदन करने की शक्ति दी गई है ताकि प्रस्तावित गैर-विवेकाधीन / गैर-भेदभावपूर्ण ओटीएस योजना के अंतर्गत अधिकाधिक अनर्जाक आरिस्ट खातों को कवर किया जा सके।
  - बैंक ने सभी अंचलों में 216 समूह बनाए हैं। उधारकर्ताओं से संपर्क बनाए रखने, नियमित अंतराल पर वसूली शिविरों का आयोजन करने तथा ओटीएस प्रस्तावों की खोज करने के लिए प्रत्येक समूह में अत्यधिक संकेंद्रित अनर्जाक आरिस्टियों वाली 4-5 शाखाएँ होती हैं। सभी श्रेणियों के अंतर्गत अनर्जाक आरिस्ट वाले पात्र खातों के लिए ओटीएस/समझौता निपटान पर भी बल दिया जाता है।
  - सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई करने तथा अनर्जाक आरिस्ट खातों के शीघ्र समाधान हेतु बैंक ने 547 प्रवर्तन एवं वसूली एजेंटों और 84 कारोबार प्रतिनिधियों को पैनल में रखा है।
  - प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों और अंचल कार्यालयों की सुविधा के उद्देश्य से खातों की प्रभावी निगरानी तथा उनके शीघ्र समाधान हेतु विधिक मामलों की निगरानी करने, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित पड़े मामलों के आधारभूत आँकड़े बनाने के लिए बैंक विधिक प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
  - अड्डियल उधारकर्ताओं के विरुद्ध नियमित आधार पर माओ ( एक के विरुद्ध अनेक) दृष्टिकोण अपनाया जाता है और प्रधान कार्यालय स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है।
  - प्रत्येक माह में दो दिन देशव्यापी मेगा वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
  - वाणिज्यिक वाहनों/कारों /ट्रैक्टरों आदि खातों में अखिल भारतीय स्तर पर तिमाही अंतराल पर नीलामी की समान तारीखों को मेगा नीलामी की जाती है।
  - सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्तियों की मेगा ई-नीलामी नियमित आधार पर की जा रही है।
  - एनसीएलटी के लिए पात्र खातों का जोरदार तरीके से पता लगाया जा रहा है। एनसीएलटी मामले दायर किए जाने के संबंध में आगे विचार विचार-विमर्श करने हेतु बैंक ने अन्य ऋणदाताओं/ परिचालन लेनदारों, बैंकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा। एनसीएलटी के अंतर्गत अधिकांश खाते सहायता/बहु बैंकिंग खाते हैं, जिनके समाधान हेतु सहायता संघ आदि के लीडर के साथ परामर्श कर प्रत्येक मामले के आधार पर निगरानी की जाती है। जहाँ हम सहायता संघ के लीडर हैं, वहाँ समाधान हेतु विभाग प्रत्येक खाते पर पूरी बारीकी से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।
- जहाँ हमारा बैंक सहायता संघ/जेएलएफ का सदस्य है, वहाँ हम प्रधान कार्यालय से विशेषकर नित्य अंतरालों पर जेएलएफ की बैठक बुलाने और उक्त बैठकों में उचित स्तरों पर हमारे बैंक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित लीडर बैंकों के उच्च प्रबंधन के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों को नियमित आधार पर रख रहे हैं।
- एआरसी को बिक्री करने हेतु पात्र अनर्जाक आरिस्ट खातों की पहचान समय-समय पर नियमित अंतराल पर की जाती है। प्रारंभ से ₹6104.75 करोड़ के 432 खातों और दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष में ₹1764.29 करोड़ के 20 खातों की बिक्री एआरसी को की गई।

For portfolio reduction in GNPA, the Bank has also given special emphasis to Sale of Assets to ARCs for the year ended 31st March, 2018 for ₹1764.29 crore as compared to ₹1123.41 crore in previous year.

## 12.2. Some Recovery initiatives:

- Bank has liberal compromise Settlement scheme for NPA and ML accounts having O/s Balance up to ₹10.00 Lac under which the branch heads are empowered to approve so that more NPA accounts are covered under the proposed non-discretionary/ non-discriminatory OTS Scheme.
  - Bank has formed 216 clusters in all the zones comprising of 4-5 branches of highly concentrated NPAs in each cluster to maintain contact with the borrowers, organize recovery camps at regular intervals and scout OTS proposals. Emphasis is also given for OTS/Compromise settlement for eligible NPA accounts under all categories.
  - Bank has empanelled 547 Enforcement & Recovery Agents and 84 Business Correspondents (BCs) for effective and time-bound enforcement of action under SARFEASI Act and early resolution of NPA accounts.
  - The Bank is in the process of implementing the Legal Management System with the objective to facilitate different departments at Head Office & Zonal Offices for monitoring legal matters, creating database of all cases pending before different courts for effective monitoring and early resolution of accounts.
  - MAO (Many Against One) approach is adopted against recalcitrant borrowers on a regular basis and being monitored at HO level.
  - Countrywide Mega Recovery Camps are being organized Two days in every month.
  - Mega auction is being conducted on quarterly interval with common auction dates on all India basis for commercial vehicle/Cars/Tractors etc. accounts.
  - Mega e-auction of properties under SARFAESI Act being conducting on quarterly basis.
  - Accounts eligible for NCLT are being explored vigorously. Bank closely remained in touch with other Lenders/ operational creditors, on regular basis, for discussion on way forward in respect of filing NCLT cases. Most of the accounts under NCLT are consortium / multiple banking accounts and are monitored for resolution on case to case basis in consultation with leader of consortium etc. Where the Bank is leader of the consortium, the Bank is meticulously following up each and every account for the purpose of resolution.
- Where the Bank is a member of Consortium / JLF, Bank is taking up the critical issues with the top management of the respective Leader Banks on regular basis, specifically to convene the meeting of JLF at frequent intervals and ensuring Bank's participation at suitable levels in such meetings.
- Eligible NPA accounts are identified for Sale to ARCs from time to time on a regular interval. Accounts sold to ARCs of 432 A/cs amounting to ₹6104.75 crore since inception and 20 accounts amounting ₹1764.29 crore during the year ended 31.03.2018.

- संबंधित राज्यों की एसएलबीसी के माध्यम से राज्य स्तरीय ऋण माफी के तहत अपेक्षा के अनुसार अनर्जक आस्ति के क्षेत्र को बढ़ाने हेतु राज्य-विशेष की योजनाओं यथा 1) केरलराज्य शिक्षा ऋण सहायता, 2) ऋण मोचन योजना-उ.प्र., 3) महाराष्ट्र सरकार की छत्रपति शिवाजीमहाराज स्वतंत्रकारी सम्मान योजना (सीएसएमएसएसवाई-2017) आदि का निरूपण किया गया।

### 13. ऋण निगरानी :

आर्थिक क्षेत्र में लगातार चल रही अस्थिरता और अनिश्चितता ने बैंकिंग उद्योग में अशोध्य ऋणों को बड़ी तादाद में बढ़ा दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) और भारत सरकार के निदेशानुसार अनुक्रियाशील और उत्तरदायी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सुधार एजेंडा की पृष्ठभूमि में स्थिति का सामना करने के लिए बैंक पूरी तरह तैयार हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- कुल ₹5.00 करोड़ और उससे अधिक के ऋण एकसपोजर वाले एसएम-2 खातों की पाक्षिक आधार पर समीक्षा के करने के लिए बैंक ने शीर्ष कार्यपालकों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई है और दबाव के समाधान के लिए उचित कदम उठाने हेतु फ़ील्ड में कार्यरत पदधारियों को निदेश दिया है।
- एसएमए-1 और एसएमए-2 श्रेणीकेअंतर्गत रु 20.00 करोड़ से अधिक के सभी विशेष उल्लिखित खातों की निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई और समाधान हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर अलग से एक दबावग्रस्त आस्ति वर्टिकल स्थापित किया गया है ताकि वर्धित और समय पर वसूली करने हेतु एक समर्पित विशेषज्ञ और प्रेरित टीम के माध्यम से वसूली के प्रयास पर फोकस किया जा सके।
- दबाव के समाधान के पुराने ढाँचों अर्थात् सीडीआर, एसडीआर, एस4ए, एसडीआर लचीली पुनर्रचना के बाहर प्रबंधन में परिवर्तन आदि के खत्म करने के बाद संशोधित ढाँचे के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए नीति बनाई गई है और लागू की गई है।
- ऋण पोर्टफोलियो के स्वास्थ्य की तुलना में ऋण लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु ऋण लेखापरीक्षकों के लिए अंचल कार्यालयों के स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- उधारकर्त्री कंपनियों को दूसरे बैंक में चालू खाते खोले जाने से रोकने के लिए लगातार निगरानी रखा कर ऋण अनुशासन को लागू करने के पर्यवेक्षण के लिए कार्यपालक को नोडल नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया।
- दबाव के समाधान हेतु बैंक के 42 अंचलों में से प्रत्येक अंचल की अत्यधिक गड़बड़ी वाली 20 शाखाओं के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्य पद्धति में जमीनी स्तर पर सुधार लाने के लिए बैंक द्वारा की गई अन्य पहलें निम्नलिखित हैं :

- ऋण धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने और उसके बाद निवारक उपाय अपनाने हेतु रेड फ्लैग्ड खातों (आरएफए) की पहचान करने के लिए कसूरवर उधारकर्ताओं की पहचान करने हेतु सिस्टम से मूल कारण के विश्लेषण सहित पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
- निगरानी प्राधिकारी द्वारा रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करने हेतु मासिक ऋण निगरानी रिपोर्ट (एमसीएमआर) को सिस्टम चालित बनाया गया है।
- फ़ील्ड में कार्यरत पदधारियों से प्राप्त फ़ीडबैक के आधार पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन के निदेशों के अनुसार 2017-18 के दौरान प्रभावी ऋण निगरानी हेतु 20 (बीस) परिपत्र जारी किए गए।
- दबावग्रस्त कारपोरेट उधारकर्ताओं के साथ शीर्ष प्रबंधन की बैठक की व्यवस्था की जा रही है।

- State-specific Schemes were formulated to widen the scope of NPA recovery as per requirement under Debt Waiver at the State Level through the SLBC of the respective states such as 1) Kerala Govt. Educational Loan assistance, 2) Debt Redemption Scheme - U.P., 3) Chatrapati Shivaji Maharaj Swetkari Sanman Yojna (CSMSSY-2017) of Maharashtra Govt. etc.

### 13. CREDIT MONITORING

Continued volatility and uncertainty in the economic situation have accentuated upsurge of bad loans in the banking industry. In the backdrop of prompt corrective action (PCA) advised by RBI and Reform Agenda for responsive and responsible PSBs as advised by Government of India, bank has geared up in tackling the situation by initiating measures as under.

- Bank has formed High Power Committee comprising top executives of Bank to review SMA-2 accounts with total credit exposure of ₹5.00 crores and above fortnightly basis and directfield functionaries for proper steps to resolve the stress,
- A separate Stressed Asset Vertical has been created at Head Office level for monitoring, follow up and resolution of all special Mentioned Accounts above ₹20.00 crores under SMA-1 and SMA-2 categories to focus recovery effort through a dedicated specialised and motivated team for enhanced and timely recovery.
- On dispensation of earlier frameworks viz.CDR, SDR, S4A, change in management outside SDR Flexible Restructuring etc. for resolution of stress, policy for resolution of stressed assets under revised framework has been formulated and put in place.
- Workshop at Zonal Office Level has been conducted for Credit Auditors to enhance quality of the credit audit report vis-a-vis health of credit portfolio.
- Entrusting executive as Nodal Officer to oversee enforcing credit discipline by continuous monitoring to check opening current accounts by borrower companies with other Banks.
- Top 20 branches with higher delinquencies under each of 42 zones of Bank have been followed up continuously for resolution of stress

Apart from the above, some of the other initiatives taken by the bank to improve the functioning at the grass root level include:

- Bank is in process of capturing early warning signals (EWS) along with root cause analysis from system to identify the delinquent borrowers for identification of Red Flagged Accounts (RFA) for early detection of loan fraud and preventive measures thereafter,
- Monthly Credit Monitoring Report (MCMR) has been made system driven to ensure real-time monitoring by the monitoring authority.
- Based on feedback from the field functionaries and as per directions from RBI and top management of Bank, 20 (Twenty) no. of circulars issued for effective credit monitoring during 2017-18
- Meeting of the Corporate Borrower under stress are being arranged with Top Management.

#### 14. जोखिम प्रबंधन :

- तरलता दबाव के सात परिदृश्यों के प्रबंध हेतु सुपरिभाषित आकस्मिकता निधीयन योजना शुरु की गई । संभावित आकस्मिकता के स्रोत, इन स्रोतों से ली जानेवाली अनुमानित राशि, आवश्यक समय-सीमा और प्रत्येक कार्रवाई कब और किस तरह सक्रिय होगी, इसकी प्रक्रिया के ब्योरे निधीयन योजना में दिए जाते हैं।
- निधीयन स्रोतों के विविधीकरण हेतु हमने निधि के स्रोतों और निधीयन के परिपक्वता काल, विभिन्न काउंटर पार्टियों से निधीयन और लिखत प्रकारों से निधीयन के लिए हमने एक आंतरिक सीमा परिभाषित की है।
- ऋण एवं परिचालनगत जोखिम क्षेत्रों में औद्योगिक स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान की गई है तथा एक समयबद्ध तरीके से बैंक में उनके कार्यान्वयन की शुष्कता की गई है।
- विद्यमान प्रक्रियाओं और शुरु किए जाने के पूर्व नए उत्पादों में नियंत्रण के स्व-मूल्यांकन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करने का कार्य आरंभ किया जा चुका है।
- कपटों के मूल कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है तथा कपट की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए संबंधित नीतियों एवं पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं।
- विभिन्न तरह के उत्पादों के कीमत-लागत अंतर, उधारकर्ता, एमसीएलआर पर परिपक्वता काल के निर्धारण की नीति लागू की गई है।
- जोखिम वहन क्षमता के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न तरह के उत्पादों/सुविधाओं की ऋण स्थगन अवधि और विभिन्न तरह की निधिक सुविधाओं के लिए नीतियों का कार्यान्वयन भी किया गया है।
- "जागरूक रहें, सुरक्षित रहें" – यह नई पहल चित्रमय प्ररूप में डिजाइन की गई है तथा साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु इसे शाखाओं/कार्यालयों में भेजा जा रहा है।
- सूचना सुरक्षा के प्रति कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसके निमित्त एक अनिवार्य सत्र रखा गया है।
- ऋण लेखापरीक्षा को प्रणाली-चालित बनाने की प्रक्रिया शुरु की गई है।

#### 15. सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीआर एवं बीटीडी

##### 15.1 चालू वित्तीय वर्ष में आरंभ की गई नई परियोजनाएँ/एप्लिकेशन:

- **ईकेवाईसी- बायोमेट्रिक आधारित एवं ओटीपी आधारित, दोनों, ईकेवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।**
- **जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) वसूली मॉड्यूल :** भारत सरकार/ जीएसटीएन/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशोंके अनुसार बैंक में जीएसटी वसूली मॉड्यूल (ऑनलाइन/ऑफ़लाइन, दोनों मोड), जीएसटी निर्धारण मॉड्यूल और जीएसटीअनुपालन मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया गया है।
- **दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस):** बैंक ने दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और पुरालेख हेतु केंद्रीकृत दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन क्रमिक रूप से अर्थात् प्रधान कार्यालय, सर्फिल कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं शाखा, आरंभ किया है।
- **बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली :** बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन बैंक के प्रधान कार्यालय में किया गया है। अगले चरण में शाखाओं में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

#### 14.RISK MANAGEMENT

- Introduced well-defined Contingency Funding Plan to manage a range of scenarios of severe liquidity stress. The funding plan contains the details of potential contingency sources, estimated amount which can be drawn from these sources, lead time needed and procedure detailing when and how each of the actions will be activated.
- To diversify the funding sources, we have defined an internal limit for sources of fund and tenor of funding; funding from different counterparties and funding from types of Instruments.
- Best practices at Industry level in Credit & Operational risk areas have been identified and their implementation in the Bank in a time- bound manner has been initiated.
- Development of Software package for Self-Assessment of controls in existing processes and new products before their introduction has been initiated.
- Root cause analysis of frauds is being carried out and necessary changes in the respective policies / system & procedures to curb the recurrences of fraud are being done.
- Policy for determination of spread for different types of products, borrower and tenor over the MCLR has been introduced.
- For effective determination of the risk appetite, policies on moratorium limits for different types of products / facilities and tenor wise exposure limits for different types of funded facilities have also been implemented.
- Be aware Be Secure" - a new initiative in pictorial format has been designed and is being circulated amongst the Branches / Offices for increasing awareness relating to Cyber Security.
- To increase Information Security awareness among staff, a mandatory session has been introduced in all in-house training programs.
- The process has been initiated for making the Credit Audits system driven.

#### 15. INFORMATION TECHNOLOGY, BPR and BTD

##### 15.1. New Projects/Applications launched in Current Financial Year

- **eKYC - Both biometric based and OTP based eKYC facility is made available.**
- **GST (Goods and Services Tax) Collection Module:** As per directions from GOI/GSTN/RBI, GST Collection Module (both Online/Offline mode), GST determination module and GST Compliance module is implemented in the Bank.
- **Document Management System (DMS):** Bank has initiated implementation of the centralized Document Management branches.
- **Biometric Attendance System:** Biometric attendance system is implemented in Head Office of the Bank. The same will be implemented in branches in next phase.



- यूकोपे+ (ई-वॉलेट) : बैंक के 75 वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बैंक ने तुरंत ऑनलाइन खाता खोलने की विशेषताओं वाले यूकोपे+ मोबाइल एप्लिकेशन का तथा 24x7 कहीं भी, कभी भी डिजिटल बैंकिंग सेवा को अक्षम/सक्षम करने वाले यूको सिक्वोर ऐप का शुभारंभ किया।
- भीम आधार पे एंड भारत क्यूआर : भीम आधार पे के माध्यम से खुदरा भुगतान की सहूलियत देकर बैंक डिजिटलीकरण का प्रचार कर रहा है। इससे ग्राहक व्यापारी के यंत्र पर अपनी आधार संख्या और बायोमेट्रिक (डुंगली की छाप/आंख की पुतली) का प्रयोग कर खरीद की लेन देन कर सकता है। भारत क्यूआर कोड ग्राहक के कार्ड के प्रकार को नजरंदाज करते हुए उससे सभी व्यापार आउटलेट पर आसान स्कैन और भुगतान करने का विकल्प देता है। भीम यूको यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए यूको बैंक भारत क्यूआर कोड (जारीकर्ता मोड) तथा पीओएस वेडर के माध्यम से भारत क्यूआर कोड (कार्ड) के अधिग्रहण मोड पर लाइव है।
- भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) : सभी तरह के बिलों के भुगतान हेतु बैंक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित बीबीपीएस प्लैटफॉर्म पर लाइव है।
- डिजिटल ग्राम अंगीकरण : 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल ग्राम अंगीकरण योजना – यूको डिजि-ग्राम के तहत यूको बैंक ने 19 राज्यों के 75 ग्रामों को अंगीकरण किया।

- **UCOPay+ (e-wallet)** - On the auspicious occasion of Bank's 75th Foundation Day, Bank launched UCOPAY+ mobile application with Instant Online Account Opening features and UCO Secure app to disable/enable digital banking services anytime, anywhere 24x7.
- **BHIM Aadhaar Pay & Bharat QR** : Bank is promoting digitalization by facilitating retail payments through Bhim Aadhaar Pay which will allow the customer to perform a purchase transaction using his/her Aadhaar Number and biometric (Finger print/IRIS) upon the device of the merchant. Bharat QR code provides customers with an easy scan and pay option irrespective of their card types for payments across merchant outlets. UCO bank is live on Bharat QR code (issuer mode) for BHIM UCO UPI and mobile banking app and Bharat QR code (Card) in acquirer mode through POS vendor
- **Bharat Bill Payment System (BBPS)**: Bank is now LIVE in the BBPS platform developed by the National Payments Corporation of India (NPCI) for all kinds of bill payments.
- **Digital Village Adoption**: On the occasion of 75th Foundation Day, UCO Bank has proudly adopted 75 villages spread across 19 States under Digital Village Adoption Program - UCO Digi-Gram.

## 15.2. विद्यमान परियोजनाओं का कार्यनिष्पादन/भावी वर्धन

### 15.2.1. आंतरिक सॉफ्टवेयर विकास

एचआरएमएस में निम्नलिखित सुविधाओं में विस्तार किया गया है :

- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एचआरएमएस में पेंशन पर्यी उपलब्ध कराई गई है।
- एचआरएमएस में असुविधा (डिस्कॉमफॉर्ट) भत्ता मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया गया है। दावा, सत्यापन एवं मासिक वेतन द्वारा भुगतान।
- कर्मचारियों की विभिन्न कार्यपरक समस्याओं के निराकरण के लिए एचआरएमएस पैकेज में मुद्दा उठाएँ मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया गया है।
- शाखाओं के जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) के लिए ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित की गई है।
- पुणे/मुंबई अंचल कार्यालय की अपेक्षाओं के अनुसार जेसोन क्रिएशन टूल जेनरेट होता है। किसानों को सब्सिडी देने के लिए जेसोन फाइल फिनेकल डाटा से भारतीय रिज़र्व बैंक को जेनरेट की गई थी।

### 15.2.2. ग्रिड चेक ट्रंकेशन प्रणाली एवं एनएसीएच :

तीन ग्रिडों (उत्तरी ग्रिड, 28 केंद्र, दक्षिणी ग्रिड- 31 केंद्र एवं पश्चिमीग्रिड- 31 केंद्र) के अंतर्गत 90 केंद्र सीटीएस के तहत लाए गए।

ई-साइन सुविधा के साथ ई-मैंडेट का कार्यान्वयन माह अक्तूबर, 2017 में किया गया है। अब तक कुल 663 ई-मैंडेट प्रसंस्कृत किए गए हैं।

- 15.2.3. कोर बैंकिंग प्रणाली : कार्य में सुधार लाने एवं नियामक प्राधिकरणों द्वारा चाही गई जस्तरों को पूरा करने के लिए बैंक ने विभिन्न मॉड्यूल यथा नकदी मूल्यवर्ग मॉड्यूल, केंद्रीकृत लॉकर किराया वसूली मॉड्यूल, केंद्रीकृत नकदी व्यवहार प्रभार वसूली मॉड्यूल, फॉर्म 60 से विवरण प्राप्त करने, 15 जी/15 एच के लिए सिस्टम जेनरेटेड संदर्भ संख्या कार्यान्वयन मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया है। शाखा स्तर पर प्रभावी निगरानी के लिए अलग-अलग सात दैनिक रिपोर्टें

## 15.2. Performance/Feature enhancement of existing projects

### 15.2.1. In-house software development:

The following feature enhancements are made in HRMS

- Pension Slip for Retired Employees has been made available in HRMS.
- Implementation of Discomfort Allowance module is there in HRMS. Claim, Verification & payment through monthly salary.
- Raise Issue module in HRMS package has been implemented to address different functional Issues faced by the employees.
- Online system for Risk Control Self-Assessment (RCSA) for Branches has been implemented.
- JSON Creation Tool generated as per the requirement of Pune/Mumbai Zonal office. JSON file was generated from FINACLE data to RBI for providing subsidy to farmers.

### 15.2.2. Grid Cheque Truncation System & NACH:

90 centres were brought under CTS under the three Grids (Northern Grid - 28 centres, Southern Grid - 31 centres & Western Grid -31 centres).

E-Mandate with e-Sign facility has been implemented in the month of October 2017. Till date, total 663 e-Mandates have been processed.

- 15.2.3. **Core Banking System**: To improve the functionality and to cater the requirements raised due to regulatory authorities, Bank has implemented various modules such as cash Denomination Module, Centralized Locker Rent recovery module, Centralized Cash handling charge recovery module, capturing details of Form 60, implementation of system generated reference no. for 15G/ 15 H submission; seven different important daily reports

एक ही फिनैकल मेनू “ डेलीआरपी” में सम्मिलित की गई हैं, एनपीए मॉड्यूल का सफल कार्यान्वयन किया गया है। बैंक ने कैपचरिंग एसएमएओ मॉड्यूल भी कार्यान्वित किया है।

बैंक ने फिनैकल में नई कार्यक्षमताएँ प्रवर्तित की हैं, इनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं :

- ऋण स्थगन अवधि पर ब्याज पूँजीकरण योजना में स्वतः पुनर्निर्धारण
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कार्यान्वित की गई है।

#### 15.2.4. आटोमेशन प्रसंस्करण प्रक्रियागत उधार (एलएपीएस) :

छह ऋणा उत्पाद यथा आवास ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण, पेंशन ऋण, संपत्ति ऋण और नकदी ऋण लैप्स के माध्यम से प्रसंस्कृत किए जाते हैं। बैंक कुछ और योजनाओं को लैप्स के तहत लाने की प्रक्रिया में है।

#### 15.2.5. सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम) :

- सीपीएओ ट्रेजरी के लिए संशोधन आदेशों के मामले में पेंशन का प्रसंस्करण ई-पीपीओ परियोजना के तहत सक्षम किया गया है।
- सभी सीबीएस शाखाओं में पेंशन प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण ( इंटरसोल प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण) सक्षमकिया गया है।

**15.2.6. एटीएम :** दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को बैंक के 2769 एटीएम हैं। दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक कुल 155 एटीएम लगाए गए, 107 एटीएम बंद किए गए और 46 एटीएम व्यवहार्य स्थलों पर स्थानांतरित किए गए।

**15.2.7. डेबिट कार्ड :** दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को जारी 0.97 करोड़ कार्डों की तुलना में दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को बैंक ने 1.04 करोड़ डेबिट/एटीएम कार्ड जारी किए। 1.03 करोड़ डेबिट/एटीएम कार्डों में से कुल सक्रिय कार्डों की संख्या 0.78 करोड़ है और उनमें से 0.40 करोड़ कार्ड ईएमवी चिप वाले हैं। बैंक पूर्व में जारी किए गए सभी मैगस्ट्रिप कार्डों को बदलने की प्रक्रिया में लगा है।

बैंक ने हाल ही में ग्रीन पिन की पहल की है जिसमें ग्राहक अपना डेबिट कार्ड पिन बैंक के एटीएम में स्वयं सेट कर सकेंगे और उन्हें प्रत्यक्ष पिन संख्या के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

**15.2.8. प्री-पेड कार्ड :** डिजिटल भुगतान करने हेतु ग्राहकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें इस तरह मोड़ने के उद्देश्य से बैंक ने स्मै ईएमवी चिपआधारित प्री-पेड कार्ड “सुविधा(ई) प्री-पेड” चालू किया है। इस कार्ड में पुनः राशि भरी जा सकती है और कार्ड धारक एटीएम, पीओएस (बिक्री केन्द्र) एवं ई-वाणिज्य पर भरी हुई राशि तक का खर्च कर सकता है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को जारी किए गए प्री-पेड कार्डों की संख्या 5,066 है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को यह संख्या 608 थी।

#### 15.2.9. इंटरनेट बैंकिंग :

एयर टिकट की बुकिंग, ऑनलाइन खरीददारी, अंतर-बैंक और अंतरा-बैंक निधि अंतरण आदि के लिए उपयोगिता बिलों का भुगतान करने के लिए ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध है। बैंक शेष राशि की जानकारी, खाता विवरण, लेन देन संबंधी एसएमएस सूचना, परोक्ष एवं प्रत्यक्ष करों का भुगतान जैसी सेवाएं तथा कई अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को ई-बैंकिंग का उपयोग करने वालों की कुल संख्या 8.14 लाख है, जबकि दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को यह संख्या 6.89 लाख थी। इस तरह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसमें 18.14% की वृद्धि दर्ज की गई।

#### 15.2.10. मोबाइल बैंकिंग :

बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवा वर्ष 2011-12 में शुरू की, जिसमें ग्राहक मोबाइल फोनों के माध्यम से अपना बैंकिंग लेन देन करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नए वर्जन (वर्जन 1.1.2) से एम-बैंकिंग एप्लिकेशन

have been merged into a single Finacle menu "DAILYRP" for effective monitoring at branch level, NPA module has been successfully implemented. Bank has also implemented Capturing SMAO module.

Bank has introduced new functionalities in Finacle, the major ones are as below:

- Automatic reschedule in interest capitalization scheme on moratorium period.
- Senior Citizen saving scheme has been implemented.

#### 15.2.4. Lending Automation Processing System (LAPS)

Six retail loan products such as Home Loan, Car Loan, Education Loan, Pension Loan, Property Loan and Cash Loan are processed through LAPS. Bank is in the process of bringing few more schemes under LAPS.

#### 15.2.5. Government Business Module (GBM):

- Processing of pension record in case of revision orders for CPAO treasury has been enabled under the e-PPO project.
- Pensioner's Certificates submission across the CBS branches (Inter-sol Certificates submission) is enabled.

**15.2.6. ATM -** As on 31.03.2018, Bank has 2,769 ATMs. From 01.04.2017 to 31.03.2018, total 155 ATMs have been installed, 107 ATMs have been closed and 46 ATMs have been shifted to feasible sites.

**15.2.7. Debit Card -** As on 31.03.2018, Bank has issued 1.04 crore of Debit/ATM cards as compared to 0.97 crore cards as on 31.03.2017. Out of 1.03 crore of debit/ATM cards, total number of active cards is 0.78 crore, out of which 0.40 crore cards are with EMV chip. Bank is in the process of replacing all magstripe cards issued earlier.

Bank has recently implemented Green PIN initiatives enabling customers to set their Debit Card PIN at Bank's ATM on their own and thus not requiring waiting for the physical PIN mailer.

**15.2.8. Pre-paid Card -** To encourage and divert customers more towards digital payment, Bank has introduced RuPay EMV chip based pre-paid card "suvidha (e) Pre paid". This card is reloadable and card holder can spend upto the loaded amount at ATM, POS (point of sale) & e-commerce. As on 31.03.2018, number of pre-paid cards issued is 5,066 as against 608 as on 31.03.2017.

**15.2.9. Internet Banking -** Facility is available to customers for utility bills payment, for air ticket booking, online shopping, inter- bank and intra bank fund transfer etc. Bank is also providing services like balance enquiry, account statement, transaction related SMS alerts, payment of indirect taxes, Direct taxes and many other banking services. The total e-banking users as on 31.03.2018 are 8.14 lac as against 6.89 lac as on 31.03.2017 recording an increase of 18.14% Y-o-Y.

**15.2.10. Mobile Banking -** Bank has introduced Mobile Banking services during the year 2011-12, whereby customers can take advantage of conducting their banking transactions through mobile phones. With new version (version 1.1.2), m-banking application has various new features like

में भारत क्यूआर (रुपे कार्ड), ओटीपी ऑटो-फेच, संपर्क पुस्तिका के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज रिचार्ज रसीद जेनरेशन, पासवर्ड संरक्षित खाता विवरण जैसी विभिन्न नई विशेषताएँ हैं। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को ई-बैंकिंग का उपयोग करने वालों की कुल संख्या 8.42 लाख है, जबकि दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को यह संख्या 5.34 लाख थी। इस तरह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसमें 57.68% की वृद्धि दर्ज की गई।

**15.2.11. डिजिटल पासबुक (एम-पासबुक):** ग्राहक अपने सभी खाते देख सकें और अपना वित्तप्रबंधन प्रभावी ढंग से कर सकें, इसके लिए डिजिटल पासबुक एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त यह एप्लिकेशन और 10 भिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को एम-पासबुक का उपयोग करने वालों की कुल संख्या 6.35 लाख है, जबकि दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को यह संख्या 2.70 लाख थी। इस तरह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसमें 135.19 % की वृद्धि दर्ज की गई।

**15.2.12. भीम यूको-यूपीआई :**

विभिन्न बैंकिंग विशेषताओं, निर्बाध फंड सटिंग और व्यापार भुगतानों को एक हुड में विलय कर बैंक का यूपीआई समाधान एकाधिक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन(किसी भी सहभागी बैंक का) से लिंक करता है। यह चीयर टू पीयर के उगाही अनुरोध को भी रखता है, जिसका निर्धारण और भुगतान आवश्यकता और सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। इसका उपयोग करने वालों की संख्या 1.18 लाख है ( दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को), जबकि दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को यह संख्या 0.47 लाख थी। इस तरह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसमें 151.06 % की वृद्धि दर्ज की गई।

**15.2.13. भीम :** भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी-मीम ऐप) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है जो संयुक्तभुगतान इंटरफेस (यूपीआई) पर आधारित है। भीम उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य यूपीआई भुगतान एप्लिकेशन पर अथवा जिन उपयोगकर्ताओं का यूपीआई आधारित बैंक खातानहीं है, उन्हें क्यूआर कोड की स्कैनिंग कर या आईएफएससी कोड या एमएमआईडी (मोबाइल मनी आईडेंटिफायर) कोड सहित खाता संख्या का इस्तेमाल कर राशि भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देता है। ऑन बोर्डिंग मर्चेट की संख्या ( 31.03.2018 की स्थिति को) 6802 है।

**15.2.14. यूएसएसडी :** यह अभिनवभुगतान सेवा \*99# अनस्ट्रक्चर्ड स्विचमेंटरी सर्विसडाटा (यूएसएसडी) चैनल पर काम करती है। यह आधारभूत मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मोबाइल बैंकिंग लेन देन करने की अनुमति देने वाली सेवा है।

**15.2.15. नेटवर्क :**

- बैंक ने डाटा सेंटरों पर नेटवर्क और सुरक्षा डिवाइस को प्रतिस्थापित किया है।
- शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में 980 एमपीएलएस लिंक चालू किए गए हैं। बीएसएनएल के 410 एमपीएलएस लिंक अपग्रेड किए गए हैं।
- बैंक में केंद्रीकृत एंटी वाइरस लगाए गए हैं।
- बैंक में सक्रिय डाइरेक्टरी कार्यान्वित की गई है।
- प्रधान कार्यालय में ऑनलाइन पहुँच को केंद्रीकृत प्रॉक्सी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द्वितीय चरण में इसका विस्तार शाखाओं में किया जाएगा।

**15.2.16. स्विफ्ट :** बैंक में स्विफ्ट प्रणाली 26.09.1989 से कार्य कर रही है।

**15.3. नई परियोजनाएँ :**

- **नियर डिजास्टर रिकवरी (एनडीआर) :** भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आपात स्थिति में हानि को कम करने के लिए बैंक नियर डीआर साइट स्थापित करने की प्रक्रिया में है ताकि त्वरित रिकवरी की जा सके और महत्वपूर्ण कारोबार परिचालनों को जारीरखा जा सके।

Bharat QR (RuPay card), OTP auto-fetch, mobile recharge through contact book, mobile recharge receipt generation, password protected account statement etc. .The total M-banking users as on 31.03.2018 are 8.42 lac as against 5.34 lac as on 31.03.2017 recording an increase of 57.68% Y-o-Y.

**15.2.11. Digital Passbook (m-Passbook) -** Digital Passbook application (mpassbook) is also developed for enabling customers to view all their accounts & manage finances effectively. Besides Hindi and English both the applications are available in 10 different regional languages. As on 31.03.2018, total number of m-passbook users is 6.35 lac as against 2.70 lac as on 31.03.2017 recording an increase of 135.19% Y-o-Y.

**15.2.12. BHIM UCO-UPI -.** Bank's UPI solution empowers multiple bank accounts to be linked into a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, seamless fund routing & merchant payments into one hood. It also caters to the "Peer to Peer" collect request, which can be scheduled and paid as per requirement and convenience. The number of users (as on 31.03.2018) is 1.18 lac as against 0.47 lac as on 31.03.2017 recording an increase of 151.06% Y-o-Y.

**15.2.13. BHIM-BHIM (Bharat Interface for Money - BHIM App)** is a Mobile App developed by National Payments Corporation of India (NPCI), based on the Unified Payment Interface (UPI). BHIM allow users to send or receive money to other UPI payment addresses or scanning QR code or account number with IFSC code or MMID (Mobile Money Identifier) Code to users who do not have a UPI-based bank account. The number of merchant on-boarding (as on 31.03.2018) is 6,802.

**15.2.14. USSD-The** innovative payment service \*99# works on Unstructured Supplementary Service Data (USSD) channel. This service allows mobile banking transactions using basic feature mobile phone,

**15.2.15. Network:**

- Bank has replaced Network and security device at data centres
- 980 no. of alternative MPLS links has been commissioned at branches and admin offices.410 no. of BSNL MPLS links has been upgraded
- Centralized antivirus has been installed in the Bank.
- Active Directory has been implemented in the Bank
- Internet access is controlled through Centralized proxy at HO. The same will be extended to branches in second phase.

**15.2.16. SWIFT -** SWIFT system is operational in the Bank since 26.06.1989.

**15.3. New projects**

- **Near Disaster Recovery (NDR):** As per RBI guidelines, to reduce loss during exigencies, Bank is in the process of setting up Near DR Site to enable quick recovery and continuity of critical business operations.

#### 15.4. पुरस्कार :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रमें बैंक ने कई कीर्तिमान स्थापित किए, उनमें से कुछ ये हैं :

- मेसर्स इन्फोसिस द्वारा फिनैकल इनोवेशन अवार्ड –प्रोजेक्ट मैनेजमेंट श्रेणी के अंतर्गत जेन-स्क्रिप्ट के लिए बैंक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
- आईडीआरबीटी इनोवेटिवमोबाइल ऐप 2017 –यूको एमआईएस डैशबोर्ड के लिए हमारे बैंक का चयन 10 शीर्ष बैंकों की सूची में किया गया और यूको मोबाइल एचआरएमएस प्लस मोबाइल ऐप के लिए यह द्वितीय रनर अप रहा।
- आईबीएपेमेंट इनिशिएटिव अवार्ड:मझोले आकार के बैंकों में हमारे बैंक को सर्वोत्तम बैंक के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- टेक्नोलॉजकी इनोवेशन मोबाइल ऐप्लिकेशन हेतु स्कॉच अवार्ड :यूको एमआईएस का चयन 100 सर्वोत्तम परियोजनाओंमें किया गया और यूको एचआरएमएस मोबाइल ऐप्लिकेशन के लिए बैंक को रजत पदक प्राप्त हुआ।
- आईडीआरबीटी बैंकिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अवार्ड 2018 : यूको सिक्योर ऐप और नेटअसिस्ट ऐप (नेटवर्क प्रबंधन हेतु सॉफ्टवेयर ऐप्लिकेशन) के लिए हमारे बैंक को 10 शीर्ष बैंकों में चुना गया।

#### 16. ग्राहक सेवा :

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस)आम जनता को उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों में से 97.87 शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आरटीआई के तहत कुल 1207 आवेदन प्राप्त हुए और दिनांक 31.03.2018 तक 21 आवेदनों का उत्तर दिया जाना शेष था। आरटीआई के तहत 284 अपीलें की गई थीं और दिनांक 31.03.2018 की स्थिति को 16 अपीलों का निपटान शेष था।

#### 17. कारपोरेट संसूचना :

बैंक ने अपनी पारदर्शिता के उच्च स्तर को कायम रखते हुए जोखिम धारकों के साथ संवाद में संगति रखने के माध्यम से सुदृढ़ कारपोरेट प्रतिष्ठा पाई है। इसके साथ ही यह स्पष्टतः,सुसंगत और विश्वसनीय सूचना समय पर देता है और इसमें वे सूचनाएँ भी शामिल हैं जो तत्काल आधार पर वेबसाइट के माध्यम से दी जाती हैं। बैंक निरंतर, संगत और प्रासंगिक संदेशों के माध्यम से और बाह्य तथा आंतरिक संचार साधनों का व्यवहार करते हुए कार्यकलापों और संवृद्धि के बारे में सभी को सूचना देने, समझाने और शामिल होने का लक्ष्य रखता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीएसआर कार्यकलापों के अतिरिक्त विभिन्न मीडिया के माध्यम से, विभिन्न रिटेल आस्तियों और देयताओं, सुप्री और एमएसएमई उत्पादों के प्रचार अभियानों पर बैंक ने बहुत जोर दिया है। अपने माननीय प्रधान मंत्री के “मन की बात” कार्यक्रम की प्रायोजना कर हमारा बैंक गर्वित हुआ है जिसमें हमारे बैंक के विभिन्न उत्पाद यथा यूको पे, यूको सुविधा, प्रीपेड कार्ड, सरकारी बीमा योजनाएँ और अटल पेंशन योजना का नियमित प्रसारण किया गया।

वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर पिछले वर्षों की भाँति वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी ग्रामीण इलाकों में इसके प्रचार पर विशेष ध्यान दिया गया।

6 जनवरी, 2018 को हमारे बैंक का “ प्लैटिनम जुबली स्थापना दिवस” मनाने हेतु सभी राज्यों में समारोह आयोजित किए गए। इन समारोहों की भव्य सफलता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ाई तथा हमारे बैंक के ऐप्लिकेशनों “ यूको सिक्यूरिटीज और “ यूको पे+ का शुभारंभ किया। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा प्लैटिनम जुबली समारोह के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। वित्त सचिव, भारत सरकार श्री राजीव कुमार ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस समारोह की

#### 15.4. Awards

During FY 2017-18, Bank has crossed several milestones in Information Technology area, some of which are -

- Finacle Innovation Award by M/s Infosys - Bank acquired 1st position under Project Management category for Gen-Script.
- IDRBT Innovative Mobile App 2017 - Bank was selected in the list of Top 10 Banks for UCO MIS Dashboard and became 2nd Runner Up for UCO HRMS Plus mobile app.
- IBA Payment Initiative Award- Bank was honoured with this award as Best Bank among Mid-sized Banks.
- Skotch Award for Technology Innovation Mobile Application- UCO MIS Dashboard was selected in Best 100 projects and Bank won Silver Award for UCO HRMS mobile application.
- IDRBT Banking innovative Technology Award 2018: Our Bank has been shortlisted in Top 10 Banks for UCO Secure app and NetAssist app (a Software application for Network Management).

#### 16 Customer Service

Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS) is available for the public to lodge complaints online. 97.87% of the total complaints received during the financial year 2017-18 have been redressed. Under RTI, a total of 1207 applications were received, during FY2017-18 and 21 applications were yet to be replied as on 31.03.2018. There were 284 appeals made under RTI, and 16 appeals were yet to be disposed of as on 31.3.2018

#### 17. CORPORATE COMMUNICATIONS

Bank reinforces strong corporate reputations through its high degree of transparency and consistency in communication with stakeholders and also disseminates timely information with clarity, coherence and credibility including information through the websites of the Bank on real-time basis. Bank aims to inform, persuade and involve all in the activities and growth through sustained, consistent and relevant messages and using a judicious mix of both external and internal communication tools. Apart from CSR activities, Publicity campaign of various Retail Assets and Liabilities, IT and MSME products through different media has been main thrust of the Bank in the Financial Year 2017-18. Bank takes pride in sponsoring Honorable Prime Minister's "Mann Ki Baat" programme wherein the Bank's various products namely UCO Pay, UCO Suvidha, Prepaid Cards, Government Insurance schemes and Atal Pension Yojana were broad casted regularly.

Keeping in view the Bank's commitment towards Financial inclusion, Publicity in Rural areas had been given special attention during the FY 2017-18 like all previous years.

To commemorate our Bank's "Platinum Jubilee Foundation Day" on 06.01.2018, Celebrations were organized in all States. No stones were left unturned to make the Celebrations a grand success. Our honorable Finance Minister Shri Arun Jaitley consented and graced the celebrations at New Delhi as Chief Guest and launched our bank's new Applications" UCO Securities "and "UCO Pay +". Postal Stamps were released to mark the Platinum Jubilee Foundation Day by Chief Postmaster General and Finance Secretary, Government of India Mr Rajiv Kumar

शोभा बढ़ाई। बैंक ने इस अवसर पर अपने सभी कर्मचारियों के बीच 25000 चाँदी के सिक्के भी वितरित किए। इसके लिए बैंक के बोर्ड ने कुल रु 3.25 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया।

इस अवसर के अनुकूल जोरदार प्रचार किया गया और हमारे एमडी एवं सीईओ तथा कारपालक निदेशकों की शुभकामनाएँ मीडिया में प्रकाशित/ प्रचारित/टेलीकास्ट की गईं।

बैंक अपनी गृह पत्रिका "यूको टॉवर" का प्रकाशन भी कर रहा है जिसमें अपनी रचनाएँ देने हेतु सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। "यूको टॉवर" बैंक की घटनाओं और कार्यक्रमों के बारे में अपने सभी कर्मचारियों को जागरूक कराने का कार्य भी करता है।

बैंक अपनी ब्रांड इमेज को बढ़ाने में प्रचार के सभी उपलब्ध सभी सधनों का अधिकतम उपयोग करना जारी रखेगा तथा स्वयं को एक विश्व-स्तरीय ग्राहक केंद्रित वित्तीय संस्था के रूप में प्रतिष्ठित करेगा।

हमारा बैंक समय-समय पर विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों तथा सामाजिक उत्थान के कार्यों के साथ जुड़ा रहा है सामाजिक-आर्थिक कर्तव्य का पालन करना हमारे बैंक का मिशन है। राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया की समुन्नति का अभिन्न अंग बनने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने सीएसआर कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त राशि का अंशदान किया है।

## 18. मानव संसाधन:

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में कई सेल हैं जो विभाग के विभिन्न कार्यों को देखते हैं। सामंजस्यपूर्ण तथा उत्पादक वातावरण में काम हो सके इस लिए वर्ष 2017-18 में सभी सेलों ने मिलजुल कर कार्य किया। प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया ताकि स्टाफ सदस्यों के कौशल तथा ज्ञान की वृद्धि हो।

### 18.1 जनशक्ति

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ संख्या 23943 है इसमें विदेशी शाखाओं में कार्य करनेवाले कर्मचारी भी शामिल हैं। कुल स्टाफ संख्या में शामिल हैं 11968 अधिकारी, 8149 लिपिक, 1830 अधीनस्थ कर्मचारी तथा 1996 हाउसकीपिंग स्टाफ। सकल घरेलू स्टाफ की संख्या में अनुसूचित जाति (4942) तथा अनुसूचित जनजाति (1960) दोनों मिलकर 28.83% हैं। इसके अतिरिक्त 31.03.2018 को बैंक की सेवा में ओबीसी की संख्या 3984 थी। अल्पसंख्यक समुदाय के 1945 सदस्य थे। दिनांक 31 मार्च, 2018 को कार्यबल में महिला कर्मचारियों (5731) का हिस्सा 23.94% रहा।

### 18.2 आईआर नेगोशिएशन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंधन और यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच स्वस्थ औद्योगिक संबंध प्रायः बने रहे। वर्ष 2017-18 में आवधिक अंतराल पर यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ बैठकों तथा विमर्शों का आयोजन हुआ। इसमें पारस्परिक सहयोग तथा समादर की प्रवृत्ति बनी रही।

### 18.3 मासंप्र विभाग प्रधान कार्यालय का आरक्षण कक्ष

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करता रहा। बैंक में अजा/अजजा/ओबीसी/अन्यथा रूप में समर्थजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों को दिए जानेवाले आरक्षण तथा अन्य उन्मुक्तियों एवं ढीलों को कड़ाई से लागू किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अजा/अजजा तथा ओबीसी संवर्ग के 2052 (अभ्यर्थियों (अजा-805, अजजा-342, ओबीसी-883 तथा पीडब्ल्यू-22) को पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण दिया।

also graced the occasion as Guest of Honour. Bank also distributed 25000 silver coins to all its employees and bank Board approved a total Expenditure of ₹3.25 Crores towards the same.

Aggressive Publicity was made befitting the occasion and Greetings of Our MD and CEO and Executive Directors were published/ broadcast/telecast in all media.

Bank is also publishing the in-house magazine "UCO Tower" where all the constituents are encouraged to participate. UCO Tower also aims to create awareness of all happenings and activities of the Bank among all employees.

Bank will continue to utilize all available Publicity tools to the maximum extent to enhance its Brand Image and will establish itself as a World-Class Customer Centric Financial Institution.

Bank has been actively engaging itself in various CSR activities and social causes from time to time. Fulfilment of Socio-Economic obligation is part of the Bank's Mission. In order to ameliorate and become inseparable part & parcel of Nation's Socio-economic development process, the bank has contributed a substantial amount for CSR activities during the Financial Year 2017-18.

## 18. Human Resources

Human Resource Management Department comprises of various cells looking after different segments of the department. All these cells worked in tandem during FY2017-18 to create a harmonious and productive work environment. Training and workshops were organized for improving/ enhancing the skills and knowledge of the staff.

### 18.1 Manpower

The Total staff strength as on 31st March, 2018 stood at 23943 including employees serving overseas. The total staff comprises of 11968 Officers, 8149 Clerks, 1830 subordinate Staff and 1996 House - keeping Staff. The percentage of Scheduled Castes (4942) & Scheduled tribes (1960) taken together in the total staff strength is 28.83%. Besides, there are 3984 OBC employees in Service of the Bank as on 31.03.2018. 1945 belong to the Minority Communities. Woman employees (5731) constitute 23.94% of the total Workforce as on 31st, March 2018.

### 18.2 IR Negotiation

During the period, the industrial Relations climate in the Bank remained by and large cordial between the Management and the Unions/ Associations. Meetings and discussions were held with Unions/ Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect during the financial year 2017 - 18.

### 18.3 Reservation cell of Head Office, HRM Department

The Bank has been implementing reservation policy of Government of India. Reservation and other relaxation and concessions extended to SC/ST/OBC/Persons with Disability (PWD) and Ex-Servicemen employees is strictly adhered to in the Bank. As per GOI guidelines, Bank has imparted Pre-promotion Training to 2052 candidates ( SC-805, ST-342, OBC-883 and PWD - 22) belonging to SC/ST/OBC and PWD category in this financial year 2017-18.

बैंक के अजा/अजजा तथा ओबीसी संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए इन कर्मचारियों के वेलफेयर एसोसिएसनों के साथ सर्वोच्च स्तर पर तथा अंचल कार्यालयों (जहां आरक्षण रोस्टर रखा जाता है) के स्तर पर आवधिक बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता रहा। बैठकों में इन संवर्गों के कर्मचारियों के परिवादों को सुना गया तथा उसके बाद बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार उनका समाधान किया गया।

इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के साथ सफाई कर्मचारियों के हित के संबंध में प्र.का. सहित तीन केंद्रों पर समीक्षा बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

#### 18.4 भर्ती कक्ष:

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 430 अधिकारी भर्ती किए। इन 430 अधिकारियों में से 78 अजा, 32 अजजा, 106 ओबीसी और 110 महिलाएँ हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 762 लिपिकों की भी भर्ती की जिनमें से 119 अजा, 102 अजजा, 164 ओबीसी और 219 महिलाएँ हैं। बैंक ने आंतरिक लोकपाल की सेवा की समीक्षा की और इसे संविदा आधार पर अगले एक वर्ष तक बढ़ा दिया।

#### 18.5 प्रशिक्षण कक्ष

एक अत्यंत गत्यात्मक उद्योग का अंग होने के नाते बैंक को सतत परिवर्तित हो रहे वातावरण के साथ तालमेल रखने की दृष्टि से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यबल को संबंधित विषयों में अद्यतन रखने की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने एचआरएमएस में यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रबंधन मॉड्यूल शुरू किया। सभी अंचलों, सीएससी, कोलकाता और सभी आरटीसी ने इस मॉड्यूल के सफल निष्पादन हेतु मिल जुल कर कार्य किया। ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रबंधन मॉड्यूल से अब सार्थक सूचनाएँ निकाली जा सकती हैं जिससे समुचित निर्णय प्रक्रिया में सुविधा होती है और व्यर्थ की त्रुटियाँ कम होती हैं। प्रतिभा पूल बनाने के उद्देश्य से बैंक में पहली बार शाखा प्रमुख बने अधिकारियों तथा शाखा प्रमुखों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55 कार्यपालकों, 8598 अधिकारियों, 4042 लिपिकों और 610 अधीनस्थ कर्मचारियों को हमारे प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षित किया गया। कुल 4282 अधिकारियों, 961 लिपिकों और 97 अधीनस्थ कर्मचारियों को स्थानीय/केंप आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अंचल स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। बैंक ने कार्यपालकों और अधिकारियों को सीएफएआरएएल, बर्ड, एएससीआई जैसे ख्यातिप्राप्त बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में भी प्रयोजित किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 508 कार्यपालक और अधिकारी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हुए जिससे उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धी बहुरत पाने में मदद मिली। बैंक नवीनतम आविष्कारों को अपनाकर प्रशिक्षण विभाग को सतत विकसित कर रहा है।

#### 19. सरकारी कारोबार

सरकारी कारोबार कक्ष लघु बचत जमा योजना, प्रत्यक्ष और परोक्ष करों की वसूली, केंद्रीय और राज्य सरकार की पेंशन, अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सॉवरेन गोल्ड बांड (एसजीबी) तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) संबंधी कार्यों की देखभाल करता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सभी शाखाओं को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि खाते (एसएसए) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के अंतर्गत खाते खोलने हेतु प्राधिकृत किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया और इसे फिनैकल के माध्यम से परिचालन में लाया गया। पीपीएफ - 10,639 (33%) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना - 12,420 (158%) के अंतर्गत खोले गए खातों में बढोतरी हुई।

In order to address the issues of SC/ST and OBC employee of the Bank, regular periodical meetings are being called, held at Apex level as well as Zonal Office level (where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. The grievance of such category of employees is heard in such meetings and subsequently, grievances are redressal as per Bank's policy guidelines.

During the period, review meetings on welfare of Safai Karamcharis has been held at three centres including HO with National Commission for Safai Karamcharis with satisfaction.

#### 18.4 Recruitment Cell

Bank has recruited 430 Officers during the year 2017-18. These 430 officers comprise of 78 SC, 32 ST, 106 OBC and 110 women. 762 clerks have also been recruited during the year 2017-18 of which 119 are SC, 102 ST, 164 OBC and 219 females. Bank has reviewed and extended the service of International Ombudsman for further one year on contractual basis.

#### 18.5 Training Cell

The Bank, being a part of one of the most dynamic industries, has to keep up with the constantly changing environment by continuously updating its workforce with various Training Programmes in the concerned Fields. In the FY 2017-18, Bank has introduced user-friendly Online Training Management Module in HRMS. All Zones, CSC Kolkata and all RTCs worked in tandem for successful execution of the Module. Now, meaningful information can be extracted from the Online Training Management Module which helps in facilitating proper decision-making process and reducing redundant errors. Bank has organized exclusive Training programmes for 1st Time Branch Heads as well as Branch Heads to develop a talent pool.

In the FY 2017-18, 55 Executives, 8598 Officers, 4042 Clerks and 610 Sub-staffs were trained in our Training Centres. A total of 4282 Officers, 961 Clerks and 97 Sub-staffs were trained at Zonal Level through Locational/ Camp Based Training Programmes. Bank has also sponsored Executives & Officers for training in reputed External Training Institutes like CAFRAL, BIRD, ASCI, etc. In FY 2017-18, total of 508 Executives & Officers attended the External training programmes which helped in acquiring a global competitive edge. The Bank is continuously evolving the Training Department with the adoption of latest inventions to develop a sustainable solution and so as to fulfill the desired corporate expectations.

#### 19. Government Business

Government Business Cell handles Small Savings Deposit Schemes, Collection of Direct and Indirect Taxes, Central and State Government Pension, Atal Pension Yojana (APY), Sovereign Gold Bonds (SGB) and National Pension System (NPS).

During the FY 2017-18 all Branches have been authorised for the opening of account under Public Provident Fund (PPF), Sukanya Samridhi Accounts (SSA) and Senior Citizen Saving Scheme (SCSS). Senior Citizen Saving Scheme was successfully implemented and operationalised through Finacle. There was an increase in the accounts opened under PPF - 10,639 (33%) and Sukanya Samridhi Accounts Scheme - 12,420 (158%).

एपीवाई योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में पर्याप्त वृद्धि हुई । वर्ष 2017-18 में इसमें तीन गुनी वृद्धि हुई और इसकी संख्या 21073 से बढ़कर 64730 पर पहुँच गई।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर सरकारी कारोबार के टर्नओवर कमीशन पर 15% की वृद्धि हुई (₹ 3.60 करोड़)। इसमें सॉवरेन गोल्ड बांड (एसजीबी) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के कमीशन शामिल हैं।

बैंक की शाखाओं में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) वसूली मॉड्यूल का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया और इसे परिचालन में लाया गया ।

## 20. लेखापरीक्षा और निरीक्षण :

बैंक की प्रणाली और प्रक्रिया का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2210 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा और 1147 की समवर्ती लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अनुसरण में अनियमितताओं में सुधार लाने हेतु त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की गई जिसमें राजस्व क्षरण की वसूली शामिल है।

ऑफसाइट समवर्ती लेखापरीक्षा निगरानी को सुदृढ़ किया गया है और इसका विस्तार बैंक की सभी शाखाओं में किया गया है। इस समय 15 महत्वपूर्ण मदों में अलर्ट जेनरेट होते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की आरबीएस टीम द्वारा दी गई राय के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने एक नई आईएस लेखापरीक्षा नीति का अनुमोदन किया है। समवर्ती लेखापरीक्षा मॉड्यूल और प्रबंध लेखापरीक्षा मॉड्यूल को जोखिम-आधारित तथा प्रणाली चालित बनाया जा रहा है।

शामिल हुए नए निरीक्षण अधिकारियों की जानकारी और कौशल को अद्यतन करने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । मोबाइल निरीक्षण अधिकारियों को जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के ई-थिक पैकेज से परिचित कराने पर ज्यादा ध्यान दिया गया ।

## 21. सतर्कता विभाग :

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शाखाओं में निवारक सतर्कता संबंधी उपाय किए जा रहे हैं, वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के विभिन्न अंचलों/सर्किलों में पदस्थापित फ़िल्ड सतर्कता अधिकारियों ने 422 शाखाओं का निवारक सतर्कता निरीक्षण किया ।

बैंक के नियमो-विनियमों का पालन न किए जाने से संबंधित कदाचारों के विविध पहलुओं पर स्टाफ के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक के विभिन्न केंद्रों पर अनेक निवारक सतर्कता कार्यक्रम आयोजित किए गए । फरवरी, 2018 में सीएससी, कोलकाता में अनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए " सतर्कता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण" विषय पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस वर्ष " मेरा विज़न-भ्रष्टाचार मुक्त भारत" थीम पर पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कर्मचारियों और आम जनता, दोनों, को अधिक सतर्क बनने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु देश भर की शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न सार्वजनिक बैठकों और सेमिनारों का आयोजन किया गया । स्टाफ सदस्यों और स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए निबंध, वाद-विवाद तथा कहानी लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई । स्टाफ सदस्यों में जागरूकता बढ़ाने के लिए "इंटरनल विजिलेंस" ( शाश्वत सतर्कता) नामक पत्रिका का भी शुभारंभ किया गया ।

## 22. राजभाषा नीति का अनुपालन :

बैंक ने संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए। बैंक ने हिंदी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में यथानिहित निदेशों के कार्यान्वयन हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई भी की।

There was a substantial increase in the accounts opened under APY Scheme. It increased three fold from 21073 to 64730 in the year 2017-18.

Achieved 15% (₹3.60 Crore) Y-O-Y growth in Turnover commission on Government Business which includes commission in Sovereign Gold Bonds (SGB) and Atal Pension Yojana (APY).

Goods & Service Tax (GST) collection module was successfully implemented and operationalised in all Branches of the Bank.

## 20. AUDIT & INSPECTION

To ensure strict adherence to bank's system & procedure, Risk Based Internal Audit has been conducted at 2210 branches and 1147 branches have been covered under concurrent audit. In pursuance of audit findings, prompt corrective action has been initiated for rectification of irregularities including recovery of revenue leakages.

The Offsite Concurrent Audit Surveillance (OCAS) has been strengthened and extended to all branches of the Bank. At present alerts are generated in 15 critical items.

A new IS Audit Policy in line with the observation made by RBS team of RBI has been approved by the Board of Directors of the Bank. The Concurrent Audit Module and Management Audit Module are being made risk- based and system driven.

A training programme has been conducted to update the knowledge and skill of newly inducted inspecting officers. More focus was given to make the mobile inspecting officers familiar with the e-THIC package of Risk Based Internal Audit.

## 21. VIGILANCE DEPARTMENT

During the year 2017-18, our Field vigilance Officers posted at various Zones/ Circles of the Bank have conducted preventive vigilance inspection at 422 branches to ensure that preventive vigilance measures are being taken up at the branches.

A number of preventive vigilance programmes were conducted at different centres of the Bank to increase awareness among staff on various aspects of misconducts and works associated with non - adherence to rules & regulation of the Bank. A two - day workshop for the Disciplinary Authorities was conducted at CSC - Kolkata during Feb'2018 on the subject "Positive approach to Vigilance".

This year Vigilance Awareness Week was celebrated across the country with the theme "My Vision - Corruption Free India". Various public meetings and seminars have been organized across the branches and administrative offices to make both staff and the public more vigilant and encourage them for a corruption- free India. Various competitions like essay, debates, art, story writing etc. have been organized amongst the staff members and school/ college children. A Magazine " Eternal Vigilance" was also launched to increase awareness amongst staff members.

## 22. Compliance of Official Language Policy:

The bank took proactive approach to implement the Official Language Policy of the Union Government. The Bank also took appropriate follow-up-action to implement the directives as contained in the Annual Program with regard to the use of Official Language Hindi issued by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India.

इस अवधि में संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने दिनांक 14.06.2017 को जालंधर अंचल के अधीन पठानकोट शाखा का , दिनांक 19.09.2017 को फलोदी शाखा का तथा दिनांक 14.10.2017 को एरणकुलम अंचल के अधीन लक्षद्वीप स्थित कवरती शाखा का निरीक्षण किया ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता का संयोजक होने के नाते यूको बैंक, प्रधान कार्यालय को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में राजभाषा का उत्कृष्ट कार्यानिष्ठादन हेतु पूर्वी क्षेत्र का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे वाराणसी, जोरहाट एवं पटना अंचल कार्यालयों को अपने - अपने नगरों में राजभाषा का प्रभावी कार्यानिष्ठादन करने हेतु संबंधित नराकास के प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए।

### 23. अनुपालन विभाग:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए अनुपालन के मामलों पर बल दिया है। बैंक एक सख्त अनुपालन प्रणाली के जरिये ग्राहक सेवा के स्तर, जमा, अग्रिम, केवाईसी/एमएल, अन्य सेवा कार्य एवं संबंधित अनुपालन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी एवं भारतीय बैंक संघ आदि द्वारा मांगी गई सांविधिक/विनियामक रिपोर्टों, सूचना एवं आंकड़ों की प्रस्तुति सुनिश्चित कर रहा है। अनुपालन कार्यों में उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए अनुपालन नीति तैयार की गई थी तथा निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन के बाद इसे बैंक भर में परिचालित किया गया। वर्ष के दौरान 842 शाखाओं में अनुपालन कार्यों की नमूना जांच की गई। पाई गई कमियों को कार्यस्थल पर ही दूर किया जा रहा है। अनुपालन कार्यों के बारे में शाखाओं/कार्यालयों को अवगत कराया गया ताकि अनुपालन के उल्लंघन को टाला जा सके। महत्वपूर्ण मुद्दों को उपयुक्त स्तर पर रिपोर्ट करके उन पर विचार-विमर्श किया गया ताकि प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ सके। गलतियों से बचने के उपायों को उजागर करने के लिए अनुपालन मुद्दों पर निरीक्षण विभाग तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है।

### 24. बैंक की भावी योजना :

चालू वित्तीय वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यानिष्ठादन में गिरावट जारी रही। एससीबी के जीएनपीए में 10% से अधिक की वृद्धि हुई। दबावग्रस्त अग्रिमों का अनुपात बढ़ा। इस परिदृश्य में, बैंक की भावी योजना और कार्यनीतियां, अनर्जक आस्ति में कमी लाने और अगले रिसावों पर नियंत्रण करने की है। बैंक में अशोध्य ऋणों की वसूली करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसके अलावा कायाकल्प के लिए व्यय पर नियंत्रण और ब्याजेतर आय में वृद्धि पर भी पूरा ध्यान देना होगा।

व्यय में कमी लाने हेतु बैंक ने सर्किल कार्यालयों और 18 सेवाशाखाओं को बंद कर दिया है। सरकार के दिशानिर्देशों / नियामक मानक की अपेक्षाओं के अनुसार आरडब्ल्यूए / और सीआरएआर बनाए रखना बैंक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए एलसीबीडी कारोबार जैसे कम पूँजी की आवश्यकता वाले अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिटेल, एमएसएमई और कृषि हमारे बैंक के अग्रिमों के कोर क्षेत्र हैं।

बैंकने उच्च लागत वाली जमा के पीछे न पड़ने का फैसला किया है। कम लागत वाली जमा (कासा) अधिक हो। अन्य कानूतियों में ब्याजेतर आय में वृद्धि करने, व्यय में कमी लाने और ई-उत्पाद का प्रचार करने की कार्यनीति भी महत्वपूर्ण होगी।

### 25. निदेशक मंडल :

#### 25.1. कार्पोरेट अभिशासन:

बैंक श्रेष्ठ कार्पोरेट अभिशासन में पूर्ण निष्ठा रखता है तथा उसे अपने कार्यक्षेत्र में अपनाया है। यह अभिशासन बैंक के पारदर्शिता, कार्यक्षमता और जिम्मेदारी के मूलभूत मूल्यों के द्वारा सर्जित होता है। अपने रोजमर्रा के परिचालन में इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान देते हुए बैंक शेयरधारक की मूल्यवत्ता बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि बैंक श्रेष्ठ

During this period third Sub - Committees of the Parliamentary Committee on Official Language visited Pathankot Branch under Jalandhar Zone on 14.06.2017, Falodi Branch under Jodhpur Zone on 19.09.2017 and Kavaratti Branch of Lakshwadeep under Ernakulam Zone on 14.10.2017

UCO Bank Head Office, the Convenor of Town Official Language Implementation Committee (Banks), Kolkata was awarded First Prize of TOLIC of Eastern Region by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for excellence in implementation of Official Language during the year 2016-17. Our Zonal Offices at Varanasi, Jorhat & Patna received First Prize from concerned TOLIC for their performance in their respective towns.

### 23. COMPLIANCE DEPARTMENT

Bank has emphasized on compliance issues mandated by RBI. Bank has been ensuring the level of customer service, functions and compliance of rules of deposits, advances, KYC/AML, other services, submission of statutory/regulatory reports, information and data asked by RBI, GOI, SEBI & IBA, etc. through a strict compliance system. Compliance policy was prepared incorporating necessary changes to prevent breaches in compliance and the same has been circulated throughout the bank after board approval. Test checking of compliance functions was undertaken in 842 branches. Deficiencies observed are being rectified. Branches/offices have been sensitized to compliance functions so as to avoid breaches. Critical issues were reported and discussed at appropriate level to enhance system efficacy. Interactions are also being held with Inspection & Risk management departments periodically to discuss compliance issues to arrive at measures to avoid recurrence thereof.

### 24. FUTURE PLAN OF BANK

The performance of the Banking sector, PSBs in particular, continued to be subdued in the current financial year. GNPA ratio of SCBs increased to more than 10%. Stressed Advances ratio rose. In this scenario, Bank future Plan and strategies are to reduce NPA and check further slippages. Bank has put all its efforts to recover the bad loans. Moreover, containment in expenses and increase in non-interest income will be also in focus for a turnaround.

To reduce the expenses, the Bank has dismantled Circles offices and 18 Service Branches. The biggest challenges before the bank are to maintain RWA and CRAR as per the requirement of Govt. guidelines/Regulatory Standard. So the focus has been given on low capital requirement advances such as LCB business. Retail, MSME and Agriculture are the core area of the advances of the Bank.

Bank has already decided not to go for high-cost deposit so that low-cost deposit (CASA) will be more. Among the other strategy enhancing non-interest income, reduction in expenses and promoting e-product is also important.

### 25. BOARD OF DIRECTORS

#### 25.1. Corporate Governance

Bank firmly believes in and has consistently practised good corporate governance woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects of its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank is committed



अभिशासन के प्रति वचनबद्ध है, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक कारोबार के प्रत्येक पहलु पर निगरानी रखने के लिए कई बोर्ड समितियाँ गठित की हैं। बैंक की प्रणालियों एवं कारोबार प्रक्रियाओं के कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हैं, को पहचानने एवं उन्हें मजबूत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर उनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशक मंडल का विश्वास है कि श्रेष्ठ अभिशासन ही ग्राहकों, कारोबारी सहयोगियों, कर्मचारियों एवं निवेशकों का भरोसा, निष्ठा एवं साख अर्जित करने का तथा व्यापक तौर पर समाज का आदर पाने का मूल मंत्र है।

## 25.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन:

- श्री के. राजीवन नायर दिनांक 02.12.2017 के प्रभाव से तीन वर्ष के लिए यूको बैंक के बोर्ड में शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक चुने गए।
- डॉ. आशीष साहा दिनांक 27.12.2017 के प्रभाव से तीन वर्ष के लिए यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए।

## 25.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की 10 बैठकें हुईं। इस अवधि में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों की संख्या नीचे दी जा रही है:

to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earn trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and also to have a respectable position in the society at large.

## 25.2 Changes in the Board of Directors

- Mr K Rajivan Nair was elected as Director on the Board of UCO Bank under shareholder category w.e.f. 02.12.2017 for a period of three years.
- Dr Asish Saha was appointed as Part-time Non-official Director on the Board of UCO Bank w.e.f. 27.12.2017 for a period of three years.

## 25.3 Meetings of the Board of Directors

During the FY 2017-18, ten meetings of the Board of Directors were held. The number of meetings of various committees of the Board held during the period is given below:

क्रम सं. SI.No	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति/Management Committee of the Board	9
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति/Audit Committee of the Board	6
3.	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति/Risk Management Committee of Board	2
4.	निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति/Stake holders' Relationship Committee of the Board	1
5.	निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति/Share Transfer Committee of the Board	2
6.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति/ Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds	3
7.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee of the Board	2
8.	बैंक के मा.सं. संबंधी मामलों की समिति/Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee)	Nil
9.	निदेशक मंडल की नामांकन समिति/Nomination Committee of the Board	1
10.	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति/Remuneration Committee of the Board	1
11.	निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति/IT Strategy Committee of the Board	4
12.	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति/ Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	3
13.	निदेशक मंडल की अपील मामलों के निपटान की समिति/ Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases	2
14.	समीक्षा समिति (इरादतन चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)	3

## 25.4 निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन:

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में तात्कालिक विचलन से, यदि कोई हो, संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा-प्रणाली मानक का प्रयोग किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई लेखा नीतियों को एकरूपता से लागू किया गया है। उचित और विवेकसम्मत निर्णय और प्राक्कलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य की स्थिति तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सच्ची और सही छवि उभर सके। भारत के बैंकों को शासित करनेवाली प्रयोज्य

## 25.4 Statement of Directors' Responsibilities

The Board of Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2018, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year

विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया; और लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं। कारोबार का व्यवस्थित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रण लागू किए गए हैं।

## 25.5 आभार

बोर्ड नए निदेशकगण श्री के. राजीवन नायर एवं डॉ. आशीष साहा का स्वागत करता है तथा बैंक की संवृद्धि में उनके बहुमूल्य सुझाव की प्रत्याशा करता है। निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है। निदेशक मंडल अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा संपर्की बैंकों को उनके भरपूर सहयोग के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशकगण निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे लगातार संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक की स्टाफ यूनियनों/ एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयरधारकों के समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करते हैं जिसकी वजह से बैंक कई कीर्तिमान स्थापित कर सका।

ended March 31, 2018. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. Internal financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

## 25.5 Acknowledgements

The Board welcomes the new Directors, Mr K Rajivan Nair, Dr. Asish Saha and looks forward to their valuable inputs towards the growth of the Bank. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance. The Board also thanks other financial institutions and correspondent banks for their co-operation.

The Board of Directors expresses its gratitude to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board also thanks the staff unions/associations and shareholders of the Bank for the support extended by them. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank.

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/

(आर . के . टक्कर)

प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक : 29 मई, 2018  
स्थान : कोलकाता

By Order of the Board of Directors

sd/-

(R.K. Takkar)

Managing Director &  
Chief Executive Officer

Date: 29<sup>th</sup> May, 2018  
Place : Kolkata

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक  
**KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2018**

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारोबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2018 March 2018	मार्च 2017 March 2017	मार्च 2016 March 2016	मार्च 2015 March 2015	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012
कुल जमा/Total Deposits	181849	201285	207118	214337	199534	173431	154003
कुल अग्रिम/Total Advances	123990	131655	135508	151812	153163	131569	117504
कुल कारोबार/Total Business	305839	332940	342626	366149	352697	305000	271507
निवेश/Investment	72590	74768	84512	69231	67846	52515	46185
ब्याज आय/Interest Income	14020	16326	18561	19359	18230	16752	14632
ब्याज व्यय/Interest Expenditure	10895	12509	13713	13797	12171	12170	10730
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	3125	3817	4848	5562	6059	4582	3902
परिचालन लाभ/Operating Profit	1334	2926	3603	4910	4940	3357	2811
निवल लाभ/Net Profit	-4436	-1851	-2799	1138	1511	618	1109
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	68.18	65.41	65.43	70.83	76.76	75.86	76.30

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं  
**FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2018**

विवरण / Particulars कारोबार मानदंड/Business Parameters	मार्च 2018 March 2018	मार्च 2017 March 2017	मार्च 2016 March 2016	मार्च 2015 March 2015	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012
कुल आय के %रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	20.64	20.70	24.05	26.04	30.99	25.88	25.02
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	5.37	5.83	6.11	6.35	6.17	7.12	7.30
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	8.69	9.60	10.17	9.92	9.91	10.63	11.28
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	1.32	1.56	2.16	2.35	2.82	2.34	2.77
पूंजी पर्याप्तता (%) Capital Adequacy (%)							
बासेल- III/BASEL - III	10.94	10.93	9.63	12.17	12.68		
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	98.40	107.26	111.35	121.24	121.87	116.95	113.60
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	12.74	13.48	13.81	15.51	15.28	13.43	12.47
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Gross NPA Ratio (%)	24.64	17.12	15.43	6.76	4.32	5.42	3.48
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	13.10	8.94	9.09	4.30	2.38	3.17	1.96
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	-1.88	-0.75	-1.25	0.48	0.70	0.33	0.69
प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) Book Value per Share (in ₹)	54.61	66.86	94.43	111.00	104.85	97.19	94.72
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)* Earning per Share (in ₹)*	-25.23	-13.29	-26.03	11.20	*19.44	*6.28	*15.02

\* शेयरों की संख्या का भारित औसत/\* Weighted average number of Share

**कारोबार दायित्व रिपोर्ट**  
**BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT**

खंड अ : कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी/

**SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY**

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN) of the Company	लागू नहीं Not applicable
2.	कंपनी का नाम/Name of the Company	यूको बैंक/UCO BANK
3.	पंजीकृत पता/ Registered address	10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता- 700 001 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001
4.	वेबसाइट / Website	www.ucobank.com
5.	ई-मेल आईडी / E-mail id	hosgr.calcutta@ucobank.co.in
6.	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष / Financial Year reported	2017-18
7.	वे क्षेत्र जिनमें कंपनी सक्रिय है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि) Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	<p>यूको बैंक बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत स्थापित हुआ है। देश भर में फैली 3104 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के साथ यूको बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की संवृद्धि में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है - कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य आदि, इस मिशन के साथ कि कारोबार और लाभप्रदाता में निरंतर वृद्धि होती रहे, सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियाँ पूरी की जा सकें, अत्याधुनिक तकनीक एवं कुशल मानव संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान की जाए।</p> <p>UCO Bank is established under Banking Companies (Acquisition &amp; Transfer of Undertakings) Act, 1970. UCO Bank with a network of more than 3104 branches spread across the country, participate actively in the growth of all segments of the economy- Agriculture, Industry, Trade &amp; Commerce, Service Sector, Infrastructure Sector etc., with a mission to achieve sustained growth of business and profitability, fulfilling socio-economic obligations, excellence in customer service making use of state-of-the-art technology and skilled human resources.</p>
8.	ऐसे तीन उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी निर्मित / आपूर्ति करती है List three key products/services that the Company manufactures/provides	<p>यूको बैंक व्यापक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ देने में लगा है जिसमें रिटेल बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग एवं कोष प्रचालन शामिल हैं।</p> <p>UCO Bank is engaged in providing wide range of banking and financial services including Retail Banking, Corporate Banking Treasury Operations.</p>
9.	वे स्थान जहाँ कंपनी ने कारोबारी कार्यकलाप करना तय किया है Total number of locations where business activity is undertaken by the Company i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of International Locations ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of National Locations	<p>31.03.2018 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का देश भर में 3104 शाखाओं का नेटवर्क है तथा विदेश में हांगकांग एवं सिंगापुर केंद्रों पर चार शाखाएँ हैं।</p> <p>As on 31.03.2018, UCO Bank has a net-work of 3104 branches spread across India and four overseas branches situated at Hong Kong and Singapore centres.</p>
10.	कंपनी द्वारा सेवित बाजार — स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय Markets served by the Company - Local/State/National/International	<p>यूको बैंक का ग्राहक वर्ग देशी एवं विदेशी केंद्रों में स्थित है।</p> <p>UCO Bank has clients in National and International locations.</p>

**खंड आ : 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी का वित्तीय ब्योरा / SECTION B : FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY AS ON 31.03.2018**

1.	चुकता पूँजी / Paid up Capital	₹2308 करोड़ / crores
2.	कुल टर्नओवर (आईएनआर) / Total Turnover (INR) :	₹305838.81 करोड़ / crores
3.	कर पश्चात कुल हानि (आईएनआर) Total Loss after taxes (INR) :	₹4436.36 करोड़ / crores
4.	कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गया कुल व्यय (सीएसआर) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR)	₹10.41 करोड़ / crores
5.	कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है : List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred :	बैंक ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यकलाप संचालित किए। इनमें से कुछ की सूची सिद्धांत 8 के तहत दी गई है। Bank took up several activities under Corporate Social Responsibility. Few of the activities are listed under Principle 8.

**खंड इ : अन्य ब्योरे / SECTION C : OTHER DETAILS**

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं ? Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	नहीं / No
2.	क्या सहायक कंपनी / कंपनियाँ वर्तमान कंपनी की कारोबार दायित्व पहल में शामिल होती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें : Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company (s):	लागू नहीं / Not Applicable
3.	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएँ (यथा : आपूर्तिकर्ता, वितरक), जिसके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी के कारोबारदायित्व में शामिल होती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था / संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें ( 30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक) Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%) :	नहीं / No

**खंड ई : कारोबार दायित्व संबंधी सूचना**

1. कारोबार दायित्व के प्रति उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

क) कारोबार दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

- नाम : श्री चरण सिंह
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक

ख) कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे

**SECTION D : BR INFORMATION**

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR Policy/Policies.

- Name : Shri Charan Singh
- Designation : Executive Director

b) Details of the BR head

क्रम सं.	विवरण	ब्योरे
1	डीआईएन (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री अनिल कुमार
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	दूरभाषा संख्या	44558060
5	ई-मेल आईडी	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri Anil Kumar
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	44558060
5.	E-mail id	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

## 2. सिद्धांतवार कारोबार दायित्व नीति/नीतियाँ / Principle-wise BR Policy/policies

क्र.सं. Sr.No.	प्रश्न / Questions	राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के सिद्धांत Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क्या उक्त सिद्धांत हेतु आपकी कोई नीति/नीतियाँ हैं ? Do you have a policy/policies for the said principle?	हाँ / Yes								
2.	क्या यह नीति संबद्ध जोखिम धारकों के परामर्श से बनाई की गई है ? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हाँ / Yes								
3.	क्या यह नीति राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? Does the policy conform to any national /international standards?	बैंक की कारोबार दायित्व नीतियाँ सामान्यतः भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों पर सम्यक विचार कर बनाई जाती हैं। The Business Responsibility Policies of the Bank are generally formulated duly considering the guidelines issued by Government of India, Reserve Bank of India from time to time.								
4.	क्या यह नीति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है ? Has the policy being approved by the Board?	हाँ / Yes								
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु कंपनी में बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है ? Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हाँ / Yes								
6.	ऑनलाइन देखी जानेवाली नीति के लिंक का उल्लेख करें ? Indicate the link for the policy to be viewed online?	<a href="https://www.ucobank.com/about-us/policies">https://www.ucobank.com/about-us/policies</a>								
7.	क्या इस नीति को सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हाँ। कारोबार दायित्व सिद्धांतों से संबंधित नीतियाँ बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारक समूहों के साथ की जानेवाली बैठकों में हितधारकों को इन नीतियों के बारे में अवगत कराया जाता है। Yes. The policies relating to the Business Responsibility principles are uploaded on the Bank's website. Stakeholders are kept informed about these policies at the meetings with the relevant internal and external stakeholders groups.								
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की कोई आंतरिक संरचना है? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies	हाँ / Yes								
9.	क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कंपनी की नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण प्रणाली है? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	हाँ / Yes								
10.	क्या किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा कंपनी ने इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/आकलन करवाया है? Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	कारोबार दायित्व के सिद्धांतों के तहत बैंक द्वारा किए गए कार्यकलापों को उनकी समीक्षा/आकलन के लिए बोर्ड/उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है। The activities taken up by the Bank under the principles of Business Responsibility are reported to the Board/Top Management for its review/evaluation.								

### 3. बीआर से संबंधित अभिशासन Governance related to BR

<p>कंपनी के बीआर निष्पादन का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बैठकों की बारंबारता बताएँ। 3-6 माह के अंदर, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक ।</p> <p>Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3-6 months, Annually, More than 1 year</p> <p>क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?</p> <p>Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?</p>	<p>वार्षिक/ <b>Annually</b></p> <p>बैंक वर्ष में एक बार बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक <a href="http://www.ucobank.com/about us">http://www.ucobank.com/about us</a> है। Bank publishes BR report annually. The hyperlink for viewing the report is <a href="http://www.ucobank.com/about us/policies">http://www.ucobank.com/about us/policies</a></p>
---	--

#### खंड उ : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

##### सिद्धांत 1 : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाना चाहिए।

बैंक की कारोबार नीतियाँ पारदर्शिता और व्यवसायपरकता के मूलभूत मूल्यों के ताने बाने से बनाई गई हैं। कारपोरेट अभिशासन मानकों की विस्तृत जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के 'कारपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट' भाग में देखी जा सकती है।

बैंक ने निदेशक मंडल में मौजूद अपने निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता गठित की है जिनमें सत्यनिष्ठ एवं नैतिक आचार के उच्चतम मानकों का अनुपालन विहित किया गया है। इसमें वैयक्तिक और व्यावसायिक संबंधों के वास्तविक अथवा आभासी हितपरक टकरावों के साथ निर्वह की समुचित और नैतिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 बनाए हैं जिनमें बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के आचार की मर्यादा दी गई है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक नैतिकता, रिश्त और भ्रष्टाचार के संबंध में मूलतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग (लिंक : <http://cvc.nic.in/man04.pdf>) द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में निहित सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है।

ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के उद्देश्य से बैंक ने बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण नीति बनाई है जिसके माध्यम से उचित सेवा, डेलिवरी एवं मेकानिज्म की समीक्षा की जाती है और ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाता है।

ग्राहक सेवा में सुधार संबंधी नीति की समीक्षा और बैंक द्वारा दी जा रही ग्राहक सेवा की गूणवत्ता की समीक्षा के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है।

बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने के लिए बैंक ने आंतरिक बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किया है ताकि बैंक के आंतरिक निवारण के सर्वोच्च तंत्र द्वारा अस्वीकृत या आंशिक रूप से स्वीकृत सभी शिकायतों की जांच की जा सके।

#### SECTION E : PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

##### Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

The Bank's business policies are woven around the core values of transparency and professionalism. Details of Corporate Governance standards are specified in the 'Report on Corporate Governance' section of annual report.

Bank has laid down Code of Conduct for its Directors on the Board and its Core Management that envisages adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships. Board of the Bank framed UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 which envisages conduct of the officer employees of the Bank.

Besides the above, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission (Link: <http://cvc.nic.in/man04.pdf>) in relation to ethics, bribery and corruption.

Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, with an aim to minimise instances of customer complaints and grievances through proper service, delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances. The Policy is made available on Bank's website.

Customer Service Committee of the Board has been constituted for review of policies in regard to improving customer service and also to examine issues having a bearing on the quality of customer service rendered by the bank.

Further to strengthen the internal Grievance Redressal mechanism of the Bank, Internal Banking Ombudsman (IO) has been appointed by the Bank to examine all the complaints which were rejected or partially accepted by the highest level of Bank's internal redressal machinery.

**सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया : Response to principle-wise performance :**

<p>क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है? क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/टेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है?</p> <p>Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?</p> <p>पिछले वित्तीय वर्ष में से कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितना प्रतिशत शिकायतें प्रबंधन द्वारा संतोषजनक स्तर से निपटा दी गईं?</p> <p>How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?</p>	<p>नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियाँ बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होती हैं। बैंक का कोई सहयोगी निकाय या संयुक्त उद्यम नहीं है।</p> <p>The policies relating to ethics, bribery and corruption covers the Bank and its employees. Bank does not have subsidiaries or joint ventures.</p> <p>वित्तीय वर्ष (2016-17) के दौरान 21737 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 21270 (97.80%) का संतोषजनक समाधान किया गया।</p> <p>During the financial year (2016-17), 21737 customer complaints were received, out of which 21270 (97.80%) were satisfactorily resolved.</p>
---	--

**सिद्धांत 2: कारोबार ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे जो निरापद हों और अपने पूरे जीवन काल में धारणीयता बनाए रखें।**

**Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle**

बैंक के पास अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नाना प्रकार के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएँ उपलब्ध हैं चाहे वो कार्पोरेट या एमएसएमई क्षेत्र, निर्यात, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर या व्यक्तिगत क्षेत्र हों। विश्वसनीय भविष्य गढ़ने के लिए बैंक समाज की बदलती जरूरतों और ग्राहक प्राथमिकताओं के हिसाब से प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम इस्तेमाल करते हुए निरंतर अपने उत्पादों और सेवाओं में नवीनता लाता रहता है।

Bank has variety of financial products and services for different sectors of the economy whether it is corporate or MSME sector, exports, agriculture, infrastructure or the personal segment. Bank continuously brings in innovation in its products and services for meeting the changing needs of the society and customer preferences by making best use of technology.

एमएसएमई क्षेत्र में कारोबार वित्त को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आरएक्सआईएल (रिसिवेबल एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड) जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) का एक संयुक्त उद्यम है जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार टीआरडीएस के अनुपालन के क्रम में एमएसएमई के इंडिया के फेक्ट्रिंग के लिए टीआरडीएस प्लेटफॉर्म के परिचालन हेतु किया गया है। टीआरडीएस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा जहां कार्पोरेट एवं सरकारी विभागों सहित अन्य खरीददारों एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के एमएसएमई बिलों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार किया जा सके एवं बोली लगाया जा सके ताकि प्रतिस्पर्धत्मक दर पर प्रायों की त्वरित उगाही सुनिश्चित किया जा सके।

In order to encourage trade finance to MSMEs, Bank has tied up with RXIL (Receivables Exchange of India Limited), a joint venture promoted by Small Industries Development Bank of India (SIDBI) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) which has been set up to operate a TReDS Platform for factoring of the invoices of the MSME's in compliance with TReDS guidelines issued by RBI. TReDS will facilitate by creating an electronic platform whereby MSME bills from corporate and other buyers including Government Departments and Public Sector Undertakings (PSUs) can be accepted electronically and auctioned, to ensure prompt realisation of receivables at competitive rates.

डिजिटल बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने को ध्यान में रखते हुए बैंक ने रूपे ईएमवी चिप आधारित प्रिपेड कार्ड "सुविधा (ई) प्रिपेड कार्ड" चालू किया है। इस कार्ड को फिर से लोड किया जा सकता है एवं कार्डधारक इस कार्ड में लोड की गई राशि तक एटीएम, पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) एवं ई-कॉमर्स के माध्यम से खर्च कर सकता है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने हेतु भिम आधार पे सुविधा को लागू किया गया है ताकि वे मर्चेन्ट के ड्राइस पर आपना आधार नंबर एवं बायोमेट्रिक (अंगूली का निशान / आईआरआईएस) के माध्यम से अपनी खरीददारी कर सकें। यूको बैंक डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले यूको बैंक के ग्राहकों को अतिरिक्त छूट प्रदान करने के उद्येश्य से फूड पांडा, फर्न एन पेटल्स, कुलविक्स आदि के साथ अनुबंध किया है।

To popularise digital banking, RuPay EMV chip based pre-paid card "suvidha (e) Pre paid" has been introduced. This card can be reloadable and card holder can spend upto the loaded amount at ATM, POS (point of sale) & e-commerce. To promote digitalisation, Bhim Aadhaar Pay facility has been introduced to facilitate customers to make purchase transaction using his/her Aadhaar Number and biometric (Finger print/IRIS) upon the device of the merchant. Bank has also tied up with Foodpanda, Fern n petals, Coolwinks etc. by providing extra discount to the Bank's customer on using UCO Bank Debit card and Net Banking.

ग्राहक सेवा में प्रौद्योगिकीगत पहल के रूप में बैंक ने यूको पे + मोबाइल एप्लिकेशन लागू किया है जिसमें तत्काल आनलाईन खाता खोलने सुविधा उपलब्ध है एवं किसी भी समय किसी भी स्थान पर 24 X 7 दिन डिजिटल बैंकिंग सेवा उपलब्ध / अनुपलब्ध करने हेतु यूको सिक्थर लागू किया है।

As a part of technological initiatives in customer service, Bank launched UCOPAY+ mobile application with Instant Online Account Opening features and UCO Secure app to disable/enable digital banking services anytime, anywhere 24x7.



**सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:**

<p>अपने 3 ऐसे उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएँ जिनकी डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिम और/या अवसरों को समाविष्ट किया गया है: List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and /or opportunities :</p>	<p>बैंक के उत्पादों और सेवाओं से समाज को किसी भी तरह का जोखिम नहीं होता। उसके उलट वे रोज़गार के अवसर प्रदान करके तथा देश के आर्थिक विकास द्वारा समाज के लिए मददगार होंगे। कुछ उत्पाद पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान को सामने रखकर लेकर तैयार किए गए हैं। इनमें पवनचक्की, सौर ऊर्जा आदि के कार्यकलापों में संलग्न सतत ऊर्जा (ग्रीन ऊर्जा) कंपनियों का वित्त पोषण शामिल है।</p> <p>Products &amp; Services of the Bank do not pose any risk to the society at large. Rather they would be helpful to the society in providing employment opportunities and economic development of the country. Few loan products are designed to address environmental concerns which include finance to renewable energy (green energy) companies involved in the activities of Wind Mills, Solar Energy etc.</p>
<p>ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद की इकाई देकर (वैकल्पिक) संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्न विवरण प्रदान करें : For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) put unit of product (optional) :</p> <p>पिछले वर्ष से समूची मूल्य शृंखला में स्रोत प्राप्ति/उत्पादन/संवितरण के दौरान कमी? i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?</p> <p>ii. पिछले वर्ष से ग्राहकों द्वारा उपयोग (ऊर्जा, जल) में कमी आई है? iii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p> <p>लागू नहीं / Not Applicable</p>
<p>क्या कंपनी में सतत स्रोत-प्राप्ति (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएँ Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p>
<p>क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय भी शामिल हैं? Has the company taken any steps to procure goods and services from local &amp; small producers, including communities surrounding their place of work?</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p>
<p>क्या कंपनी में उत्पादों और कचरे के पुनरुपयोग की कोई व्यवस्था है? यदि हाँ तो उत्पादों और कचरे के पुनरुपयोग का प्रतिशत क्या है (&lt;5%, 5-10%, &gt;10% अलग-अलग दर्शाएँ)? इसके साथ ही, लगभग 50 शब्दों में विस्तृत जानकारी दें। Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If year, that is the percentage of recycling of products and waste (separately as &lt;5%, 5-10%, &gt;10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>बैंक विनिर्माण इकाई नहीं है और उसके कार्यालयों से निकले कचरे का प्रबंधन कचरे की निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करके किया जाता है।</p> <p>Bank is not a manufacturing unit and the waste generated in its offices is managed by following the procedures for disposal of wastes.</p>

### **सिद्धांत 3: कारोबार से सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन होना चाहिए।**

यूको बैंक का विजन है कि यह अपने कर्मचारी के लिए ऐसा कार्यस्थल दे जिस पर उन्हें गर्व हो। इस दृष्टि से बैंक काम करता है तथा अपने कर्मचारी सदस्यों और उनके कल्याण को सर्वाधिक महत्व देता है।

#### **समानता का सिद्धांत:**

बैंक की सेवा में भर्ती के लिए चयन का मूल आधार मेधा और सक्षमता होता है। सभी अभ्यर्थियों का निर्णय मेधा के आधार पर किया जाता है। पदोन्नति की प्रक्रिया में जाति, पंथ, लिंग, नस्ल, धर्म और विकलांगता, यदि हो, से ऊपर उठकर सभी अभ्यर्थियों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों और बैंक की निर्धारित नीति के अनुसार समान अवसर दिया जाता है।

#### **कर्मचारी संख्या:**

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या 23,943 जिसमें से 5731 महिलाएँ तथा 498 विकलांगतायुक्त हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंक बाल श्रम, बलात श्रम या भुगतान पर अथवा बेगार, किसी भी रूप में अनैच्छिक श्रम द्वारा काम नहीं लेता है। हम समय-समय पर सरकार के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हैं। सभी कर्मचारियों को इसकी छूट है कि वे जिस किसी भी यूनियन का सदस्य बनें या न बनें। परंतु अधिकांश कर्मचारी किसी न किसी यूनियन के सदस्य हैं।

#### **कर्मचारी लाभ और कार्य-जीवन संतुलन:**

अपने कर्मचारी के प्रति अपने विज्ञान को साकार करने के लिए बैंक अनेक कर्मचारी कल्याण योजनाएँ संचालित करता है। इनमें से कुछ हैं भविष्य निधि, उपदान, पेंशन, विकित्सा लाभ, रियायती ब्याज दर पर अग्रिम, जमा पर उच्चतर ब्याज दर, हॉलिडे होम, आदि। इस मामले में कर्मचारी और उसके पारिवारिक सदस्य, दोनों की कल्याण योजनाएँ शामिल हैं, जैसे यूको डायमंड जुबली स्कॉलरशिप योजना और पुरस्कार योजना। इनके अलावा बैंक के पास महिला अधिकारी के लिए विकल्प की नीति है जो विवाहित अधिकारी के मामले में अपने जीवन संगी के साथ रहने अथवा अविवाहित अधिकारी के मामले में अपने अभिभावकों के पास रहने के लिए पदस्थापनागत बदलाव द्वारा अपने पसंदीदा अंचलों में जाने का है। ये कल्याणकारी अवसर, खासकर कैंटीन सब्सिडी, शिक्षा, विकित्सा एवं अस्पताल भर्ती आदि के साथ मासिक स्वास्थ्य बुलेटिन है जिससे प्राप्त जानकारी कार्य-जीवन के संतुलन में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त बैंक अपने कर्मचारी सदस्यों के साथ स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, बैंक का स्थापना दिवस मिलाकर मनाता है।

#### **कार्यपरक वातावरण:**

हालांकि बैंक अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित, स्वच्छ, मानवीय दृष्टि से गरिमापूर्ण कार्यस्थल वातावरण प्रदान करता है, परंतु खासकर महिला अधिकारियों के लिए बैंक ने यौन उत्पीड़न निवारण समिति के साथ शिकायत निवारण प्रणाली भी गठित की है जिसके द्वारा इन मामलों से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाता है। ऐसे उपायों के चलते कर्मचारी बैंक में अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने में सुरक्षित महसूस करते हैं।

#### **कार्यदक्षता एवं स्पर्धात्मकता उन्नयन:**

प्रशिक्षण मानव संसाधनों के व्यवहार और दृष्टिकोण को समुचित रूप देने के अतिरिक्त उनको पर्याप्त कार्यपरक ज्ञान और दक्षता से लैस करने का एक साधन है। प्रशिक्षणगत जरूरत का आकलन कर तदनुसार सभी कर्मचारियों को बाह्य संस्थानों और बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों, दोनों ही में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। बैंक में कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक में एक

### **Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees**

One of the Vision of UCO Bank is to become a place of pride for its employee. With this vision Bank function and gives utmost importance to its staff members and their wellbeing.

#### **Principal of equality:**

During recruitment in Bank's service merit and competency is the core criteria for selection. All candidates are judged according to merit. In promotion process equal opportunities is being given to all applicants irrespective of caste, creed, gender, race, religion and disability, if any, as per GOI guidelines and laid down policy of the Bank.

#### **Employee Strength:**

As on 31st March, 2018, the total count of employees is 23,943 out of which 5731 are women employees and 498 are persons with disability. It is needless to mention that Bank does not engage child labour or any form of involuntary labour paid or unpaid. We adhere to the Government guidelines issued from time to time. There is liberty to all employees to be a member of any union or not. However, most of the employees are member of some union.

#### **Employee Benefits and Work life balance :**

To enact the vision of the bank for its employee, bank runs several employee welfare schemes. It includes provident fund, gratuity, pension, medical benefits, concessionary interest rate advance, higher interest rate on deposits, holiday homes etc., are few to site. In this ordeal it includes both the welfare schemes of employee as well as their family members namely UCO Diamond jubilee Scholarship scheme and Prize Scheme. Besides this bank has a policy for option provided to lady officer for change of posting to their choice zones either to join their spouse in case of married officer or for joining their parents in case of unmarried officer. These welfare measures specially canteen subsidy, education, medical & hospitalization etc. supplemented by monthly health bulletin contribute in maintaining work life balance. Besides this Bank along with its staff members celebrate Independence Day, Republic Day, Bank's foundation Day together.

#### **Working Environment:**

Though Bank provides safe, hygienic, humane dignified work place environment to all its employee but specially for lady officers bank has established Sexual Harassment Redressal Committee as well as grievance redressal system for all who have made complain regarding these matters. These measures enable employees to feel safe and secure in discharging their responsibilities at Bank.

#### **Skill and competence upgradation :**

Training is a tool to equip the human resources with adequate job knowledge and skill besides shaping their behaviour and attitude. Training need is being assessed and accordingly all the employees are imparted with training at both external Institute and Bank's training centres. Bank has one Central Staff College situated at Kolkata Salt Lake and 7 Regional Training Centres at

सेंट्रल स्टाफ कॉलेज और चंडीगढ़, भोपाल, दुर्गापुर, जयपुर, चेन्नै, भुवनेश्वर एवं अहमदाबाद में 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। इनके अलावा, उभरती जरूरतों को पूरा करने या क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए स्थानिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। इससे कर्मचारियों को अपना ज्ञान अद्यतन करने और अपने कौशल का विकास करने का अवसर मिलता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 17521 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं।

**सिद्धांत 4: कारोबारों को चाहिए कि वे सभी हितधारकों, खासकर वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों के हितों का आदर करें और उन पर त्वरित प्रतिक्रिया दें।**

बैंक आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के साथ सुदृढ़ संबंध रखता है। इसके लिए वह अपने द्वारा पेश की गई सेवाओं में नवाचारिता बढ़ाते हुए उनको समझ-बूझकर निर्णय लेने के अवसर देता रहता है। विभिन्न स्तरों पर बैंक अपने हितधारकों, जैसे निवेशकों और हितधारकों, ग्राहकों और क्लाइएन्टों, कर्मचारियों, सरकार एवं नियामकों, समुदायों तथा एनजीओ के साथ निरंतर संपर्क रखता है। ग्राहक सेवा में उत्तमता हासिल करने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जैसे संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति, ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चौबीसों घंटे के कॉल सेंटरों की स्थापना, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा बैंक के उत्पादों से जुड़ी विशिष्टताओं के बारे में ग्राहकों को अवगत कराना। बैंक ने कर्मचारियों से संपर्क करने और उनके ज्ञान वर्धन के लिए पोर्टल बनाए हैं।

Chandigarh, Bhopal, Durgapur, Jaipur, Chennai, Bhubaneswar and Ahmedabad. Besides this, to meet emerging demands or region specific training, locational training is also carried out. This enables the employees to keep their knowledge updated as well as sharpen the skills. Total 17521 numbers of employees have been trained in Financial Year 2017-18.

**Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised**

Bank builds strong relationship with internal as well as external stakeholders by continuously engaging with them for making informed decisions in enhancing innovation in services offered. Bank at its various levels frequently engages with its stake holders viz Investors and Shareholders, Customers and Clients, Employees, Government and Regulators, Communities and NGOs. To achieve excellence in customer service, Bank has taken up measures like appointment of Relationship Managers, establishment of 24 x 7 Call centre to address any queries of the customers, conducting training programmes to employees and educating customers about various special features associated with the products of the Bank. Bank has developed portals to communicate with the employees and to enrich their knowledge.

**सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:**

<p>क्या कंपनी ने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का खाका तैयार किया है? हाँ। Has the company mapped its internal and external stakeholders?</p>	<p>हाँ / Yes</p>
<p>उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की है? हाँ। Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable &amp; marginalised stakeholders?</p>	<p>हाँ / Yes</p>
<p>क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों को अपने साथ लेकर चलने की कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें। Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>समाज के कमजोर वर्गों, जैसे छोटे एवं सीमांत किसानों, कारीगरों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, गैर-संस्थागत उधारदाताओं के कर्जदार संकटग्रस्त किसानों, विकलांगता युक्त व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों आदि की आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य से पहले शुरू की गई हैं, जिनमें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के सकल लक्ष्य के दायरे में ही ऐसे हितधारकों को ऋण का समुचित और बराबरी का हिस्सा उपलब्ध कराया जा रहा है। Several initiatives aiming at economic prosperity of the weaker sections of society viz small and marginal farmers, artisans, scheduled castes and scheduled tribes, distressed farmers indebted to non-institutional lenders, persons with disabilities, minorities etc., are taken through extending fair and equitable portion of credit to these stakeholders within the overall target of Priority Sector.</p>

**सिद्धांत 5 : कारोबार मानव अधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करें।**

बैंक मानवाधिकारों का सम्मान करता है और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के आत्म-गौरव का विधिवत आदर करता है। बैंक ने न्यायसंगत कार्यपद्धति संहिता अपनाई है जिसमें अच्छी एवं न्यायसंगत बैंकिंग कार्यपद्धतियाँ, सेवाओं और उत्पादों में पारदर्शिता जैसे पहलू शामिल हैं। बैंक की नियुक्ति नीति में बाल श्रम, बलात् श्रम की नियुक्ति/से काम लेने को अनुमति नहीं है। इसके अलावा बैंक में प्रधान कार्यालय स्तर पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निस्तार के लिए आंतरिक शिकायत समिति है। बैंक जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर किसी भी कर्मचारी या ग्राहक के साथ भेदभाव नहीं करता तथा इस मामले में सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करता है।

**Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights**

Bank respects human rights and acts without discrimination duly respecting the dignity of every individual. Bank adopted Fair Practice Code which covers the aspects like good & fair banking practices, transparency in services and products. The recruitment policy of Bank does not allow recruitment/engagement of Child labour, forced labour. Besides this, Bank has Internal Complaints Committee for Redressal of complaints on Sexual Harassment at Head Office level. Bank does not discriminate either staff or customer on the basis of caste, creed, gender or religion and strictly follows the Govt. Guidelines in this matter.

**सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:**

<p>कंपनी मानवाधिकार नीति में मात्र कंपनी शामिल है अथवा या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ?</p> <p>Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?</p>	<p>लागू नहीं। बैंक में कोई भी सहयोगी निकाय नहीं है।</p> <p>Not Applicable. Bank does not have any subsidiaries.</p>
<p>पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गई?</p> <p>How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?</p>	<p>शून्य / Nil</p>

**सिद्धांत 6 : कारोबार पर्यावरण का सम्मान, रक्षा करें और उसे बचाने के प्रयास करें।**

यूको बैंक अपनी न्यायसंगत एवं चेतना के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा करने हेतु हर तरह से कमियों को दूर करने का सतत प्रयास कर रहा है।

सभी जमाकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक चैनल यथा एटीएम, ई- बैंकिंग, आरटीजीएस/ एनईएफटी आदि का उपयोग करते हुए कागजरहित बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि प्रकृति एवं हरियाली का संरक्षण हो सके। ग्राहकों को ई-विवरण प्रदान किया जा रहा है एवं हितधारकों के साथ ई-पत्राचार को बढ़ावा दिया जा रहा है फलस्वरूप कागज के उपयोग में काफी कमी आई है।

जिन परियोजनाओं को पर्यावरण से संबंधित अनापत्तिपत्र प्राप्त करना वांछित है उन्हें वित्तपोषित करते समय बैंक ने उधारकर्ताओं को पर्यावरण की रक्षा करने को ध्यान में रखते हुए सभी मानदंडों का अनुपालन करने पर जोर डाला। पुनः परियोजना जो टिकाऊविकास के स्तर में पर्यावरण के लिए चिंता दिखाती है उन्हें रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने , अपशिष्ट न्यूनीकरण करने एवं प्रदूषण संरक्षण करने पर जोर डाला गया।

बैंक कार्बन के उत्सर्जन और विकिरण से बचने के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों में एयर कंडिशन मशिनों में इको फ्रेंडली रेफ्रिजेंट गैस , ग्रीन जेनेरेटर, सीएफएल लाइट का उपयोग करते हुए आंतरिक स्तर से भी पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है। बैंक जिन शाखाओं में बार-बार बिजली कटती रहती है वहां सौर उर्जा का उपयोग किया जा रहा है। बैंक के कुछ फिक्सचरों में अनुपयोगी लकड़ी के उत्पादों से बने पार्टिकल बोर्ड / पुनर्नवीनीकरण एमडीएफ जैसे उत्पाद इस्तेमाल किए गए। बैंक के सभी नए उपक्रमों में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए बारिश के पानी का संग्रहण किया गया।

**Principle 6: Businesses should respect ,protect and make efforts to restore the environment**

UCO Bank, with due consideration and consciousness towards protecting the environment, is striving for the use of reducing the waste in all fronts.

All depositors are encouraged to do paperless transactions by using electronic channels such as ATM, E-banking, RTGS/NEFT etc. which greatly reduce the use of paper thereby conserving the nature and greenery. The customers are provided with e-statement and efforts are being made for maximising the use of e-correspondence with all stakeholders thus minimising the use of paper.

While financing those projects which require environmental clearances, bank insists compliance, by borrowers, of all related stipulations in order to protect the environment. Further, the projects that show concern for environment in the form of sustainable development, use of renewable natural resources, waste minimisation and pollution prevention are encouraged.

Bank also involves in the preservation of environment internally by using eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, green generators, CFL lights in several of its offices to avoid carbon emissions and radiation. Bank is also exploring the use of solar energy for branches where power failures take place very frequently. Recycled MDF/Particle Boards made of discarded wooden particles are used for the use of bank's furniture at some locations. In all the new ventures of Bank, rain water harvesting is being undertaken to preserve the ground water level.

**सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:**

सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में मात्र कंपनी शामिल है अथवा या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ? Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others.	लागू नहीं। बैंक में कोई भी सहयोगी निकाय नहीं है। Not Applicable. Bank does not have any subsidiaries.
क्या कंपनी में पर्यावरणीय बदलाव, वैश्विक ताप आदि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने के लिए नीतियाँ/पहल हैं ? Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc?	उत्तर उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और पकड़ करती है ? Does the company identify and assess potential environmental risks?	उत्तर उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है। As explained above under Principle 6.
क्या कंपनी में स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है ? कोई नहीं Does the company have any project related to Clean Development Mechanism ?	कोई नहीं / None.
क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कार्यक्षमता, अक्षय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई पहल की है ? Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.	लागू नहीं / Not Applicable.
रिपोर्टेड वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा उत्पन्न निकासी पदार्थ/कचरा सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा प्रदत्त अनुमत सीमाओं के अंदर हैं ? Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported ?	लागू नहीं / Not Applicable.
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/वैध नोटिसों की संख्या जो लंबित (यानी जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ) हैं ? Number of show cause/legal notices received from Central pollution control Board/State Pollution Control Board which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	शून्य / Nil

**सिद्धांत 7: सार्वजनिक नियामक नीतियों को प्रभावित करने में कारोबारों को जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए।**

बैंक नियामक नीति के कार्यकारी ढाँचे के भीतर अपने उत्पादों और सेवाओं का स्वरूप निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक विकास की ओर उन्मुख करना है। बैंक के निदेशक मंडल ने अपने प्रचार एवं जनसंपर्क संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रचार नीति निर्मित की है। इसमें राष्ट्र के जन-जन के बीच बैंक के उत्पादों, सेवाओं और पहलों आदि को लोकप्रिय बनाने के दिशानिर्देश निहित हैं।

**Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner**

Bank designs its products and services within the frame work of the regulatory policy and with the objective to bring in economic development of the country. The Board of the Bank has laid out a Publicity Policy for implementation of the Publicity & PR related activities. It contains the guidelines for popularising the Bank's Products, Services and Initiatives etc among masses across the Nation.

**सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:**

<p>क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर अथवा संघ की सदस्य है ? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख संगठनों का नाम बताएँ जिनसे आपका कारोबारी व्यवहार होता है :</p> <p>Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with :</p>	<p>बैंक भारतीय बैंक संघ का सदस्य है। Bank is a member of Indian Banks' Association.</p>
<p>क्या आपने जनहित की बढ़ोतरी या सुधार के लिए उक्त संगठनों के साथ हिमायत की है/उनके दल में शामिल हुए हैं ?</p> <p>Have you advocated / lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good?</p>	<p>बैंक ऐसे संगठनों के साथ नज़दीक से जुड़कर काम करता है तथा आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ निर्मित करने में नीतिनिर्धारकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। Bank closely works with these associations and gives vital inputs for the policy makers in evolving economic and financial strategies.</p>

**सिद्धांत 8 : कारोबार समावेशी उन्नति और एकसमान विकास का समर्थन करें।**

बैंक ने व्यापक रूप से वंचित वर्गों को संरचनायुक्त बैंकिंग प्रणाली की छत्रछाया में लाने के उद्देश्य से अपना योगदान दिया है। इसके पीछे लक्ष्य यह रहा है कि अब तक अर्थजगत की मुख्यधारा से कटे हुए लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ावा दिया जाए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की ऋण संबंधी जरूरतों को सम्मुख लाया जाए। बैंक ने भारत सरकार द्वारा अभियान की शक्ल में चलाई जा रही वित्तीय समावेशन परियोजना “प्रधानमंत्री जन धन योजना” में अब तक 66.39 लाख खाते खोल दिए हैं और इन खातों में ₹ 1698.70 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है।

बैंक ने बीमा और पेंशन योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के सफल कार्यान्वयन के जरिए देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की भारत सरकार की पहल में हिस्सा लिया है। पीएमजेबीवाई योजना के तहत लगभग 6.72 लाख अभिदाताओं का और पीएमएसबीवाई योजना के तहत लगभग 12.5 लाख अभिदाताओं का बीमा किया गया है। वर्ष के दौरान अटल पेंशन योजना के कुल अभिदाताओं का आंकड़ा 1,17,152 की संख्या पार कर चुका है।

बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में हिस्सा लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग को किफायती मकान दिलवाने के लिए उन तक केंद्र द्वारा दी रही सहायता पहुँचाई है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पात्र उधारकर्ताओं को ₹ 1500 लाख की सहायता दी जा रही है तथा ईएमआई और मूलभूत ऋण रकम को कम रखने के लिए पहले से ही ब्याज दर में प्रतिवर्ष 6.5% की रियायत दी जा रही है। हमारे बैंक ने 305 हितधारकों को मार्च, 2018 तक ₹1500 लाख तक की सहायता दे दी थी।

**कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में बैंक ने अनेक कार्यक्रम/पहल कार्यान्वित किए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

क) सात राज्यों, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में बैंक द्वारा सत्ताईस ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान गठित किए गए हैं जिनका उद्देश्य समर्पित आधार-संरचना के साथ ग्रामीण युवावर्ग को प्रशिक्षित करना और उनका दक्षता उन्नयन करना है। बैंक द्वारा ये संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई

**Principle 8 :Businesses should support inclusive growth and equitable development**

Bank contributed largely to the objective of bringing the excluded masses under the umbrella of structured banking system with an aim to inculcate saving habit among the people who are so far excluded from the economic mainstream and to cater to the credit needs of people below the poverty line. Bank has so far opened more than 66.39 lakh accounts under the Government of India's mission mode financial inclusion project "Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna" and mobilized Rs.1698.70 Crore in these accounts.

Bank took part in the initiative of Government of India in providing social security to the people of the country through successful implementation of insurance and pension schemes like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY). Under PMJJBY scheme, around 6.72 lakh subscribers are insured whereas under PMSBY scheme more than 12.5 lakh lives are insured. Total subscribers under Atal Pension yojna crossed 1,17,152 during the year.

Bank took part in the Pradhan Mantri Awas Yojana launched by Government of India to extend central assistance for economically weaker section and low income group for acquiring affordable houses. Bank has signed memorandum of understanding with National Housing Bank for implementation of this scheme. Assistance of ₹1500 lakh is being extended to the eligible borrowers and concession in interest rate @6.5% per annum is being provided upfront to reduce EMI and principal loan amount. The Bank assisted to 305 beneficiaries to the tune of Rs.1500 lakh upto March, 2018.

**Corporate Social Responsibility**

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/initiatives are as under:

a) Twenty Seven Rural Self Employment Training Institutes with dedicated infrastructure are set up by the Bank in seven states namely Himachal Pradesh, Odisha, Assam, Bihar, Punjab, west Bengal and Rajasthan to impart training and skill upgradation for rural youth. These institutes are set up by

उस पहल के एक भाग के रूप में बनाए गए हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवावर्ग में उद्यमिता कौशल के विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना है। हमारी कुल 7 आरसेटी के माध्यम से 17900 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें से 7067 हिताधिकारियों को व्यवसाय करने हेतु ऋण उपलब्ध कराए गए।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आर सेटी के तहत कुल ₹8.67 करोड़ की राशि व्यय की गई।

- ख) बैंक ने यूको उत्थान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने एवं उनके सामाजिक स्तर को उपर उठाने के लिए बैंक के 19 अंचल कार्यालयों की 26 शाखाओं के अंतर्गत आनेवाले 31 गांवों को गोद लिया है।
- ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पहल के तहत बैंक ने ओडिशा के भद्रक एवं डेकानल जिला में पाँच – पाँच ब्लॉकों में कुल 10 ब्लॉकों में 10 सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) स्थापित किया है।
- घ) बैंक ने पूरे देश में कुल 34 वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना की है तथा वित्तीय साक्षरता केंद्रों के संचालन हेतु 28 वित्तीय साक्षरता काउंसलरों की नियुक्ति की है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय साक्षरता काउंसलरों ने कुल 4755 वित्तीय साक्षरता कैंप लगाए जिसमें 259706 प्रतिभागियों को वित्तीय रूप से जागरूकता किया गया।
- ङ) “सर्व शिक्षा एवं कोई भी बच्चा भूखमरी के कारण शिक्षा से वंचित न हो” भारत सरकार के इस आह्वान के समर्थन में बैंक ने जयपुर, राजस्थान में दो सरकारी स्कूलों में असहाय बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन उपलब्ध करा रहा है एवं स्कूलों में दोपहर का बना - बनाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु अनुकूलित वाहन प्रदान किया गया है। इस गतिविधि (अक्षयपात्र फाउंडेशन) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 10.36 लाख की राशि खर्च की गई।
- च) हाकी क्लब कुरुक्षेत्र, हरियाणा के सहयोग से एवं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भावना को बनाए रखने के लिए खेल-कूद को महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए हमारा बैंक महिला हॉकी टीम, हरियाणा को संवारने एवं उनके पोषण के लिए आवास, प्रशिक्षण, पोषाहार, यात्रा, सेमिनार, दोस्ताना मैचों, कैंप्स, विशेषज्ञों के दौरे, हॉकी के डंडों, खेलने के सामान एवं जूतों आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में मौजूद प्रतिभावों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कोचों द्वारा सबसे अच्छे एथलेटिक शिक्षा एवं नवीनतम कोचिंग कौशल प्रदान करते हुए उभारा जाए ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें।
- छ) प्लेटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में बैंक ने बाग बाजार, कोलकाता के झोपड़पट्टियों और दयनीय स्थिति में रहने वालों को 10 व्हील चेयर एवं 100 कंबल दान किया। बैंक ने कोलकाता गर्ल्स एकेडमी स्कूल, 6/1ए, स्विनहोई स्ट्रीट, बालीगंज, कोलकाता को दो एक्वागार्ड दान दिया।

the Bank as a part of initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training Institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth. All these 7 RSETIs imparted training to 17900 candidates. Out of this 7067 beneficiaries are provided credit support for their business activities.

Total amount spent against RSET2 was ₹8.67 crores during the FY 2017-18.

- b) Bank under UCO Utthan scheme has adopted 31 villages falling under 26 UCO Branches in 19 Zones of the Bank for upliftment of BPL families with financial & social intervention.
- c) Under the initiative of Reserve Bank of India, bank has set up 10 CFLs (Centres for Financial Literacy) in 10 Blocks, 5 each in Bhadrak and Dhenkanal district of Odisha. The Bank and NABARD bear the cost of operationalization of these CFLs in 40:60 ratio.
- d) Bank has 34 Financial Literacy Centres across the country and has recruited 28 Financial Literacy Counsellors for conducting Financial Literacy Camps. During Financial Year 2017-18, the Financial Literacy Counsellors have conducted 4755 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 259706 participants.
- e) In order to support the call of the Govt. Of India for "Education for all & No child should be deprived of education because of hunger". Bank has extended financial support for providing free of cost Mid-day Meal to under privileged children in 2 numbers of Govt. Schools in Jaipur, Rajasthan & a customised vehicle to deliver cooked food to the schools for providing Mid-Day Meals. An amount of ₹10.36 lack has been spent during the year 2017-18 under this activity. (Akshaypatra Foundation)
- f) In collaboration with Hockey Club Kurukshetra, Haryana & the sports being one of the mediums for National & International peace & harmony, Our Bank has undertaken the responsibility of grooming, nurturing & nourishing the Women's Hockey Team in Haryana by contributing financial support for accommodation, training, nutrition, travelling, seminars, organising friendly matches, camps, expert visits, hockey sticks playing kits & shoes. The sole aim of being churn out talents available in rural Haryana who can compete at international arena by providing them the Best Athletic education & latest coaching skills by the National & International coaches. An amount of ₹66 lakh was spent during the year 2017-18 under this activity.
- g) On the eve of Our Bank's Platinum Jubilee Celebrations, Bank has donated 10 nos of wheel chairs, 100 nos of Blankets to slum dwellers & destitute at Bagh Bazar, Kolkata. Bank donated two Aquaguards to Kolkata Girls'Academy School at 6/1A, Swinhoi Street, Ballygaunge, Kolkata.

**सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:**

सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में क्या कंपनी के पास विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/ परियोजनाएँ मौजूद हैं? यदि हाँ, तो विवरण दें। Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.	जैसा ऊपर बताया गया है। As explained above
क्या कार्यक्रम/परियोजनाएँ आंतरिक दल/स्वयं के आधार पर/बाहरी एनजीओ/ सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं? Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	जैसा ऊपर बताया गया है। As explained above
क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी आकलन किया है? Have you done any impact assessment of your initiative?	जैसा ऊपर बताया गया है। As explained above
सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – आईएनआर में राशि तथा कार्यान्वित की जानेवाली परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दें? What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken?	जैसा ऊपर बताया गया है। As explained above
क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा सामुदायिक विकास पहल को सफलता के साथ अपनाया गया है? Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community?	जैसा ऊपर बताया गया है। As explained above

**सिद्धांत 9: कारोबार अपनी जिम्मेदारी निभाने के तरीके से अपने ग्राहकों से जुड़े और मूल्ययुक्त सेवा प्रदान करें।**

ग्राहकों की नब्ज पहचानते हुए उनकी खुशी हासिल करना बैंक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। एतदर्थ बैंक ने हमारे उत्पादों, सेवाओं और हमारे वितरण माध्यमों पर ग्राहकों की राय पर बारीकी से ध्यान दिया है।

कार्यक्षेत्र में शाखा कर्मचारियों के सम्मुख मौजूद ग्राहक हमारी सेवाओं/ उत्पादों/वितरण माध्यमों पर अपनी प्रतिक्रिया और राय जाहिर करता है। ग्राहक हमारी वेबसाइट पर भी हमें प्रतिक्रिया देते हैं। हम इन प्रतिक्रियाओं का समेकन करके तत्काल सुधार के लिए दिए गए सुझावों को अमल में लाते हैं। इसके अलावा ग्राहक हमें पत्र लिखते हैं जो हमारे लिए उनकी नब्ज पहचानने का एक अच्छा स्रोत हैं। कॉल सेंटरों के माध्यम से होनेवाले बहुसंख्य ग्राहक संवाद भी ग्राहक संतुष्टि को जानने का हमारा बहुमूल्य स्रोत हैं। बैंक नियमित रूप से ग्राहक बैठकें भी आयोजित करता है।

जरूरत पड़ने पर संपर्क किए जाने हेतु बैंक के पास अपने ग्राहकों के लिए समर्पित एक ग्राहक सेवा कक्ष है। ग्राहकों हेतु बैंक के पास एक सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली है। समय पर और बेहतर तरीके से ग्राहक शिकायतों का निपटान करने के लिए बैंक का एक शिकायत प्रबंधन पोर्टल है जिससे जुड़े समर्पित लोगों की टीम अपने अथक प्रयासों से जल्द से जल्द ग्राहक शिकायतों का समाधान करने हेतु प्रयासरत रहती है।

**Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers in a responsible manner**

Achieving customer delight by understanding their pulse has been the prime objective of the bank. In achieving the same, bank has intently listened to what customers feel about our products, services and our channels.

At the field, the customer facing branch staffs provide the feedback regarding the customer's responses and opinions regarding our services/products/channels. Customers also provide us feedback on our bank's website. We compile these feedback and act on the suggestions for improvement immediately. Apart from these, the customers write to the Bank, which also provides a good source of learning their pulse. Our umpteen customer interactions through our call centres serve as rich source of learning regarding customer satisfaction. The bank also conducts regular customer meets.

The bank has a dedicated customer service cell to be available to customers, when they are in need. The bank has a robust grievance redressal mechanism for customers. To facilitate timely and efficient disposal of customer complaints, the bank has a complaint management portal which has dedicated team of people who are expediting complaint resolution through their dedicated efforts.



**सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :/ Response to principle-wise performance:**

<p>वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का क्या प्रतिशत है? What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राहक शिकायतों की मात्र 467 यानि 2.12% लंबित हैं। Only 467 i.e.2.12% of customer complaints are pending for FY 2017-18.</p>
<p>क्या स्थानीय विधि के अनुसार अनिवार्य सूचना के अलावा भी कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचनाएँ)? Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA/Remarks (additional information).</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p>
<p>क्या पिछले पाँच वर्षों में किसी जोखिमधारक द्वारा कंपनी के विरुद्ध अन्यायपूर्ण कारोबार रीतियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा-विरुद्ध व्यवहार का मामला दायर किया गया है जो मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित हो? यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्योरा दें। Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</p>	<p>लागू नहीं / Not Applicable</p>
<p>क्या आपकी कंपनी ने ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि प्रवृत्ति पर कोई कार्यकलाप किया है? Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?</p>	<p>बैंक ऑनलाइन ग्राहक प्रतिक्रिया पृष्ठ और प्रत्यक्ष बातचीत के जरिए निरंतर आधार पर ग्राहक संतुष्टि के बारे में प्रतिक्रिया लेता रहता है। Bank obtains feedback on continuous basis about customer's satisfaction through online customer feedback page and by direct interaction.</p>

## कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

### 1. बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन:

यूको बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कार्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

### 2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कार्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण अवशकताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

**2.1.** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त/नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेरधारक अपने में से दो निदेशकों का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

**2.2.0 दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

## REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

### 1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

### 2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

The Directors are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance, and management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

**2.1.** Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other directors are appointed/nominated under various sections viz., 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides, under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect two directors (other than the Central Government) from among themselves.

**2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2018:**

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं उनकी संख्या* No. of Committee of the Board of UCO Bank on which a member*	अन्य कंपनियों में निदेशक पद संभाल रहे हैं Directorship in other Companies	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर No. of Shares of UCO Bank held by the Director as on 31.03.2018
1.	श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer	02.11.2015	07	नेशनल इश्योरेंस कं. लि. National Insurance Co. Ltd.	100
2.	श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Mr. Charan Singh Executive Director	10.03.2015	10	-	-
3.	श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर कार्यपालक निदेशक Mr. G. Subramania Iyer Executive Director	01.02.2016	09		
4.	सुश्री सिंधु पिल्लई सरकार की नामिती निदेशक Ms. Sindhu Pillai Govt. Nominee Director	30.12.2015	09	युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि. United India Insurance Co. Ltd.	-
5.	डॉ. अरविंद शर्मा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक Dr. Arvind Sharma RBI Nominee Director	23.02.2015	04	-	-
6.	श्री अनिल शर्मा सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Mr. Anil Sharma Part time Non-Official Director under Chartered Accountant Category	30.07.2016	08	-	-
7.	डॉ. आशीष साहा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Dr. Asish Saha Part time Non-Official Director	27.12.2017	08	-	-
8.	श्री के राजिवान नायर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Mr. K Rajivan Nair Director under Shareholder Category	02.12.2017	08	-	100

\* बीएलसीएसी के अतिरिक्त /Other than BLCAC.

## 2.2.1 निदेशक मंडल में निरुक्त नए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:

### श्री के. रजिवान नायर

श्री के. रजिवान नायर, जन्म तारीख 01.09.1961, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं और जीवन बीमा सलाहकार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यकारी निदेशक का पद धारण किए हुए हैं। इन्हें यूको बैंक के निदेशक मंडल में 02.10.2017 को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों की धारा 9(3)(एच) के अनुसार शेरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और विपणन, वित्त, विधि, मानव संसाधन आदिके क्षेत्रों में इनके पास व्यापक अनुभव है।

### डॉ. आशिष साहा

डॉ. आशिष साहा, जन्म तिथि 08.10.1954, यूको बैंक के निदेशक मंडल में 27.12.2017 को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों की धारा 9 (3) (एच) के अनुसार अंशकालिक गैर-निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कोलकाता विश्वविद्यालयके बिजनेस मैनेजमेंट - फाइनेंस में मास्टर और कॉमर्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इन्होंने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), पूणे में दस वर्षों से अधिक समय के लिए निदेशक के तौर पर कार्य किया है। इनके पास बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और ये कई प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में श्री साहा एपएलएएमई विश्वविद्यालय, पूणे में बैंकिंग और वित्त के लिए संकाय के रूप में कार्यरत हैं।

## 2.2.1 Brief Profiles of the new directors appointed on the Board:

### Mr. K. Rajivan Nair

Born on 01.09.1961, Mr. K. Rajivan Nair is presently working with Life Insurance Corporation of India and is currently holding the post of Executive Director in Chief Life Insurance Advisor Department, Central Office, Mumbai. He was appointed on the Board of UCO bank on 02.12.2017 as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and has vast experience in the areas of marketing, finance, law, human resource.

### Dr. Asish Saha

Born on 08.10.1954, Dr. Asish Saha was appointed as Part-time Non-official Director on the Board of UCO Bank on 27.12.2017 u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. Ph. D in Commerce from University of Calcutta and Masters in Business Management - Finance, Mr. Saha has served as Director, National Institute of Bank Management (NIBM), Pune for over ten years. He has wide experience in the fields of banking and finance and has been associated with several renowned educational institutions and is currently a faculty for Banking and Finance at FLAME University, Pune.

## 2.2.2 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2018 : None

क्रम सं. Sl.No.	निदेशक का नाम Name of the Director	कार्यग्रहण करने की तारीख Date of Appointment	निदेशकों की समाप्ति की तारीख w.e.f. Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं, उनकी संख्या No. Committee(s) of the Board of UCO Bank on which a member
	-----	Not Applicable	-----	

## 2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 4 बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 10 बैठकें आयोजित की गईं :

26.04.2017	12.05.2017	19.07.2017	02.08.2017	12.09.2017
03.11.2017	11.12.2017	06.01.2018	09.02.2018	15.03.2018

## 3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की

## 2.3. Dates of Board Meetings:

During the period under review, 10 (ten) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 4 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

## 3. Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/ guidelines/ directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of

प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

### 3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंड 18 में निर्धारित न्यूनतम (तीन) निदेशकों की जगह 05 (पांच) निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं।

**3.1.1** एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

**3.1.2** वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में सनदी लेखाकार श्रेणी के अन्तर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, एवं शेयर धारक श्रेणी के अंतर्गत श्री के रजिबान नायर निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं। कार्यपालक निदेशक श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर समिति में आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेबी(सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंड 18 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में इस समिति की 6 बैठकें आयोजित की गईं।

**3.1.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान एसीबी की 6 बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं:

12.05.2017	19.07.2017	02.08.2017
12.09.2017	03.11.2017	08.02.2018

### 3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (झ), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में छः महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

references of such committees. Details of the various committees of the Board are as under:

### 3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with 5 (five) directors as against minimum of 3 (three) directors stipulated under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. All the Directors on the Committee are financial literates.

**3.1.1** The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/ audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

**3.1.2** The ACB, at present, comprises of Mr. Anil Sharma, Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category as its Chairman, and Mr. Charan Singh, Executive Director, Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director and Mr. K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members. Mr. G. Subramania Iyer, Executive Director is invitee of the ACB. During the period under review, 6 (Six) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Clause 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

**3.1.3** During the period under review, 6 (six) meetings of the ACB were held on following dates:

12.05.2017	19.07.2017	02.08.2017
12.09.2017	03.11.2017	08.02.2018

### 3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and two directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

**3.2.1** समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- i) अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बड़े खाते डालने के प्रस्ताव।
- ii) पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है।
- iii) कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव, और
- iv) निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर उसके पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

**3.2.2** वर्तमान में निदेशक मंडल की प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, डॉ. आशीष साहा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं श्री रजिवान नायर निदेशक शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत सदस्य के रूप में शामिल हैं।

**3.2.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 9 बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं : 12.05.2017 19.06.2017 19.07.2017 12.09.2017 03.11.2017 11.12.2017 06.01.2018 09.02.2018 16.03.2018

### **3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :**

**3.3.1** यह समिति (आरएमसीबी) बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती हैं जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आरिस्त देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

**3.3.2** वर्तमान में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह, श्री जे. सुब्रमणिया अय्यर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साहा, एवं शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत श्री रजिवान नायर निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

**3.3.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 2 बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं : 19.07.2017 एवं 11.12.2017.

### **3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :**

**3.4.1** शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों, यथा - धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का त्वरित निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया।

**3.2.1** The objectives of the MCB are to consider and approve -

- i) High value credit/loan, compromise and write-off proposals,
- ii) High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/hiring of premises,
- iii) Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations, and
- iv) Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

**3.2.2** The MCB, at present, comprises of Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Mr. K. Rajivan Nair, Director appointed under shareholder category as its members.

**3.2.3** During the period under review, 9 (nine) meetings of the MCB were held on the dates as follows: 12.05.2017 19.06.2017 19.07.2017 12.09.2017 03.11.2017 11.12.2017 06.01.2018 09.02.2018 16.03.2018

### **3.3 Risk Management Committee of the Board:**

**3.3.1** The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devises, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

**3.3.2** The RMCB, at present, comprises Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, and Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Mr. K. Rajivan Nair, Director under Shareholder Category as its members.

**3.3.3** During the period under review, 2 (two) meetings of the RMCB were held on the dates 19.07.2017 and 11.12.2017.

### **3.4. Stake Holders' Relationship Committee of the Board:**

**3.4.1** The Stake Holders' Relationship Committee of the Board is constituted under the Chairmanship of Non-executive Director for speedy redressal of complaints/ grievances of shareholders/investors, like, non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

**3.4.2** वर्तमान में शेयरधारक संबंध समिति में समिति के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

**3.4.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 1 बैठक दिनांक 11.12.2017 को आयोजित की गई थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण किया गया।

### **3.5 निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति:**

**3.5.1** यह समिति मूर्त रूप में धारित बैंक के शेयरों का अंतरण/प्रेषण/स्थानांतरण आदि अनुमोदित एवं प्रभावी करने तथा खो गए/गुम हो गए/चोरी हो गए मूल शेयर के बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने के प्रस्ताव/अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए गठित की गई है।

**3.5.2** वर्तमान में शेयर अंतरण समिति में बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जे. सुब्रमनिया अय्यर तथा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण श्री अनिल शर्मा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

**3.5.3** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 02 बैठकें दिनांक 02.08.2017 एवं 11.12.2017 को आयोजित की गईं।

### **3.6. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)**

**3.6.1** बोर्ड की पारिश्रमिक समिति कार्यनिष्पादन युक्त प्रोत्साहन राशि की हकदारी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

**3.6.2** भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समिति में (i) सरकार के नामित निदेशक (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक और (iii) दो अन्य निदेशक शामिल होंगे।

**3.6.3** समिति में सभी भारत सरकार के नामित निदेशक, सुश्री सिंधु पिल्लई, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, सीए श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक श्री अनिल शर्मा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक डॉ. आशीष साह शेयर धारक श्रेणी के अंतर्गत श्री के. राजिवान नायर, निदेशक शामिल है।

**3.6.4** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक दि. 06.01.2018 को आयोजित हुई थी।

### **3.7.0 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति (एसएमएलवीएफ)**

**3.7.1** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

**3.7.2** वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई एवं शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत श्री के. राजिवान नायर निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

**3.4.2** The Committee, at present, comprises of Mr. Anil Sharma, Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category as its Chairman, and Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors of the Bank, as its members.

**3.4.3** During the period under review, 1(one) meeting of the Committee was held on 11.12.2017. All the complaints received during the period under review were redressed.

### **3.5 Share Transfer Committee of the Board:**

**3.5.1** The Committee is constituted to approve and effect transfer/ transmission/ transposition etc. of Bank's shares held in physical form as also approval on the requests/ proposals for issuance of duplicate shares in lieu of originals lost/ misplaced/ stolen.

**3.5.2** The Committee, at present, comprises of Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors of the Bank, and Mr. Anil Sharma, Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category as its members.

**3.5.3** During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee were held on the dates 02.08.2017 and 11.12.2017.

### **3.6 Remuneration Committee of the Board (RCB):**

**3.6.1** The Remuneration Committee of the Board evaluates the performance of the Bank's whole time directors for the purpose of determining their entitlement to performance-linked incentives.

**3.6.2** As per Government of India guidelines, The committee shall consist of (i) Government Nominee Director, (ii) RBI Nominee Director, and (iii) two other Part-time Non-official directors.

**3.6.3** The Committee, at present, comprises of Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director, Mr. Anil Sharma, Part-time Non-Official Director under CA category, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Mr. K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category.

**3.6.4** During the period under review, 1(one) meeting of the Committee was held on 06.01.2018.

### **3.7 Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds:**

**3.7.1** In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Monitoring Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and following up frauds involving ₹1.00 crore and above. The Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

**3.7.2** At present, the Committee comprises of Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, and Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors, Ms. Sindhu Pillai, Govt. Nominee Director and Mr. K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

**3.7.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 3 (तीन) बैठकें दिनांक 11.08.2017, 03.11.2017 और 08.02.2018 को आयोजित की गईं।

### **3.8.0 निदेशक मंडल की नामांकन समिति :**

**3.8.1** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एवं सही स्थिति अवधारित करने के लिए 'समुचित सावधानी बरते जाने का कार्य करने हेतु निदेशक मंडल की नामांकन समिति का गठन किया गया।

**3.8.2** फिलहाल निदेशक मंडल की नामांकन समिति में सुश्री सिंधु पिल्लई, सरकार के नामिती निदेशक, श्री अनिल शर्मा, सीए श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, डॉ. आशीष साह, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

**3.8.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 1 बैठक 01.12.2017 को आयोजित की गई।

### **3.9. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)**

**3.9.1** निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

#### **3.9.2 समिति का उद्देश्य:**

- जनसेवा की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

**3.9.3** वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर, सरकार के नामिती निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

**3.9.4** समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 2 बैठकें क्रमशः दिनांक 12.09.2017 और 11.12.2017 को आयोजित की गईं।

### **3.10 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (बोर्ड की मानव संसाधन समिति)**

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

**3.7.3** During the period under review, 3 (three) meetings of the Committee were held on the dates 11.08.2017, 03.11.2017 and 08.02.2018.

### **3.8 Nomination Committee of the Board:**

**3.8.1** The Nomination Committee of the Board is constituted in compliance with the directives of Reserve Bank of India that undertakes the exercise of 'due diligence' for determining 'fit and proper' status of the existing elected directors/ persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

**3.8.2** At present, the Nomination Committee of the Board comprises of Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director, Mr. Anil Sharma, Part-time Non-Official Director under Chartered Accountant category, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Mr. K. Rajivan Nair, Shareholder Director as members of the Committee.

**3.8.3** During the period under review, 1(one) meeting of the Committee was held on 01.12.2017.

### **3.9 Customer Service Committee of the Board (CSCB):**

**3.9.1** In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

#### **3.9.2 Objectives of the Committee:**

- To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

**3.9.3** At present, the Committee comprises of Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors, Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director and Mr. K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

**3.9.4** During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee were held on the dates 12.09.2017 and 11.12.2017.

### **3.10 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):**

In the light of directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.



**3.10.1** वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री आर. के. टक्कर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं; कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर, सुश्री सिंधु पिल्लई सरकार के नामित निदेशक एवं डॉ. आशीष साहा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

### 3.10.2 समिति का उद्देश्य :

- स्टॉफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना
- पात्रता मानदंड, चयन की प्रकृति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना
- अधिकारियों एवं स्टाफ को पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना
- बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं
- शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना

उपर्युक्त मद सीधे बोर्ड से संबंधित है और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

### 3.11. निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति (आईटीएससीबी)

**3.11.1** प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु इस समिति का गठन किया गया है।

**3.11.2** वर्तमान में इस समिति में सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर समिति के अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अनिल शर्मा, निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई, डॉ. आशीष साह, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं शेरधारक श्रेणी के अंतर्गत श्री के. राजिवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

**3.11.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें दिनांक 19.07.2017, 03.11.2017, 09.02.2018 एवं 16.03.2018 को आयोजित की गईं।

### 3.12. एनपीए वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

**3.12.1** बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

**3.12.2** वर्तमान में इस समिति में, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर, सरकार द्वारा नामित निदेशक, सुश्री सिंधु पिल्लई सदस्य के रूप में शामिल हैं।

**3.10.1** At present, the Committee comprises of Mr. R.K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors, Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director and Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director as its members.

### 3.10.2 Objectives of the Committee:

- To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,
- To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,
- To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,
- To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and
- To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

### 3.11 IT Strategy Committee of the Board:

**3.11.1** The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

**3.11.2** At present, the Committee comprises of Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors, Mr. Anil Sharma, Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category, Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director and Mr. K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

**3.11.3** During the period under review 4 (four) meetings of the committee were held on the dates 19.07.2017, 03.11.2017, 09.02.2018 and 16.03.2018.

### 3.12 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

**3.12.1** In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

**3.12.2** At present, the Committee comprises of Mr. R. K. Takkar, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors of the Bank and Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director as its members.

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें 11.08.2017, 12.12.2017 एवं 08.02.2018 को आयोजित की गईं।

### 3.13.0 अपील मामलों के बोर्ड की निपटान समिति:

3.13.1 अनुशासन प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए यह समिति अपील मामलों के निपटान गठित की गई है।

3.13.2 वर्तमान में अपील मामलों के निपटान की समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अनिल शर्मा एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक डॉ. आशिष साहा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.13.3 पिछले वर्ष के दौरान समिति की 2 (दो) बैठकें 02.08.2017 एवं 01.12.2017 को आयोजित की गईं।

### 3.14 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.14.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करनेवाले) और इसके अतिरिक्त इसमें बैंक के दो स्वतंत्र निदेशक/गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं जो जान-बूझकर चूक करनेवाला घोषित करने हेतु जान-बूझकर चूक करने वाले की पहचान करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों को सुनिश्चित करते हैं।

3.14.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री आर.के. टक्कर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी जी हैं एवं सुश्री सिंधु पिल्लई, सरकार के नामित निदेशक, श्री अनिल शर्मा, सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं डॉ. आशिष साहा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.14.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की तिन (3) बैठकें क्रमशः 26.04.2017, 02.08.2017 एवं 06.01.2018 को आयोजित की गईं।

3.12.3 During the period under review, 3 (three) meetings of the Committee were held on dates 11.08.2017, 12.12.2017 and 08.02.2018.

### 3.13 Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases:

3.13.1 The Committee for Disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of disciplinary authority.

3.13.2 At present, the Committee comprises of Ms. Sindhu Pillai, Govt nominee Director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director, Mr. Anil Sharma, Part-time Non-official Director under Chartered Accountant Category and Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director as its members.

3.13.3 During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee were held on the dates 02.08.2017 and 01.12.2017.

### 3.14 Review Committee (Wilful Defaulters):

3.14.1 The Review Committee (Wilful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer and consisting in addition, two independent directors/non-executive directors of the Bank confirms the order of the ED-headed Committee for Identification of Wilful Defaulters for declaration of wilful defaulters.

3.14.2 At present, the Committee comprises of Mr. R.K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, and Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director, Mr. Anil Sharma, Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category and Dr. Asish Saha, Part-time Non-official Director as its members.

3.14.3 During the period under review, 3 (three) meetings of the Committee were held on the dates 26.04.2017, 02.08.2017 and 06.01.2018.

4 निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों के सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा :

4 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी (मानव मामले संसाधन समिति) HR related issues of the Bank (HR Committee)	
	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended
श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Mr. R. K. Takkar, MD & CEO	10	10	09	09	02	02	02	02	0	0
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Mr. Charan Singh, ED	10	10	09	09	02	02	02	02	0	0
जी. एस. अय्यर कार्यपालक निदेशक Mr. G. S. Iyer, ED	10	10	09	09	02	02	02	02	0	0
सुश्री सिंधु पिल्लई, निदेशक Ms. Sindhu Pillai, Director	10	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0	0	02	02	0	0
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma, Director	10	10	09	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक Mr. Anil Sharma, Director	10	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. आशिष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha, Director	03	03	02	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0	0	0	0
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Mr. K. Rajivan Nair, Director	04	04	03	02	0	0	0	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

निदेशक का नाम Name of Director	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल की समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कर्पों की निगरानी हेतु विशेष समिति Special Committee for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की आईटी कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंधी समिति Stake holders' Relationship Committee of the Board	
	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित* Attended
श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Mr. R. K. Takkar, MD & CEO	03	03	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक Mr. Charan Singh, Executive Director	03	03	03	03	06	06	04	04	01	01
जी. एस. अय्यर कार्यपालक निदेशक Mr. G. S. Iyer, Executive Director	03	03	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	01	01
सुश्री सिंधु पिल्लई, निदेशक Ms. Sindhu Pillai, Director	03	03	03	03	06	06	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक Mr. Anil Sharma, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	06	05	04	03	01	01
डॉ. आशिष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Mr. K. Rajivan Nair, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	01	01	02	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee of the Board		निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन समिति Nomination Committee of the Board		निदेशक मंडल की अपिल मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Mr. R. K. Takkar, MD & CEO	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं 03	लागू नहीं 03
श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक Mr. Charan Singh, Executive Director	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
जी. एस. अय्यर कार्यपालक निदेशक Mr. G. S. Iyer, Executive Director	02	02	NA	NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
सुश्री सिंधु पिल्लई, निदेशक Ms. Sindhu Pillai, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	0	01	01	02	02	03	02
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	01	01	02	02	NA	NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक Mr. Anil Sharma, Director	02	02	01	01	01	01	02	02	03	03
डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	0	0	0	0	01	01
श्री के राजीवन नायर, निदेशक Mr. K. Rajivan Nair, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	0	0	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

**नोट/Notes:**

- \*निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें / No. of meetings held during the tenure of the Director
- लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member

**4.0 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :**

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के बारे में इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	20 मार्च, 2015 20 <sup>th</sup> March, 2015	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
12वीं वार्षिक आम बैठक 12 <sup>th</sup> Annual General Meeting	29 जून, 2015 29 <sup>th</sup> June, 2015	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	7 मई, 2016 7 <sup>th</sup> May, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
13वीं वार्षिक आम बैठक 13 <sup>th</sup> Annual General Meeting	29 जून, 2016 29 <sup>th</sup> June, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	मिनि ऑडिटोरियम, साइंस सिटी हॉल, जे.बी.एस. हैल्डेन एवेन्यू, कोलकाता - 700 046 Mini Auditorium, Science City Hall, J.B.S Haldane Avenue, Kolkata - 700046
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	17 सितंबर, 2016 17 <sup>th</sup> September, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	5 नवंबर, 2016 5 <sup>th</sup> November, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
14वीं वार्षिक आम बैठक 14 <sup>th</sup> Annual General Meeting	28 जून, 2017 28 <sup>th</sup> June, 2017	10.30 बजे 10.30 A.M.	इस्टर्न जोनल कल्चर सेंटर (ईजेडसीसी), आई बी 201, सेक्टर III, Iए ब्लॉक, साल्टलेक, कोलकाता - 700 006  Eastern Zonal Cultural Centre (EZCC), IB 201, Sector III, IA Block, Salt Lake, Kolkata - 700 006

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए दिनांक 26.10.2017 को शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक की नोटिस जारी की गई थी। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में नामांकन दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख तक बैंक को केवल एक नामांकन श्री के.राजीवन नायर का प्राप्त हुआ। चूंकि बैंक को केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ, अतः यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियम 66 (1) के तहत श्री राजीवन नायर को निदेशक के रूप में चुना गया। दिनांक 12 दिसंबर, 2017 को निर्धारित असाधारण आम बैठक को निरस्त कर दिया गया क्योंकि उक्त बैठक में चर्चा के लिए और कोई एजेंडा नहीं था।

A notice of Extraordinary General Meeting was issued to the shareholders on 26.10.2017 for election of one shareholder director from amongst the shareholders other than Central Government under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In response to the notice, Bank has received only one nomination from Shri K. Rajivan Nair before last date fixed for filing nomination. Since Bank has received only one valid nomination, Shri Rajivan Nair is deemed to have been elected as director pursuant to Regulations 66(1) of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003. Extraordinary General Meeting scheduled on 12th December, 2017 stand cancelled since there is no other agenda to be transacted at the meeting.

#### 4.1.1 पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 28 जून, 2017 को इस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर (ईजेडसीसी), आईबी 201, सेक्टर III, Iए ब्लॉक, साल्टलेक, कोलकाता- 700 006 में संपन्न हुई थी। श्री आर. के. टक्कर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक, श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर, कार्यपालक निदेशक एवं श्री अनिल शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष बैठक में उपस्थित थे।

#### 4.1.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- i) दिनांक 20 मार्च, 2015 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सेबी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(4) के अनुसार ₹70.21 प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर 6,08,82,550 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।
- ii) दिनांक 07 मई, 2016 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, सेबीआईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ₹41.47 प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर 22,54,64,190 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।
- iii) दिनांक 17 सितंबर 2016 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमानी आधार पर भारत सरकार को सेबीआईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 41.45 प्रति शेयर निर्गममूल्य पर 18,69,72,255 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।
- iv) दिनांक 05 नवम्बर 2016 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सेबीआईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(4) के अनुसार ₹37.74 प्रति शेयर निर्गममूल्य पर 7,17,00,000 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।

शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक दिनांक 28 जून, 2017 को संपन्न हुई जिसमें तीन विशेष संकल्प पारित किए गए जिसके माध्यम से शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन किए गए i) पब्लिक ऑफर / अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन और / या अन्य पूंजी उगाही विकल्प के माध्य से प्रत्येक ₹10/- के 70,00,00,000 इक्विटी शेयरों के निर्गम, ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अंतर्गत कर्मचारी को निर्गम 5,00,00,000 इक्विटी शेयर, iii) भारत सरकार को उनके ₹1150/- करोड़ के पूंजी अंशदान के एवज में अधिमानी आधार पर प्रत्येक ₹37.44 इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर 30,71,58,119 (तीस करोड़ एकहत्तर लाख अठावन हजार एक सौ उन्नीस) तक इक्विटी शेयर जारी करना।

#### 4.1.1. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting :

The last Annual General Meeting was held on 28th June, 2017 at Eastern Zonal Cultural Centre (EZCC), IB 201, Sector III, IA Block, Salt Lake, Kolkata - 700 006. Shri R.K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Charan Singh, Executive Director, Shri G. Subramania Iyer, Executive Director and Shri Anil Sharma, Part-time non official Director and Chairman of Audit Committee of the Board, attended the meeting.

#### 4.1.2. Special Resolutions passed during last three years

- i) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 20th March, 2015 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 6,08,82,550 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis at an issue price of ₹70.21 per share determined in accordance with Regulations 76 (4) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- ii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 7th May, 2016 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 22,54,64,190 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹41.47 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulation 2009.
- iii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 17th September, 2016 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 18,69,72,255 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹41.45 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDE Regulations 2009.
- iv) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 5th November, 2016 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 7,17,00,000 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis at an issue price of ₹37.74 per share determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulation 2009.

In the Annual General Meeting of the shareholders held on 28th June, 2017, three special resolutions have been passed through which the following approvals have been accorded by the shareholders for i) Issue of 70,00,00,000 equity shares of ₹10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options, ii) issue of 5,00,00,000 equity shares to employees under Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, iii) issue of upto 30,71,58,119 (Thirty Crore Seventy one lakh Fifty Eight thousand One hundred Nineteen) equity shares to Government of India at an issue price of ₹37.44 per equity share on preferential basis against their capital contribution of ₹1150 crores.

#### 4.1.3 डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारित

हमारे बैंक के शेयरधारकों ने दिनांक 12.02.2018 को डाक मतपत्र हेतु जारी नोटिस में यथानिहित निम्नलिखित संकल्पों को अनुमोदित किया। (i) सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार जारी मूल्य के निर्धारण के अधीन कुल ₹ 1,375/- करोड़ नकदी हेतु अधिमाम्य आधार पर भारत सरकार को प्रत्येक ₹ 10/- (दस रुपये मात्र) के अंकित मूल्य पर ऐसे इक्विटी शेयरों को जारी करना, (ii) सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार जारी मूल्य के निर्धारण के अधीन कुल ₹ 5,132/- करोड़ नकदी हेतु अधिमाम्य आधार पर भारत सरकार को प्रत्येक ₹ 10/- (दस रुपये मात्र) के अंकित मूल्य पर ऐसे इक्विटी शेयरों को जारी करना। सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार जारी मूल्य ₹ 31.16 प्रति शेयर निर्धारित किया गया। मतदान परिणाम निम्न प्रकार हैं :

विवरण Particulars	शामिल मतों की संख्या / Number of Votes Contained in			प्रतिशत % Percentage (%)
	रिमोट ई-वोभिग Remote e-voting	डाक मतपत्र फार्म Postal Ballot Forms	कूल Total	
सहमति/Assent	207889230	1503044778	1710934008	99.999
असहमति/Dissent	11079	2828	13907	0.001
कूल/Total	207900309	1503047606	1710947915	100.00

चूंकि कुल वैध वोटों में से 99.999% वोट संकल्प के पक्ष में रहा, अतः उपर्युक्त संकल्प भारी मतों से पारित हो गया।

डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित करने हेतु मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रह्मनियन एण्ड के., कंपनी सचिव, को नियुक्त किया गया था। बैंक ने अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्वाी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड को नियुक्त किया था।

बैंक ने कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 20 एवं नियम 22 के अनुसार उपर्युक्त डाक मत्र संचालित किया।

#### 5.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

#### 4.1.3. Resolution passed through Postal Ballot

The shareholders of our Bank approved special resolution as contained in notice of postal ballot dated 12.02.2018 for issue of (i) Such number of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis for cash at an issue price to be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to ₹1,375 Crore; (ii) Such number of equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) to Government of India on preferential basis for cash at an issue price to be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to ₹ 5,132 Crore. The issue price determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009 was ₹31.16 per share. The voting results are as under:

Since out of total valid votes polled, 99.999% of the votes were in favour of the resolution, the above resolution was passed with overwhelming majority.

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, was appointed as Scrutinizers for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. Bank had engaged Karvy Computershare Private Limited as the agency to provide remote e-voting facility to its Shareholders.

Bank has conducted above postal ballot in accordance with rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) rules, 2014, as amended.

#### 5.0. Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In terms of SEBI directives, the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 will apply for Listed Public Sector Banks, only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

### 5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय "उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि" के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नांकित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है :

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 20,000/-

समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 10,000/-

### 5.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

### 5.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने सार्वजनिक/अधिकार निर्गम के रूप में इक्विटी शेयर नहीं जारी किए।

5.4 बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित मसौदे के अनुसार निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता तैयार की है। उसका पाठ बैंक की वेबसाइट [www.ucobank.com](http://www.ucobank.com) पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

वर्ष के दौरान पूंजी बाजार लेनदेन संबंधी किसी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

5.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2018 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत <https://www.ucobank.com/about us /Policies and Guidelines/Related Party Transaction Policy> पर दी गई है।

### 5.1. Remuneration of Directors :

Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting : ₹ 20,000/- per sitting

For Committee Meeting : ₹ 10,000/- per sitting

### 5.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

### 5.3. Proceeds from Public Issues etc.

During the financial year ended on 31st March, 2018, the Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue.

5.4. The Bank has formulated a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management on the lines of draft circulated by Indian Bank's Association. The text of the same is available on the website of the Bank [www.ucobank.com/aboutus/Policies](http://www.ucobank.com/aboutus/Policies). All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the period under review.

During the year, there is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets transactions.

5.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2018. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under <https://www.ucobank.com/about us /Policies/Related Party Transaction Policy>.



## 6.0 अनिवार्य/गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन :

स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का बैंक ने अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है :

## 6.0. Compliance to Mandatory/Non-Mandatory Requirements :

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under :

अपेक्षा / Requirement	अनुपालन / Compliance
<p>बैंक को अपने और शेयरधारकों की ओर से संदर्भ की सहमत शर्तों सहित कार्यपालक निदेशकों को विशेष रिम्युनेशन पैकेज एवं पेंशन अधिकार तथा अन्य क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में निर्धारण हेतु रिम्युनेशन समिति गठित करके बैंक की नीति बनानी चाहिए।</p> <p>The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.</p> <p>व्हिसल ब्लोअर नीति : अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध कपट या बैंक की आचार संहिता अथवा आचार नीति के उल्लंघन के संबंध में प्रबंधन की चिंताओं को दूर करने तथा कर्मचारियों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बैंक एक प्रणाली विकसित कर सकता है।</p> <p><b>Whistle Blower Policy :</b> The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees.</p>	<p>भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिम्युनेशन पैकेज निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल ने रिम्युनेशन समिति गठित की है।</p> <p>Remuneration Committee of the Board has been formed to determine the remuneration package in terms of the Government of India guidelines.</p> <p>बैंक ने एक व्हिस्टल ब्लोअर पॉलिसी को जगह दी है। लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने में किसी भी कर्मिक को रोका नहीं गया है।</p> <p>The Bank has put in place a Whistle Blower policy. No personnel has been denied access to the Audit Committee.</p>

## 7.0 संचार के साधन:

7.1 बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट ([www.ucobank.com](http://www.ucobank.com)) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य सचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2017, 30.09.2017 एवं 31.12.2017 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक स्तर पर परिचालित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए।

## 8.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

### 8.1.0 शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :

चूंकि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले बैंक की कुल ईक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थी, अतः 2002-03 तक कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद बैंक संविधि में यथाविहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवर्ष शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित कर रहा है। शेयरधारकों की पिछली तीन आम बैठकों के विस्तृत विवरण मद सं. 4.0 के अंतर्गत दिए गए हैं।

## 7.0. Means of Communication :

7.1. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website ([www.ucobank.com](http://www.ucobank.com)). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

7.2. As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2017, 30.09.2017 & 31.12.2017 were published within the prescribed time limit in widely circulated dailies.

## 8.0. General Shareholders Information:

### 8.1.0. Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders :

Before the Initial Public Offer, as the entire Equity Capital of the Bank was held by the Govt. of India, no Annual General Meeting was held till 2002-03. Subsequent to IPO, the Bank has been holding Annual General Meetings of the shareholders every year, as prescribed in the statute and within the stipulated time limit. The details of last three general meetings of the shareholders have been indicated under point no.4.0

### 8.2.0 स्टाक एक्सचेंजों की सूचीकरण :

बैंक के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

### 8.2.0. Listing on Stock Exchanges:


The equity shares of the Bank are listed on the following stock exchanges:

क्रम सं. Sl.No.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम Name of the Stock Exchanges	स्टॉक कूट Stock Code	सूचीबद्ध किए जाने की तारीख Date of listing
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. National Stock Exchange of India Limited	यूको बैंक UCOBANK	09.10.2003
2.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. Bombay Stock Exchange Limited	532505	09.10.2003


### 8.3.0 बैंक के शेयर के बाजार-मूल्य आंकड़े/मूल्य की स्थिति :

### 8.3.0 Market price data/price performance of Bank's share:

#### निफ्टी की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव/MOVEMENT OF SHARE PRICE vs. NIFTY



#### बैंक के शेयर की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव/MOVEMENT OF SHARE PRICE vs. BANKEX



बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 09.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान द नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टाक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2017-18 were as follows :

माह Month	बंबई स्टॉक एक्सचेंज/B.S.E				नेशनल स्टॉक एक्सचेंज/N.S.E			
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	Close	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	Close
अप्रैल/Apr-17	41.95	36.00	41.45	20.85	42.00	36.20	41.45	113.79
मई/May-17	44.80	33.10	34.80	27.53	44.75	33.00	34.80	155.12
जून/Jun-17	37.40	33.00	33.45	7.88	37.50	33.10	33.35	47.42
जुलाई/Jul-17	35.85	29.00	33.20	5.91	35.10	32.95	33.10	32.22
अगस्त/Aug-17	34.15	28.50	30.85	5.67	34.65	28.80	30.95	34.96
सितंबर/Sep-17	33.25	29.50	29.90	4.28	33.30	29.70	29.90	45.47
अक्टूबर/Oct-17	37.45	29.00	32.50	14.80	37.40	29.10	32.40	98.71
नवंबर/Nov-17	38.40	31.00	31.95	10.24	38.40	31.00	31.70	74.39
दिसंबर/Dec-17	32.00	29.05	29.80	3.45	32.00	29.05	29.30	28.77
जनवरी/Jan-18	36.75	30.10	31.50	15.44	36.65	29.70	31.50	126.01
फरवरी/Feb-18	32.00	25.20	26.00	7.32	31.80	25.00	25.95	52.26
मार्च/Mar-18	26.10	19.40	21.60	3.72	26.00	21.00	21.60	35.03

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।  
The Listing Fees have already been paid to the respective Stock Exchanges.

#### 8.4.0. प्रति शेयर आंकड़ा/Per Share Data

मानदंड/Parameter	31.03.2017	31.03.2018
अंकित मूल्य / Face Value (₹)	10/-	10/-
बाजार भाव / Market Quotation (₹)	36.15 (एनएसई में /at NSE)	21.60 (एनएसई में/at NSE)

#### 8.5.0 शेयरों का अमूर्तीकरण

8.5.1 बैंक के ईक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीएसडीएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण एनएसडीएल या फिर सीएसडीएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए01018 है।

प्रतिभूतियों के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क (2017-2018) का भुगतान निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को किया जा चुका है।

8.5.2 दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा मूर्त एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का विवरण:

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	452537338	19.60
एनएसडीएल/NSDL	318934983	13.82
सीडीएसएल/CDSL	1536684815	66.58
<b>योग/Total</b>	<b>2308157136</b>	<b>100.00</b>

8.5.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी.पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं, यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता, आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली, के.जी. रोड शाखा, बेंगलूर, चेन्नै (मुख्य) शाखा, तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें।

#### 8.5.0. Dematerialisation of the Shares

8.5.1. The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

The Annual Custodial Fees (2017-18) for the securities have been paid to NSDL and CDSL.

8.5.2. Particulars of share in physical form & Demat held by Shareholders as on 31st March, 2018.

8.5.3. The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

8.5.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

8.5.4. The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

#### 8.6.0 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

#### 8.6.0. Corporate Benefits/Dividend History

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2009-10	1.50
2004-05	1.00	2010-11	3.00
2005-06	-	2011-12	3.00
2006-07	1.00	2012-13	1.60
2007-08	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
2008-09	1.00	अंतिम/Final	1.00
		2014-15	2.00
		2015-16	NIL
		2016-17	NIL

#### 8.6.1 निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

#### 8.6.1. 8.6.1. Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 and 2009-10 to IEPF.

#### 8.7 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

#### 8.7. Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances :

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की सावधानी बरतता है कि शेयरों के अंतरण के लिए सभी वैध अनुरोधों का निपटान पूर्ण रूप से भरे फार्मों के जमा किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर विधिवत कर दिया जाए। निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया है।

The Bank takes every care to ensure that all valid requests for Transfer of Shares are duly complied within the period of 15 days from the date of lodgement of the completed forms. The Board of Directors has constituted the Share Transfer Committee to consider Transfer/Transmission and requests for issuance of duplicate Shares.

8.8 बैंक द्वारा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। पते में परिवर्तन, अधिदेश में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण आदि से संबंधित सभी पत्राचार उनसे निम्नलिखित पते पर किए जाएं:

8.8. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All communications regarding change of address, change of mandate, transfer of shares etc. may be addressed to them in their following address:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. (इकाई: यूको बैंक) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500 032	संपर्क: टेलीफोन: 040 - 67161500 फैक्स: 040 - 23420814 टोल फ्री सं.: 1800-345-4001 ई-मेल: einward.ris@karvy.com
M/s. Karvy Computershare Private Ltd. (Unit : UCO Bank) Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032	Contact No: Phone: 040-67161500 Fax: 040-23420814 Toll Free No.:1800-345-4001 e-mail: einward.ris@karvy.com

बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है।

The Bank has also constituted Shareholder's Grievance Redressal Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters.

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :

The status of Shareholder' Complaints as on 31.03.2018 is as under:

1. 1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/ Pending complaints as on 1 <sup>st</sup> April, 2017	1
2. 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें/ Complaints received during the year ended on 31.03.2018	718
3. 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें/ Complaints disposed off during the year ended on 31.03.2018	719
4. 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/ Complaints pending as on 31.03.2018	शून्य NIL

#### 9.0 दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2018

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	ईक्विटी का % % of equity
अ/प्रवर्तक की शेयरधारिता <b>A. Promotes' shareholding</b>			
भारत सरकार / Government of India	1	1944198712	84.23
आ. संस्थाएं <b>B. Institutions</b>			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Portfolio Investors	44	19963709	0.86
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	13	1444661	0.06
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	5	228088066	9.88
<b>इ/सी. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions</b>			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹2 lakhs	293567	86454617	3.76
ii. ₹ 2 लाख के अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	199	10968929	0.48
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी NBFCs Registered with RBI	9	103509	0.00
<b>ई/डी. अन्य/Others</b>			
न्यास / Trust	17	43623	0.00
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	904	2073733	0.09
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	106	522591	0.02
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय Non Resident Indian non repatriable	537	582323	0.03
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	1168	13712663	0.59
<b>योग/ TOTAL</b>	<b>296570</b>	<b>2308157136</b>	<b>100.00</b>

31.03.2018 को शेयरधारिता का वितरण/Distribution of Shareholding as on 31.03.2018

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	तक/To				
1	5000	266518	89.87	36808146	1.59
5001	10000	16011	5.40	12989897	0.56
10001	20000	7829	2.64	11846670	0.51
20001	30000	2377	0.80	6129540	0.27
30001	40000	1056	0.36	3803840	0.16
40001	50000	782	0.26	3711312	0.16
50001	100000	1169	0.39	8511428	0.37
100001	और अधिक/And above	828	0.28	2224356303	96.38
<b>कुल/TOTAL</b>		<b>296570</b>	<b>100.00</b>	<b>2308157136</b>	<b>100.00</b>

**10.0 बैंक के साथ पत्राचार का पता:**

शेयरों के अमूर्तीकरण, शेयरों के अंतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश प्राप्त होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने आदि से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

श्री एन.पुर्ण चंद्र राव

कंपनी सचिव

यूको बैंक : प्रधान कार्यालय

वित्त विभाग

2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल,

कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033)44557227

फैक्स सं. (033) 2248-5625

ई-मेल पता:

hosgr.calcutta@ucobank.co.in

**10.0. Address for correspondence with Bank :**

For any assistance regarding dematerialisation of shares, transfer of shares, change of address, non-receipt of dividend, issuance of duplicate share certificates etc., the investors can mail their request/complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao

Company Secretary

UCO Bank : Head Office

Finance Department

2, India Exchange Place, 3rd Floor,

Kolkata - 700 001

Telephone No. (033)44557227

Fax No. (033) 2248-5625

E-Mail Address :

hosgr.calcutta@ucobank.co.in

**10.1. Exclusive e-mail ID for Investors' Complaints :**

In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated e-mail ID has been created for any complaints by the Investors/ Shareholders regarding UCO Bank Equity Shares/Payment of Dividends etc. Any complaint by the Investors shall be responded expeditiously along with necessary action taken by the Compliance Officer. The e-mail ID is: hosgr.calcutta@ucobank.co.in. The e-mail ID is also been posted in the website of the Bank.

**10.1 निवेशकों की शिकायत के लिए विशेष ई-मेल आईडी:**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में यूको बैंक इक्विटी शेयर/लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में निवेशकों/ शेयरधारकों की किसी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी तैयार किया गया है। निवेशकों की किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द उत्तर दिए जाने के साथ ही अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट ई-मेल आईडी hosgr.calcutta@ucobank.co.in है। ई-मेल आईडी बैंक की वेबसाइट में भी दी गई।

**11.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2017-18 का अभिन्न अंग है।

**11.0. Auditors Report on Corporate Governance**

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Audit Certificate on Corporate Governance for year 2017-18 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2017-18.

**12.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र**

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2017-18 का अभिन्न अंग है।

**12.0. CEO & CFO CERTIFICATE**

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2017-18

**आचार संहिता के अनुपालनार्थ घोषणा**

बैंक ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं बैंक के कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है एवं यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कोर प्रबंधन ने दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

**DECLARATION ON COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT**

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct as on 31.03.2018.

कृते यूको बैंक

For UCO Bank

(आर. के. टक्कर)

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(R.K. Takkar)

Managing Director &

Chief Executive Officer

**कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र**

निदेशक मंडल,  
यूको बैंक,  
प्रधान कार्यालय,  
10, वि.त्रै.म. सरणी  
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि जोखिम धारक संबंध समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

**वास्ते तेज राज एंड पाल**  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304124ई  
(सीए बीराका विजय)  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 214678

**वास्ते आर एम लाल एंड कं.**  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932सी  
(सीए अतुल मोहन)  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 070861

**वास्ते एम सी भांडारी एंड कं.**  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई  
(सीए निरज जैन)  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 064393

**वास्ते वी सिंही एंड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई  
(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी)  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 016830

**वास्ते रामा के गुप्ता एंड कं.**  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005सी  
(सीए रामा कान्त गुप्ता)  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 073853

**Auditor's Certificate on Corporate Governance**

To  
The Board of Directors,  
UCO Bank  
Head Office,  
10, B.T. M. Sarani  
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2018, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March 2018 against the Bank as per the records maintained by the Stake Holders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **TEJ RAJ & PAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304124E

(CA BEERAKA VIJAY )  
Partner  
Membership No. 214678

For **R M LALL & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000932C

(CA ATUL MOHAN )  
Partner  
Membership No. 070861

For **M C BHANDARI & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No. 303002E

(CA NEERAJ JAIN )  
Partner  
Membership No. 064393

For **V SINGHI & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 311017E

(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY )  
Partner  
Membership No. 016830

For **RAMA K GUPTA & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 005005C

(CA RAMA KANT GUPTA )  
Partner  
Membership No. 073853



निदेशक मंडल  
यूको बैंक  
प्रधान कार्यालय  
कोलकाता

**विषय : सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र महोदय,**

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

- क) हमने बैंक के वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-
- इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
  - ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
- वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
  - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और
  - हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

**पी. जी. जोशी**  
महाप्रबंधक  
(मुख्य वित्त अधिकारी)

**श्री आर. के. टक्कर**  
प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता  
दिनांक : 11 मई 2018

**शेयरधारकों से ग्रीन पहल के तहत अपील**

जो शेयरधारक डीमैट के रूप में शेयर धारण किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने जमाकर्ता के पास अपना ई-मेल आईडी दर्ज कराएँ। जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिं. को निम्न प्ररूप में अपनी अनुमति भेजें :

**मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड**

यूनिट : यूको बैंक, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,  
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032  
दूरभाष : (040) 67161500; फैक्स : (040)23420814

मै/हम \_\_\_\_\_, जो भौतिक रूप में बैंक के \_\_\_\_\_ शेयर धारण किए

हुए हैं/हैं, नीचे दिए गए ई-मेल आईडी पर नोटिसों, वार्षिक रिपोर्टों सहित सभी सूचना-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूँ/के इच्छुक हूँ :

फोनियो न. \_\_\_\_\_ ई-मेल आईडी \_\_\_\_\_

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

## Annexure-II

To  
The Board of Directors  
UCO Bank  
Head Office  
Kolkata

Dear Sirs,

**Sub: CEO and CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2017-18 and to the best of our knowledge and belief
  - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
  - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are to the best of our knowledge and belief no transaction enter into by the Bank during the year 2017-18 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee
  - i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2017-18
  - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
  - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

Yours faithfully,

(P. G. Joshi)  
General Manager  
(Chief Financial Officer)

**R. K. TAKKAR**  
Managing Director &  
Chief Executive Officer

Place: Kolkata  
Date : 11.05.2018

---

### **GREEN INITIATIVE APPEAL TO THE SHAREHOLDERS**

The Shareholders holding shares in demat form are requested to register their e-mail id with their Depository. Shareholders holding shares in physical form are requested to send their consent to our Registrar and Transfer Agent, Karvy Computershare Pvt Ltd. on the following format.

#### **M/s. Karvy Computershare Private Limited**

Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,  
Financial District, Nanakramguda Serilingampally, Hyderabad - 500 032  
Tel : (040) 67161500; Fax : (040)23420814

I/We \_\_\_\_\_ holding \_\_\_\_\_ shares of the Bank in physical form intend to receive all communications including notices, annual reports, through our e-mail id given hereunder :

Folio No \_\_\_\_\_ E-mail id \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of the first holder

# 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2018 की स्थिति	31.3.2017 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2018	As on 31.3.2017
		₹	₹
पूंजी /Capital	1	2308 15 71	1559 72 82
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money		5132 00 00	1150 00 00
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	7517 02 41	10043 74 23
जमाराशियां / Deposits	3	181849 27 99	201284 51 12
उधार Borrowings	4	12449 26 19	9534 96 20
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6800 45 38	7766 76 28
<b>योग /TOTAL</b>		<b>216056 17 68</b>	<b>231339 70 65</b>

वास्ते तेज राज एंड पाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304124ई  
For **TEJ RAJ & PAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304124E

(सीए बीराका विजय )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 214678  
(CA BEERAKA VIJAY )  
Partner  
Membership No. 214678

वास्ते आर एम लाल एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932सी  
For **R M LALL & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000932C

(सीए अतुल मोहन )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 070861  
(CA ATUL MOHAN )  
Partner  
Membership No. 070861

वास्ते एम सी भांडारी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई  
For **M C BHANDARI & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No. 303002E

(सीए निरज जैन )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 064393  
(CA NEERAJ JAIN )  
Partner  
Membership No. 064393

वास्ते वी सिंही एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई  
For **V SINGHI & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 016830  
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY )  
Partner  
Membership No. 016830

वास्ते रामा के गुप्ता एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005सी  
For **RAMA K GUPTA & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 005005C

(सीए रामा कान्त गुप्ता )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 073853  
(CA RAMA KANT GUPTA )  
Partner  
Membership No. 073853

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 11<sup>th</sup> मई /May, 2018

**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018 (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2018	31.3.2017
ASSETS	Schedule	की स्थिति As on 31.3.2018	की स्थिति As on 31.3.2017
		₹	₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8125 07 91	8790 24 98
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	6622 95 70	9309 63 33
निवेश/Investments	8	70962 14 70	74019 12 40
अग्रिम/Advances	9	107470 02 12	119724 45 32
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	2875 10 20	2849 47 69
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	20000 87 05	16646 76 93
<b>योग /TOTAL</b>		<b>216056 17 68</b>	<b>231339 70 65</b>
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	123488 03 12	51804 24 12
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	8837 80 25	6644 41 18

चरण सिंह  
कार्यपालक निदेशक  
**CHARAN SINGH**  
Executive Director

आर . के . टक्कर  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ  
**R. K. TAKKAR**  
Managing Director & CEO

सुश्री सिंधु पिल्लई  
निदेशक  
**MS. SINDHU PILLAI**  
Director

डॉ. अरविंद शर्मा  
निदेशक  
**DR. ARVIND SHARMA**  
Director

अनिल शर्मा  
निदेशक  
**ANIL SHARMA**  
Director

जे. एन. प्रधान  
सहायक महाप्रबंधक  
**J. N. PRADHAN**  
Assistant General Manager

पी. जी. जोशी  
महाप्रबंधक  
**P. G. JOSHI**  
General Manager

# 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

## PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	अनुसूची	31.3.2018	31.3.2017
		को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
	Schedule	Year Ended	Year Ended
		31.3.2018	31.3.2017
		₹	₹
<b>I. आय/INCOME</b>			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	14020 12 54	16325 79 93
अन्य आय /Other Income	14	1121 00 32	2114 49 09
<b>योग/TOTAL</b>		<b>15141 12 86</b>	<b>18440 29 02</b>
<b>II. व्यय/EXPENDITURE</b>			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	10895 40 25	12509 01 80
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	2911 48 58	3005 19 14
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		5770 60 96	4776 74 80
<b>योग/TOTAL</b>		<b>19577 49 79</b>	<b>20290 95 74</b>
<b>III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS</b>			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		- 4436 36 93	- 1850 66 72
लाभ/(हानि) अग्रेनीत / Profit/(Loss) Brought Forward		- 1159 64 18	728 17 52
<b>योग /TOTAL</b>		<b>- 5596 01 11</b>	<b>- 1122 49 20</b>

वास्ते तेज राज एंड पाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304124ई  
For **TEJ RAJ & PAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304124E

(सीए बीराका विजय )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 214678  
(CA BEERAKA VIJAY )  
Partner  
Membership No. 214678

वास्ते आर एम लाल एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932सी  
For **R M LALL & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000932C

(सीए अतुल मोहन )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 070861  
(CA ATUL MOHAN )  
Partner  
Membership No. 070861

वास्ते एम सी भांडारी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई  
For **M C BHANDARI & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No. 303002E

(सीए निरज जैन )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 064393  
(CA NEERAJ JAIN )  
Partner  
Membership No. 064393

वास्ते वी सिंही एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई  
For **V SINGHI & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 016830  
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY )  
Partner  
Membership No. 016830

वास्ते रामा के गुप्ता एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005सी  
For **RAMA K GUPTA & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 005005C

(सीए रामा कान्त गुप्ता )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 073853  
(CA RAMA KANT GUPTA )  
Partner  
Membership No. 073853

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 11<sup>th</sup> मई/May, 2018

**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)**  
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,**  
**2018 (CONTD.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2018	31.3.2017
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2018	31.3.2017
	₹	₹
<b>IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS</b>		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		-
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves	7 82 36	60 95 97
निवेश आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer from Investment Reserve		- 23 80 99
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		-
प्रस्तावित लाभांश पर कर / Tax on Proposed Dividend		-
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई		
Balance Carried over to Balance Sheet	- 5603 83 47	- 1159 64 18
<b>योग /TOTAL</b>	<b>- 5596 01 11</b>	<b>- 1122 49 20</b>
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	₹ - 25.23	₹ - 26.30
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियां 1 से 18 लेख के अभिन्न अंग हैं The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts As per our Report of even date		

चरण सिंह  
कार्यपालक निदेशक  
**CHARAN SINGH**  
Executive Director

आर . के . टक्कर  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ  
**R. K. TAKKAR**  
Managing Director & CEO

सुश्री सिंधु पिल्लई  
निदेशक  
**MS. SINDHU PILLAI**  
Director

डॉ. अरविंद शर्मा  
निदेशक  
**DR. ARVIND SHARMA**  
Director

अनिल शर्मा  
निदेशक  
**ANIL SHARMA**  
Director

जे. एन. प्रधान  
सहायक महाप्रबंधक  
**J. N. PRADHAN**  
Assistant General Manager

पी. जी. जोशी  
महाप्रबंधक  
**P. G. JOSHI**  
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 11<sup>th</sup> मई /May, 2018

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

अनुसूची 1 — पूंजी  
Schedule 1 — CAPITAL

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018		31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017	
	₹	₹	₹	₹
<b>प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital</b>				
प्रत्येक ₹ 10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	3000 00 00		3000 00 00	
प्रत्येक ₹ 1,00,000/- के 225,000 बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर 225,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹1,00,000/- each निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी	<u>2250 00 00</u>	5250 00 00	<u>2250 00 00</u>	5250 00 00
<b>Subscribed, Issued and Paid up Capital</b>				
प्रत्येक ₹ 10/- के 230,81,57,136 (155,97,28,157) इक्विटी शेयर 230,81,57,136 (155,97,28,157) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 194,41,98,712 (119,57,69,733) शेयर इसमें शामिल हैं] [ includes 194,41,98,712 (119,57,69,733) shares held by Central Govt.]	2308 15 71		1559 72 82	
		2308 15 71		1559 72 82
<b>योग /TOTAL</b>		<b>2308 15 71</b>		<b>1559 72 82</b>

**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018**  
**अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष**  
**Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018		31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017	
	₹	₹	₹	₹
<b>I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserves:</b>				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2264	56 64	2264	56 64
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती Addition / Deduction during the year		<u>- 8 65 47</u>		
		2255 91 17		2264 56 64
<b>II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserves :</b>				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain अंतिम लेखे के अनुसार शेष Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/ब)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	456	03 01	395	07 04
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account		<u>7 82 36</u>		<u>60 95 97</u>
		463 85 37		456 03 01
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन : c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	2507	31 34	2524	81 83
वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year		<u>9 44 16</u>		<u>4 97 99</u>
वर्ष की समाप्ति पर विदेशी शाखाओं में आस्तियों पर विनिमय अंतर से संबंधित समायोजन Exchange difference on assets at Foreign branches as at the year end.		<u>25 69 32</u>		<u>-22 48 48</u>
		2542 44 82		2507 31 34
समायोजन Adjustment*		<u>4 73 17</u>		
		2537 71 65		2507 31 34
वर्ष की समाप्ति तक पुनर्मूल्यन के कारण वर्धनशील मूल्यहास के चलते समायोजन Adjustment on account of incremental depreciation upto year end due to revaluation and others		<u>185 93 96</u>		<u>182 14 02</u>
		2351 77 69		2325 17 32



31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)  
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018		31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017	
	₹	₹	₹	₹
<b>III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium</b>				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	5388 50 36		3892 04 42	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	1776 57 10		1496 45 94	
		7165 07 46		5388 50 36
<b>IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue &amp; Other Reserves</b>				
क/अ) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	371 00 09		399 73 03	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to / from Revaluation Reserves	41 44 83		22 94 32	
	412 44 92		422 67 35	
विशिष्ट (एससी/आरसी) प्रावधान में अंतरण Transfer to / from Specific (SC/RC) Provision	51 67 26		-51 67 26	
		464 12 18		371 00 09
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	391 77 20		435 97 10	
जोड़ें : विनिमय उचंत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/ from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	53 88 47		40 45 92	
	445 65 67		476 43 02	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	31 87 45		84 65 82	
		413 78 22		391 77 20
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		28 97 78	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit & Loss Account			23 80 99	
		5 16 79		5 16 79
<b>V. लाभ-शेष/Balance of Profit</b>				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	-1159 64 18		728 17 52	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	-4444 19 29		-1887 81 70	
		-5603 83 47		-1159 64 18
<b>योग ( I से V तक) / TOTAL(I to V)</b>		<b>7517 02 41</b>		<b>10043 74 23</b>

\* किसी सम्पत्ति से पट्टा अधिकार के अधित्याग के लिए समायोजन/Adjustment for surrender of lease right of a property.

**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018**  
**अनुसूची 3 — जमा राशियां**  
**Schedule 3 — DEPOSITS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
<b>अ/अ. I. मांग जमा राशियां/Demand Deposits</b>		
i) बैंकों से/From Banks	1594 74 12	2733 60 17
ii) अन्य से/From Others	8106 52 60	8937 91 22
<b>II. बचत बैंक जमा राशियां/Savings Bank Deposits</b>	54824 13 72	51537 07 05
<b>III. मीयादी जमा राशियां/Term Deposits</b>		
i) बैंकों से/From Banks	4591 34 04	12326 87 43
ii) अन्य से/From Others	112732 53 51	125749 05 25
<b>योग/TOTAL(I, II &amp; III)</b>	<b>181849 27 99</b>	<b>201284 51 12</b>
<b>अ/अ. i) भारत में शाखाओं की जमा राशियां/ Deposits of Branches in India</b>	172017 42 76	185101 90 88
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमा राशियां/ Deposits of Branches outside India	9831 85 23	16182 60 24
<b>योग/TOTAL (i &amp; ii)</b>	<b>181849 27 99</b>	<b>201284 51 12</b>

**अनुसूची 4 — उधार**  
**Schedule 4 — BORROWINGS**

(000 को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
<b>I. भारत में उधार/Borrowings in India</b>		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	4443 00 00	450 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	3128 57 73	3113 01 49
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	4859 22 74	5867 95 34
<b>II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India</b>	18 45 72	103 99 37
<b>योग (I एवं II) TOTAL (I &amp; II)</b>	<b>12449 26 19</b>	<b>9534 96 20</b>
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	8005 62 74	4685 75 34
*इसमें शामिल है/* Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance		
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	7 19 74	9 66 20
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	427 03 00	558 45 00
गौण ऋण/Subordinated Debt	2175 00 00	2175 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond	500 00 00	820 00 00
एटी-1 बॉण्ड/AT-1 Bonds	750 00 00	750 00 00
बासेल III कंप्लायंट टियर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1000 00 00	1000 00 00
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance		55 56 00

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018**

**अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान**  
**Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	82 66 39	87 05 40
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	265 42 18	321 71 35
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	752 94 42	755 94 32
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others(including provisions)	5699 42 39	6602 05 21
<b>योग /TOTAL</b>	<b>6800 45 38</b>	<b>7766 76 28</b>
*इसमें शामिल हैं /* Includes मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	495 85 02	841 33 85

**अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष**  
**Schedule 6 — CASH & BALANCES**  
**WITH RESERVE BANK OF INDIA**

(000 को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand(including Foreign Currency Notes)	636 30 14	635 73 06
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	7488 77 77	8154 51 92
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	-	-
<b>योग (I एवं II)/TOTAL(I &amp; II)</b>	<b>8125 07 91</b>	<b>8790 24 98</b>

**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018**

**अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**  
**Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND**  
**MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
<b>I. भारत में/In India</b>		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में/		
a) In Current Accounts	41 11 35	50 61 35
ख) अन्य जमा खातों में/		
b) In Other Deposit Accounts	3094 21 72	3224 01 27
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास/		
a) With Banks	2016 22 75	1575 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास/		
b) With Other Institutions		
<b>योग (i एवं ii)/ TOTAL(i &amp; ii)</b>	<b>5151 55 82</b>	<b>4849 62 62</b>
<b>II. भारत के बाहर/ Outside India</b>		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	219 46 85	776 18 91
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	1062 40 90	2451 18 55
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Money at Call and Short Notice	189 52 13	1232 63 25
<b>योग (i,ii एवं iii)/TOTAL(i,ii &amp; iii)</b>	<b>1471 39 88</b>	<b>4460 00 71</b>
<b>कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL(I&amp;II)</b>	<b>6622 95 70</b>	<b>9309 63 33</b>

# 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

## अनुसूची 8 — निवेश

### Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
<b>I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	51841 95 35	59826 38 43
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	51 42 88	56 42 88
iii) शेयर/Shares	315 92 56	528 72 18
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	14441 47 82	9552 38 31
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स* Subsidiaries and/or Joint Ventures/Associates*	184 50 96	184 50 96
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, आर आई डी एफ, सी. पी. एफ. आर. एन. आदि/ Others (Indira Vikas Patra, Mutual Fund, RIDF, C.P. FRN etc.)	1601 66 11	1811 17 17
<b>योग/TOTAL</b>	<b>68436 95 68</b>	<b>71959 59 93</b>
<b>II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्रधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	2397 15 77	1904 72 77
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	128 03 25	154 79 70
<b>योग/TOTAL</b>	<b>2525 19 02</b>	<b>2059 52 47</b>
<b>कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I &amp; II)**</b>	<b>70962 14 70</b>	<b>74019 12 40</b>

\* क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश

\* Investment in RRBs

\*\* निवेशों पर मूल्यहास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

\*\* Net of Depreciation on Investment and provision for Non-Performing Investments

निवेश INVESTMENTS	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018			31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान *** Provision *** ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान *** Provision *** ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	69987 86 72	1550 91 04	68436 95 68	72627 70 14	668 10 21	71959 59 93
II. भारत के बाहर Outside India	2602 11 46	76 92 44	2525 19 02	2140 43 51	80 91 04	2059 52 47
<b>योग/TOTAL</b>	<b>72589 98 18</b>	<b>1627 83 48</b>	<b>70962 14 70</b>	<b>74768 13 65</b>	<b>749 01 25</b>	<b>74019 12 40</b>

\*\*\* निवेश पर मूल्यहास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान

\*\*\* Depreciation on Investment/Provision for Non-Performing Investments

**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018**  
**अनुसूची 9 – अग्रिम**  
**Schedule 9 – ADVANCES**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	11794 43 24	18460 76 05
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	39540 88 67	36360 30 86
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	56134 70 21	64903 38 41
<b>योग/TOTAL</b>	<b>107470 02 12</b>	<b>119724 45 32</b>
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	93618 18 51	100929 80 52
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	9640 28 36	14043 58 34
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	4211 55 25	4751 06 46
<b>योग/TOTAL</b>	<b>107470 02 12</b>	<b>119724 45 32</b>
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	40099 78 24	42084 73 12
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	5544 38 15	6139 66 87
(iii) बैंक/Banks	33 43 31	21 97 87
(iv) अन्य/Others	47362 05 02	53340 59 66
<b>योग/TOTAL</b>	<b>93039 64 72</b>	<b>101586 97 52</b>
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(a) Bills Purchased and Discounted	6681 11 32	8286 48 16
(ख) सामूहिक उधार		
(b) Syndicated loans	3306 31 90	3408 89 32
(ग) अन्य		
(c) Others	4442 94 18	6442 10 32
<b>योग/TOTAL</b>	<b>14430 37 40</b>	<b>18137 47 80</b>
<b>कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I &amp; C.II)</b>	<b>107470 02 12</b>	<b>119724 45 32</b>

**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018**

**अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
<b>I. परिसर/ Premises</b>		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	280 25 74	260 99 49
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	9 12 76	- 7 81 12
	289 38 50	253 18 37
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	91 41	27 07 43
	290 29 91	280 25 80
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	78 92	6
	289 50 99	280 25 74
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	2537 71 66	2507 31 34
	2827 22 65	2787 57 08
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	2827 22 65	2787 57 08
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	270 03 09	276 48 64
<b>योग/ TOTAL</b>	<b>2557 19 56</b>	<b>2511 08 44</b>
<b>II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets(including Furniture &amp; Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year</b>	<b>1576 95 19</b>	<b>1467 48 30</b>
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	3 70 78	- 3 23 64
	1580 65 97	1464 24 66
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	106 37 39	114 29 19
	1687 03 36	1578 53 85
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	3 59 41	1 58 66
	1683 43 95	1576 95 19
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	1373 76 12	1244 64 79
<b>योग/ TOTAL</b>	<b>309 67 83</b>	<b>332 30 40</b>
<b>III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less</b>		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
<b>योग/TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress</b>	<b>8 22 81</b>	<b>6 08 85</b>
<b>योग/TOTAL</b>	<b>8 22 81</b>	<b>6 08 85</b>
<b>कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II &amp; III+IV)</b>	<b>2875 10 20</b>	<b>2849 47 69</b>

**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018**

**अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां  
Schedule 11— OTHER ASSETS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1537 72 99	1611 95 51
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	2515 23 95	2630 94 92
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	5 04 08	4 20 54
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	5327 25 00	2863 61 00
VII. अन्य/Others	10615 61 03	9536 04 96
<b>योग/TOTAL</b>	<b>20000 87 05</b>	<b>16646 76 93</b>

**अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं  
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2018 ₹	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	192 33 73	237 21 70
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	3 03 50	3 03 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	106537 28 49	36200 84 78
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	6246 90 28	6033 68 48
ख) भारत के बाहर B) Outside India	76 83 46	77 40 99
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	8268 93 65	8470 39 54
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other Items for which the bank is contingently liable	2162 70 01	781 65 13
<b>योग/ TOTAL</b>	<b>123488 03 12</b>	<b>51804 24 12</b>



**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा**  
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED**  
**31ST MARCH, 2018**

**अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	7981 61 21	9871 28 98
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	5178 16 33	5734 18 58
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	368 17 45	353 18 42
IV. अन्य/Others	492 17 55	367 13 95
<b>योग/TOTAL</b>	<b>14020 12 54</b>	<b>16325 79 93</b>

**अनुसूची 14 — अन्य आय**

**Schedule 14 — OTHER INCOME**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	183 38 87	184 42 03
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments	537 57 26	1252 81 45
घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	239 94 64	12 05 82
III. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	38 49	45 99
घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	4 94	10 68
IV. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	118 39 48	227 95 05
घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	9 88 93	6 28 73
V. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	8 29 40	11 85 02
VI. विविध आय/ Miscellaneous Income	522 85 33	455 44 78
<b>योग/TOTAL</b>	<b>1121 00 32</b>	<b>2114 49 09</b>

**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा**  
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018**

**अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज**  
**Schedule 15 — INTEREST EXPENDED**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹
I. जमा राशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	10094 94 79	11770 82 96
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	234 07 43	266 20 15
III. अन्य/Others	566 38 03	471 98 69
<b>योग/TOTAL</b>	<b>10895 40 25</b>	<b>12509 01 80</b>

**अनुसूची 16 — परिचालन व्यय**  
**Schedule 16 — OPERATING EXPENSES**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018 ₹	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1841 82 44	1962 10 12
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	251 97 89	225 36 93
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	31 25 40	38 89 07
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	18 62 04	24 13 03
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास/ Depreciation on Bank's Property	151 84 16	153 14 01
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	51 92	64 64
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	35 81 14	35 56 02
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	5 68 83	8 27 06
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	39 73 84	42 87 30
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	10 05 68	12 18 26
XI. बीमा/Insurance	167 65 21	145 33 57
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	356 50 03	356 69 13
<b>योग/TOTAL</b>	<b>2911 48 58</b>	<b>3005 19 14</b>

# अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

## Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### 1. सामान्य / GENERAL

#### 1.1 लेखांकन का आधार / BASIS OF ACCOUNTING

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्त्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

#### 1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन आंकड़ों से अलग हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

### 2. अग्रिम / ADVANCES

#### 2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

#### 2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के, इनमें से जो भी अधिक हो, अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

#### 2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए गे हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

#### 2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुनर्नसूचित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज त्याग में कमी हुई।

For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बड़ा डाले गए खातों में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया गया है।

Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

Sale of Financial asset to Securitised Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

### 3. निवेश/INVESTMENTS

3.1 बैंक, निवेश संविभागके वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

3.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है। Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.4 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 3.5 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनी ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹ 1 per company.

- 3.6 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशो पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसिदों में बैंक के निवेश पर लागू किए जाते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

- 3.7 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

- 3.8 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

#### 4. संपदा सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

- 4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा सयंत्र एवं उपकरणके लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

- 4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-  
The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
दीर्घावधि अथवा बेमियादि/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमियादि/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टे पर भूमि एवं भवन तथा ऐसी भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रीकल इंस्टोलेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंगमशीन, ऑफिस मशीनरी, वेईंग मशीन, टाईप राईटर, एडिंग मशीन, डूप्लिकेटिंग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वेहिकल / Motor Vehicle	25.89	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साईकिल / Cycle	20.00	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines)	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

**4.3** भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

**4.4** पुनर्मूल्यांकन के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास के समानराशि पुनर्मूल्यांकित चल नीधि से राजस्व चल नीधि में अंतरित की गई।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

**4.5** लघु मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण जिनकी लागत ₹1000/- है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto ₹1000 each are charged off whereas items costing between ₹1001 and ₹5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

**4.6** 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यह्रास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद अयोग पर आधे दर पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

## 5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

### 5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

- vii) जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वैप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

## 5.2 विदेशी परिचालन/ FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

### अदला-बदली / Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

## 6. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

### 6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

### 6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

#### सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

#### अ) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

क/अ) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/ब) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

#### आ) निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्वधीन सेवा के प्रत्येक

पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of ₹20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

#### इ/सी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ/Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/सी. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

#### 7. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वाप लेन-देन की गणना उपग्रह आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।



The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

- 7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्तित्व या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

- 7.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

- 7.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

## 8. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्तित्व की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्तित्व की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्तित्व द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्तित्व के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्तित्व के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

## 9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / NON-BANKING ASSETS

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया गया है / Non-Banking Assets are stated at cost.

## 10. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

- 10.1 प्रोद्घन आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।

Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

- 10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले स्थानीय नियम/संबंधित राज्य के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।

In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

- 10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।

Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

- 10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने जारी करने पर प्राप्त कमिशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आधार पर होता है।

Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

- 10.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।

Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

- 10.6 आयकर रिफंड पर ब्याज की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

- 10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के आधार पर की जाती है।

Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

- 10.8 बट्टे खाते में डाले गए अग्रिम/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में दिया गया है।

Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

## 11. पट्टा / LEASE

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की गई तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रीमियम के लागत के रूप में लेखा बही में की गई है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

## 12. आय पर कर / TAXES ON INCOME

### 12.1 चालू कर / Current Tax

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषनाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया गया है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

### 12.2 आस्थगित कर / Deferred Tax

क/अ) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय में होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/ब) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तूलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की गई है।

Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/क) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/द) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढ़ाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनीय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

## 13. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

13.1 बैंक एएस 20 —'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

## 14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्यदर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपी ब्याज ल्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप वायदा दर करार एवं ब्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याजदर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता है:

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/अ)प्रतिरक्षा व्युत्पन्नों पर आय/व्यय का आकलन प्रोद्ववन आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/ब)विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/क) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(द) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्तों/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(े) मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रिमियम को लेखे में शामिल किया जाता है यव लाभ एवं हानि लेखा में बकाया रह जाता है।

Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

#### 15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

##### ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

#### 16. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार एवं ICAI द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के स्तर में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

**अनुसूची / SCHEDULE 18**  
**लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS**

**1. पूंजी / Capital**

**1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	31.03.18 की स्थिति As on 31.03.18	31.03.17 की स्थिति As on 31.03.17
	बेसल/ Basel-III	बेसल/ Basel-III
(i) सामान्य शेयर टियर-1 पूंजी अनुपात (%) / Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	8.23	7.64
(ii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	8.94	8.27
(iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	2.00	2.66
(iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) / Total capital ratio (CRAR) (%)	10.94	10.93
(v) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%) / Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	84.23	76.67
(vi) पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि / Amount of equity capital raised	748.43	484.14
(vii) टियर 1 पूंजी के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त राशि; जिसमें से / Amount of Additional Tier 1 capital raised; out of which पीएनसीपीएस: / PNCPS: पीडीआई: / PDI:	-- --	750.00 -- 750.00
(viii) टियर 2 के रूप में जुटाई गई पूंजी की राशि ; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत: Amount of Tier 2 capital raised; out of which/Debt capital instrument:  अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : (बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचन-योग्य असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) Preference Share Capital Instruments : [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	--	1000.00 --

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नांकित शेयर जारी कर आवंटित किए -

During the year the Bank issued share and allotted -

- |  |   |
|--|---|
| <p>क) भारत सरकार को दिनांक 09.08.2017 को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर ₹27.44 (रुपये सताईस एवं चौवालीस पैसे मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर ₹37.44 (रुपये सैंतीस एवं चौवालीस पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक ₹10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 30,71,58,119 (तीस करोड़ एकहतर लाख अठावन हजार एक सौ उन्नीस मात्र) इक्विटी शेयर जिसके परिणामस्वरूप ₹1150 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ।</p> <p>ख) भारत सरकार को दिनांक 31.03.2018 को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर ₹21.16 (रुपये इक्कीस एवं सोलह पैसे मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति इक्विटी शेयर 31.16 (रुपये एकतीस एवं सोलह पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक ₹10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 44,12,70,860 (चौवालीस करोड़ बारह लाख सत्तर हजार आठ सौ साठ मात्र) इक्विटी शेयर जिसके परिणामस्वरूप ₹1375 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ।</p> <p>ग) भारत सरकार अधिमानी आवंटन के आधार पर इक्विटी शेयर में दिनांक 27.03.2018 को ₹5132 करोड़ का निवेश किया और उक्त राशि को शेयर आवेदन राशि के अंतर्गत रखा चूंकि आवंटन के</p> | <p>a) 30,71,58,119 (Thirty crore seventy one lakh fifty eight thousand one hundred nineteen) equity shares of face value of ₹ 10/- each for cash at an issue price of ₹ 37.44 (Rupees thirty seven and paise forty four) per equity share including premium of ₹ 27.44 (Rupees twenty seven and paise forty four) per equity share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, 2009, on preferential basis to Government of India on 09.08.2017 resulting in capital infusion of ₹1150 crores.</p> <p>b) 44,12,70,860 (Forty four crore twelve lakh seventy thousand eight hundred sixty) equity shares of face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹31.16 (Rupees thirty one and paise sixteen) per equity share including premium of ₹21.16 (Rupees twenty one and paise sixteen) per equity share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, 2009, on preferential basis to Government of India on 31.03.2018 resulting in capital infusion of ₹1375 crores.</p> <p>c) Government of India infused ₹5132 crore on 27.03.2018 by way of preferential allotment of equity shares and the amount was maintained under share application money,</p> |
|--|---|

फलस्वरूप प्रदत्त पूंजी बैंक के विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पूंजी से अधिक है अतः बैंक प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने का इंतजार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. 6542/ 21.01.002/2017-18 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के अनुसरण में बैंक ने भारत सरकार से प्राप्त उक्त राशि को सामान्य इक्विटी शेयर - 1 (सीईटी - 1) के रूप में रखा है।

since paid up capital increases beyond stipulated authorized capital of the Bank subsequent to allotment, Bank is awaiting permission from GOI for increase of authorized capital. In terms of Reserve Bank of India letter no. 6542/21.01.002/ 2017-18 dated April 23, 2018 Bank has considered such amount received from Government of India as a part of Common Equity Tier 1 (CET 1).

## 2.0 निवेश

2.1 बैंक के निवेश एवं निवेश पर मूल्य-ह्रास/अनर्जक निवेश के प्रति किए गए प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

## 2.0 Investments

2.1 The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	31.03.18 की स्थिति As on 31.03.18	31.03.17 की स्थिति As on 31.03.17
(1) निवेशों का मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(a) भारत में/In India	69987.87	72627.70
(b) भारत के बाहर/ Outside India	2602.11	2140.44
(ii) मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation/NPI		
(a) भारत में/In India	1550.91	668.10
(b) भारत के बाहर/Outside India	76.92	80.91
(iii) निवेशों का निवल मूल्य /Net Value of Investments		
(a) भारत में/In India	68436.96	71959.60
(b) भारत के बाहर/Outside India	2525.19	2059.53
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
(i) प्रारंभिक शेष / Opening balance	749.01	538.02
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year : विनिमय अंतर के जरिए : By Exchange Difference	916.16 2.70	433.19 -3.83
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए / पुनरांकित किए गए अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	40.04	218.37
(iv) अंतिम शेष/Closing balance	1627.83	749.01

## 2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया  Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया  Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया  Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2018 को बकाया  Outstanding as on 31 <sup>st</sup> March 2018
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	22.09	4730.07	151.12	4730.07
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	-	6345.86	2305.34	700.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	-	-	-	-

## 2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio

### (i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
No.	Issuer	Amount				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	13351.15	11024.23	412.23	0	290.31
(ii)	वित्तीय संस्थाएं / FIs	1194.14	502.95	0	0	0
(iii)	बैंक / Banks	156.96	0	13.78	13.78	13.78
(iv)	निजी कंपनियां / Private Corporates	2772.27	2369.38	378.58	200.51	234.86
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध* Subsidiaries/Joint Ventures Associates*	184.50	184.50	0	0	184.50
(vi)	अन्य /Others	61.10	0	0	61.10	0
(vii)	उप योग (i से vi) तक Sub Total (i to vi)	17720.12	14081.06	804.59	275.39	723.45
(viii)	घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	1048.51	-	75.60	75.60	75.60
(ix)	योग / Total (vii-viii)	<b>16671.61</b>	<b>14081.06</b>	<b>728.99</b>	<b>199.79</b>	<b>647.85</b>

\* आरआरबी में निवेश / Investment in RRB.

**(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश / Non performing Non-SLR investments**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2018	31.03.2017
प्रारंभिक शेष / Opening balance	309.21	290.82
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	267.85	36.68
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	1.71	16.74
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	1.77	-1.55
अंतिम शेष / Closing balance	577.12	309.21
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	506.20	283.87

**2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है :****The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.3.2018	31.3.2017
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी /-exempted category	12722.22	7856.56
- अन्य/-others	32875.17	38396.44
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	26992.01	28390.27
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	--	124.86

**2.5 एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :**

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

**2.5 Sale and transfers to/from HTM Category :**

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category, excluding the one time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

**3.0 व्युत्पन्न / Derivatives****3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2017-18	2016-17
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	2125.00	100.00
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	3.05	0.90
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपाश्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	-1.41	-0.018

**3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम सं. S.No.	विवरण Particulars	2017-18	2016-17
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 <sup>st</sup> March 2018 (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00

**3.3 व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण**

**क) गुणात्मक प्रकटीकरण**

**i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :**

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशक गण, और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

**ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:**

- क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न को भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।
- ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बैंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ.का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक

**3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives**

**a) Qualitative Disclosures**

**i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:**

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Managing Director & CEO and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

**ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:**

- a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.
- b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and



रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।

- (iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्यपरिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याजदर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रतिपार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

reports are placed to the MD & CEO/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

- (iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

**ख)/b) प्रमाणात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosures**

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No. Particulars	2017-18		2016-17	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1 व्युत्पन्न (अनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	106537.28	2125.00	36 200.84	Nil
क)/a) बचाव के लिए / For hedging	106537.28	1075.00	36200.84	Nil
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए /For trading	Nil	1050.00	Nil	100.00
2 मार्क टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
क)/a) आस्ति (+) / Asset (+)	20.41	NIL	56.95	Nil
ख)/b) देयता (-) / Liability (-)	8.86	-1.41	2.92	-0.018
3 ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure	2623.84	16.67	1311.53	1.65
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
अधिकतम / Maximum	NA	6.00	NA	Nil
न्यूनतम / Minimum	NA	-4.59	NA	Nil
ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
अधिकतम /Maximum	NA	-3.63	Nil	-0.02
न्यूनतम / Minimum	NA	0.81	Nil	-0.02
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year बचाव-व्यवस्था पर- / on hedging				
अधिकतम / Maximum	NA	2.04	NA	0.00
न्यूनतम / Minimum	NA	Nil	NA	0.00
क्रय-विक्रय पर / on trading				
अधिकतम / Maximum	NA	-1.71	NA	-0.02
न्यूनतम / Minimum	NA	-0.04	NA	-0.02

\* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तवर्ष 2017-18 के लिए 3.05 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹0.90) होगा।

\*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfil their obligations will be ₹3.05 crores for FY 2017-18 (₹0.90 crore for FY 2016-17)

**ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन**

बैंक में निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹3.05 करोड़ का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेनदेन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी बैंक है और एक्सपोजर अनुमत सीमा के भीतर है।

**c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps**

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹3.05 Crores, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

**4.0 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality**

**4.1 अनर्जक आस्ति / Non-Performing Asset**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Items	2017-18	2016-17
(i) निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%) /Net NPAs to Net Advances(%)	13.10%	8.94 %
(ii) अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/ Movement of NPAs (Gross)		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) <b>Opening Balance</b>	<b>22540.95</b>	<b>20907.73</b>
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	15033.80	9909.27
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी /Reductions during the year :	7024.83	8276.05
(घ)/(d) अंतिम शेष / <b>Closing Balance</b>	<b>30549.92</b>	<b>22540.95</b>
(iii) सकल अनर्जक आस्तियाँ में उतार-चढ़ाव/Movement of Net NPAs		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) <b>Opening Balance</b>	<b>10703.39</b>	<b>11443.59</b>
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	15033.80	9909.27
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	7024.83	8276.05
(घ)/(d) कमी: पिछले वर्ष से अधिक निवल की गई मद के मूल्य में अधिकता हेतु समयोजन*		
Less: Adjustment for excess in value of netting item over Previous year *	4630.30	2373.42
(ङ)/(e) अंतिम शेष / <b>Closing Balance</b>	<b>14082.07</b>	<b>10703.39</b>
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard Assets)		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष / <b>Opening Balance</b>	<b>10452.62</b>	<b>8002.07</b>
(ख)/(b) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान /Provisions made during the year	7372.70	4387.49
(ग)/(c) वर्ष के दौरान राइट-ऑफ/राइट-बैक /Write-off/ write-back during the year :	2734.71	1936.94
(घ)/(d) अंतिम शेष / <b>Closing Balance</b>	<b>15090.61</b>	<b>10452.62</b>
* निवल की गई मद का प्रारंभिक मूल्य / Opening value of Netting Item (Gross NPA-Net NPA)	11837.55	9464.14
निवल की गई मद का अंतिम मूल्य / Closing value of Netting Item (Gross NPA - Net NPA)	16467.85	11837.55
निवल की गई मदों के मूल्य में आधिक्य / <b>Excess in value of Netting Items</b>	<b>(4630.30)</b>	<b>(2373.42)</b>

**4.2 अस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं आरबीएस 2016-17 के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान**  
**Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBS 2016-17**

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹crore)

क्रम सं. Sr.	विवरण Particulars	राशि Amount
1.	बैंक द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2017 को सकल अनर्जक अस्ति Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	22540.95
2.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2017 को सकल अनर्जक अस्ति Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	23960.06
3.	सकल अनर्जक अस्ति में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	1283.19
4.	बैंक द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2017 को शुद्ध अनर्जक अस्ति Net NPAs as on March 31,2017 as reported by the Bank	10703.39
5.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2017 को शुद्ध अनर्जक अस्ति Net NPAs as on March 31,2017 as assesses by RBI	11303.48
6.	शुद्ध अनर्जक अस्ति में विचलन Divergence in Net NPAs (5-4)	600.09
7.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2017 की स्थिति में अनर्जक अस्ति के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	10452.62
8.	भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार 31 मार्च, 2017 की स्थिति में अनर्जक अस्ति के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	11135.72
9.	प्रावधान में वचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	683.10
10.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए अनुसार कर के बाद शुद्ध लाभ (पीएटी) Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	-1850.66
11.	प्रावधान में विचलन को हिसाब में लेने के उपरांत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद (पीएटी) समायोजित (आनुमानिक) शुद्ध लाभ Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning*	-2536.40

\* आरबीआई आरएआर 2017 के अनुसार / As per RBI RAR 2017

4.3 पुनर्संचित खातों का विवरण

बैंक का नाम : यूको बैंक		दिनांक 31.03.2018 तक पुनर्संचित खातों का प्रकटीकरण																								
		पुनर्संचना का प्रकार			सौख्यार प्रणाली के अंतर्गत			एस्पआई त्र्या पुनर्संचना प्रणाली के अंतर्गत			अन्य			कुल			(करोड़ ₹ में)									
क्र.	सं.	विवरण	मानक	अवमानक	संचिध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संचिध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संचिध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संचिध	हानि	कुल				
1.		वित्तीय वर्ष के औसत की स्थिति को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक ऑफर)	उधारकर्ताओं की संख्या 10	बकाया राशि 2019.67	4663.59	3169.00	28	2	82	53	114	11	12.89	247.42	2528.04	1473	4538	2787	4	8802	1536	4694	2826	8	9064	
			प्रवधान 100.98	699.54	1267.60	38.59	2106.71	0.85	32.40	5.16	1.60	40.00	126.30	399.97	1160.70	228.13	1131.90	2433.45	188.12	18382.43	3981.60					
2.		वर्ष के दौरान नए पुनर्संचित	उधारकर्ताओं की संख्या 0	बकाया राशि 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.11	
			प्रवधान 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81	
3.		वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या 1	बकाया राशि 24.18	-24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			प्रवधान 3.63	-3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.		पुनर्संचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उन्नयन / जोखिम प्रवधान / जोखिम भार नहीं रखा गया अतः आगे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या 1	बकाया राशि 3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	
			प्रवधान 0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	8.33	166.53	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.96
			प्रवधान 0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	8.33	166.53	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55

## दिनांक 31.03.2018 तक पुनर्संचित खातों का प्रकटीकरण

## बैंक का नाम : यूको बैंक

क्र.मा.क	पुनर्संचना का प्रकार	सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत				एस्पआई क्रमा पुनर्संचना प्रणाली के अंतर्गत				अच्य				कुल			
		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
5	उधारकर्ताओं की संख्या	-5	1	4	0	0	0	0	0	0.00	-440	410	30	0	0	0	
	बकाया राशि	-1535.00	961.82	573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1612.31	542.41	1069.90	0.00	0.00	0.00	
	प्रावधान	-76.75	144.27	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.62	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	उधारकर्ताओं की संख्या	0	-40	0	0	-40	-49	-113	-2	-164	-309	-4442	0	0	0	-4955	
	बकाया राशि	-408.73	-5328.46	0.00	0.00	-5737.19	-8.63	-213.84	-4.65	-227.12	-102.05	-2475.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	प्रावधान	25.25	40.92	1496.87	0.00	1563.04	0.09	0.32	4.87	6.88	11.50	113.15	1595.63	0.00	1720.28	3097.38	
7	उधारकर्ताओं की संख्या	5	2	32	2	41	2	1	10	2	772	451	2819	4	4046	779	
	बकाया राशि	96.28	272.77	3742.18	36.59	4149.82	4.74	2.13	12.18	20.65	648.06	754.32	3989.08	147.93	5539.39	749.08	
	प्रावधान	25.25	40.92	1496.87	0.00	1563.04	0.09	0.32	4.87	6.88	11.50	113.15	1595.63	0.00	1720.28	3097.38	

\* मानक पुनर्संचित आंकड़े छोड़कर जिन्हें उच्च प्रावधान या जोखिम भार की जरूरत नहीं होगी (यदि लागू हो)

\*\* विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मात्रा एवं मूल्य में प्रारंभिक शेष को जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनर्गठित, पुनर्व्यवस्थित एवं पुनर्संकलित किया गया है।  
रुपये 1388.50 करोड़ के 9 खाते बचे गए जिसके लिए रुपये 1246.32 करोड़ का प्रावधान किया गया।

**4.3 Particulars of Accounts Restructured**

Disclosure of Restructured Accounts as on 31-03-2018																					
NAME OF THE BANK: UCO Bank																					
Sl No	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total							
		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total					
1	No. of borrowers Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	10	42	28	2	82	53	114	11	2	180	1473	4538	2787	4	8802	1536	4684	2826	8	9064
	Amount outstanding	2019.67	4663.59	3169.00	38.59	9890.85	16.96	215.97	12.89	1.60	247.42	2528.04	2666.45	2901.74	147.93	5699.76	4564.67	7546.01	6083.63	188.12	18382.43
	Provision thereon	100.98	699.54	1267.60	38.59	2106.71	0.85	32.40	5.16	1.60	40.00	126.30	399.97	1160.70	147.93	126.30	228.13	1131.90	2433.45	188.12	3981.60
2	No. of borrowers Fresh restructuring during the year	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	3	0	1	3	0	4
	Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	21.73	17.44	0.00	39.17	0.00	21.73	21.38	0.00	43.11
	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	3.26	6.98	0.00	10.24	0.00	3.26	8.55	0.00	11.81
3	No. of borrowers Upgradations to restructured standard category during the FY	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	56	-56	0	0	0	57	-57	0	0	0
	Amount outstanding	24.18	-24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	-0.91	0.00	0.00	0.00	25.09	-25.09	0.00	0.00	0.00
	Provision thereon	3.63	-3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	-0.14	0.00	0.00	0.00	3.76	-3.76	0.00	0.00	0.00
4	No. of borrowers Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	8	0	0	0	8	11	0.00	0.00	0	11
	Amount outstanding	3.84	0.00	0.00	0.00	3.84	3.59	0.00	0.00	0.00	3.59	166.53	0.00	0.00	0.00	166.53	173.96	0.00	0.00	0.00	173.96
	Provision thereon	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	8.33	0.00	0.00	0.00	8.33	8.55	0.00	0.00	0.00	8.55

Disclosure of Restructured Accounts as on 31-03-2018																			
NAME OF THE BANK: UCO Bank																			
Sl No	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total (₹ in Crore)					
		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
5	No. of borrowers	-5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amount of restructured accounts outstanding during the FY	-1535.00	961.82	573.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1612.31	542.41	1069.90	0.00	-3147.31	1504.23	1643.08	0.00	0.00	0.00
	Provision thereon	-76.75	144.27	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.62	81.36	0.00	0.00	-157.37	225.63	67.52	0.00	0.00	135.79
6	No. of borrowers	0	-40	0	0	-49	-113	-2	0	-309	-4442	0	0	-358	-4695	-2	0	0	-4955
	Amount outstanding during the FY	-408.73	-5328.46	0.00	0.00	-5737.19	-213.84	-4.65	0.00	-102.05	-2475.36	0.00	0.00	-2577.41	-9017.66	-4.65	0.00	0.00	-9541.72
	Provision thereon	25.25	40.92	1496.87	0.00	1563.04	0.32	4.87	1.60	11.50	113.15	1595.63	0.00	36.84	154.38	3097.38	1.60	0.00	3290.20
7	No. of borrowers	5	2	32	2	41	1	10	2	772	451	2819	4	779	454	2861	8	0	4102
	Amount outstanding as on March 31 of the FY (closing figures)*	96.28	272.77	3742.18	3859	4149.82	4.74	2.13	12.18	646.06	754.32	3989.08	147.93	749.08	1029.22	7743.44	188.12	0.00	9709.86
	Provision thereon	25.25	40.92	1496.87	0.00	1563.04	0.32	4.87	1.60	11.50	113.15	1595.63	0.00	36.84	154.38	3097.38	1.60	0.00	3290.20

\*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). Opening Balances in quantity and value under different categories have been regrouped, rearranged and recomputed wherever considered necessary. 9 account sold to ARC amounting Rs. 1388.50 crore having provision of ₹1246.32 crores.

**4.4 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के व्योरे**

**Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction**

**A. विक्री के विवरण /Details of Sales**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Item	2017-2018	2016-17
(i) खातों की संख्या / No. of accounts	20	14
(ii) कुल बकाया राशि Aggregate Balance Outstanding	1764.39	1123.41
(iii) एफआईटीएल बकाया राशि FITL Balance Outstanding	124.03	117.08
(iv) कुल प्रावधान / Aggregate Provision	1373.55	536.29
(v) एससी/आरसी(ii-iii-iv) को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल) (II-III-एफआईटीएल) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC (ii-iii-iv)	266.81	470.04
(vi) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	199.42	660.98
(vii) पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बावत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	85.64	40.20
(viii) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि Aggregate gain/(loss) over net book Value	(10.76)	(41.56)

**4.5 एससी/आरसी के अतिरिक्त खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे**

**Details of Non performing financial assets purchased/sold to other than SC/RC**

**आ/A. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2017-18	2016-17
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. (क) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या / (a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil

**आ/B. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे/Details of Non performing financial assets sold:**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2017-18	2016-17
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. कुल बकाया / Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3. कुल प्रतिफल प्राप्त / Aggregate consideration received	शून्य/Nil	शून्य/Nil



4.6 (a) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का व्योरा /Details of Investment in Security Receipts:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying		गैर-बैंकिंग कंपनियों के द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/non banking financial companies as underlying		Total कुल	
	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
प्रतिभूति प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	1692.01	1788.11	0.00	0.00	1692.01	1788.11

4.6 (b) प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का प्रकटीकरण / Disclosure of Investment in Security Receipts.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण /Particulars		विगत 5 वर्षों में जारी प्र.प्रा. SRs issued within past 5 years	5वर्षों से अधिक परंतु विगत 8 वर्षों में जारी प्र.प्रा. SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	विगत 8 वर्षों से पूर्व जारी प्र.प्रा. SRs issued more than 8 years ago
(i)	बैंक द्वारा विक्रय किए गए एनपीए द्वारा समर्थित प्र.प्रा.का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	1767.87	0	20.24
	(i)के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (i)	215.62	0	20.15
(ii)	अन्य बैंकों /वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए एनपीए द्वारा समर्थित प्र.प्रा. का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ financial companies as underlying	0	0	0
	(ii) के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (ii)	0	0	0
कुल/ Total (i) +(ii)		1767.87	0	20.24

4.7 मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provisions on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Item	2017-18	2016-17
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	495.85	841.34

5.0 कारोबार अनुपात / Business Ratios

मदें / Items	2017-18	2016-17
(i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय(%)/Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	5.93	6.65
(ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय(%)/ Non-interest income as a percentage to Working Funds(%)	0.47	0.86
(iii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय(%)/Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	0.56	1.19
(iv) आस्तियों पर आय /Return on Assets (%)	-1.88	-0.75
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crore)	12.74	13.48
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (₹ in lakh)	-18.48	-7.50

6.0 आसित देयता प्रबंध-दिनांक 31.03.2018 को आसितियों एवं देयताओं की कुछ मर्दों की परिपक्वता का स्वरूप

**6.0 Asset Liability Management - Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.03.2018**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30 दिन तक	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	1 Day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months upto 3 months	Over 3 months upto 6 months	Over 6 months upto 1 year	Over 1 year upto 3 years	Over 3 years upto 5 year	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	422.73	3,459.47	3,020.12	6,259.39	9,421.53	9,504.33	22,236.80	37,092.63	33,867.29	9,708.14	46,856.85	1,81,849.28
अग्रिम सकल / Advances Gross	1,263.24	1,676.13	4,753.29	3,357.18	4,954.96	5,667.15	6,757.66	11,168.93	13,358.03	13,757.51	57,275.45	1,23,989.54
निवेश सकल Investments Gross	11.20	3.03	482.08	529.87	347.03	267.35	390.26	2,306.11	(-) 7,020.75	5,573.82	55,658.46	72,589.98
उधार/Borrowings	18.63	3,706.00	737.00	850.00	-	32.86	164.21	66.74	3,829.42	2,044.40	1,000.01	12,449.26
विदेशी मुद्रा आसितियां Foreign Currency Assets	1,170.83	1,340.55	964.64	2,566.51	3,711.32	1,728.07	6,242.10	4,325.55	2,702.39	1,216.81	2,295.31	28,264.08
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	229.80	974.16	680.96	2,460.15	2,807.19	724.92	3,059.02	4,361.53	5,276.50	3,287.22	3,490.07	27,351.54

**7.0 एक्सपोजर/Exposure:**

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹ Crore)

**7.1 स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector**

विवरण/Category	2017-18	2016-17
<b>क/अ) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure</b>		
(i) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);	14310.38 7710.05	14712.29 8077.96
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण, आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है। Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	1535.89	1416.59
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
क/अ.आवासीय / Residential,	0.00	0.00
ख/ब.वाणिज्यिक स्थावर संपदा / Commercial Real Estate.	0.00	0.00
<b>ख/ब) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure</b>	1918.79	1320.40
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		
<b>स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण (क+ख)/Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)</b>	<b>17765.07</b>	<b>17449.28</b>

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2017-18	2016-17
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनितों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	224.61	626.87
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.00	0.00
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनितों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनितों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनित से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.00
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	20.21	20.00
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनितों के प्राथमिक निर्गम की बावत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	194.50	194.50
	<b>पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market</b>	<b>439.32</b>	<b>841.37</b>

7.3 जोखिम श्रेणीवार केंद्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 <sup>st</sup> March 2018	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 <sup>st</sup> March 2018	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 <sup>st</sup> March 2017	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 <sup>st</sup> March 2017
नगण्य/Insignificant A1	12554.91	10.94	16370.20	13.78
कम/Low A2	476.00	0.00	1827.46	—
सामान्य/Moderate B1/B2/C1	4.51	0.00	4.48	—
अधिक/High C2	0.00	0.00	0.00	—
अत्यधिक/Very High D	0.00	0.00	0.00	—
सीमित/Restricted	0.00	0.00	0.00	—
ऋणोत्तर/Off-credit	0.00	0.00	0.00	—
<b>कुल/Total</b>	<b>13035.42</b>	<b>10.94</b>	<b>18202.14</b>	<b>13.78</b>

7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋणसीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

(अ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा:

A. Single Borrower Limit exceeded by the Bank:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रमांक Sl. No	उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा Exposure Ceiling	संस्वीकृत ऋण Limit sanctioned	अविध, जिसके दौरान ऋण सीमा का अतिक्रमण हुआ Period during which limit exceeded	कॉलम 5 में उल्लिखित अवधि के दौरान जितनी राशि का अतिक्रमण हुआ Amount exceeded during the period in col.5	बोर्ड की संस्वीकृति का ब्योरा Board sanction details	31.03.18 के अनुसार स्थिति Position as on 31.03.18
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

(आ) बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह उधारकर्ता सीमा - शून्य

B. Group Borrower Limit exceeded by the Bank:- Nil

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार/As at 31st March 2018
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	7571.09
क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licences, authority etc	0.00
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	NA

## 8. विविध

### 8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

विवरण/Particulars	31.03.2018	31.03.2017
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	शून्य/Nil	शून्य/Nil
भारत के बाहर/Outside India	9.42	10.84

**8.2 भा.रि. बैंक द्वारा अधिरोपित शास्तियों का प्रकटन**  
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भा.रि.बैंक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया था।

### 9.0. लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

#### 9.1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

#### 9.2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता लेखांकन मानक (एएस-9) और अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

#### 9.3 एएस-15-कर्मचारी हितलाभ :

कर्मचारी हितलाभ यानी पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी, सेवानिवृत्त एवं सेवारत निदेशकों आदि तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, आदि हेतु संशोधित लेखा मानक (एएस-15) के अनुसार प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष की देयताओं के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹423.40 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹894.98 करोड़) (₹0.40 करोड़, पिछले वर्ष का ₹0.40 करोड़ के वार्षिक चिकित्सा सहायता सहित) की राशि सुरक्षित की गई है।

## 8. Miscellaneous

### 8.1 Amount of Provision made for Income Tax

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

### 8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI.

No penalty was imposed by RBI during the financial year 2017-18.

### 9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

#### 9.1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There is no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS – 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.

#### 9.2 Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per Accounting Standard (AS-9) and Accounting policy No. 10 of Schedule -17.

#### 9.3 AS - 15 –Employee Benefits

Provision for Employee Benefits viz. Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, medical benefits to retired and in service Directors and their family members etc. has been made as per Revised Accounting Standard (AS) -15.

A sum of ₹423.40 Crore (₹894.98 Crore for FY 2016-17) (including Annual Medical Aid of ₹0.40 crores, previous year 0.40 crores) has been charged to the Profit and Loss Account towards current year's liabilities.

### प्रारंभिक एवं अंतिम दायित्व-शेष का मिलान : / Reconciliation of opening and closing balances of obligations:

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	निधि/ FUNDED		अनिधि/ UNFUNDED			
	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
प्रारंभिक दायित्व Opening Obligation	6913.15	752.13	410.94	34.35	13.16	1.05
चालू सेवा लागत Current Service Cost	314.91	43.90	34.04	0.00	2.83	0.00
सेवा लागत Past Service Cost	0.00	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	480.02	50.22	30.82	2.57	0.98	0.08
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	(746.67)	(165.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain)	(22.39)	(15.44)	5.08	(0.92)	(2.81)	0.52
अंतिम दायित्व Closing Obligation	6939.02	913.68	480.88	36.00	14.16	1.65

**प्रारंभिक एवं अंतिम योजना आस्ति शेष का मिलान / Reconciliation of opening and closing balances of plan assets:**

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity
योजना आस्तियों का प्रारंभिक मूल्य Opening Value of Plan Assets	6884.59	745.07
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	572.11	60.80
अंशदान Contributions	256.14	55.66
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(746.67)	(165.00)
बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss)	(45.40)	(4.38)
<b>योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य Closing Value of Plan Assets</b>	<b>6920.77</b>	<b>692.15</b>

**समाधानकृत बीमांकिक लाभ/हानि/Actuarial Gain/Loss Reconciled**

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
वर्ष में बीमांकिक हानि/ (लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	(22.39)	(15.44)	5.08	(0.92)	(2.81)	0.52
वर्ष में बीमांकिक लाभ/ (हानि) - योजना आस्ति Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(45.40)	(4.38)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	23.01	11.06	5.08	(0.92)	(2.81)	0.52
बीमांकिक हानि/(लाभ) वर्ष में मान्यता प्राप्त Actuarial Loss/(Gain) Recognised in the Year	23.01	11.06	5.08	(0.92)	(2.81)	0.52

**लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in Statement of Profit and Loss Account**

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)	314.91	43.90	34.04	0.00	2.83	0.00	
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)	480.02	50.22	30.82	2.57	0.98	0.08	
पूर्व सेवाओं की लागत (सी) Past Service Cost (C)	0.00	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (डी) Expected Return on Plan Asset (D)	572.11	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ) (ई) Net Actuarial Loss/ (Gain) Recognized in the Year (E)	23.01	11.06	5.08	(0.92)	(2.81)	0.52	
राशि /Amount (A+B+C+D+E)	<b>245.83</b>	<b>270.13</b>	<b>69.94</b>	<b>1.65</b>	<b>1.00</b>	<b>0.60</b>	
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया Expenses Recognized in Statement of Profit/ Loss during the FY 2017-18	प्रवधान खाता के माध्यम से - नोट 1 Through Provision Account-Note 1	193.87	103.99	69.94	1.65	1.00	0.60
	बैंक का सामान्य अंशदान - नोट - 2 Banks Ordinary Contribution-Note 2	51.96	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार जून, 2018, सितंबर, 2018 एवं दिसंबर, 2018 तिमाही में समानुपातिक आधार पर किया जाएगा। (नोट-3) As per RBI direction, to be taken into account in June 2018, September 2018 and December 2018 quarters in equal proportion (Note-3)	शून्य/NIL	166.14	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	

**नोट-1:** बीमांकिक रिपोर्ट द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लाभा - हानि लेखा में शामिल राशि।

**नोट -2:** वेतन की तारीख को पेंशन की मद में बैंक का सामान्य अंशदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाली गई राशि यानि कर्मचारियों / सदस्यों के अंशदान के बराबर राशि।

**नोट - 3:** शुद्ध निधि स्थिति (मौजूदा मूल्य दायित्व एवं नियोजित संपत्ति के उचित मूल्य के बीच का अंतर) को उपादान की अधिकतम सीमा के रूप में रखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.बीपी.9730/21.04.2018/2017-18 दिनांक 27 अप्रैल 2018 के अनुसार ₹221.53 करोड़ को 31.03.2018 को समाप्त तिमाही से प्रारंभ करते हुए चार तिमाहियों में फैला दिया गया है एवं केवल ₹55.39 करोड़ को लाभ एवं हानि लेखा में परिशोधित किया गया / मान्यता दी गई। अपरिशोधित राशि ₹166.14 करोड़ को जून, 2018 सितंबर, 2018 एवं दिसंबर, 2018 तिमाहियों में समान रूप से बांटा जाएगा।

**Note-1:** Amount recognized in the Profit and Loss Account during the FY 2017-18 as required by Actuarial Report.

**Note2:** Amount debited in the Profit and Loss Account during the FY 2017-18 as Bank's ordinary contribution to Pension on Salary Date i.e. same amount as Employees/ Members Contribution.

**Note-3:** The Net Funded Status (Difference between Present Value Obligation and Fair Value of Plan Asset) taking into account ₹20 lacs as ceiling for Gratuity. As per RBI letter no. DBR.BP.9730/21.04.2018/2017-18 dated 27th April 2018, ₹221.53 crores has been spread into four quarters starting from quarter ended 31.3.2018, and an amount of ₹55.39 Crores only have been amortized / recognized in the Profit & Loss Account. The unamortized portion of ₹166.14 crores shall be taken into account in June 2018, September 2018 and December 2018 quarters in equal proportion.

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि/Amounts Recognized in the Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligations as at 31.03.2018	6939.02	913.68	480.88	36.00	14.16	1.65
31.03.2018 की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का उचित मूल्य/प्रावधान की राशि Fair Value of Plan Assets/Amount of Provision held as at 31.03.2018	6920.77	692.15	410.94	34.35	13.16	1.05
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति) Net Liability/(Asset) recognized in the Balance Sheet	18.25	221.53	69.94	1.65	1.00	0.60

निवेश के बारे में :

Investment Details:

- क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%  
ख) पेंशन निधि की बावत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों  
की प्रमुख श्रेणियाँ

- a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%  
b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value  
in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	
ईक्विटी /Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियाँ Fixed income & debt securities	14.94%
विशेष जमा / Special Deposit	0%
अन्य आस्तियाँ एन्युटी कांटेक्टर Other Assets / Annuity contractor	85.06%
<b>कुल/Total</b>	<b>100.00%</b>

\* यूको बैंक कर्मचारी भविष्य निधि न्यास से ₹ 2.54 करोड़ प्राप्य सहित /  
including Receivable from UCO Bank Employees Provident Fund Trust of ₹2.54 crores

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	7.50 %
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	5.50 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	8.31% ( पेंशन हेतु/For Pension ) 8.16% ( उपदान हेतु/For Gratuity )
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	17 Years on an average (Gratuity) 7 Years on an average (Pension)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method



9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व Revenue	6431.04	7930.94	5210.33	6563.84	3459.06	3901.46	40.70	44.05	15141.13	18440.29
परिणाम Result	1781.31	2870.65	(-294.08)	(-11.55)	(-193.69)	22.94	40.70	44.05	1334.24	2926.08
अनावंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									1334.24	2926.08
आयकर Income Tax									9.42	10.84
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									(-4436.37)	(-1850.67)
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	99791.82	104103.13	69658.94	79882.50	46225.88	47118.97	379.53	235.11	216056.18	231339.71
अनावंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									216056.18	231339.71
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	84801.17	86009.92	78898.03	91410.80	52356.97	53918.99	0.00	0.00	216056.18	231339.71
अनावंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									216056.18	231339.71

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व/Revenue	14519.43	17794.66	621.70	645.63	15141.13	18440.29
आस्तियां/Assets	197032.76	206552.14	19023.42	24787.57	216056.18	231339.71

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री आर. के. टक्कर

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री चरण सिंह

श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर

9.5 Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD) & CEO

Shri R. K. Takkar

ii) Executive Directors (ED)

Shri Charan Singh

Shri G. Subramania Iyer

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लेनदेन और अवधि में परिवर्तन / Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मदें Items	राशि Amount
श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ Shri R. K. Takkar MD & CEO	01.04.2017 से/ to 31.03.2018	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	26.92 5.70 0.01 0.10 शून्य/Nil
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Shri Charan Singh ED	01.04.2017 से/to 31.03.2018	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	23.53 18.18 शून्य/Nil 0.91 शून्य/Nil
श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर कार्यपालक निदेशक Shri G. Subramania Iyer ED	01.04.2017 से/to 31.03.2018	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	23.52 0.15 शून्य/Nil 0.02 शून्य/Nil

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित / As compiled and certified by the management.

ग) सहयोगी

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नानुसार हैं:

- i) बिहार ग्रामीण बैंक
- ii) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक

घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ लेन-देन का प्रकटन एएस-18, 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दी गई है।

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस): (एएस -20)

प्रति शेयर अर्जन ईपीएस का परिकलन / Calculation of EPS

	31.3.2018	31.3.2017
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	-4436.37	-1850.67
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	230,81,57,136	155,97,28,157
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	175,86,96,455	139,23,08,116
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	-25.23	-13.29

9.7 एएस-21, 23, 24, 25, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा एएस 23, असतत परिचालन-एएस 24 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग-एएस 25 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.8 आय पर कर का लेखांकन (एएस-22)

क) वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹2463.64 करोड़ (₹850.40 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

c) Associates

Regional Rural Banks (RRB) sponsored by the Bank are as under:

- i) Bihar Gramin Bank
- ii) Paschim Banga Gramin Bank

d) The transactions with RRB have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled Enterprises

9.6 . EARNINGS PER SHARE (EPS)- (AS-20):

9.7 Applicability of AS-21, 23, 24, 25, 27

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21- Consolidated Financial Statements, AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements, AS-24 - Discontinuing Operations, AS-25 - Interim Financial Reporting and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 Accounting for Taxes on Income (AS-22):

a) During the year net amount of ₹2463.64 Crore (₹850.40 Crore for FY 2016-17) has been recognized as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2018	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2017
<b>आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets</b>		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	4917.66	2229.00
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	166.42	139.80
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	70.68	86.69
एएस-15 के लिए प्रावधान/ Provision for AS-15	18.99	17.93
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	171.60	291.17
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	0.00
कपट एवं अन्य के लिए प्रावधान/Provision for Fraud and other	181.23	249.90
<b>योग:/TOTAL :</b>	<b>5526.58</b>	<b>3014.49</b>

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2018	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2017
<b>आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities</b>		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	51.91	51.92
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	147.44	98.97
<b>योग:/TOTAL:</b>	<b>199.35</b>	<b>150.89</b>
<b>आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)</b>	<b>5327.25</b>	<b>2863.60</b>

**9.9 अमूर्त आस्तियां (एस-26) :**

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आरिक्त की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

**9.9 Intangible assets (AS-26):**

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2018 (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. Sl. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2018	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2017
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	33.99	33.66
2	घटाएं. : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	2.86	0.00
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरुद्ध Net Block at the beginning of the year	31.13	33.66
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	17.58	12.36
5	घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	13.39	12.03
6	योग/Total	35.32	33.99
7	घटाएं: अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	18.32	19.52
8	घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	0.00	0.00
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	17.00	14.47

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2018

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2018	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2017
10 प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	19.52	14.89
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0.95	0.00
12 शुद्ध अथ शेष /Net Opening Balance	18.57	14.89
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	0.00	0.00
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	13.14	16.66
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	13.39	12.03
16 अंतिम शेष/Closing Balance	18.32	19.52

\* कॉलम नं. 14 में दिए गए आंकड़े वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 53.18 लाख की कमी को दर्शाता है।

Figure in column no. 14 contains depreciation of ₹ 53.18 lacs related to FY 2016-17

\* कॉलम नं. 2 में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष 2016-17 के एमओसी के समायोजन से संबंधित हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गलती से छूट गया था।

Figure in column no. 2 is Adjustment on account of MOC of the previous year which was missed to be considered for last FY

### 9.10 आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

### 9.10 Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

### 10.0 अतिरिक्त प्रकटन : / Additional disclosures:

#### 10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	348.03	-55.42
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान/Provision towards NPA	7343.38	4414.68
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	220.48	84.12
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	-346.24	161.55
कराधान के लिए प्रावधान Provision towards Taxation	9.42	10.84
विधिक मामले / आकस्मिकताएं / कपट / Legal Cases / Contingencies/Frauds	6.39	5.89
उचित मूल्य में हास / Diminution in Fair Value	-46.24	-146.65
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	-2463.64	-850.40
बकाया वेतन पुनरीक्षण / Arrear Wage Revision	75.00	0
विविध प्रावधान / Miscellaneous Provision	624.03	1152.14
<b>योग / Total</b>	<b>5770.61</b>	<b>4776.75</b>

#### 10.2 आकस्मिक देयताएं

- क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।
- ख) आयकर विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग एवं आयकर, टीडीएस, शास्ति, ब्याज एवं ब्याज कर हेतु ट्रेसेस (आय कर की वेबसाइट) में प्रदर्शित मांग राशि ₹36.90 करोड़ (₹10.66 करोड़) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है; के ब्याज एवं ब्याज कर को अनुसूची 12 में आकस्मिक देयता के अधीन दर्शित किया गया है। प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं। यह उल्लेखनीय है कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष ₹3.38 करोड़ के ब्याज कर के लंबित मामले का निर्णय बैंक के पक्ष में किया गया है। आय कर विभाग से आदेश प्राप्त होने पर बैंक ब्याज के साथ पूरी राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। बैंक को इस मामले पर किसी उच्चतर फोरम/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आय कर विभाग द्वारा अपील दायर किए जाने के संबंध में सूचना/नोटिस प्राप्त नहीं हुई है।

#### 10.2 Contingent Liabilities

- a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgement of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.
- b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax Department and demand displayed at TRACES (Income Tax Website) on account of Income Tax, TDS, Penalty, Interest and Interest Tax amounting to ₹36.90 Crore (₹10.66 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities. It is pertinent to mention that Interest Tax issue pending before Hon'ble High Court of Kolkata amounting to ₹3.38 Crore has been decided in favour of the Bank. On receipt of order effect form Income Tax department, Bank shall be entitled to receive the entire amount along with interest. Bank has received no intimation/notice regarding filing of appeal by Income Tax Department in any higher Forum/Supreme Court on this issue.

#### 10.3 अस्थायी प्रावधान

शून्य

#### 10.3 Floating Provisions

Nil

#### 10.4 उपयोग के कारण आरक्षितियों में कमी

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17 / 222 / डीबीआर.बीपी.बीसी.नं. 50 / 21 / 2016-17 दिनांक 02 फरवरी, 2017 का अनुपालन करते हुए एटी - 1 बॉण्ड के ब्याज के भुगतान हेतु ₹8.65 करोड़ के लिए सांविधिक आरक्षिति को नामे डाला गया।

#### 10.4 Draw Down From Reserves

₹8.65 crores has been debited to statutory reserves with compliance to RBI Circular no. RBI/2016-17/222/DBR.BP.BC.No.50/21/2016-17 dated 02nd Feb 2017 for payment of interest on AT-1 Bonds.

**10.5 शिकायतों का प्रकटीकरण**

अ) ग्राहक-शिकायतें :

**10.5 Disclosure of Complaints**

A) Customer Complaints:

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
क वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या A No. of complaints pending at the beginning of the year	291	79
ख वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या B No. of complaints received during the year	21737	18991
ग वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या C No. of complaints redressed during the year	21561	18779
घ वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या D No. of complaints pending at the end of the year	467	291

नोट : ग्राहक शिकायतों में एटीएम शिकायतें भी शामिल हैं

Note : Number of customer complaints also includes ATM complaints.

आ) दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का अवधिवार वर्गीकरण

B) Age wise classification of pending complaints as on 31.03.18

30 दिन तक Upto 30 days	31 दिन से लेकर 3 माह तक 31 days to 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक > 3 months to 6 months	6 माह से अधिक तक > 6 months	योग Total
464	3	0	0	467

इ) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड:

C) Awards passed by the Banking Ombudsman:

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
क वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या a No. of unimplemented awards at the beginning of the year	0	0
ख वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या b No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	0	0
ग वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या c No. of Awards implemented during the year	0	0
घ वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या d No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

घ) एटीएम से संबंधित शिकायतें :

d) ATM Related Complaints:

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
क वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या a No. of complaints pending at the beginning of the year	62	4
ख वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या b No. of complaints received during the year	8949	5511
ग वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या c No. of complaints redressed during the year	8789	5453
घ वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या d No. of complaints pending at the end of the year	222	62

### 10.6 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्त्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार है:

### 10.6 Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

1 वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2017-18	5108.81
2 वर्ष 2017-18 के दौरान परिपक्व / रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured/cancelled during the year 2017-18	4925.57
3 दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2018	1383.09

### 10.7 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

### 10.7 Provisioning Coverage Ratio

	दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2018 (Current Year)	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2017 (Previous Year)
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात/Provisioning Coverage Ratio	61.38%	61.17%

### 10.8 बैंकाश्युरेंस से आय

बैंक, बैंकाश्युरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकाश्युरेंस नॉन-लाइफ के लिए रिलायंस जनरल इंश्युरेंस कंपनी लि., मेसर्स फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्युरेंस कंपनी लि., मेसर्स लिबर्टी विडियोकान जनरल इंडिया इंश्युरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्युरेंस कारोबार से आय के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

### 10.8 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance Life and Reliance General Insurance Company Ltd Liberty India Videocon General Insurance Co Ltd. & Future General. India Insurance Co for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार Type of Business	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
लाइफ कारोबार / Life Business	4.56	4.89
नॉन-लाइफ कारोबार / Non Life Business	4.87	3.77

### 10.9 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण

### 10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures

#### क) जमाराशियों का संकेंद्रण

#### a) Concentration of Deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष /Current Year	पिछले वर्ष /Previous Year
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	15580.27	24890.62
कुल जमाराशियां/Total Deposits	181849.28	201284.51
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में बीस (20) अत्यधिक बड़े जमाकर्ता / Top 20 Depositors as % Total Deposits	8.57%	12.37%

#### ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

#### b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
बीस (20) अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम /Total advances to twenty largest borrowers	18460.61	17346.22
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	14.89%	13.18%

## ग) ऋण का संकेंद्रण

## c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	22148.15	21086.79
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	11.69%	11.64%

## 10.10 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

## 10.10 Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2017-18	2016-17
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को कुल ऋण Total Exposure to top four NPA accounts	3657.40	3430.24

## 10.11 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

## 10.11 Sector wise Advances

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/ Current Year 2017-18			पिछले वर्ष/ Previous Year 2016-17		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित) / Priority Sector (Including RIDF)						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	20665.71	3028.64	14.66%	20092.24	2232.21	11.11%
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5211.50	787.26	15.11%	16405.55	1594.54	9.72%
3	सेवा क्षेत्र/Services	16754.48	2149.77	12.83%	15422.72	1080.11	7.00%
4	वैयक्तिक ऋण /Personal Loans	8500.89	623.78	7.34%	4256.49	745.83	17.52%
	उप-योग(अ)/Sub-total (A)	51132.58	6589.45	12.89%	56177.00	5652.69	10.06%
B	गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0	0	0	0
2	उद्योग/Industry	32042.85	20630.4	64.38%	49247.26	15109.22	30.68%
3	सेवा क्षेत्र/Services	2529.09	129.19	5.11%	1521.81	321.53	21.13%
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	10278.53	658.40	6.41%	8918.07	440.37	4.94%
5	अन्य/Others	28006.48	2542.48	9.08%	15790.87	1017.14	6.44%
	उपयोग(आ)/Sub-total (B)	72856.95	23960.47	32.89%	75478.01	16888.26	22.38%
	कुल (अ+आ)/Total (A+B)	123989.53	30549.92	24.64%	131655.01	22540.95	17.12%



**10.12 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ / Movement of NPAs**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अनर्जक आस्तियाँ / Non-Performing Assets		
मर्दे / Item	2017-18	2016-17
क) दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियाँ (प्रारंभिक शेष) a) Gross NPAs as on 01.04.2017 (Opening Balance)	22540.95	20907.73
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ) विनिमय अंतर जोड़कर b) Additions (Fresh NPAs) during the year plus Exchange Difference	15027.43 6.37	9928.16 -18.89
उप योग (अ)/Sub Total (A)	37574.75	30817.00
ग/घटाएँ/ Less:		
(i) ग्रेड उन्नयन/Upgradations	2610.08	4300.45
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1680.04	2038.66
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते डालना Technical/Prudential Write-offs	1517.84	1249.21
(iv) उक्त (iii) के अधीन को छोड़कर बड़े खाते डालना Write-Off other than those under (iii) above	1216.87	687.73
उप योग (आ)/Sub total (B)	7024.83	8276.05
दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियाँ (अंतिम शेष) (अ-आ) (d) Gross NPAs as on 31st March 2018 (Closing Balance) (A-B)	30549.92	22540.95

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

**तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते डाले गए खातों का व्योरा / Details of Technical/Prudential Written-Off Accounts:**

विवरण/Particulars तकनीकी बड़े खाते डाले गए एवं वसूलियाँ/Technical Write-off and Recoveries	2017-18	2016-17
दिनांक 01.04.2017 को तकनीकी /विवेकपूर्ण बड़े खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/Prudential written off accounts as at 01.04.2017	5023.07	3899.14
Add: (i) वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते डाले गए Technical/Prudential write-offs during the year	1517.84	1249.21
(ii) पुराने खातों से अधिक/Addition to Old Accounts	35.39	33.25
उप योग (अ)/ (A) Sub-total	6576.30	5181.60
घटाएँ वर्ष के दौरान पहले तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते डाले गए खातों से वसूली (आ) (B) Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year 31.03.2018 को अंतिम शेष	661.19	158.53
(आ) / (B) Closing balance as at 31.03.2018	5915.11	5023.07

**10.13 विदेश स्थित आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2017-18	2016-17
कुल आस्तियाँ/Total Assets	19023.42	24787.57
कुल अनर्जक आस्तियाँ/Total NPA's	1079.78	842.14
कुल राजस्व/Total revenue	621.70	645.63

**10.14 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी**

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

**10.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored**

Bank has not sponsored any SPVs.

**10.15 समाधान**

केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन से अधिकांश अंतर शाखा लेनदेन का समाधान अपने आप ही जाता है। अंतर शाखा लेन-देन एवं अंतर-बैंक शाखा लेन-देन में बहुत कम बैंक प्रविष्टियों के ही समाधान की आवश्यकता होती है जिसे सतत आधार पर किया जाता है।

**10.15 Reconciliation:**

Most of the inter branch transactions are reconciled automatically with implementation of Centralized Banking Solution (CBS). Very few entries under inter branch account & inter bank account requires reconciliation which is done on ongoing basis.

दिनांक 31.03.2018 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचंत लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर उसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Reconciliation of entries outstanding has been drawn upto 31.03.2018 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz. branch adjustment balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities will not be material.

#### 10.16 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

#### 10.16 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	103.02	93.35
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	21.92	10.61
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	1.96	0.94
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	122.98	103.02

#### 10.17 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर नीति गठित की है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीआई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर युक्त निकायों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीआई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीआई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीआई) के लिए 31.03.2018 को ₹41.38 लाख की देयता का अनुमान लगाया है तथा वर्ष के दौरान का प्रावधान किया है और लाख की उनके घटकों है जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप है।

#### 10.18 चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

##### एलसीआर डाटा की गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम

चल निधि कवरेज, बैंक को संभावनीय चल निधि के अव्यवस्थित होने पर यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक में उच्च स्तरीय चल निधि परिसंपत्तियां हैं जिन्हें 30 दिनों की अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थितियों से उबरने हेतु चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता, लघु अवधि हेतु संवर्धित करता है। एलसीआर के परिकलन अगले 30 कैलेंडर दिनों में कठिन आर्थिक परिस्थितियों में निवल नकद बहिर्गमन के अनुपात में उच्च स्तरीय चल निधि संपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

##### एलसी आर का निर्धारक तत्व

बैंक द्वारा लगातार एकल एवं समेकित आधार पर एल सी आर को नियामक की अपेक्षाओं से भी अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है जिसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं :

#### 10.17 Unhedged Foreign Currency Exposure:

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of ₹41.38 lacs as on 31.03.2018 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

#### 10.18 Liquidity Coverage Ratio (LCR):

##### Qualitative Assessment of LCR data and Result:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet their liquidity needs under a significantly severe stress scenario lasting for 30 days. The LCR is calculated as the ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash Outflows under stressed conditions over the next 30 calendar days.

##### Drivers of a Comfortable LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the regulatory requirement on an ongoing basis on solo as well as consolidated basis the main drivers of which are as under:

तत्व / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का सुविधाजनक स्तर Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक द्वारा बाध्यकारी एसएलआर जरूरतों से अधिक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का सुविधाजनक स्तर बनाए रखा जा रहा है, जिसे संकटग्रस्त परिस्थितियों में जल्द तरलता उपलब्ध करने के लिए आसानी से बेचा या रेपो उधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The Bank is maintaining comfortable level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for repo borrowings to avail quick liquidity in stressed conditions.
न्यून रन ऑफ वाली निकासियों पर ध्यान देना Focus on Outflows having lower run-off	बैंक 5%/10% के न्यून रन ऑफ घटक युक्त रिटेल जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा एवं बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमाओं पर निर्भरता कम कर रहा है निर्भर है जिनका 40%/100% तक उच्च रन ऑफ घटक रहता है। The bank is focusing on accretion of retail deposits as they have lower run off factor of 5%/10% and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC having higher run off factor of 40%/100%

**उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए):** हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

● **स्तर 1 की परिसंपत्तियां**

- उपलब्ध तैयार नकदी, जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त में मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
- बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त में मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
- एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
- एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 9% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।

● **स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)**

● **स्तर 2ए परिसंपत्तियों के अंतर्गत**

- सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनका द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
- कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

● **स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत**

- सॉवरेन द्वारा निर्मित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
- कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
- एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

**निधीयन स्रोतों का संकेंद्रण :** विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधीयन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यतः शामिल हैं

● चालू जमा एवं बचत जमा, और

● मीयादी जमा

बैंक निम्न स्थिरता वाली निधियों की संकेन्द्रण पर निगरानी रखने/कम करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी रख रहा है। बैंक ने थोक जमा को कम किया है तथा चालू एवं बचत जमा की अभिवृद्धि पर ध्यान दिया है। बैंक नियमित अंतराल पर 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण पर भी नज़र रखता है।

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर तरलता का प्रबंधन केंद्रीयकृत रूप से किया जाता है।

**High Quality liquid Assets (HQLA):** Our HQLA comprises of following

● **Level 1 Assets**

- Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
- Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
- Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 9% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.

● **Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)**

● **Under Level 2A assets**

- Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
- Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

● **Under Level 2B assets**

- Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
- Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
- Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

**Concentration of Funding Sources:** Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

● Current Deposit and Saving Deposit and

● Term Deposit ( normal and Bulk)

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor / reduce the concentration of funds having lower stability. The bank has reduced the bulk deposits and focused on accretion of current and Savings deposits. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

**चलनिधि कवरेज अनुपात/LIQUIDITY COVERAGE RATIO**

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:		(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)			
		चालू वर्ष/Current Year *		पिछले वर्ष/ Previous Year**	
		कुल अभाहित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभाहित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
<b>उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/High Quality Liquid Assets</b>					
1	कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां Total High quality Liquid Assets		49,614.85		54636.02
<b>नकदी निकासी/Cash Outflow</b>					
2	रिटेल जमा/Retails Deposit	1,25,494.37	9,616.55	1,22,289.12	9,352.89
(i)	स्थिर जमा /Stable Deposit	58,657.83	2,932.89	57,520.36	2,876.02
(ii)	अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposits	66,836.54	6,683.65	64,768.77	6,476.88
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें Unsecured Wholesale Advance	38,267.13	17,137.68	26,474.45	14,030.03
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposit ( All Counter Parties )	19.47	4.87	75.95	18.99
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non-Operational Deposit ( All Counter Parties )	38,090.40	17,132.82	26,398.50	14,011.04
(iii)	अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt	157.26	-	-	-
4	प्रतिभूत थोक निधीयन /Secured Wholesale Funding		-		-
5	अतिरिक्त जरूरतें, जिनमें Additional Requirements of Which	1,472.30	1,472.30	1,474.41	1,474.41
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1,472.30	1,472.30	1,474.41	1,474.41
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	-	-	-	-
6	अन्य संविदा निधीयन दायित्व Other Contractual funding Obligations	421.79	421.79	674.24	674.24
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	27,393.86	1,064.38	26,182.81	1,016.00
8	कुल नकदी निकासी/Total Cash Outflows		29,712.70		26,547.58
<b>नकदी निकासी/ Cash Inflow</b>					
9	प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending ( eg. Reverse Repo )	2,297.17	-	3,546.42	-
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	5,569.58	4,106.94	6,705.76	4,287.50
11	अन्य नकदी आगमन/Other Cash inflow	1,281.95	910.36	1,658.84	1,201.78
12	कुल नकदी आगमन/Total Cash inflow	9,148.71	5,017.30	11,911.01	5,489.28
		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	
21	कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA		49,614.85		54,636.02
22	कुल निवल नकदी निकासी/Total Net Cash Outflow		24,695.40		21,058.31
23	चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio (%)		200.91%		259.45%

\* पिछली तिमाही समाप्ति का औसत, यानी अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018

\*\* पिछले 4 माह का औसत, यानी जनवरी, 2017 से मार्च 2017

\* Average of Daily LCR of Current Year i.e. April 2017 to March 2018

\*\* Average of Last Year 4th Quarter i.e. January 2017 to March 2017

### 10.19 अचल आस्तियां

- (i) बैंक ने भूमि एवं भवन के लिए पुनर्मूल्यन मॉडल को तथा अन्य अचल आस्तियों के लिए लागत मॉडल को अपनाया है।
- (ii) बैंक ने स्वतंत्र सुयोग्य मूल्यांककों द्वारा अंतिम बार 31.03.2016 को अपने परिसर का पुनर्मूल्यन कराया था। बही मूल्य से अतिरिक्त उचित मूल्य को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है। नियत तिथि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि की कुल राशि (हटाई गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) ₹2537.71 करोड़ (₹2507.31 करोड़) है तथा पुनर्मूल्यन भाग पर लगाया गया अवमूल्यन ₹185.94 करोड़ (₹199.16 करोड़) है। संशोधित एएस 10 के अनुसार भवन के पुनर्मूल्यन के कारण ₹22.74 करोड़ (22.93) के अतिरिक्त अवमूल्यन के बराबर की पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

हांगकांग की कोवलून शाखा का पुनर्मूल्यन दिनांक 31.03.2016 को ₹46.99 करोड़ आंका गया जिसमें आज की तारीख तक के ₹5.53 करोड़ के अवक्षयण को संपत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के द्वारा समायोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹1.07 करोड़ के अवक्षयण को एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹ 0.09 करोड़ के अवक्षयण को लाभ एवं हानि लेखा के माध्यम से चार्ज किया गया।

- (iii) मूल्यांकक ने निम्नांकित रीतियों से उपर्युक्त संपत्तियों का मूल्यांकन किया है:

**भूमि:** नवीनतम लेन-देन के आधार पर स्थानीय पूछताछ द्वारा बाजार दरों पर, और जहाँ भी यह सूचना उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित दर को संदर्भ दर लिया गया है।

**भवन:** निर्माण प्रकार के आधार पर नवीनतम अनुसूची के अनुसार पीडब्ल्यूडी प्लिथ दर पर और भवन की आयु के अनुसार अवमूल्यन घटक लागू किया गया है।

### 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अचल आस्तियों से संबंधित अन्य प्रकटीकरण :

- क) ₹429.68 कोरड़ रु का पट्टे पर लिए गए संपत्ति सहित परिसर एवं वर्ष के दौरान ₹1.60 कोरड़ रु परिशोधित की गई।
- ख) दो वर्ष से अधिक समय से नवीनीकरण / पंजीकरण हेतु लंबित लीज़ की आठ (8) लीज़ धारित संपत्तियों में से एक संपत्ति वर्ष 1995 से लंबित है। बैंक ने सभी मामलों में वांछित कार्रवाई किया है और यह समय पर पूरा हो जाएगा।
- ग) बैंक द्वारा खरीदी गई पाँच (5) संपत्तियों के मामले में पट्टा हस्तांतरण का कार्य लंबित है। बैंक ने इसके लिए वांछित कार्रवाई किया है।
- घ) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700 001 में स्थित अपने भवन में अनधिकृत 26 किरायादारों में से 24 किरायादारों के विरुद्ध बैंक ने 20.05.2015 में मामला दायर किया है और यह मामला सिटी सिविल कोर्ट के पास लंबित है।
- ङ) देयताओं की प्रतिभूति रूप से गिरवी रखे गए हक, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर बंधन का अस्तित्व एवं सीमा - शून्य
- च) 31.03.2018 को संपत्ति, संयंत्र, एवं उपस्कर पर के अधिग्रहण हेतु निविदा संकल्प - ₹41.61 कोरड़ (₹33.18 कोरड़)

### 10.19 Fixed Assets

- (i) Bank has adopted Revaluation Model for Land and Building and Cost Model for other Fixed Assets.
- (ii) Bank has revalued its premises last on 31.03.2016 by independent qualified valuers. The excess of fair market value over the book value is credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is ₹2537.71 crore (₹2507.31 crore) and depreciation on the revalued portion charged is ₹185.94 crore (₹199.16 crore). As per revised AS 10, Revaluation Reserve equal to the additional depreciation on account of Revaluation of the Building amounting to ₹22.74 Crore (22.93) has been transferred to Revenue Reserve.

The premises at Kowloon branch at Hong Kong have been revalued at ₹46.99 crores on 31.03.2016 with depreciation till date amounting ₹5.53 crores adjusted through Property Revaluation Reserve. The depreciation amounting ₹1.07 crores pertaining to Financial Year 2016-17 and ₹0.09 crores pertaining to Current Financial Year 2017-18, has been charged through Profit & Loss Account.

- (iii) The valuer has valued the properties on the following methods :

**Land:** On market rates by enquiry from the locality based on the latest transactions and wherever this information is not available, Govt. approved rate is taken as reference rate.

**Building:** On PWD plinth rate as per latest schedule on the basis of type of construction and applying depreciation factor depending on age of the Building.

### Other Disclosures regarding Fixed Assets for FY ending 31.03.2018 :

- a) Premises include Leasehold property of ₹429.68 Crores and amortised during the year ₹1.60 Crores.
- b) In respect of Eight (8) lease hold properties, renewal/ registration of lease is due for more than two years, out of which registration of lease of one property is pending since year 1995. The Bank has taken necessary measures in these cases and shall be completed in due course.
- c) In Five (5) properties purchased by the bank, execution of deed of conveyance is pending. The Bank has taken necessary measures for the same.
- d) Out of twenty six (26) unauthorised tenants at its own building at 2, India Exchange Place, Kolkata-70000, suit has been filed by the Bank on 20.05.2015, against twenty four (24) tenants and case is pending before City Civil Court.
- e) Existence and amount of restriction on title, property, Plant & Equipment pledged as security for liabilities - NIL.
- f) Contractual commitments for the acquisition of the property, plant & equipment as on 31.03.2018 - ₹41.61Crore (PY 33.18 Crore).

छ) निर्माण प्रक्रिया में संयंत्र उपस्कर की किसी वस्तु की वहनीय मात्रा में लिया गया व्यय – ₹8.23 करोड़ (₹6.08 करोड़)

ज) सक्रिय उपयोग से हटाकर निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की मात्रा - शून्य

**10.20** अनर्जक अग्रिमों के सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का वर्गीकरण निर्धारित नहीं है। जैसा कि तुलन-पत्र की अनुसूची-9 में कहा गया है, विभिन्न वर्गों के सकल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उसकी कटौती की जाती है ताकि निवल अग्रिम शेष प्राप्त किया जा सके।

**10.21** तुलन पत्र की तारीख के बाद होनेवाली घटनाओं के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उपयुक्त प्रकार से समायोजित किया गया है। इससे तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद स्थितियों से संबंधित राशियों का अनुमान सुलभ करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होता है।

**10.22** भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीआर.नं. बीपी.बीसी. 102/ 21.04.048 / 2017 – 18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अनुसार यह निर्णय किया गया कि 31 दिसंबर, 2017 एवं 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस एवं एवएफटी में धारित निवेशों को बाजार घाटे के लिए चिह्नित करने हेतु प्रावधान सप्रेड करने हेतु बैंकों को विकल्प दिया जाए। इन तिमाहियों के लिए प्रावधानों को जिस तिमाही में हानि हुई उस तिमाही से आरंभ कर चार तिमाहियों के बीच समान रूप से विस्तार करें।

g) Expenditure recognized in the carrying amount of an item of plant equipment and property in the course of construction is ₹8.23crore (6.08 crore).

h) Amount of assets retired from active use and held for disposal - NIL

**10.20** Break up of povision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from Gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Scheduled 9 of the Balance Sheet.

**10.21** Assets and liabilities have been suitably adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amounts relating to conditions existing at the balance sheet date.

**10.22** As per RBI Circular No: DBR. No.BP.BC.102/21.04.048/ 2017-18, dated April 2, 2018, it has been decided to grant banks the options to spread provisioning for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS and HFT for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018. The provisioning for each of these quarters may be spread equally over up to the four quarters commencing with the quarter in which loss is incurred.

(अंक करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	दिसंबर, 2017 तिमाही In Dec. 2017 Quarter.	मार्च, 2018 तिमाही In Mar. 2018 Quarter.	कुल प्रावधान Total provisions
कुल अपेक्षित प्रावधान/Total Provision required	470.95	107.04	577.99
प्रावधान को 4 तिमाहियों में विनियमित किया जाए (प्रति तिमाही) Provision to be appropriated in 4 Quarter (Per Quarter)	117.74	26.76	
दिसंबर, 2017 तिमाही/December 2017 Quarter	117.74	-	
मार्च, 2018 तिमाही /March 2018 Quarter	117.74	26.76	
जून, 2018 तिमाही /June 2018 Quarter	117.74*	26.76*	
सितंबर, 2018 तिमाही/September 2018 Quarter	117.74*	26.76*	
दिसंबर, 2018 तिमाही/December 2018	-	26.76*	
<b>कुल राशि/Total Amount</b>	<b>470.95</b>	<b>107.04</b>	

\* प्रावधानों को संबंधित अवधि में समान रूप से बांटा जाएगा।  
The provisions will be apportioned to the respective periods.

#### 11. धोखाधड़ी का प्रकटीकरण / Disclosure on Frauds

क्र.सं/ S.No.	विवरण/ Details	
1.	दि. 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या। No. of frauds reported during the year ended 31.03.2018	74
2.	शामिल राशि/ Amount involved	₹ 1232.78 करोड़/crores
3.	भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के बाद की गई वसूली। Recovery made after reporting the fraud to RBI	₹ 18.90 करोड़/crores
4.	बकाया राशि/Balance outstanding	₹ 1213.88 करोड़/crores
5.	किए गए प्रावधान की मात्रा/Quantum of Provision made	₹ 1213.88 करोड़/crores

12. विद्यमान ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटीकरण / Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans

(अंक करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अवधि Period	लचीली संरचना हेतु चुने गए उधार कर्ताओं की सं No. of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीली संरचना हेतु ली गई ऋण राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण के औसत अवधि का वित्त भार Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना लागू करने के पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना लागू करने के बाद After Applying flexible structuring
पूर्व वित्त वर्ष Previous Financial Year	7	1067.52	शून्य/NIL	7.42	17.64
चालू वित्त वर्ष (अप्रैल, 17 से मार्च 18) Current Financial Year (From April 17 to March 18)	1	194.35	शून्य/NIL	10.21	20.00

13) नियोजित ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(अंक करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की सं. जिनमें एसडीआर दावा किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्ट दिनांक को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्ट दिनांक को बकाया राशि उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन लंबित है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		रिपोर्ट दिनांक को बकाया राशि उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन हुआ है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
			शून्य/NIL			

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

14) एसडीआर योजना के बाहर मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवस्त अवधि में हैं)

Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन का निर्णय लिया  No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि  Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित है  Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित है  Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, उन खातों में जिनमें नए शेयरों के निर्गम या प्रमोटर ईक्विटी की बिक्री द्वारा मालिकाना परिवर्तन किया जाता है  Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
1	75.36	शून्य/NIL	75.36	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

15) कार्याधीन परियोजनाओं के मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवस्त अवधि में हैं)

Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परियोजना ऋण खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन करने का निर्णय किया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	पुनर्संरचित मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
	शून्य/NIL		

16) 31.03.2018 तक, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (एस 4 ए) के सतत ढांचे के लिए योजना पर प्रकटीकरण

Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2018

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की संख्या जहां एस 4 ए है लागू किया गया है के रूप में वर्गीकृत मानक No. of accounts where S4A has been applied Classified as Standard	कुल बकाया राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग क में In Part A	भाग ख में In Part B	
2	278.08	137.10	140.98	61.26
एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

नोट: भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई /2017 - 18 /131 डीबीआर नं. बीपी.बीसी.101 /21.04.048 /2017 - 18 दिनांक 12.02.2018 के पहले सबसे लागू  
Note: Since implemented prior to RBI circular No. RBI/2017-18/131 DBR No. BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018



## 17) आईएनडी एएस पर प्रकटीकरण

### पृष्ठभूमि:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़ कर, को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) लागू करना था। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक आईएनडी एएस को अपने प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.04.2018 के माध्यम से अगले एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया है।

### आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की कार्यनीति:

बैंक ने कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में आईएनडी एएस की तकनीकी आवश्यकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रिया बदलावों, कारोबार प्रभाव, संसाधनों के आकलन एवं परियोजना प्रबंधन की आयोजना के लिए आईएनडी एएस संचालन समिति गठित की गई है।

बैंक ने अपने भीतर ही आईएनडी एएस कार्यदल भी गठित किया है जो आईएनडी एएस संस्थापन परियोजना पर काम करेगा जिसमें भांति भांति के कार्य करनेवाले विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

बैंक ने आरबीआई/एमसीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन में बैंक के सहयोग के लिए आईएनडी एएस परामर्शदाता के रूप में मेसर्स डेलोआइट हर्किस एंड सेल्स एलएलपी को नियुक्त किया है।

### आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रोफार्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर दिया है जिसमें पिछले जीएएपी आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाते हुए 30 जून 2017 तक के ईक्विटी एवं लाभ परिवर्तनों को समायोजित किया गया है।

## 18) कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ किए गए एक्सपोजर के मामले में प्रावधान का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर. नं. बीपी.8756/ 21.04.048 / 2017 - 18 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अनुसार, अन्य बातों के साथ - साथ विशिष्ट खतों के मामले में प्रावधानों को बनाए रखना है जहां बैंकों को निदेश दिया गया था कि उधारकर्ता संस्थाओं के विरुद्ध कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करें, ऐसे खतों के मामले में प्रावधान निम्न प्रकार होंगे :

### (i) 31 मार्च, 2018 तक

#### निम्नलिखित से अधिक

(अ) बकाया राशि के प्रतिभूत अंश का 40 % साथ ही अप्रतिभूत अंश का 100 %;

(आ) विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंड के अनुसार प्रावधानों को बनाए रखें।

## 19) संशोधित ढांचा के अंतर्गत दबावग्रस्त खातों के लिए सामाधान योजना के कार्यान्वयन का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश सं. आरबीआई / 2017-18 / 131 डीबीआर.नं. बीपी.बीसी.101 / 21.04.048 / 2017-18 दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित नीति को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह दिनांक 12.02.2018 से परिचालन में है।

## 17) Disclosure on IND AS

### Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS by one year vide its Press release dated 05-04-2018.

### Strategy of IND AS Implementation:

Bank has constituted IND AS steering committee headed by Executive Director to plan the IND AS technical requirements, System & Process Changes, Business Impact, evaluation of Resources and project management.

Bank has also constituted IND AS working group within the bank who will be working on IND AS implantation project which comprises of officers from cross functional department.

Bank has also appointed M/s Deloitte Haskins & Sells LLP as IND AS consultant to assist the bank in implementation of Indian Accounting Standard (IND AS) as per RBI/MCA guidelines.

### Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit as on 30th June 17 compared with the previous GAAP figures.

## 18) Disclosure on provision in respect of exposures where Corporate Insolvency Resolution Proceedings(CIRP) initiated

As per RBI Letter No. DBR.No.BP.8756/21.04.048/2017-18 dated April 2,2018 advising inter alia, on the provisions to be maintained in respect of exposures to specific accounts where the banks were advised to initiate Corporate Insolvency Resolution Proceedings(CIRP) against the borrower entities, provisions in respect of such accounts shall be made as under:

### (i) By March 31, 2018

#### Higher of the following:

(A) 40 percent of the secured portion of the outstanding plus 100 percent for the unsecured portion;

(B) Provisions required to be maintained as per the extent asset classification norms.

## 19) Disclosure on Implementation of resolution plan on stressed accounts under Revised Framework:

Revised policy for resolution of stressed assets as per RBI direction no. RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC.101/21.04. 048/ 2017-18 February 12, 2018 has been approved by Bank's Board and put in to operation effective from 12.02.2018.

₹20.00 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर के लिए एसएमए 1 एवं एसएमए 2 के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान प्रक्रिया के संवर्धन हेतु दबावग्रस्त आस्तियों के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित एक अलग वर्टिकल तैयार किया गया है ताकि समर्पित, विशेषज्ञ एवं प्रेरक टीम द्वारा त्वरित एवं समय पर वसूली करते हुए उसमें वृद्धि ला सके।

## 20) त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई / 2016-17 / 276 डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.नं. 8 / 11.01.005/ 2016-17 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 5 मई, 2017 के माध्यम से यूको बैंक पर शुद्ध अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि एवं प्रतिकूल आरओए के फलस्वरूप त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) लागू किया है।

बैंक पीसीए ढांचा मानदंड का कड़ाई से पालन कर रहा है। बैंक इसके लिए कार्य योजना तैयार किया है और अनर्जक आस्तियों को घटाने एवं अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं। बैंक पीसीए ढांचा के तहत अपनी प्रगति के संबंध में आवधिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करता है।

21) कोष्ठक (ब्रेकेट) के अंतर्गत दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक पुनःसमूहित / पुनः व्यवस्थित / पुनः निर्धारित किया गया है।

To augment the process of resolution of stressed assets under SMA1 and SMA2 category for exposure above ₹20.00 crores a separate vertical for stressed asset management has also been created as approved by Bank's Board to focus recovery effort through a dedicated, specialised and motivated team for enhanced and timely recovery.

## 20) Prompt Corrective Action (PCA)

In terms of the RBI Circular No. RBI/2016-17/276 DBS.CO.PPD.BC.No. 8/11.01.005/2016-17 dated April 13, 2017, RBI through its letter dated May 05, 2017 put UCO Bank under Prompt Corrective Action (PCA) framework on account of high Net NPA and negative RoA.

Bank is complying the PCA framework norms meticulously. Bank has prepared an action plan and also taken various steps to reduce NPA and improve its profitability. Bank is also reporting its progress made on PCA framework to RBI periodically.

21) The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

# लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

सेवा में  
यूको बैंक के सदस्यों को  
To

The Members of UCO Bank  
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

## Report On The Financial Statements

1. हमने यूको बैंक ('बैंक') की 31 मार्च, 2018 की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31, मार्च, 2018 के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित (एक कोष शाखा सहित) 21 शाखाओं की, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1155 शाखाओं की (सेवा शाखाओं सहित) तथा स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन लेखापरीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र में तथा लाभ और हानि लेखे में 1928 शाखाओं की विवरणियां भी सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 8.72 प्रतिशत, जमा राशियों में 43.54 प्रतिशत, ब्याज आय में 19.49 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 45.22 प्रतिशत अंश है।

We have audited the accompanying financial statements of UCO BANK as at 31st March, 2018, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 21 branches inclusive of one treasury branch audited by us and 1155 branches (including Service branches) audited by statutory branch auditors and 4 foreign branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1928 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.72 per cent of advances, 43.54 per cent of deposits, 19.49 per cent of interest income and 45.22 per cent of interest expenses.

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

### Management's Responsibility for the Financial Statements

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधान के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं भारत में सामान्यतः प्रचलित लेखांकन नीतियों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व में वित्तीय विवरण, जो महत्वपूर्ण गलत ब्याख्या, चाहे कपट या चूक के कारण हो, से मुक्त हों, के तैयार करने की संगत आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था, रूपरेखा और उसे लागू करना शामिल है।

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### लेखापरीक्षकों का दायित्व / Auditor's Responsibility

3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने तक है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षा पर जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की आयोजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के संबंध में यह समुचित आश्वासन मिल जाए कि उनमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं है।

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. लेखापरीक्षा में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादक पद्धतियां निहित हैं। चयनित पद्धतियां सांविधिक लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के गलत कथन, चाहे वे कपट के कारण हों या त्रुटि के, जोखिमों का निर्धारण शामिल है। उन जोखिम निर्धारणों के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा पद्धतियों की डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण तथा बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है परंतु इसका उद्देश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करना नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की तार्किकता और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

## अभिमत/Opinion

6. हमारी राय में बैंक की लेखा बहियों में यथाप्रदर्शित तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

In our opinion, as shown by books of the bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र सही एवं स्पष्ट तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और उसे समुचित रूप में इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 की स्थिति को बैंक के कार्यों की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है;

The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) लाभ और हानि खाता, उसके साथ पठित नोट भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष की हानि का सही शेष दर्शाता है; और The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है।

The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

## अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म 'ए' एवं 'बी' अनुरूप तैयार किए गए हैं। The Balance Sheet and Profit & Loss Account have drawn up in Form 'A' and 'B' respectively of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

8. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा यथाअपेक्षित एवं उनमें अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अध्यक्षीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए जो भी सूचना एवं स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे हमें प्राप्त हो गए हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

(ख) बैंक के जो लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

9. We further report that:

(क) इस रिपोर्ट द्वारा उपयोग में लाया गया तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा लेखाबहियों एवं विवरणियों से मिलान रखते हैं;

(a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उनका यथोचित उपयोग किया है।

(b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

(ग) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लागू मानक लेखानीतियों के अनुरूप हैं।

(c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

वास्ते तेज राज एंड पाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304124ई  
For TEJ RAJ & PAL  
Chartered Accountants  
Registration No. 304124E

(सीए बीराका विजय )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 214678  
(CA BEERAKA VIJAY )  
Partner  
Membership No. 214678

वास्ते आर एम लाल एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932C  
For R M LALL & CO.  
Chartered Accountants  
Registration No. 000932C

(सीए अतुल मोहन )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 070861  
(CA ATUL MOHAN )  
Partner  
Membership No. 070861

वास्ते एम सी भांडारी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई  
For M C BHANDARI & CO.  
Chartered Accountants  
Registration No. 303002E

(सीए निरज जैन )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 064393  
(CA NEERAJ JAIN )  
Partner  
Membership No. 064393

वास्ते वी सिंही एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई  
For V SINGHI & ASSOCIATES  
Chartered Accountants  
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 016830  
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY )  
Partner  
Membership No. 016830

वास्ते रामा के गुप्ता एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005C  
For RAMA K GUPTA & CO  
Chartered Accountants  
Registration No. 005005C

(सीए रामा कान्त गुप्ता )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 073853  
(CA RAMA KANT GUPTA )  
Partner  
Membership No. 073853

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 11<sup>th</sup> मई /May, 2018

**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण**  
**CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR**  
**ENDED 31ST MARCH, 2018**

(000 को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018		31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017	
	₹	₹	₹	₹
<b>अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:</b>				
<b>A. Cash flow from operating activities :</b>				
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes		(44269516)		(18398277)
<b>समायोजन / Adjustments for :</b>				
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets		1518416		1531401
निवेश पर अवक्षयण प्रावधान/Depreciation Provision on investments		7339692		(1943723)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान /Provision for non-performing assets		73433764		44141144
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets		(3462361)		(298087)
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items		(19699176)		10258051
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि /(Profit)/Loss on sale of fixed assets		(3355)		(3531)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग रखा गया)				
Interest paid on subordinated debt (treated separately)		2150952		1710774
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (इसे अलग रखा गया)				
Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)		(82940)		(118502)
टियर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)				
Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)		(114825)		(22338)
एटी-1 बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)				
Interest paid on AT-1 Bonds (treated separately)		790952		37336
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)				
Interest paid on IPDI (treated separately)		0		35842
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)				
Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments (treated separately)		1385423		1129985
<b>उप-योग/Sub-total</b>		<b>18987026</b>		<b>38060075</b>
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid		(200000)		(500000)
		<b>18787026</b>		<b>37560075</b>
<b>समायोजन/Adjustments for :</b>				
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments		23230078		101494527
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances		49110556		17668001
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets		(8841412)		(30876799)
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings		32342999		(77054738)
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits		(194352313)		(58337303)
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु				
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions		(11095330)		(28969739)
<b>परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)</b>				
<b>Net cash flow from operating activities (A)</b>		<b>(90818396)</b>		<b>(38515976)</b>

**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)**  
**STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR**  
**ENDED 31ST MARCH, 2018 (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2018 को समाप्त वर्ष		31.3.2017 को समाप्त वर्ष	
	Year ended 31.3.2018		Year ended 31.3.2017	
	₹	₹	₹	₹
<b>आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:</b>				
<b>B. Cash flow from investing activities :</b>				
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets		(1094276)		(1410708)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets		47188		19403
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend received from subsidiaries/others		82940		118502
टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज/Interest received from Tier-II Bonds		114825		22338
<b>निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)</b>				
<b>Net cash flow from investing activities (B)</b>		<b>(849323)</b>		<b>(1250465)</b>
<b>इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/</b>				
<b>C. Cash flow from financing activities :</b>				
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential allotment of Equity Shares		4412709		4841364
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares		9337291		14964593
भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी (शेयर एप्लिकेशन मुद्रा में रखा गया)				
Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)		51320000		11500000
प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid		0		0
एटी-1 बांडों का निर्गम / Issue of AT-1 Bonds		0		7500000
बासेल III अनुपालक टियर-2 बांडों का निर्गम /Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds		0		10000000
आईपीडीआई का मोचन/Redemption of IPDI		0		(2300000)
अपर टियर-2 बांडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds		(3200000)		(5000000)
गौण ऋण का मोचन /Redemption of Subordinated Debts		0		(2500000)
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on IPDI		0		(35842)
एटी-1 बांडों पर ब्याज/Interest paid on AT-1 Bonds		(790952)		(37336)

**चरण सिंह**  
कार्यपालक निदेशक  
**CHARAN SINGH**  
Executive Director

**आर. के. टक्कर**  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ  
**R. K. TAKKAR**  
Managing Director & CEO

**सुश्री सिंधु पिल्लई**  
निदेशक  
**MS. SINDHU PILLAI**  
Director

**डॉ. अरविंद शर्मा**  
निदेशक  
**DR. ARVIND SHARMA**  
Director

**अनिल शर्मा**  
निदेशक  
**ANIL SHARMA**  
Director

**जे. एन. प्रधान**  
सहायक महाप्रबंधक  
**J. N. PRADHAN**  
Assistant General Manager

**पी. जी. जोशी**  
महाप्रबंधक  
**P. G. JOSHI**  
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 11<sup>th</sup> मई/May, 2018

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2018 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2018		31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017	
	₹	₹	₹	₹
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	(1385423)		(1129985)	
गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts	(2150952)		(1710774)	
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) <b>Net cash flow from financing activities (C)</b>	<b>57542673</b>		<b>36092020</b>	
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ) <b>Net increase in cash &amp; cash equivalents (A+B+C)</b>	<b>(34125046)</b>		<b>(3674421)</b>	
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन/Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation	606576		(919073)	
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	<b>(33518470)</b>		<b>(4593494)</b>	
क्रमशः 1 अप्रैल 2017 और 2016 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य <b>Cash and cash equivalents as on April 1, 2017 &amp; 2016 respectively</b>	<b>180998831</b>		<b>185592325</b>	
क्रमशः 31 मार्च 2018 और 2017 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य <b>Cash and cash equivalents as on March 31, 2018 &amp; 2017 respectively</b>	<b>147480361</b>		<b>180998831</b>	
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य <b>D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year</b>				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	6357306		5838033	
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	81545192		73661526	
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	93096333		106092766	
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य <b>E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year</b>				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	6363014		6357306	
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	74887777		81545192	
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	66229570		93096333	
	<b>147480361</b>		<b>180998831</b>	

वास्ते तेज राज एंड पाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304124ई  
For **TEJ RAJ & PAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304124E

(सीए बीराका विजय )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 214678  
(CA BEERAKA VIJAY )  
Partner  
Membership No. 214678

वास्ते आर एम लाल एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000932C  
For **R M LALL & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000932C

(सीए अतुल मोहन )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 070861  
(CA ATUL MOHAN )  
Partner  
Membership No. 070861

वास्ते एम सी भांडारी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 303002ई  
For **M C BHANDARI & CO.**  
Chartered Accountants  
Registration No. 303002E

(सीए निरज जैन )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 064393  
(CA NEERAJ JAIN )  
Partner  
Membership No. 064393

वास्ते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 311017ई  
For **V SINGHI & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 311017E

(सीए दिवेन्दु पाल चौधरी )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 016830  
(CA DIBYENDU PAL CHOUDHURY )  
Partner  
Membership No. 016830

वास्ते रामा के गुप्ता एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 005005C  
For **RAMA K GUPTA & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 005005C

(सीए रामा कान्त गुप्ता )  
भागीदार  
सदस्यता क्र. 073853  
(CA RAMA KANT GUPTA )  
Partner  
Membership No. 073853

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 11<sup>th</sup> मई/May, 2018

**31.03.2018 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का**

**बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण**

**तालिका डीएफ - 1:**

**प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार**

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक						
(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:						
निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
यूको बैंक						
भारत	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - लागू नहीं.						
ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :						
ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)			
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती है:						
अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
ङ. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारत हैं:						
बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध: लागू नहीं						



**BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2018**

**UCO BANK**

**Table DF - 1:  
Scope of Application**

<b>Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.</b>						
<b>(i) Qualitative Disclosures:</b>						
Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
UCO Bank	No	NA	No	NA	NA	NA
India						
<b>a. List of group entities considered for consolidation – Not applicable.</b>						
<b>b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation</b>						
Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	
<b>(ii) Quantitative Disclosures:</b>						
<b>c. List of group entities considered for consolidation</b>						
Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)			
NA	NA	NA	NA			
<b>d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:</b>						
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies		
NA	NA	NA	NA	NA		
<b>e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:</b>						
Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method		
NA	NA	NA	NA	NA		
<b>f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not applicable</b>						

**तालिका डी एफ - 2**  
**पूँजी पर्याप्तता**

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूँजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
<b>प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण</b>	(₹ करोड़ में)
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता: मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन पोर्टफोलियो प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	7123.77 शून्य
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता: मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण ब्याज दर जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) ईक्विटी जोखिम	1677.48 1584.94 3.29 89.25
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता: बुनियादी सूचक दृष्टिकोण • मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	1110.41
(ङ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात : सामान्य ईक्विटी टियर 1 टियर 1 कुल पूँजी अनुपात  शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	8.23% 8.94% 10.94%  लागू नहीं लागू नहीं

**Table DF - 2**  
**Capital Adequacy**

Qualitative Disclosures	
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.
<b>Quantitative Disclosures</b>	
	(₹ in crore)
(b)	Capital requirements for Credit Risk : Portfolio subject to Standardized Approach Securitization Exposures
	7123.77 Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk : Standardized Duration Approach Interest Rate Risk Foreign Exchange Risk (including Gold) Equity Risk
	1677.48 1584.94 3.29 89.25
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach • The Standardised Approach (if applicable)
	1110.41
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: Common Equity Tier I Tier I Total Capital ratios For the top consolidated group For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)
	8.23% 8.94% 10.94% Not Applicable Not Applicable

## तालिका डीएफ - 3

### ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

#### क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आरिष्ठ प्रबंध नीति के अनुसार किसी आरिष्ठ को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/ अनर्जक आरिष्ठ माना जाता है -

- मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
- खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
- अत्यावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
- दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

- बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।
- बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

#### ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऋण जोखिम अधिग्रहण - कार्यनीति एवं नीतियां
- ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया
- ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख (योजनाबद्ध एवं रिटेल ऋण को छोड़ कर) से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेसन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरो ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाए जाते हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आते हों।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में )	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर	123989.53	14592.67
(ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
देशी	108746.19	10839.74
विदेशी	15243.34	3752.94

(राशि ₹ करोड़ में)

ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		
उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	<b>722.84</b>	<b>105.54</b>
क.1 कोयला	202.23	77.06
क.2 अन्य	520.61	28.48
<b>ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख.5)</b>	<b>2972.89</b>	<b>403.49</b>
ख.1 चीनी	353.08	79.66
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	366.42	296.79
ख.3 चाय	602.93	6.59
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	1650.46	20.45
<b>ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू</b>	<b>5.12</b>	<b>20.05</b>
जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	5.12	20.05
<b>घ. वस्त्र (क से च तक)</b>	<b>2240.85</b>	<b>43.90</b>
क. सूती वस्त्र	1353.66	21.89
ख. जूट	10.45	2.97
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	0.00	0.00
घ. सिल्क	0.00	0.00
ङ. ऊनी	0.00	0.00
च. अन्य	876.74	19.04
घ (अर्थात् कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	0.00	0.00
<b>ङ. चर्म एवं चर्म उत्पाद</b>	<b>63.79</b>	<b>2.17</b>
<b>च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद</b>	<b>168.65</b>	<b>3.32</b>
<b>छ. कागज एवं कागज उत्पाद</b>	<b>478.80</b>	<b>24.15</b>
<b>ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा</b>	<b>1732.18</b>	<b>282.40</b>
<b>झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)</b>	<b>1127.33</b>	<b>114.71</b>
झ.1 उर्वरक	312.99	20.42
झ.2 औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स	344.91	14.58
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचागत छोड़कर)	71.60	2.31
झ.4 अन्य	397.83	77.40
<b>ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद</b>	<b>129.87</b>	<b>12.33</b>
<b>ट. कांच एवं कांच के सामान</b>	<b>220.55</b>	<b>40.07</b>
<b>ठ. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद</b>	<b>701.40</b>	<b>16.44</b>
<b>ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)</b>	<b>9251.30</b>	<b>656.44</b>
ड.1 लोहा एवं इस्पात	8385.22	228.87
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	866.08	427.57
<b>ण. समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2)</b>	<b>3374.24</b>	<b>695.19</b>
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	1340.44	35.25
ण.2 अन्य	2033.80	659.94
<b>त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण</b>	<b>752.53</b>	<b>5.12</b>
<b>थ. रत्न एवं जेवर</b>	<b>419.03</b>	<b>10.51</b>
<b>द. विनिर्माण</b>	<b>2113.07</b>	<b>744.27</b>
<b>ध. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)</b>	<b>16663.53</b>	<b>1391.43</b>
क. यातायात (क.1 से क.6)	3703.15	448.17
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	3323.36	447.98
क.2 बंदरगाह	126.26	0.00
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	201.63	0.00
क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	51.90	0.19

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख. ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	10843.85	407.93
ख.1 बिजली (उत्पादन)	9513.52	217.62
ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	0.00	0.00
ख.1.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.2 बिजली (संचारण)	935.22	0.00
ख.2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	935.22	0.00
ख.2.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.3 बिजली (वितरण)	667.19	0.00
ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	667.19	0.00
ख.3.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.4 तेल पाईपलाइन	0.00	0.00
ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	0.00	0.00
ख.6 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग. जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	273.35	103.51
ग.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंध	273.35	103.51
ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाइन	0.00	0.00
ग.3 जलशोधन संयंत्र	0.00	0.00
ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ. संचार (घ.1 से घ.2)	1316.24	282.50
घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	68.53	0.00
घ.2 दूरसंचार टॉवर	1247.71	282.50
ङ. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से ङ.9)	526.94	149.32
ङ.1 शिक्षण संस्थाएं (पूँजी स्टॉक)	29.34	0.90
ङ.2 अस्पताल (पूँजी स्टॉक)	10.16	0.15
ङ.3 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	288.06	58.26
ङ.4 औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	140.16	24.25
ङ.5 उर्वरक (पूँजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6 बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	88.56	65.76
ङ.7 अंतिम बाजार	0.00	0.00
ङ.8 मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9 शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
न. अन्य उद्योग	6092.41	0.00
<b>समस्त उद्योग (क से न तक)</b>	<b>49230.37</b>	<b>4571.52</b>

घ) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	सकल अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन/1 Day	422.73	1263.24	11.20	18.63	1170.83	229.80
2 से 7 दिन तक/2-7 days	3459.47	1676.13	3.03	3706.00	1340.55	974.16
8 से 14 दिन तक/8-14 Days	3020.12	4753.29	482.08	737.00	964.64	680.96
15 से 30 दिन तक/15-30 Days	6259.39	3357.18	529.87	850.00	2566.51	2460.15
31 दिन से 2 माह तक/31 days to 2 Month	9421.53	4954.96	347.03	0.00	3711.32	2807.19
2 माह से अधिक परंतु 3 माह तक/ Over 2 Months upto 3 Month	9504.33	5667.15	267.35	32.86	1728.07	724.92
3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक/Over 3 Months upto 6 Month	22236.80	6757.66	390.26	164.21	6242.10	3059.02
6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक/ Over 6 Months upto 1 Year	37092.63	11168.93	2306.11	66.74	4325.55	4361.53
1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक/ Over 1 Year years upto 3 Year	33867.29	13358.03	7020.75	3829.42	2702.39	5276.50
3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक/ over 3 Year years upto 5 Year	9708.14	13757.51	5573.82	2044.40	1216.81	3287.22
5 वर्ष से अधिक/ Over 5 year	46856.85	57275.45	55658.46	1000.01	2295.31	3490.07
	<b>181849.28</b>	<b>123989.53</b>	<b>72589.96</b>	<b>12449.27</b>	<b>28264.08</b>	<b>27351.52</b>

च) एनपीए की राशि (सकल)	:	<b>30549.92</b>	करोड़
• अवमानक	:	<b>6107.53</b>	करोड़
• संदिग्ध 1	:	<b>6574.97</b>	करोड़
• संदिग्ध 2	:	<b>11642.99</b>	करोड़
• संदिग्ध 3	:	<b>3702.69</b>	करोड़
• हानि	:	<b>2521.74</b>	करोड़
छ) शुद्ध एनपीए	:	<b>14082.07</b>	करोड़
ज) एनपीए अनुपात: -			
• सकल अग्रिम पर सकल एनपीए	:	<b>24.64%</b>	
• शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए	:	<b>13.10%</b>	
झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)			
• प्रारंभिक शेष	:	<b>22540.95</b>	करोड़
• वृद्धि	:	<b>15033.80</b>	करोड़
• कमी	:	<b>7024.83</b>	करोड़
• अंत शेष	:	<b>30549.92</b>	करोड़

झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़

(₹ राशि करोड़ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	विशेष प्रावधान #	सामान्य प्रावधान @
प्रारंभिक शेष	10452.62	841.34
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	7357.53	4.67
बड़े खाते डालना	2734.71	शून्य
अतिरिक्त प्रावधानों को बड़े खाते से निकालना	शून्य	350.90
प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन**	15.17	-0.74
अंत शेष	15090.61	495.85

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है

\* विनिमय अंतर

ज) बड़े डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं

बड़े डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं (बड़े डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	— ₹181.56 crore
--	--------------------

ट) अनर्जक निवेशों की राशि	:	577.12 करोड़
ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि	:	506.20 करोड़
ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़		
• प्रारंभिक शेष	:	465.14 करोड़
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	:	680.88 करोड़
• बड़े खाते डालना	:	शून्य
• विनिमय अंतराल	:	-7.30 करोड़
• अतिरिक्त प्रावधानों को वापस खाते में लेना	:	17.09 करोड़
• अंत शेष	:	1121.63 करोड़

ढ) उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	एनपीए	विशेष एवं सामान्य प्रावधान
1	खदान और उत्खनन	280.17	274.35
2	खाद्य प्रसंस्करण	797.45	370.38
3	वस्त्र	1028.81	686.00
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	26.60	11.58
5	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	85.68	5.19
6	कागज एवं कागज उत्पाद	312.47	218.38
7	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	1168.39	436.54
8	रसायन एवं रसायन उत्पाद	271.86	218.02
9	खड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	12.62	7.16
10	कांच एवं कांच के सामान	79.88	0
11	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	524.23	182.78
12	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	6317.12	3132.66
13	समस्त इंजीनियरिंग	2316.81	893.22
14	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	654.07	355.09
15	रत्न एवं आभूषण	279.32	234.82
16	निर्माण	1632.35	1162.03

ण) भूगोल-वार एनपीए एवं प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
कुल एनपीए	29470.14	1079.78	30549.92
एनपीए के लिए प्रावधान	14277.64	812.97	15090.61
मानक अग्रिमों के प्रावधान	459.20	36.65	495.85



**Table DF - 3**  
**Credit Risk: General Disclosures for All Banks**

**Qualitative Disclosure**

**a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):**

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where –

- i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

- i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
- ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

**b) Bank's Credit Risk Management Policy:**

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

- i. Credit Risk acquisition – strategies & policies,
- ii. Credit approval processes.
- iii. Credit Risk monitoring processes.
- iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ₹25 lacs (other than Schematic and Retail Loans) and ₹1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

**Quantitative disclosures**

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures		
	Fund Based	Non Fund Based
a) Total Gross Credit Exposure	123989.53	14592.67
b) Geographical Distribution of Exposure		
Domestic	108746.19	10839.74
Overseas	15243.34	3752.94

c) Industry type distribution of Exposures		(Amount in ₹ Cr)	
Industry Name	Exposures		
	Funded	Non-Funded	
<b>A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)</b>	<b>722.84</b>	<b>105.54</b>	
A.1 Coal	202.23	77.06	
A.2 Others	520.61	28.48	
<b>B. Food Processing (B.1 to B.5)</b>	<b>2972.89</b>	<b>403.49</b>	
B.1 Sugar	353.08	79.66	
B.2 Edible Oils and Vanaspati	366.42	296.79	
B.3 Tea	602.93	6.59	
B.4 Coffee	0.00	0.00	
B.5 Others	1650.46	20.45	
<b>C. Beverages (excluding Tea &amp; Coffee) and Tobacco</b>	<b>5.12</b>	<b>20.05</b>	
Of which Tobacco and tobacco products	5.12	20.05	
<b>D. Textiles (a to f)</b>	<b>2240.85</b>	<b>43.90</b>	
a. Cotton	1353.66	21.89	
b. Jute	10.45	2.97	
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00	
d. Silk	0.00	0.00	
e. Woolen	0.00	0.00	
f. Others	876.74	19.04	
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00	
<b>E. Leather and Leather products</b>	<b>63.79</b>	<b>2.17</b>	
<b>F. Wood and Wood Products</b>	<b>168.65</b>	<b>3.32</b>	
<b>G. Paper and Paper Products</b>	<b>478.80</b>	<b>24.15</b>	
<b>H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels</b>	<b>1732.18</b>	<b>282.40</b>	
<b>I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)</b>	<b>1127.33</b>	<b>114.71</b>	
I.1 Fertilizers	312.99	20.42	
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	344.91	14.58	
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	71.60	2.31	
I.4 Others	397.83	77.40	
<b>J. Rubber, Plastic and their Products</b>	<b>129.87</b>	<b>12.33</b>	
<b>K. Glass &amp; Glassware</b>	<b>220.55</b>	<b>40.07</b>	
<b>L. Cement and Cement Products</b>	<b>701.40</b>	<b>16.44</b>	
<b>M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)</b>	<b>9251.30</b>	<b>656.44</b>	
M.1 Iron and Steel	8385.22	228.87	
M.2 Other Metal and Metal Products	866.08	427.57	
<b>N. All Engineering (N.1 + N.2)</b>	<b>3374.24</b>	<b>695.19</b>	
N.1 Electronics	1340.44	35.25	
N.2 Others	2033.80	659.94	
<b>O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments</b>	<b>752.53</b>	<b>5.12</b>	
<b>P. Gems and Jewellery</b>	<b>419.03</b>	<b>10.51</b>	
<b>Q. Construction</b>	<b>2113.07</b>	<b>744.27</b>	
<b>S. Infrastructure (a to d)</b>	<b>16663.53</b>	<b>1391.43</b>	
a. Transport (a.1 to a.6)	3703.15	448.17	
a.1 Roads and Bridges	3323.36	447.98	
a.2 Ports	126.26	0.00	
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00	
a.4 Airport	0.00	0.00	
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	201.63	0.00	
a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	51.90	0.19	

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
<b>b. Energy (b.1 to b.6)</b>	<b>10843.85</b>	<b>407.93</b>
b.1 Electricity (Generation)	9241.44	407.93
b.1.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	0.00	0.00
b.1.3 Private Sector	0.00	0.00
b. 2 Electricity (Transmission)	935.22	0.00
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	935.22	0.00
b.2.3 Private Sector	0.00	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	667.19	0.00
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	667.19	0.00
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00
b.4 Oil pipelines	0.00	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	0.00	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
<b>c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)</b>	<b>273.35</b>	<b>103.51</b>
c.1 Solid Waste Management	273.35	103.51
c.2 Water supply pipelines	0.00	0.00
c.3 Water treatment plants	0.00	0.00
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c.6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
<b>d. Communication (d.1 to d.2)</b>	<b>1316.24</b>	<b>282.50</b>
d.1 Telecommunication (Fixed network)	68.53	0.00
d.2 Telecommunication towers	1247.71	282.50
<b>e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)</b>	<b>526.94</b>	<b>149.32</b>
e.1 Education Institutions (capital stock)	29.34	0.90
e.2 Hospitals (capital stock)	10.16	0.15
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	288.06	58.26
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	140.16	24.25
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	88.56	65.76
e.7 Terminal markets	0.00	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
<b>T. Other Industries</b>	<b>6092.41</b>	<b>0.00</b>
<b>All Industries (A to T)</b>	<b>49230.37</b>	<b>4571.52</b>

<b>d) Residual contractual maturity breakdown of assets (₹ in Cr)</b>						
Particulars	Deposits	Advance	Investment Gross	Borrowing	Foreign Currency - Asset	Foreign Currency - Liability
1 Day	422.73	1263.24	11.20	18.63	1170.83	229.80
2-7 days	3459.47	1676.13	3.03	3706.00	1340.55	974.16
8-14 Days	3020.12	4753.29	482.08	737.00	964.64	680.96
15-30 Days	6259.39	3357.18	529.87	850.00	2566.51	2460.15
31 days to 2 Month	9421.53	4954.96	347.03	0.00	3711.32	2807.19
Over 2 Months upto 3 Month	9504.33	5667.15	267.35	32.86	1728.07	724.92
Over 3 Months upto 6 Month	22236.80	6757.66	390.26	164.21	6242.10	3059.02
Over 6 Months upto 1 Year	37092.63	11168.93	2306.11	66.74	4325.55	4361.53
Over 1 Year years upto 3 Year	33867.29	13358.03	7020.75	3829.42	2702.39	5276.50
Over 3 Year years upto 5 Year	9708.14	13757.51	5573.82	2044.40	1216.81	3287.22
Over 5 year	46856.85	57275.45	55658.46	1000.01	2295.31	3490.07
	<b>181849.28</b>	<b>123989.53</b>	<b>72589.96</b>	<b>12449.27</b>	<b>28264.08</b>	<b>27351.52</b>
e) Amount of NPAs (Gross) : 30549.92 Cr						
• Substandard : 6107.53 Cr						
• Doubtful 1 : 6574.97 Cr						
• Doubtful 2 : 11642.99 Cr						
• Doubtful 3 : 3702.69 Cr						
• Loss : 2521.74 Cr						
f) Net NPAs : 14082.07 Cr						
g) NPA Ratios :						
• Gross NPAs to gross advances : 24.64%						
• Net NPAs to net advances : 13.10 %						
h) Movement of NPAs (Gross)						
• Opening balance : 22540.95 Cr						
• Additions : 15033.80 Cr						
• Reductions : 7024.83 Cr						
• Closing balance : 30549.92 Cr						
i) Movement of Specific & General Provision (Amount in ₹ in Crore)						
<b>Movement of provisions</b>			<b>Specific Provisions#</b>	<b>General Provisions@</b>		
Opening balance			10452.62	841.34		
Provisions made during the period			7357.53	4.67		
Write-off			2734.71	NIL		
Write-back of excess provisions			NIL	350.90		
other adjustments*			15.17	-0.74		
Closing balance			15090.61	495.85		
#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances						
* Exchange difference						
j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement						
Write offs that have been booked directly to the income statement				—		
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement				₹181.56 crore		
k) Amount of Non-Performing Investments: 577.12 Cr						
l) Amount of provisions held for non-performing investments: - 506.20 Cr						
m) Movement of provisions for depreciation on investments						
• Opening balance : 465.14 Cr						
• Provisions made during the period : 680.88 Cr						
• Write-off : NIL						
• Exchange Difference : -7.30 Cr						
• Write-back of excess provisions : 17.09 Cr						
• Closing balance : 1121.63 Cr						

## n) Industry wise NPA and provisions

(₹ in Cr.)

Sl. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	280.17	274.35
2	Food Processing	797.45	370.38
3	Textiles	1028.81	686.00
4	Leather and Leather products	26.60	11.58
5	Wood and Wood Products	85.68	5.19
6	Paper and Paper Products	312.47	218.38
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1168.39	436.54
8	Chemicals and Chemical Products	271.86	218.02
9	Rubber, Plastic and their Products	12.62	7.16
10	Glass & Glassware	79.88	0
11	Cement and Cement Products	524.23	182.78
12	Basic Metal and Metal Products	6317.12	3132.66
13	All Engineering	2316.81	893.22
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	654.07	355.09
15	Gems and Jewellery	279.32	234.82
16	Construction	1632.35	1162.03

## o) Geography Wise NPA &amp; Provisions

(₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	29470.14	1079.78	30549.92
Provisions for NPA	14277.64	812.97	15090.61
Provisions for Standard Advances	459.20	36.65	495.85

#### तालिका डीएफ - 4

### ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अधधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

- 1) सीएआरई
- 2) सीआरआईएसआईएल
- 3) एफआईटीसीएच
- 4) आईसीआरए
- 5) बिक्रवर्क
- 6) एसएमईआरए

(अकारादि क्रम से सूचीबद्ध)

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
- उम्पर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1) 100% से कम का जोखिम भार	- ₹1,40,523.80 करोड़
2) 100% जोखिम भार	- ₹24,926.73 करोड़
3) 100% से अधिक का जोखिम भार	- ₹16,936.32 करोड़
4) कटौती	- ₹3,094.22 करोड़
<b>योग</b>	<b>- ₹1,79,292.63 करोड़</b>

**Table DF - 4**

**Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach**

**Qualitative disclosure:**

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) CARE
- 2) CRISIL
- 3) INDIA RATINGS
- 4) ICRA
- 5) Brickwork
- 6) SMERA

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India.

**Quantitative disclosure:**

**Exposure after risk mitigation in standardized approach:**

1) Below 100% risk weight	- ₹ 1,40,523.80 Cr.
2) 100% risk weight	- ₹24,926.73 Cr.
3) More than 100% risk weight	- ₹16,936.32 Cr.
4) Deduction	- ₹3,094.22 Cr.
Total	- ₹1,79,292.63 Cr.

## तालिका डीएफ - 5

### ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

#### ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यक्ष निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि -

- बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।
- बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यक्ष है।
- बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

#### ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

- गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए।
- प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।
- गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।
- योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी:
  - सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;
  - 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।
- संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

#### (आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आरिष्ठ मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आरिष्ठियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

#### विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

##### (i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

- निर्माण की प्रकृति
- भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती
- किराया से होने वाली आय
- निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि
- भूमि एवं भवन का क्षेत्र
- निर्माण की लागत
- जगह का मूल्य

##### (ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आरिष्ठियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

##### (iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

- शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य
- पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आरिष्ठ मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।



**(iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन**

**पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य**

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

**(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :**

- (i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
- (ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
- (iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्युचुअल फंड यूनितों को गिरवी रखना
- (iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
- (v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार
- (vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

**(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता**

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी
- ii) कार्पोरेट गारंटी
- iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनितों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

**(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :**

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

**प्रमानात्मक प्रकटीकरण:**

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹16204 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

**तालिका डीएफ - 6**

**प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण**

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

Table DF - 5

**Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches**

**Qualitative disclosure:**

**(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting**

**Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting**

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

- i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
- ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;
- iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;  
Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

**Credit risk mitigation techniques- Guarantees**

- i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.
- ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.
- iii) Operational requirement for guarantees must be met.
- iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)  
Credit protection given by the following entities will be recognized:
  - a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;
  - b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

**(b) Policies and processes for collateral valuation and Management**

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

**Method of valuation of various types of securities:**

**(i) Valuation of land and building**

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

- i) Nature of construction
- ii) Age of the building and its present strength
- iii) Rental yield
- iv) Tax amount assessed/paid
- v) Area of land and building
- vi) Cost of construction
- vii) Value of site

**(ii) Valuation of Movable properties:**

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

**(iii) Valuation of shares:**

Market value is calculated as below:

- a) Current market price of the share
- b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

**(iv) Valuation of LIC Policy:**

**Present surrender value of the policy**

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

**(c) Main types of collateral taken by Bank are -**

- i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) Assignment of LIC Policies
- v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) Pledge of NSCs/KVPs

**(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness**

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) Corporate Guarantee
- iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

**(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken -**

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

**Quantitative disclosure:**

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- ₹16204 Cr.

**Table DF - 6**

**Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach**

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

## तालिका डीएफ - 7

### क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

##### 1. उद्देश्य एवं नीतियां:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

##### 2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

##### 3. संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन:

निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केन्द्रों पर केन्द्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

##### 4. जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

##### 5. जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रूपों से बैंक के भारतीय रूपों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	(₹ करोड़ में)
ब्याज दर जोखिम	1584.94
ईक्विटी स्थिति जोखिम	89.25
विदेशी मुद्रा जोखिम	3.29

## TABLE DF - 7

### Market Risk in Trading Book

#### Qualitative Disclosure:

##### **1. Objective & Policies:**

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

##### **2. Strategies and Processes:**

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

##### **3. Structure and organization of the relevant risk management function:**

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Corporate Credit, Finance, Risk Management, International and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

##### **4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:**

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

##### **5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:**

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

#### Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	1584.94
Equity Position Risk	89.25
Foreign Exchange Risk	3.29

## तालिका डीएफ - 8

### परिचालनगत जोखिम

#### **गुणात्मक प्रकटीकरण**

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है –

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

**परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है –**

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति(सीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

#### **जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप**

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डेक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूँजी रख रहा है। 31.03.2018 की स्थिति को बीईए के अनुसार पूँजी आवश्यकता ₹1110.41 करोड़ की है।

**Table DF – 8**  
**Operational Risk**

**Qualitative disclosure:**

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Committee for Operational Risk Management (CORM)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy and compliance with bank's established policies and procedures, adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEX for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹1110.41 crores as on 31.03.2018.

## तालिका डीएफ - 9

### बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आरिस्त देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आरिस्त देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (कमी)	+/- ₹44.32 करोड़
2) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+/- 2.06 % जोखिम पूंजी



**Table DF-9**

**Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)**

**Qualitative disclosure:**

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

**Quantitative disclosure :**

1)	Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹44.32 Cr.
2)	Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- 2.06 % Risk Capital

## तालिका डीएफ-10

### काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

##### i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

##### ii) जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

##### iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक ब्याज पर, जिसमें अस्तित्वां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित अस्तित्/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

##### काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्सपोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	राशि
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	0.00
नेटिंग लाभ	0.00
नेट चालू ऋण एक्सपोजर	0.00
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर	0.00

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्सपोजर
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	106537.28	2607.62
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	2125.00	16.67
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	108662.28	2624.29

**Table DF-10**

**General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk**

**Qualitative Disclosures**

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the MD & CEO/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

**Quantitative Disclosure:**

**Exposure of Counterparty Credit Risk:**

Particulars	₹ in Cr
	Amount
Gross positive value of contracts	0.00
Netting Benefits	0.00
Netted current credit exposure	0.00
Collateral held	0.00
Net derivative credit exposure	0.00

Item	Notional Amount	₹ in Cr
		Current Credit Exposure As on 31.03.2018
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	106537.28	2607.62
Single CCY Interest Rate Swaps	2125.00	16.67
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	108662.28	2624.29

तालिका डीएफ - 11

पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

नियमनकारी समायोजनों के संक्रमण के दौरान उपयोग की जानेवाली बासेल III सामान्य प्रकटीकरण तालिका (यानी 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)		पूर्व-बासेल III उपचार के अधीन राशियाँ	संदर्भ
<b>सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ</b>			
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँजी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	146052.3	
2	प्रतिधारित उपार्जन		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	-10501.4	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)		
6	<b>सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजनों से पूर्व</b>	<b>135550.9</b>	
<b>सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : नियमनकारी समायोजन</b>			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	49176.6	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें से: बंधक चुकोती अधिकार		
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
	26क जिसमें से: असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 को कुल नियमनकारी समायोजन		
29	<b>सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटीआई) अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत</b>	86374.3	
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	7500.0	
31	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत		
36	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: नियमनकारी समायोजन</b>	7500.0	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क + 41ख)		
	41क जिसमें से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमें से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन</b>	-	
44	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)</b>	7500.0	
45	<b>टियर 1 पूँजी (टी1 सीईटी 1 अ एटी1) (29 अ 44) टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान</b>	93874.3	
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	17720.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत (एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत		
50	प्रावधान	5825.0	
51	<b>टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व टियर 2 पूँजी: नियमनकारी समायोजन</b>	23545.0	

52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	137.8	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क +56ख) 56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। 56ख जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	<b>टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन</b>		
58	<b>टियर 2 पूँजी (टी2)</b>	23407.2	
59	<b>कुल पूँजी (टीसी टी1 + टी2) (45 + 58)</b>	<b>117281.5</b>	
60	<b>कुल जोखिम भारत आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)</b>	<b>1049108.1</b>	
	60क जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियाँ	791530.3	
	60ख जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियाँ	134198.5	
	60ग जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियाँ	123379.3	
	<b>पूँजी अनुपात</b>		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.23%	
62	टियर1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.94%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.94%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें से: पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता		
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता		
67	जिसमें से: जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 पूँजी की उपलब्धता (जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	<b>राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)</b>		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
	<b>कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)</b>		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकोती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	<b>टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ</b>		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		

**Table DF - 11**  
**Composition of Capital**

(₹ in million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
<b>Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves</b>			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	146052.3	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-10501.4	
4	<i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies<sup>1</sup>)</i>		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	<b>Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>135550.9</b>	
<b>Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>			
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)		
10	Deferred tax assets	49176.6	
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a <i>of which</i> : Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b <i>of which</i> : Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c <i>of which</i> : Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d <i>of which</i> : Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments to <b>Common</b> equity Tier 1		
<b>29</b>	<b>Common Equity Tier 1 capital (CET1)</b>	<b>86374.3</b>	
	<b>Additional Tier 1 capital: instruments</b>		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (Share Premium) (31+32)	7500.0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1		
35	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
<b>36</b>	<b>Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>7500.0</b>	
	<b>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
	41a Of which : Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Of which : Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
<b>43</b>	<b>Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital</b>	<b>-</b>	
<b>44</b>	<b>Additional Tier 1 capital (AT1)</b>	<b>7500.0</b>	
<b>45</b>	<b>Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)</b>	<b>93874.3</b>	
	<b>Tier 2 capital: instruments and provisions</b>		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	17720.0	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
<b>49</b>	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
50	Provisions	5825.0	
<b>51</b>	<b>Tier 2 capital before regulatory adjustments</b>	<b>23545.0</b>	



	<b>Tier 2 capital: regulatory adjustments</b>		
52	Investments in own Tier 2 instruments	137.8	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
	56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	<b>Total regulatory adjustments to Tier 2 capital</b>		
58	<b>Tier 2 capital (T2)</b>	23407.2	
59	<b>Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)</b>	<b>117281.5</b>	
60	<b>Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)</b>	<b>1049108.1</b>	
	60a of which: total credit risk weighted assets	791530.3	
	60b of which: total market risk weighted assets	134198.5	
	60c of which: total operational risk weighted assets	123379.3	
	<b>Capital Ratios &amp; Buffers</b>		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.23%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.94%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.94%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	of which: capital conservation buffer requirement		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	of which: G-SIB buffer requirement		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		
	<b>National minima (if different from Basel III)</b>		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	<b>Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)</b>		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	<b>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2</b>		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		

**तालिका डीएफ – 12**  
**पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं**

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
<b>क</b>	<b>पूँजी एवं देयताएं</b>		
i	प्रदत्त पूँजी आरक्षित एवं अधिक निधि अल्प संख्य ब्याज शेयर एप्लीकेशन राशी कुल पूँजी	23081.57 75170.24 51320.00 149571.81	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंक जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)	61860.81 1756631.99	
iii	उधार जिसमें से: भा.रि. बैंक से जिसमें से: बैंकों से जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर) जिसमें से: पूँजीगत लिखत	44430.00 31285.77 4342.28 184.57 44250.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	68004.54	
<b>कुल</b>		<b>2160561.77</b>	
<b>ख</b>	<b>आस्तियां</b>		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	81250.79 66229.57	
ii	निवेश : जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	542391.11 514.29 3159.26 144414.78 1845.09 17296.94	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1074700.21	
iv	अचल आस्ति	28751.02	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां जिसमें से : अन्य	53272.50 146736.21	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
<b>कुल आस्तियां</b>		<b>2160561.77</b>	

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
<b>क</b>	<b>पूंजी एवं देयताएं</b>		
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि शेयर एप्लीकेशन राशी अल्पसंख्य ब्याज कुल पूंजी	23081.57 23081.57 0.00 75170.24 51320.00 149571.81	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंकों से जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	61860.81 1756631.99	
iii	उधार जिसमें से : भा.रि. बैंक से जिसमें से : बैंकों से जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें) जिसमें से : पूंजीगत लिखत	44430.00 31285.77 4342.28 184.57 44250.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी कुल	68004.54 2160561.77	
<b>ख</b>	<b>आस्तियां</b>		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	87902.50 93096.33	
ii	निवेश जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋण-पत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	542391.11 514.29 3159.26 144414.78 1845.09 17296.94	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1074700.21	
iv	अचल आस्तियां	28751.02	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से : साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां अन्य	53272.50 146736.21	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>2160561.77</b>	

**सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां**

		(₹ मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	146052.3	
2	प्रतिधारित आमदनी		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	-10501.4	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी	135550.9	
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		
9	आस्थगित कर आस्तियां	49176.60	

**Table DF – 12**  
**Composition of Capital – Reconciliation Requirements**

**Step - 1**

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
<b>A</b>	<b>Capital &amp; Liabilities</b>		
i	Paid-up Capital Reserves & Surplus Minority Interest Share Application Money Total Capital	23081.57 75170.24  51320.00 149571.81	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	61860.81 1756631.99	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & agencies <i>of which:</i> Others (Outside India) <i>of which:</i> Capital instruments	44430.00 31285.77 4342.28 184.57 44250.00	
iv	Other liabilities & provisions <b>Total</b>	68004.54 <b>2160561.77</b>	
<b>B</b>	<b>Assets</b>		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India Balance with banks and money at call and short notice	81250.79 66229.57	
ii	Investments: <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	542391.11 514.29 3159.26 144414.78 1845.09 17296.94	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	1074700.21	
iv	Fixed assets	28751.02	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>of which:</i> Deferred tax assets <i>of which:</i> Others	53272.50 146736.21	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	<b>Total Assets</b>	<b>2160561.77</b>	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
<b>A</b>	<b>Capital &amp; Liabilities</b>		
i	Paid-up Capital <i>of which:</i> Amount eligible for CET1 <i>of which:</i> Amount eligible for AT1 Reserves & Surplus Share Application Money Minority Interest Total Capital	23081.57 23081.57 0.00 75170.24 51320.00 149571.81	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	61860.81 1756631.99	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & agencies <i>of which:</i> Others (pl. specify) <i>of which:</i> Capital instruments	44430.00 31285.77 4342.28 184.57 44250.00	
iv	Other liabilities & provisions <i>of which:</i> DTLs related to goodwill <i>of which:</i> DTLs related to intangible assets <b>Total</b>	68004.54   <b>2160561.77</b>	
<b>B</b>	<b>Assets</b>		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	87902.50	
	Balance with banks and money at call and short notice	93096.33	
ii	Investments <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	542391.11 514.29 3159.26 144414.78 1845.09 17296.94	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	1074700.21	
iv	Fixed assets	28751.02	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>Out of which:</i> Goodwill Other intangibles (excluding MSR's) Deferred tax assets Others	53272.50 146736.21	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	<b>Total Assets</b>	<b>2160561.77</b>	

### Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		(₹in million)	
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	146052.3	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-10501.4	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	135550.9	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Deferred tax assets	49176.60	

तालिका डीएफ - 13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

लिखत : ईक्विटी शेयर		
1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए01018
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं नियमनकारी आवश्यकताएँ
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	ईक्विटी — कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	23081.57
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	ईक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं



**लिखत: अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत गौण पूर्णतः प्रदत्त बेसल III अनुपालित सतत ऋण लिखत- अतिरिक्त टियर- I बांड 11.70% शृंखला I (आईएनई 691ए 08039)**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजीप्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचान कर्ता)	आईएनई 691ए08039 आई एनई 691ए08039
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	भारतीय विधि
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	पूंजीलिखत
4	संक्रामी बासेल III नियम	योग्य
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	योग्य
6	एकल/ समूह / समूहऔरएकलका पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखत
8	नियमनकारी पूंजीके लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	7500.00
9	लिखत का सममूल्य	10,00,000/-
10	लेखांकनवर्गीकरण	ऋण राशि
11	जारी करने की मूल तारीख	04.11.2016
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी रूप से
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्वपर्यवेक्षीअनुमोदनकेअधीन जारीकर्ताद्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	04.11.2021
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	उसके पश्चात प्रतिवर्ष
	<i>कूपन / डिविडेंड</i>	<i>कूपन</i>
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	11.70%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का / के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	पीओएनवी ट्रिगर इवेंट या सी ई टी 1 ट्रिगर इवेंट, जैसा लागू हो
32	यदि मूल्य- घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	यथानुसारपीओएनवी ट्रिगर/सीईटी1 ट्रिगर के पूर्ण या आंशिक प्रकटन पर दोनों
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	आरबीआई दिशानिर्देशानुसार
35	परिसमापन में अधीनस्थताश्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा इक्विटी शेयरों की इक्विटी के निवेशकों के दावों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावों की अपेक्षा गौण होगा।
36	गैर-अनुपालकसंक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09177
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	2000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	25.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	25.03.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10वें वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से )
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	25.03.2020
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.90%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09144
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	0.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	30.04.2018
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.50%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.75% शृंखला X**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिलूमबर्ग)	आईएननई691ए09151
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर - II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	440.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	22.04.2019
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	9.75%
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा इक्विटी शेयरों की इक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिलुमबर्ग)	आईएननई 691ए 09169
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>नियमनकारी उपचार</i>	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	1280.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	08.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	08.03.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/डिविडेंड</i>	लागू नहीं कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.92%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.00% शृंखला XII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09185
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम नियमनकारी उपचार	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	4000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2012
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	28.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.00%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बेसल III अनुपालित टियर -II बांड 8.95% शृंखला ।**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजीप्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचानकर्ता)	आईएनई 691 ए 08047INE691A08047
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम नियमनकारी उपचार	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूहऔरएकलका पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ-II
8	नियमनकारी पूंजीके लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	10000
9	लिखत का सममूल्य	10000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकनवर्गीकरण	देयता
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2017
12	स्थायी स्तर से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	31.03.2027
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ताद्वारामांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2022
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो कूपन/ डिविडेंड	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल डिविडेंड/ कूपन	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.95% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाइंट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर की घड़ी आने पर बांडो को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है । पी ओ एन वी ट्रिगर की घड़ी निम्नांकित से पहले आएगी: क) निर्णय कि स्थायी स्तर से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्त पूंजी का विरलीकरण न हो ।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थताश्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारको के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतो पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारो की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएगे । बांड धारको को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर होने सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा ।
36	गैर-अनुपालकसंक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं



Table DF-13

**Main Features of Regulatory Capital Instruments**

<b>INSTRUMENT: Equity Shares</b>		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	<i>Regulatory treatment</i>	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity - common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	23081.57
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Non -Convertible Unsecured Subordinated Fully paid Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments - Additional Tier-1 Bonds 11.70% Series I (INE691A08039)**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08039
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Law
	<i>Regulatory treatment</i>	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Eligible
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Additional Tier 1 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	7500 .00
9	Par value of instrument	10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	04.11.2016
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	04.11.2021
16	Subsequent call dates, if applicable	Every year thereafter
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.70%
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger Event or CET 1 Trigger
32	If write-down, full or partial	Event, as applicable Fully or Partially on occurrence of the PONV Trigger/CET1 Trigger, as applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09177
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.03.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	25.03.2020
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.90%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09144
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	0.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.03.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30.04.2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09151
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	440.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.04.2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	9.75%
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09169
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1280.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	08.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	08.03.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.92%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09185
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2012
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08047
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10000 .00
9	Par value of instrument	10000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	31.03.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31.03.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2022
16	Subsequent call dates, if applicable <i>Coupons / dividends</i>	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.95% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NO
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p> <p>b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.</p>
32	If write-down, full or partial	Full



33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**तालिका डीएफ - 14**  
**नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें**

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयर: असंचयी
2	पूर्ण भुगतान किए गये अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत अधीनीकृत बासेल III अनुपालित शाश्वत ऋण लिखत- अतिरिक्त टियर 1 बांड 11.70% शृंखला (आईएनई691ए08039)	निर्गम मात्रा: ₹ 750 करोड़, आबंटन की तारीख 04.11.2016, प्रस्तुति एवं आमंत्रण विकल्प: आमंत्रण विकल्प की तारीख 04.11.2021. ब्याज दर एवं बारम्बारता; 11.70% 04 नवम्बर. सूचीकरण: एन एस ई के पास सूचीकृत, सभी अमूर्त रूप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV (आईएनई691ए09177)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 25.03.2010, प्रतिदान की तारीख: 25.03.2025, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 25.03.2020. ब्याज दर और आवृत्ति: 8.90%, 25 मार्च एवं 25 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX (आईएनई691ए09144)	जारी प्रमात्रा: ₹100 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.03.2008, प्रतिदान की तारीख: 30.04.2018, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख : लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.50%, 31 मार्च एवं 30 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.75% शृंखला X (आईएनई691ए09151)	जारी प्रमात्रा: ₹ 275 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.12.2008, प्रतिदान की तारीख: 22.04.2019, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं . ब्याज दर और आवृत्ति: 9.75%, 22 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI (आईएनई691ए09169)	जारी प्रमात्रा: ₹800 करोड़, आबंटन की तारीख: 08.03.2010, प्रतिदान की तारीख: 08.03.2020, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 8.92%, 8 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
7	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 9.00% शृंखला XII (आईएनई691ए09185)	जारी प्रमात्रा: ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख: 28.12.2012, प्रतिदान की तारीख: 28.12.2022, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.00%, 28 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
8	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.95% शृंखला I (आई एन ई 691ए 08047)	निर्गम मात्रा: ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख 31.03.2017, प्रतिदेयता की तारीख: 31.03.2027, सममूल्य ₹1 मिलियन प्रस्तुती एवं आमंत्रण विकल्प: आमंत्रण विकल्प की तारीख 31.03.2022 ब्याज दर एवं बारम्बारता: 8.95%, 31 मार्च. सूचीकरण: एन एस ई के पास सूचीकृत, सभी अमूर्त रूप में।

**Table DF - 14**  
**Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments**

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2	Non -Convertible Unsecured Subordinated Fully paid Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments -Additional Tier-1 Bonds 11.70% Series I (INE691A08039)	Issue Size: ₹750 Crore, Date of Allotment: 04.11.2016, Put and Call Option: Call option date 04.11.2021. Rate of Interest and frequency: 11.70%, 04th November. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
3	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV (INE691A09177)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 25.03.2010, Date of Redemption: 25.03.2025, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 25.03.2020. Rate of Interest and frequency: 8.90%, 25th March and 25th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
4	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX (INE691A09144)	Issue Size: ₹100 Crore, Date of Allotment: 31.03.2008, Date of Redemption: 30.04.2018, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.50%, 31st March & 30th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
5	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X (INE691A09151)	Issue Size: ₹275 Crore, Date of Allotment: 22.12.2008, Date of Redemption: 22.04.2019, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.75%, 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
6	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI (INE691A09169)	Issue Size: ₹800 Crore, Date of Allotment: 08.03.2010, Date of Redemption: 08.03.2020, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 8.92%, 8th March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
7	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII (INE691A09185)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 28.12.2012, Date of Redemption: 28.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency: 9.00%, 28th December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
8	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series (INE691A08047)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 31.03.2017, Date of Redemption: 31.03.2027, Par Value: ₹1 Million Put and Call Option: Call option date 31.03.2022. Rate of Interest and frequency: 8.95%, 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

**तालिका डीएफ - 15**  
**पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ**

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

**Table DF - 15**  
**Disclosure Requirements for Remuneration**

Not applicable to Nationalised Banks.

## तालिका डीएफ-16:

### गुणात्मक प्रकटीकरण

### इक्विटी - बैंकिंग बही स्थितियों का प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्केट-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इक्विटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर पूँजी आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है।

### गुणात्मक प्रकटीकरण

#### क) निवेशों का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य से तत्वतः मिल्ल हो
अनुद्धृत	190.29	190.29	लागू नहीं
उद्धृत	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं

(राशि ₹ करोड़ में)

#### ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहायक, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस स्तर में धारित किया जा सकता है।		184.50 5.79

(राशि ₹ करोड़ में)

#### ग. लाभ/हानि विवरण

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्रियों और परिसमापनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

#### घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

इक्विटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारत जोखिम दर / @ 250%	41.51
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस स्तर में धारित किया जा सकता है।	भारत जोखिम दर / @ 150%	0.78

**Table DF - 16**

**Disclosure for Banking Book Positions**

**QUALITATIVE DISCLOSURES**

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

**QUANTITATIVE DISCLOSURES**

**A. Value of Investments**

(₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	190.29	190.29	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

**B. Types and Nature of Investments**

(₹ in crore)

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		184.50
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.		5.79

**C. Gain/ Loss Statement**

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

**D. Capital Requirement for Banking Book**

(₹ in crore)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	41.51
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.78

**तालिका डीएफ- 17:**  
**लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना**

क्र.सं.	निवेश	राशि (₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2,16,0561.77
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर कार्रवाई से रहित समायोजन	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	26242.91
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	0.00
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात्, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजरों की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	106633.94
7	अन्य समायोजन	(49176.60)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	<b>2244262.02</b>

**तालिका डीएफ-18**  
**लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना**

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
	<b>तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोजर</b>	
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी बिना, लेकिन संपार्श्विक सहित)	2160561.77
2.	(बासेल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ)	(49176.60)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोजर (व्युत्पन्नों और एसएफटी बिना) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	2111385.17
	<b>व्युत्पन्न एक्सपोजर</b>	
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिस्थापन लागत(यानी योग्य नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	4685.70
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	21557.21
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्श्विक व्युत्पन्नों के लिए ग्रॉस-अप, जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	0.00
7.	(व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	0.00

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कटौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	26242.91
<b>प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र</b>		
12.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए)	0.00
13.	सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00
14.	एसएफटी एक्सपोज़र के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति 12 से लेकर 15 का कुल योग)	0.00
<b>तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र</b>		
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	253109.60
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(146475.66)
19.	तुलन पत्र से इतर मर्दे (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	106633.94
<b>पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र</b>		
20.	टियर 1 पूँजी	93874.30
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)	2244262.02
<b>लीवरेज अनुपात</b>		
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	4.18%

**Table DF - 17**

**Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure**

<b>Sr No</b>	<b>Particulars</b>	<b>Amount (₹ in Millions)</b>
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	2,16,0561.77
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	26242.91
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	106633.94
7	Other adjustments	(49176.60)
8	Leverage ratio exposure	<b>2244262.02</b>

**Table DF - 18**

**Leverage ratio common disclosure template**

<b>Sr No</b>	<b>Item</b>	<b>Amount (₹ in Millions)</b>
	<b>On-Balance sheet exposure</b>	
1.	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2160561.77
2.	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(49176.60)
3.	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2111385.17
	<b>Derivative exposure</b>	
4.	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	4685.70
5.	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	21557.21
6.	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7.	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00



Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
8.	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	0.00
9.	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	0.00
10.	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11.	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	26242.91
<b>Securities financing transaction exposures</b>		
12.	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13.	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	0.00
14.	CCR exposure for SFT assets	0.00
15.	Agent transaction exposures	0.00
16.	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	0.00
<b>Other off-balance sheet exposures</b>		
17.	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	253109.60
18.	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(146475.66)
19.	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 1	106633.94
<b>Capital and total exposures</b>		
20.	Tier 1 capital	93874.30
21.	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2244262.02
<b>Leverage ratio</b>		
22.	Basel III leverage ratio	<b>4.18%</b>

# यूको बैंक

फार्म "बी"

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

## परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे एवं हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

15<sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक

दिनांक 27 जून, 2018

रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं.

(यदि अमूर्तीकृत नहीं है)

डी. पी. पहचान सं.

ग्राहक की पहचान सं.

(यदि अमूर्तीकृत है)

मैं/हम, \_\_\_\_\_, निवासी \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_, राज्य \_\_\_\_\_, जो यूको बैंक का/के शेयरधारक हूँ / हैं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_, निवासी \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_, राज्य \_\_\_\_\_, को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_, निवासी \_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_, राज्य \_\_\_\_\_

को बुधवार, दिनांक 27 जून, 2018 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में मिनी ऑडिटोरियम, साइन्स सिटी, जे.बी.एस. हाल्डेन एवेन्यू, कोलकाता-700 046 में या उसके बदले किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानेवाली यूको बैंक के शेयरधारकों की 15<sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपना परोक्षी नियुक्त करता/करती/हूँ /करते हैं।

वर्ष 2018 के \_\_\_\_\_ की तारीख को हस्ताक्षर किए गए

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

₹ 1 /- का

रसीदी

टिकट

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

### परोक्षी फार्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने हेतु अनुदेशः

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वहः  
(क) किसी व्यक्ति शेयरधारक के मामले में उसके या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;  
(ख) संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;  
(ग) किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
- कोई परोक्षी लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम है यदि उसका चिह्न उसपर अंकित किया जाता है तथा उसे किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है।
- परोक्षी फार्म और  
(क) मुख्तारनामा या प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया है, अथवा  
(ख) मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी शुक्रवार, दिनांक 22 जून, 2018 के कार्य-समय की समाप्ति पर या उसके पहले जमा की जाए।
- कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जबतक फार्म "बी" के अनुसार और सम्यक रूप से स्टांपित न हो।
- बैंक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
- विकल्पतः दो अधिकारग्राहियों के पक्ष में प्रदान की गई परोक्षी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित है।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

# UCO Bank

Form "B"

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

## Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

15<sup>th</sup> Annual General Meeting

Dated June 27<sup>th</sup>, 2018

Regd. folio No.  
(if not Dematerialised)

DP ID No.  
Client ID No.  
(if Dematerialised)

I/We \_\_\_\_\_ resident/s of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/ Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ or failing him, Shri/Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in the state of \_\_\_\_\_ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **15<sup>th</sup> Annual General Meeting** of the shareholders of UCO Bank, to be held on Wednesday the 27<sup>th</sup> June 2018 at 10.30 A.M. at Mini Auditorium, Science City, J.B.S. Haldane Avenue, Kolkata-700046 and at any adjournment thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2018

₹ 1/-  
Revenue  
Stamp

\_\_\_\_\_  
Signature of Proxy

Name :

\_\_\_\_\_  
Signature of first named / sole Shareholder

Address :

### Instructions for Signing and submitting the Proxy form:

- No instruments of proxy shall be valid unless,
  - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
  - In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
  - In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
- The proxy together with
  - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Friday, the 22<sup>nd</sup> June, 2018.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
- An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

**यूको बैंक / UCO Bank**  
**प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001**  
**Head Office : 10, B. T. M. Sarani Kolkata - 700 001**

<p><b>उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip</b>          (प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)  <b>दिनांक : बुधवार, 27 जून 2018, पूर्वाह्न 10.30 बजे</b>          स्थान : मिनी ऑडिटोरियम, साइन्स सिटी, जे.बी.एस. हाल्डेन एवेन्यू, कोलकाता-700 046  <b>Date : Wednesday, 27<sup>th</sup> June, 2018 at 10.30 a.m.</b>          Venue : Mini Auditorium, Science City, J.B.S. Haldane Avenue, Kolkata-700046</p>
---

मैं एतद्वारा बैंक की 15<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।  
 I hereby record my presence at the 15<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank

शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder/Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

<p><b>प्रवेश पर्ची / Entry Pass</b>          (प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)</p>
--

सदस्य/परोक्षी का नाम: (स्पष्ट अक्षरों में) Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

<p><b>प्रवेश पर्ची / Entry Pass</b>          (मतदान करने के समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of voting)</p>
---

सदस्य/परोक्षी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

दिनांक : 27 जून 2018  
 Dated : 27<sup>th</sup> June 2018

शेयरधारकों/परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाले अंश को शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक चलने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन/जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सभा-भवन के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची जारी नहीं किया जाएगी।  
 Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.



सुपुर्वर्दगी नही होने पर, कृपया इस पते पर लौटा दें :  
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.  
(इकार्ड : यूको बैंक)  
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,  
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,  
हैदराबाद - 500 032

If undelivered, please return to :  
M/s Karvy Computershare Private Limited  
Unit : UCO BANK,  
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,  
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,  
Hyderabad – 500 032